पंचदश माला, खंड 16, अंक 21

बुधवार, 23 मार्च, 2011
2 चैत्र, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खण्ड 16 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

श्री के.बी. तिवारी
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2011 **लोक सभा सचिवालय**

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

क्र क्र

पी०एल०एस०-48/16/21/2011 (एन०)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 16, सातवां सत्र 2011/1933 (शक)]

अंक 21, बुधवार, 23 मार्च, 2011/2 चैत्र, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1-10
राज्य सभा से संदेश	11
लोक लेखा समिति	
32वें से 34वां प्रतिवेदन	11
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
छठा प्रतिवेदन	12
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) (क) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
(ख) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ए.के. एंटनी	12-14
(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री अश्विनी कुमार	14

विषय कॉलम

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आंध्र प्रदेश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री एल. राजगोपाल....... 17

श्री अरुण यादव....... 17

डॉ. के.एस. राव....... 24

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश चौधरी....... 30

(दो) मौजूदा डाक बैलट प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावकारी बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज....... 31

(तीन) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भावनापाडु गांव में मत्स्यन बंदरगाह स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. क्रुपारानी किल्ली....... 31

(चार) सैटेलाइट शहरों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित शहरी अवसंरचना विकास योजना में नागपुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार....... 32

(पांच) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भूपेन्द्र सिंह....... 33

(छह) छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत सतना शहर के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह....... 33

विषय कॉलम

(सात) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और अकबरपुर के बीच बिन्दकी-खजुहा-जहानाबाद तथा सिकन्दराबाद से होकर गुजरने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान.. 34

(आठ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मुनि करवारिया.. 35

(नौ) बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पुलों और सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर हजारी.. 35

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को सुदृढ़ करने और चौरंगी (पश्चिम बंगाल) तथा जमशेदपुर (झारखंड) के बीच ओडिशा के बहारागोड़ा से गुजरने वाले इस राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुलीन बिहारी बासके.. 36

(ग्यारह) मुंबई तट पर दो जहाजों की टक्कर के पश्चात् समुद्र में गिरे कंटेनर जिसमें रसायन और नाशकजीवमार हैं, को निकाले जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजीव गणेश नाईक.. 36

(बारह) डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी.. 37

नियम 193 के अधीन चर्चा

'वोट के बदले नोट' के भुगतान के बारे में अखबार की रिपोर्ट के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

श्री गुरुदास दासगुप्त.. 39

श्रीमती सुषमा स्वराज.. 50

श्री पवन कुमार बंसल.. 64

विषय	कॉलम
श्री मुलायम सिंह यादव	87
श्री दारा सिंह चौहान	90
श्री शरद यादव	92
श्री बसुदेव आचार्य	99
श्री पिनाकी मिश्रा	104
श्री नामा नागेश्वर राव	108
श्री अजित सिंह	111
डा. रतन सिंह अजनाला	112
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	118
डॉ. मिर्जा महबूब बेग	122
श्री असादूद्दीन ओवेसी	125
श्रीमती पुतुल कुमारी	128
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	129
श्री यशवंत सिन्हा	130
श्री कपिल सिब्बल	136
डॉ. मनमोहन सिंह	143
वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पवन कुमार बंसल	147
श्री निनोंग ईरींग	151
श्री शैलेन्द्र कुमार	155
श्री विजय बहादुर सिंह	159
शेख सैदुल हक	161
श्री भर्तृहरि महताब	164
श्री प्रबोध पांडा	169
डॉ. मुरली मनोहर जोशी	174

विषय	कॉलम
आधे घंटे की चर्चा	
पर्यटन नीति के संबंध में	
श्री राजू शेट्टी	183
श्री सतपाल महाराज	185
श्री जयंत चौधरी	186
श्री जगदम्बिका पाल	189
श्री के. बापीराजू	192
श्री सुबोध कांत सहाय	193
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) विदेशों में सिखों के मुद्दों, जिनके कारण विश्वभर में सिखों के साथ भेदभाव हुआ, के बारे में	198
(दो) लिबिया से भारत लौटे भारतीयों के लिए पुनर्वास पैकेज शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में	200

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 23 मार्च, 2011/2 चैत्र, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, राष्ट्र को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए 80 वर्ष पूर्व 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने शहादत दी थी।

इन शहीदों का साहस, वीरता और देश भक्ति हमेशा ही इस देश के युवको के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे।

इस अवसर पर हम शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु शहीद सुखदेव और उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की कुर्बानी दी।

सभा अब स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदया, मैं श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4360/15/11]

(3) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 217(अ) जो 1 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के उपबंधों का भेषज से भिन्न 10 उद्योगों पर विस्तार किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 3 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 471(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 4361/15/11]

(4) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रति प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4362/15/11]

(6) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4363/15/11]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : पहले पेपर्स ले कराने दीजिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 6 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 953(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पंद्रहवां संशोधन नियम, 2010, जो 6 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 954(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारततीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2010, जो 17 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) संशोधन नियम, 2010, जो 22 दिसंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2010, जो 27 नवंबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4364/15/11]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:-

(1) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 4365/15/11]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4366/15/11]

अपराह्न 11.02½ बजे

इस समय डा. रतन सिंह अजनाला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको ज़ीरो ऑवर में मामला उठाने दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों खड़े हो गये हैं? आप बैठ जाइये। ज़ीरो ऑवर में मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:–

(1) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4367/15/11]

(3) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4368/15/11]

(5) नेहरु इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4369/15/11]

(7) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4370/15/11]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2011 जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 104(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 4371/15/11]

(दो) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2011 जो 4 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.डब्ल्यू.आर. (1) 2010 प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 4372/15/11]

(तीन) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/1 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों के लिए

निर्वाचनों की तारीखों तथा अन्य विषयों के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/2 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के लिए निर्वाचनों के बारे में है।

(पांच) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/3 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के लिए निर्वाचनों के बारे में है।

(छह) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/4 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बारे में है।

(सात) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/5 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के लिए निर्वाचनों तथा चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों हेतु शुल्क के संदाय के बारे में है।

(आठ) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/6 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के लिए निर्वाचनों हेतु प्रतिभूति निक्षेप के संदाय के बारे में है।

(नौ) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/7 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो लागत और संकर्म लेखा (परिषद् के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 उपनियम (4) के प्रयोजनार्थ अर्हताओं की मान्यता के बारे में है।

(दस) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/8 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की अठाहरवीं परिषद् तथा चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों हेतु विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची (मतदाता सूची) को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या ई.एल.-2011/9 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों हेतु उसमें उल्लिखित उम्मीदवार द्वारा खर्च किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा के नियतन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 4373/15/11]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 300(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-छह के भाग-एक की धारा 211(4) के अंतर्गत कंपनियों को सामान्य छूट के बारे में है।

(दो) का.आ. 301(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-छह के भाग-दो की धारा 211(4) के अंतर्गत कंपनियों को सामान्य छूट के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 4374/15/11]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 70(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची तेरह में कतिपय-संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या I-सीए(7)/138/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रत्येक पात्र व्यक्ति द्वारा अपना नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 4 के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए, उसमें उल्लिखित, संदेय शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या I-सीए(7)/139/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी सदस्य द्वारा संस्थान के फेलो के रूप में रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए, उसमें उल्लिखित, संदेय शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या I-सीए(7)/140/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी सदस्य द्वारा प्रैक्टिस के अपने प्रमाणन के लिए, उसमें उल्लिखित संदेय शुल्क के कतिपय शर्तों के अध्यधीन 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या I-सीए(7)/141/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी सदस्य द्वारा उसमें उल्लिखित, संदेय वार्षिक सदस्यता शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(पांच) अधिसूचना संख्या I-सीए(7)/142/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो ऐसे सदस्यों द्वारा, उसमें उल्लिखित, वार्षिक शुल्क तथा प्रवेश शुल्क के बकायों सहित संदेय अतिरिक्त शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 4376/15/11]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4377/15/11]

(3) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 4378/15/11]

———

पूर्वाह्न 11.03 बजे

राज्य सभा में संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 22 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।''

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

लोक लेखा समिति

32वें से 34वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'कर के कम उद्ग्रहण, उत्पाद-शुल्क योग्य माल के गलत वर्गीकरण और निर्यात बाध्यता को पूरा न किये जाने के कारण राजस्व की हानि' के बारे में समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा-की-गई कार्रवाही के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित 'बाघ अभयारण्य में बाघों का संरक्षण और सुरक्षा' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 34वां प्रतिवेदन।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपको ज़ीरो ऑवर में मामला उठाने दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03¾ बजे

इस समय डा. रतन सिंह अजनाला और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर) : मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.04¼ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : महोदया, मैं लोकसभा समाचार-भाग-II दिनांक 1 सितंबर, 2004 के माध्यम से माननीय

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4379/15/11

अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुपालन में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का छठा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित है। छठा प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के विवरणों को दिनांक 27/9/2011 को रक्षा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

अपने छठे प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाया गया है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुलग्नक की संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़कर सभा का अमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 11.04½ बजे

(ख) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : महोदया, मैं लोक सभा समाचार-भाग-II दिनांक 1 सितंबर, 2004 के माध्यम से माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन 'देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण' से संबंधित है। आठवों प्रतिवेदन दिनांक 19.08.2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के विवरणों को दिनांक 21/01/2011 को रक्षा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

अपने आठवें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुलग्नक की संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़कर सभा का अमूल्य समय नहीं लूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 11.05 बजे

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदया, मैं लोक सभा समाचार भाग-II दिनांक 11 सितंबर, 2004 के माध्यम से लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 389 के उपबंधों के अनुपालन में माननीय-अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विभाग से संबंधित दो सौ अठारहवें (218वें प्रतिवेदन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित सिफारिशों पर कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 13 दिसंबर, 2010 को लोक सभा में अपना दो सौ अठारहवां (218वां) प्रतिवेदन सभापटल पर रखा। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है जिसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4380/15/11

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4381/15/11

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम मद संख्या 12 को लेंगे जो ध्यानाकर्षण के बारे में है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, आपका नोटिस मेरे पास आया है जो विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग कृपया बैठ जायें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदया, डॉ राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री एल. राजगोपाल।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदया, आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मुद्दे को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कल माइनोरिटीज़ पर नियम 193 के तहत चर्चा है, आप उसमें ये सब बातें उठा लीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अजनाला जी, आपको जीरा ऑवर में मौका दे देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : निरुपम जी, आपको कोई नोटिस नहीं आया है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य खड़े हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा सामना की गई समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : राजगोपाल जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एल. राजगोपाल : महोदया, मैं किसानों के मुद्दे के बारे में बोल रहा हूं, रघुवंश जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि मैं किसानों के मुद्दे को उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : योगी जी, आपका नोटिस विचाराधीन है। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल : महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पिछले सत्र में हम किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सके। पिछले सत्र में मैंने आपसे अनुरोध किया था कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आंध्र प्रदेश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : मैं कृषि मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:–

''आंध्र प्रदेश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

[हिन्दी]

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) :** आदरणीय महोदया, इस वर्ष के दौरान आयी प्राकृतिक आपदाओं के कारण आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा सामना की गयी समस्याओं पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी चिंता से मैं भी सहमत हूं। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकारें अपने राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से तत्काल उपलब्ध निधियों से तत्काल आवश्यक उपाय करती हैं। भारत सरकार वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ से अलग अतिरिक्त वित्तीय सहायता के अनुरोध पर स्थापित प्राक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सहायता पर विचार किया जाता है।

महोदया, आंध्र प्रदेश के पास वर्ष 2010-11 के लिए आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अधीन 508.84 करोड़ रुपये का आवंटन है, जिसमें केन्द्रीय अंश के रूप में 381.63 करोड़ रुपये तथा राज्य अंश के रूप में 127.21 करोड़ रुपये शामिल है। वर्ष 2010-11 हेतु 381.63 करोड़ रुपये का पूरा केन्द्रीय अंश पहले ही जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2010-11 हेतु 190.815 करोड़ रुपये की एसडीआरएफ की राशि की केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त अग्रिम रूप से राज्य सरकार को 3 जून, 2010 को जारी की गयी थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने 190.815 करोड़ रुपये की धनराशि की दूसरी व अंतिम किस्त का केन्द्रीय अंश अग्रिम रूप से 16 नवंबर, 2010 को जारी किया जबकि राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

भारत सरकार ने 2010 के चक्रवाती तूफान लैला/बाढ़ों की स्थिति में राहत कार्य के लिए राज्य को क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के विशेष घटक से 6.26 करोड़ रुपये के अलावा तात्कालिक आपदा के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 74.78 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसरण में 400 करोड़ रुपये की धनराशि एनडीआरएफ से, 300 करोड़ रुपये ''ऑन अकाउंट'' आधार पर तथा वर्ष 2011-12हेतु अग्रिम रूप से 100 करोड़ रुपये एसडीआरएफ के केन्द्रीय अंश के रूप में राहत के लिए 29 दिसंबर, 2010 को जारी किये गये।

2010-11 की दूसरी छमाही के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़, चक्रवात एवं भारी वर्षा के कारण होने वाली हानियों, जिसमें

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4382/15/11

[श्री अरुण यादव]

कृषि क्षेत्र को होने वाली हानि भी शामिल है, के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तीन ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं। भारत सरकार ने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया की तथा राज्य सरकार को संभार तंत्र एवं वित्तीय सहायता दी।

भारत सरकार ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ के कारण जून से सितंबर, 2010 में होने वाली हानियों के एनडीआरएफ से 264.54 करोड़ रुपये एवं एनआरडीडब्लूपी के विशेष घटक से 5.62 करोड़ रुपये अनुमोदित किये। अक्तूबर-नवंबर, 2010 के दौरान चक्रवात 'जेएएल'/बाढ़ के कारण होने वाली हानियों के लिए एनडीआरएफ से 172.73 करोड़ रुपये एवं एनआरडीडब्लूपी से 5.37 करोड़ रुपये भी अनुमोदित किये। इसके अलावा, 2009 के सूखे के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, (एमजीएनआरईजीएस) के तहत 100 दिन के अलावा अतिरिक्त रोज़गार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से 3 मार्च, 2011 को 207.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निर्मुक्ति की गई है।...*(व्यवधान)*

दिसंबर, 2010 के महीने में भारी वर्षा के कारण होने वाली हानियों के लिए प्राप्त ज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने 7 से 10 फरवरी, 2011 तक राज्य का दौरा किया। एनडीआरएफ से सहायता के लिए उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

भारत सरकार ने 2010-11 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए आवश्यक राहत प्रबंधन के लिए 1063.74 करोड़ रुपये (एनडीआरएफ से 582.11 करोड़ रुपये एवं एसडीआरएफ (केन्द्रीय अंश) से 481.63 करोड़ रुपये) निर्मुक्त किये हैं। एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ से उपरोक्त राहत सहायता के अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से भी आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक सहायता की पूर्ति की गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री एल. राजगोपाल।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। अभी कॉलिंग अटैन्शन चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल द्वारा व्यक्त किए जा रहे विचारों के अतिरिक्त कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री एल. राजगोपाल : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।

केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए किये गये पहल और समर्थन के लिए मैं बहुत ही खुश और प्रसन्न हूं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, यू.पी.ए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और कृषि मंत्री श्री शरद पवार से मिले। सभी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बहुत ही दयालु और संवेदनशील हैं।

जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है, उससे हम लोग सहमत हैं कि पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य को 1.064 करोड़ रुपये राज्य के शेयर, केन्द्रीय सहायता और एन.डी.आर.एफ से एस.डी.आर.एफ से आपदा प्रबंधन के लिए भविष्य हेतु अग्रिम राशि भी दी गई।

पिछले वर्ष सितंबर, नवंबर और दिसंबर माह के दौरान वहां असायमिक वर्षा हुई। इस प्रकार, वहां तीन बार वर्षा हुई और विशेषकर यह असामयिक वर्षा थी जिससे दिसंबर में संपूर्ण आंध्र प्रदेश में विनाशकारी प्रभाव हुए। 30 लाख टन से ज्यादा का धान बर्बाद हो गया। उस समय, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार 7% तक बेरंग या टूटे हुए धान का क्रय करने के लिए सहमत थी। बाद में, हमारे अनुरोध पर उन्होंने इस प्रतिशत को बढ़ाकर 10% कर दिया। लेकिन यदि आम लोग जमीनी वास्तविकता को देखें, तो आप यह पाऐंगे कि वास्तव में 50% से ज्यादा बेरंग या व टूटा हुआ धान था। लेकिन भारत सरकार इसका केवल 7 या अधिकतम 10% तक क्रम करने के लिए सहमत थी। बाकी धान का क्या होगा? वास्तव में, राज्य सरकार राहत देने के लिए आगे आयी और उन्होंने कहा कि वे लोग 50 प्रतिशत बेरंगे या टूटे हुए सभी प्रकार के धान का क्रय करेगी। लेकिन कुछ अन्य प्रकार के धान हैं जो 50% से ज्यादा बेरंग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। किसानों के पास इसे बेकार के रूप में फेंक देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शेष बेरंग धान के लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है।

इसलिए हम लोगों ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से भी किसानों को बचाने के लिए अनुरोध किया है। वे प्रति हैक्टेयर 6000 रुपये का निवेश सब्सिडी देते हैं जो प्रति एकड़ 2400 रु. है। लेकिन किसानों को 15,000 रु. प्रति एकड़ से कम का घाटा नहीं हुआ है। इसलिए, हम लोगों ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से निवेश सब्सिडी को बढ़ाने का अनुरोध किया है। वास्तव में, राज्य सरकार आगे बढ़ी और इसको 4500 रु. से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया। लेकिन हुड्डा समिति ने सिफारिश की है कि धान के लिए प्रति हैक्टेयर निवेश सब्सिडी कम-से-कम 10,000 रुपये होनी चाहिए। वास्तव में, यह रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है। हम लोग चाहते है कि भारत सरकार से यह रिपोर्ट तुरंत स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदया, इसमें बीमा का घटक भी है। बीमा मानदंडो को अनुसार, केवल खड़ी फसल को हो हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में फसलों की खेती की जाती है और फसलों की कटाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। इन फसलों को बीमा की परिधि से बाहर कर दिया गया। इसके कारण अनेक किसानों का अपना पूरा निवेश का घाटा उठाना पड़ रहा है।

हम चाहते हैं कि सरकार इन सभी पहलूओं पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि- किसानों को एक पैसे का भी घाटा न हो और उनके द्वारा पैदा किये जाने वाले प्रत्येक अनाज को या तो बाजार में खरीदा जाए या सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आये।

अध्यक्ष महोदय, केवल यही बात नहीं है। वास्तव में, अनेक देशों में चावल की बहुत मांग है। जब चावल की बहुत मांग है, तब वे किसानों को चावल का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। विशेषज्ञ, आंध्र प्रदेश में चावल की एक किस्म है जिसे बीपीटी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में चावल का कुल उत्पादन 14 मिलियन टन है। अर्थात्, यहां 140 लाख टन चावल का उत्पादन होता है और आंध्र प्रदेश राज्य में 70 लाख टन चावल का उपयोग होता है तथा शेष 70 लाख टन चावल को विभिन्न राज्यों में निर्यात किया जाता है। वे लोग राष्ट्र की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। आज, गोदामों में भरे हुए हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार बफर स्टॉक को लगभग 297 लाख टन होना चाहिए। लेकिन आज, हमारे पास सम्मिलित रूप से चावल और गेहूं दोनों का 459 लाख टन से ज्यादा का बफर स्टाक है। अब नई फसल आने को है। रबी मौसम में, हम लोग नई फसल प्राप्त कर रहे हैं और इससे 700 लाख टन का एक अलग स्टॉक होगा। इसलिए, अब बिल्कुल भी भण्डारण क्षमता शेष नहीं है। भण्डारण क्षमता केवल 297 लाख टन की ही है।

इसलिए, हम लोगों ने सोना मंसूरी या बीपीटी चावल का 25 लाख टन का निर्यात करने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया। तभी किसानों को बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। किसानों के घरों में बहुत स्टॉक है। चावल मिलों के पास भी बहुत स्टॉक है लेकिन एक अतिरिक्त अन्न का दाना खरीदने या रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। हमारे अनुरोध करने के बाद तीन माह बीत चुके हैं। सरकार ने केवल एक लाख टन की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा है कि वे इसे 850 डॉलर प्रति टन के दर से बेंचेगें। हम लोगों ने निर्यात मूल्य को 850 डॉलर से घटाकर 750 डॉलर करने या उनसे अनुरोध किया है ताकि अनाज की अतिरिक्त पैदावार जिसे न तो भंडार किया जा सकता है और न ही क्रय किया जा सकता है, को उचित ढंग से उपयोग किया जा सके। इसका एक छोटा सा भाग, जो केवल 25 लाख टन है, को निर्यात करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि 459 लाख टन से ज्यादा का अनाज बफर स्टॉक में है।

हम लोग चाहते हैं कि सरकार तुरंत किसानों की सहायता के लिए आगे आए और बी.पी.टी के लिए निर्यात नीति की घोषणा करें। वे बासमती और गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि पंजाब के हमारे मित्र यहां हैं। वे लोग 22 लाख टन चावल का निर्यात कर रहे हैं। निश्चित रूप से, उनकी सहायता की जानी चाहिए। उसी तरह, आंध्र प्रदेश में हम लोग बासमती का उत्पादन नहीं करते हैं। हम लोग विभिन्न किस्म का उत्पादन करते हैं जिसका भारत में अधिक उत्पादन होता है। इसलिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार – निर्यात करने की अनुमति देकर किसानों की सहायता के लिए आगे आए।

इसके अतिरिक्त, हाल की असामयिक वर्षा के दौरान, कपास किसान गंभीर रूप से प्रभावित हुए। उस समय, हम लोगों ने अनुरोध किया कि गिन्ड कपास का भी निर्यात करने की अनुमति दी जानी

[श्री एल. राजगोपाल]

चाहिए ताकि कपास की कीमत भी बढ़ सके। इसी तरह, तंबाकू किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग सरकार से यह अनुरोध कर रहें है कि हम लोग क्यों विदेशी क्रेताओं को अपने बाजार में आने की अनुमति दें। हम लोग तंबाकू का क्रम केवल घरेलू क्रेताओं के लिए ही सीमित कर रहे हैं। जो कुछ उद्योगपतियों के हाथ में है। हम लोग क्यों इसे कुछ उद्योगपतियों के लिए सीमित करते है जबकि इसका बाजार विदेशों में है और विदेशी क्रेताएं हमारे किसानों को बेहतर लाभकारी मूल्य देकर तंबाकू उपज का क्रय करने के लिए भारत आने को तैयार हैं। इसलिए, हमें इसे समझने की जरूरत है। जब बाजार उपलब्ध है, तो हम लोग अपने किसानों को बेचने की अनुमति नहीं देते है, उन्हें निर्यात करने की अनुमति नहीं देते है, जब हम लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते है, तब हम लोग अपने बचाव के लिए आगे नहीं करते है। तब किसानों की सहायता करना किस प्रकार संभव है?

महोदया, यदि अन्य औद्योगिक उत्पादों जैसे सीमेंट, इस्पात आदि की बात की जाए तो हम उनको निर्यात करते ही हैं। लौह अयस्क के मामलें में भी लगातार निर्यात की अनुमति दी जाती रही है।

अध्यक्ष महोदया : श्री राजगोपाल, कृपया अपना प्रश्न पूछकर बात समाप्त कीजिए।

श्री एल. राजगोपाल : जब कृषि उत्पाद के सिलसिले में हम लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हैं। न तो हम उन्हें पूरी तरह बचाते हैं और न ही निर्यात की अनुमति देते हैं। अतः, या तो यह व्यवस्था बाजार-आधारित बनायी जाए या हम इसे पूरी तरह संरक्षित रखें ताकि भारत के किसी भी किसान के एक पैसे की भी हानि न हो। केवल तभी हम उन्हें बचा सकते हैं।

मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने किसानों के लिए ऋण में वृद्धि करने सहित बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार ने कहा है कि वह इस वर्ष के दौरान ही किसानों को 4,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देने जा रही है। उसने ब्याज को भी 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार इसे पिछले तीन वर्षों से तीन प्रतिशत की दर से दे रही है। अतः, हमें ब्याज दर को और कम करने की आवश्यकता है।

महोदया, केवल इतना ही नहीं, किसानों को पानी भी चाहिए। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वे खेती कैसे करेंगे? आज भारत में 122 मिलियन हैक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती हो रही है। लेकिन इसमें से केवल 40 प्रतिशत भूमि ही नहरों, टैंकों और भू-जन आदि द्वारा संचित है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके सभी पहलुओं पर विचार करे और अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करें।

महोदया, मैं इस संबंध में एक अनुरोध करना चाहता हूं। किसानों का जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर चर्चा के लिए तो 'एक सप्ताह का विशेष सत्र' होना चाहिए। लेकिन, आपने तो मुझे 10 मिनट का समय भी नहीं दिया। केवल किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए ही विशेष सत्र होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : मैं तो आपकी दस मिनट से अधिक समय दे रही हूं।

श्री एल. राजगोपाल : महोदया, ऐसे कितने ही मुद्दे हैं, पर मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सत्र में एक दिन केवल किसानों की समस्या पर चर्चा के लिए रखा जाए...*(व्यवधान)* जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक अपने देश के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथापि, यहां मैं उनकी कुछेक समस्याओं की ही बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं आशा करता हूं कि आप पूरे देश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र बुलाने के मेरे अनुरोध पर विचार करेंगी ताकि किसानों को लगे कि ''यह सरकार हमारी है।'' यद्यपि हमने बहुत कुछ किया हे तथापि, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा 'विशेष सत्र' बुलाए तथा प्रत्येक सत्र में एक दिन केवल किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए रखा जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

डॉ. के.एस. राव (एलूरु) : अध्यक्ष महोदया, वास्तव में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने दिया था, वह आंध्र प्रदेश के किसानों की समस्याओं और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में है। माननीय मंत्री ने अपने कथन में हाल में आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ के केवल एक पहलू को छुआ है जिसके बारे में उन्होंने कहा

कि उन्होंने किसानों को बचाने की कार्यवाही के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तथापि, यह बहुत थोड़ी सी राशि है और आंध्र प्रदेश में किसानों को हुई क्षति की पूर्ति हेतु बहुत कम है।

मैं किसानों की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। मैं प्रमुख विपक्षी पार्टी सहित सभी संसद-सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कृषि-उत्पादों के मूल्य को तय करने की नीति ही त्रुटिपूर्ण है जब कोई कारखाना-मालिक किसी औद्योगिक उत्पाद का मूल्य तय करता है, तो जबकि उसका 80 प्रतिशत पैसा जनता का ही पैसा है क्योंकि किसी न किसी विधि से यह साबित होता ही है और जबकि उस प्रोमोटर का निवेश केवल चार से पांच प्रतिशत होता है, बावजूद इसके वह कारखाने का मालिक कहा जाता है और अपने उत्पाद के मूल्य को बदलने की ताकत रखता है। जब कभी डीजल की कीमत एक रुपए बढ़ती है, तो कारखाने का मालिक अपने उत्पाद के मूल्य में मुरंत बदलाव कर देता है, और जिसे हम सभी को मानना पड़ता है। इस तरह हर पखवाड़े, हर महीने-दो महीने में औद्योगिक वस्तुओं की कीमत परिवर्तित हो जाती हैं, और हम बिना समस्या के उसे मान लेते हैं। लेकिन जब किसानों की बात आती है तो साल भर में कभी भी इस पर विचार नहीं करते। कृषि उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की इतनी दयनीय, स्थिति है कि उसे सूचकांक के आधार पर देखा जाता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है।

जो चार वर्ष पहले का सूचकांक है वह मिलता है दो वर्ष बाद, और फिर उसके आधार पर निर्धारण किया जाता है। निर्णय लेते-लेते, दो वर्ष और लग जाते हैं। अर्थ यह कि इनपुट लागत। अत: अब तो ली जाती है चार वर्ष पूर्व की, और किसानों की लागत में हुई तेज बढ़ोतरी को भुला दिया जाता है। अत: अब वर्तमान प्रणाली में इस तरीके से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने का कोई अवसर नहीं है।

मैं इस संबंध में पुन: कहना चाहता हूं कि जैसा मेरे मित्र ने कहा कि आंध्र प्रदेश, का खासकर कृष्णा-गोदावरी बेसिन पूरे देश के लिए धान का कटोरा है और हम अत्यधिक उत्पादन कर रहे हैं। हाल ही में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल फसलों को नुकसान हुआ है बल्कि एक एकड़ से 40 या 50 बोरी अन्न उपज घटकर 10 या 15 बोरी हो गई है और इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। इसका रंग भी बदल गया है। खेत से फसल लाने की लागत माल की बिक्री की कीमत से ज्यादा पड़ रही है।

हमने भारत सरकार से वहां की इस स्थिति को समझने का अनुरोध किया है। बदरंग चावल वे लोग या देश के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे परंतु इसका उपयोग सेला-चाल बनाने के लिए किया जा सकता है जिसकी अफ्रीकी देशों और बंग्लादेश में मांग है। भारत सरकार को सेला-चावल के निर्यात की अनुमति देते हुए किसानों को बचाने के लिए आगे आना होगा ताकि किसानों की अपनी उपज को न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर नहीं तो उससे कुछ कम मूल्य पर बेचने का अवसर मिले। अब 850 रुपए प्रति बोरी की कीमत के माल ने उसे 100 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. के.एस. राव : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, आंध्र प्रदेश में उपलब्ध एक अन्य किस्म का धान सोना मसूरी है। मैं इसे पूरी सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि सरकार आंध्र प्रदेश से सोना मसूरी के निर्यात की अनुमति नहीं दे रही है। बफर स्टॉक-मानदंड में यह दिया हुआ है कि 1 मार्च, 2011 को 212 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध हों, जबकि गोदामों में स्टॉक 459 लाख मीट्रिक टन है, इसका तात्पर्य यह है कि यह मात्रा दुगुनी है। जुलाई तक, बफर स्टॉक मानदंड में यह दिया हुआ है कि गोदामों में 319 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध हों, जबकि गोदामों में उपलब्ध गेहूं और चावल 1644 लाख मीट्रिक टन होगा जिसका तात्पर्य यह है कि यह बफर स्टॉक का पांच गुना अधिक है।

वे इतना बफर स्टॉक कहां रखते हैं? उनके पास गोदाम की क्षमता नहीं है और हम सबको मालूम है कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है। चूंकि गोदामों का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए स्टॉक करने का कोई प्रावधान नहीं है, गोदामों में चावल इस हद तक सड़ गया था कि उसे लोग खा नहीं सकते हैं। यह हम सभी की बेइज्जती है कि उच्चतम न्यायालय इसे मुफ्त में बांटने का आदेश देता है। यह सहज बोध की बात है कि इसे सड़ने देने के बजाए अच्छे फसल वर्ष में निर्यात की अनुमति देने में क्या बुरा है, ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके।

[डॉ. के.एस. राव]

ऐसे लोग हैं जो हमेशा यह कहते हैं कि यदि हम धान की कीमत में वृद्धि करते हैं, तो बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। यदि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो देश को नुकसान क्या है? किसानों को पैसा मिलेगा कृषि कामगारों को भी पैसा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में धन का अंतरण होगा। ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि होगी। अन्यथा, सारा पैसा उद्योगपतियों और शहरी क्षेत्रों को चला जाएगा। यही होने जा रहा है। यदि आवश्यक हो तो हमने सरकार को सुझाव दिया था कि जब आप खाद्यान्नों के निर्यात की अनुमति देते हैं, तो आपके पास मूल्य स्थिरीकरण निधि एकत्र होती है और यह सरकार के पास रहती है। जब कभी भी बाहर से खाद्यान्न खरीदने अथवा आयात करने की आवश्यकता होती है, तो इस निधि का उपयोग किया जाए। उन्होंने इनमें से कोई भी कार्य नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. के.एस. राव : इसलिए, हमने सरकार से अनुरोध किया था कि वह तत्काल अनुमति प्रदान करे। इसके बिना क्या होगा। सारा चावल मिल वालों, व्यापारिक समुदाय, के हाथ में चला जाएगा। तत्पश्चात्, यदि सरकार मूल्य वृद्धि करती है अथवा निर्यात हेतु बाद में अनुमति प्रदान करती है, तो इसका लाभ व्यापारिक समुदाय को ही मिलेगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. के.एस. राव : मुझे एक दो बातें और कहने दें।

अध्यक्ष महोदया : आप केवल अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. के.एस. राव : मैं प्रश्न पूछूंगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। लागू की जा रही फसल बीमा योजना बड़े संघर्ष के बाद किसानों को ग्राम आधार पर दी जाती है। किंतु यदि किसी उद्योगपति के गोदाम को आग लगा दी गई अथवा दुर्घटना हो गयी तो संपूर्ण चीजों की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनियों द्वारा कर दी जाती है। किसान ने कौन-सा अपराध किया है? क्या उसने डकैती की है? जब उसे इतना गर्व होता है कि उसकी फसल प्रति एकड़ चालीस बोरी होगी, अगले दिन यदि बाढ़ या अन्य आपदा आ जाती है, तो संपूर्ण सफल नष्ट हो जाती है। उसके बचाव के लिए कौन आता है? हम उन्हें ऐसा फसल बीमा नहीं दे रहे हैं, जो प्रत्येक चीज को कवर करे। मैं माननीय मंत्री, सरकार और सभी विपक्षी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पहलू पर विचार करें और यह देखें कि फसल बीमा को प्रत्येक किसान को होने वाली हानि के आधार पर लाया जाए। किसी गांव से यदि एक किसान को फसल नष्ट हो जाती है, तो उसकी भरपाई अवश्य की जाए। इन चीजों को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाना चाहिए। सत्ता में बैठी किसी भी सरकार को इस विपक्ष की इस बात भयभीत नहीं होना चाहिए कि वे मुद्रास्फीति या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार की आलोचना करेगें।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपयुक्त कदम उठाएं। मैं इस संबंध में प्रमुख विपक्षी दल और अन्य संसद सदस्यों से भी अपील करता हूं। हम सभी एक स्वर में बिना भेदभाव के इन किसानों की रक्षा करने के लिए आगे आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दशकों तक कौन सा दल सत्ता में रहेगा, बल्कि हम न्याय करने में सक्षम होगें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति भी बहुत गंभीर है, इसलिए मैं उनके साथ अपने को संबद्ध करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कालिंग अटेंशन पर आप रूल्स जानते हैं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों की जो पीड़ा है, उसको समझ रहा हूं। पिछले एक साल में आंध्र प्रदेश में जो विपदाएं आई हैं, जिससे किसानों का...*(व्यवधान)* पहले हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें, फिर आपकी करेंगे।...*(व्यवधान)* पहले आंध्र प्रदेश की बात सुन लें, उसके बाद हम आपकी बात भी सुनेंगे।...*(व्यवधान)* पहले आंध्र प्रदेश की बात हो जाये, फिर आपकी बात भी सुनेंगे।...*(व्यवधान)* आप मुझे अपना वक्तव्य देने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइये, कालिंग अटेंशन मोशन कर लेने दीजिए। कृपया बैठ जाइये। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। उन्होंने जो विषय दिया है, उस पर चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये। बोलिये, मंत्री महोदय।

*...(व्यवधान)**

श्री अरुण यादव : जहां तक चावल के एक्सपोर्ट का सवाल है। हमारी सरकार ने कोला मसूरी वैरायटी का लगभग एक लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है और साथ ही साथ दो वैरायटीज़ के लिए भी 25 हजार टन चावल एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है। हमारे दूसरे सदस्य, जिन्होंने अपनी समस्या आपके सामने रखी है, सरकार की एक प्रक्रिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपको यह क्या हो गया? आप परचा क्यों लहरा रहे हैं? आप बैठ जाइये।

श्री अरुण यादव : उस प्रक्रिया के माध्यम से ही सारी चीजें होती हैं और माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है, उसके बारे में निश्चित रूप से हम कदम उठाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। उनका ध्यानाकर्षण कर लेने दीजिए। मंत्री जी को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अरुण यादव : मैं बताता हूं, बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदया, जो बुन्देलखण्ड की बात हो रही है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के भी हमारे साथियों ने, मैम्बर्स ने जो बात रखी है, उसका एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है, जिसके ऊपर हमारी सरकार ध्यान दे रही है और निश्चित रूप से जो चावल एक्सपोर्ट करने के बारे में कहा है, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। धन्यवाद।. ..*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : क्या आपकी बात समाप्त हो गई?

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.34 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। वे सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के अधीन आज मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर व्यक्तिगत तौर पर पर्चियां दे सकते हैं। केवल वे मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्चिया निर्धारित समय में पटल पर प्राप्त होंगी। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर) : इस लोकप्रिय बजट में हरित क्रांति के दूसरे चरण के माध्यम से उत्तरी पूर्वी राज्यों में वहां के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु एवं वहां के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रावधान किया गया है। क्योंकि वहां पर भौगोलिक कारणों से विकास कार्य नहीं हो सका। देश के संतुलित विकास के लिए अच्छी नीति है। मैं राजस्थान की मरुभूमि से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर की भौगोलिक कारणों से इस क्षेत्र के विकास कार्य में प्रगति नहीं हो सकी है। अगर यहां पर स्थित ढांचे में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाये तो निस्संदेह इस क्षेत्र के नतीजे अच्छे होंगे। बाड़मेर में नर्मदा सिंचाई योजना एवं जेसलमेर में इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से देश के सबसे बड़े भू-क्षेत्र के कारण सबसे अधिक क्षेत्र में खेती की संभावना है।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री हरीश चौधरी]

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बाड़मेर एवं जैसलमेर में सिंचाई की दूरगामी योजनाएं बनाई जाये तो हरित क्रांति के दूसरे दौर में सबसे अधिक भू-क्षेत्र के कारण यह क्षेत्र देश में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन में योगदान कर सकता है इसलिए इस क्षेत्र में आर्थिक विकास पैकेज दिया जाए।

(दो) मौजूदा डाक बैलट प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावकारी बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : आदरणीया महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पोस्टल बैलेट व्यवस्था की विसंगतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस व्यवस्था के अंतर्गत 14 दिन का जो प्रावधान रिप्रेजंटेशन ऑफ पीपील्स (आर.पी.) एक्ट के तहत रिर्टनिंग आफिसर्स को आर्मी पर्सनल को बॉडर एरिया तक पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट करना एवं सर्विस पर्सनल द्वारा वोट कास्ट करके वापिस आर.ओ. को भेजा जाता है, वह बहुत ही कम समय है, जिसमें यह प्रक्रिया किसी भी हालत में पूर्ण नहीं की जा सकती।

पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है जैसा कि सिविलियन व्यवस्था में है। जैसे वहां पर न कोई इलेक्शन कमीशन आब्जर्वर है न ही कोई विडियोग्राफी का प्रोविजन है न ही उम्मीदवार का कोई एजेंट है, जिससे यह व्यवस्था पूर्णतया अप्रभावी एवं विसंगतिपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि या तो पोस्टल बैलेट जवान के पास पहुंचता ही नहीं और जो पहुंच के वापिस आते हैं उनमें से 50 प्रतिशत वोट्स तकनीकी आधार पर आर.ओ. द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विसंगतियों युक्त पोस्टल बैलेट व्यवस्था, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, में आवश्यक संशोधन कर सुधार लाया जाये जिससे इसे पारदर्शी बनाया जा सके।

(तीन) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भावनापाडु गांव में मत्स्यन बंदरगाह स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. क्रुपारानी किल्ली (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का तटीय क्षेत्र 193 कि.मी. लंबा है जिसमें 104 गांव शामिल है और लगभग दो लाख मछुआरे रहते हैं। यहां वर्ष में लगभग 50,000 मिट्रिक टन मछलिया पकड़ी जाती है। विशाखापत्तनम पोत पत्तन से जापान अमरीका और यूरोपीय देशों को लगभग 12,000 मिट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जाता है। लंबी तट रेखा होने के कारण इस जिले में झींगा खेती, समुद्री/समुद्री भोज्य पदार्थों के प्रसंस्करण और समुद्री उत्पादों के निर्यात को विकसित किए जाने की अच्छी संभावनाएं हैं परंतु निर्यात हेतु समुद्री उत्पादों के संरक्षण हेतु शीतागारों का अभाव है। तेक्काली राजस्व मंडल के श्रीकाकुलम जिले के भावनापाडु गांव में मत्स्यिकी केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित पड़ा है। यह परियोजना पूरे होने पर 200 से अधिक अभियांत्रिकी-नौकाओं को लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं प्राप्त होगी और जिले में मछली पकड़ने में भी वृद्धि होगी। इससे रोजगार सृजन की संभावनाओं में वृद्धि होगी और आमदनी में वृद्धि होने के कारण मछुआरा समुदाय के सशक्तीकरण में वृद्धि होगी। भावनापाडु में मत्स्यिकी केन्द्र की स्थापना, शीतागारों, हिम विनिर्माण ईकाई और चारा संयंत्र की स्थापना से जिले के तटीय क्षेत्र और मछुआरे समुदाय की कायाकल्प करने में सहायक होगें। श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में है और परियोजना के कार्यान्वयन से जिले का पिछड़ेपन को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है।

इसलिए, मैं माननीय पोत परिवहन मंत्री से श्रीकाकुलम जिले के भावनापाडु गांव में शीघ्रातिशीघ्र मात्स्यिकी केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन करता हूं।

(चार) सैटेलाइट शहरों में केन्द्र प्रायोजित शहरी अवसंरचना विकास योजना में नागपुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : केन्द्र सरकार ने उपनगरों में शहरी अवसंरचना विकास के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मौजूदा शहरों के समीप उपनगरों/क्षेत्रों के रूप में आठ नए शहरों को विकसित करने का निर्णय लिया है। नागपुर एक महानगर है जिसकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है जिसमें से एक तिहाई जनसंख्या अनधिकृत कालोनियों/झुग्गी झोपड़ियों में निवास करती हैं। इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण वाणिज्यक, औद्योगिक और शैक्षिक केन्द्रों के रूप में तेजी से विकसित होते हुए शहरों के रूप में उभर रहा है। अनेक निर्धन लोग आजीविका की खोज में शहरों में आ रहे है और अनेक स्वामीवहीन स्थानों पर जाकर आश्रय लेते हैं। पुनर्वास के प्रयासों के बावजूद स्वामीवहीन भूमि पर आवासों में वृद्धि हो रही है। शहरों में भीड़-भाड़ और तेजी से बढ़ती झुग्गी

झोपड़ियों को कम करने की आवश्यकता है और शहरों से भीड़-भाड़ कम करने के लिए समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। समस्या में बढ़ोतरी से पर्यावरणीय गुणवत्ता और बिजली, पानी, स्वच्छता जल-मल निकासी सड़क परिवहन, आवास आदि सहित अपर्याप्त शहरी अवसंरचना सुविधाओं में कमी आ रही है। अत्यधिक समस्या आवास समस्या के रूप में महसूस की जा रही है। शहरों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/कम आय समूह के लोगों के जीवनस्तर सुधार हेतु जल आपूर्ति, सड़क, बिजली, जल-मल निकास, तीव्र जल निकासी आदि अन्य आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित उपनगरों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। नागपुर शहर की जनसंख्या पहले ही 40 लाख से अधिक है जिसके अगले दशक में बढ़कर 50 लाख होने का अनुमान है।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उपनगरों में शहरी अवसंरचना विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में नागपुर को भी शामिल किया जाए।

(पांच) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर) : बुंदेलखंड देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में आता है। आजादी के 63 वर्षों के बाद भी बुदेखलण्ड क्षेत्र में एक भी ओद्योगिक कारखाना नहीं लग पाया है। बुदेखलण्ड का सम्भागीय मुख्यालय सागर मेरे लोक सभा क्षेत्र सागर में स्थित है तथा यहां प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, वन संपना एवं कृषि उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। शासकीय भूमि भी राज्य सरकार उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

अत: भारत सरकार के उद्योग मंत्री से आग्रह है कि सागर लोकसभा क्षेत्र में कारखाने लगाने हेतु प्रयास करें।

(छह) छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत सतना शहर के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की योजना (यू.आईडी.एस.एस.एम.टी) के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने सतना शहर में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009-10 में एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा था, परंतु वर्षों से प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय में विचाराधीन है। कभी तो यह कहा जाता है कि विश्व बैंक से लोन मांगा गया है, मिलने पर प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा, तो कभी यह कहा जाता हे कि राज्य सरकार की जो लिमिट है वह समाप्त हो गयी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सतना शहर की आबादी लगभग 4 लाख से अधिक है। नगर निगम है। जिले में हो रहे औद्योगिक विकास का दबाव सतना शहर पर है। बड़ी तेज गति से आबादी बढ़ रही है। उसकी तुलना में जन सुविधाएं अत्यंत कम है। 8 करोड़ की लागत से एक प्रस्ताव शहर के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए जो प्रस्ताव राज्य शासन के माध्यम से भेजा है उसकी स्वीकृति देने की मांग करता हूं।

(सात) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और अकबरपुर के बीच बिन्दकी-खजुहा-जहानाबाद तथा सिकंदरनाबाद से होकर गुजरने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान (फतेहपुर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के कुवरपुर (मलवां) से अकबरपुर - आगरा होते हुए दिल्ली को जोड़ने वाली मुगल रोड़ के महत्व को कम कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में सिकन्दरा से कानपुर होते हुए फतेहपुर को जोड़ दिया गया है। इससे ऐतिहासिक मुगल रोड़ के क्षेत्र कुवरपुर, बिन्दकी, खजुआ, बकेवर, जहानाबाद, घाटमपुर, मूसानगर व भोगनीपुर आदि क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। इससे खजुआ जो एक ऐतिहासिक धरोहर व पर्यटक स्थल है, का महत्व भी कम हो गया है। मुगल रोड़ के इस हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वरूप प्रदान किया जाये। इस सड़क मार्ग के द्वारा आगरा व दिल्ली की दूरी भी कम होगी। साथ ही पेट्रोल व डीजल की बचत के साथ राजस्व की बचत भी होगी। साथ ही दिल्ली के लिए फतेहपुर-दिल्ली के लिए अतिरिक्त राजमार्ग भी उपलब्ध होगा। अत: मेरी सरकार से मांग है कि ऐतिहासिक मुगल रोड़ के महत्व को देखते हुए इसे 4 लेन में बनाते हुए फतेहपुर मलवां, बिन्दकी, खजुहा, जहांनाबाद व सिकंदरा अकबरपुर होते हुए मुगल रोड़ के इस हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान करने के साथ ही ऐतिहासिक खजुआ को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये।

(आठ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर) : इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुए 4 वर्ष व्यतीत हो गये हैं लेकिन अभी तक सामाजिक आधारभूत संरचना विकास फंड से विश्वविद्यालय को कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी गई है। आर्थिक कारणों से इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना आवश्यक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक ओर जहां स्थापना के 150 वर्ष पूरे करने वाले विश्वविद्यालयों को हीरक जयंती हेतु अतिरिक्त धनराशि आबंटित करता है, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए धन का आबंटन न होना चिंता का विषय है।

अत: इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सामाजिक आधारभूत संरचना एवं विकास तथा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(नौ) बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पुलों और सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री महेश्वर हजारी (समस्तीपुर) : आजादी के 64 वर्ष बाद आज तक बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कुशेश्वर स्थान से तिलकेश्वर जाने वाली पथ में कोशी नदी के अजूबा घाट पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण जनहित में अत्यावश्यक है। उक्त जिले के कुशेश्वर स्थान से वाया सुकराईन होते हुए गोलमा-तेगछा के पथ में ठहगछिया घाट पर आर.सी.सी. पुल एवं पथ का निर्माण आज तक नहीं हुआ, जो जनहित में अत्यावश्यक है। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान से बरनिया होते हुए चौकिया ईटहरी कोशी नदी के बांध तक आर.सी.सी. पुल एवं पथ का निर्माण आज तक नहीं हुआ। चूकि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अतएव मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त पुल एवं पथ का निर्माण अविलंब कराया जाये।

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को सुदृढ़ करने और चौरंगी (पश्चिमी बंगाल) तथा जमशेदपुर (झारखण्ड) के बीच उड़ीसा के बहारागोड़ा से गुजरने वाले इस राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री पुलीन बिहारी वासके (झाड़ग्राम) : मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल में खड़गपुर, के निकट चौरंगी झारखंड के जमशेदपुर के बीच तथा उड़ीसा के बहारागोड़ा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 की जीर्णशीर्न स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इन तीनों राज्यों में 100 कि.मी. से अधिक सड़क जीर्णशीर्ण स्थिति में है। यह इन तीनों राज्यों के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। इसे बेहतर यातायात के लिए सुदृढ़ किया जाए और दो लेन से चार लेन का बनाया जाए। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की बहुलता है। इन पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास इस सड़क के बेहतर यातायात पर निर्भर है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए।

(ग्यारह) मुंबई तट पर दो जहाजों की टक्कर के पश्चात समुद्र में गिरे कंटेनर जिसमें रसायन और नाशकजीवमार हैं, को निकाले जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

डॉ संजीव गणेश नाईक (ढाणे) : एम.एस.सी. चित्रा और एम.वी. खलीजा-तीन 7 अगस्त, 2010 को मुंबई के तट पर एक दूसरे से टकरा गए और जहाज पर लदे कंटेनर समुद्र में गिर गये और इनसे तेल का रिसाव हुआ। एम.एस.सी चित्रा से 300 से अधिक कंटेनर पानी में गिर गए। 'चित्रा' में 1219 कंटेनर लदे थे जिसमें से 31 में खतरनाक रसायन और कीटनाशक थे। अभी तक 60 कंटेनर समुद्र से निकाले गए हैं। अत:, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए शेष कंटेनरों को समुद्र से निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(बारह) डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : 1992 की पशुधन गणना के अनुसार भारत में 56.30 मिलियन प्रखंनन योग्य स्वदेशी और 42.5 मिलियन भैंसे हैं। भारत 6.36 मिलियन संकट प्रजाति की गायों का दावा करता है जिनमें दूध के उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता है लेकिन अपर्याप्त प्रबंधन और अवसंरचना के कारण प्रजनन निष्फल हो गया। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र में दूध के परिश्रम के लिए समुचित अवसंरचना का अभाव है। संयंत्र क्षेत्र को प्रसंस्करण के लिए लिए दूध दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र से एकज करना पड़ता है और इस प्रकार ढुलाई लागत अधिक आती है। परिणामत: बहुत से संयंत्र घाटे में चल रहे हैं और अपनी क्षमता के स्तर से कम कार्य कर रहे हैं। कच्चे दूध की लंबी दूरी से ढुलाई के बजाय मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पादों के विविधीकरण और तैयारी के लिए योजनाएं बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

चारे, गांवों में चारागाह की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं तथा निधियन के रूप में वित्तीय सहायता की कमी तथा किसानों के लिए जोखिमा लिखत को समाप्त न करना हानिकारक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की जांच करे तथा डेयरी क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदया : अब हम सबसे पहले मद सं.-16 — नियम 193 के अधीन चर्चा को लेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमने नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू की है।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : महोदया, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में हों*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : वह आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : वे चिल्ला क्यों रहे हैं? उन्हें क्षण भर का भी धैर्य नहीं है।*...(व्यवधान)* वे यहां आने वाले हैं*...(व्यवधान)*।

महोदया, वे आ रहे हैं। वे रास्ते में हैं। यह सब क्या है? *...(व्यवधान) [हिन्दी]* आप किन-किन बातों पर शोर करते हैं। *...(व्यवधान)* क्या तब तक हाउस नहीं चलने देंगे?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री दासगुप्त, कृपया शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय से सदन के लिए चल चुके हैं। वे यहां किसी भी क्षण आ सकते हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे शोर क्यों मचा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : वह रास्ते में हैं। माननीय सदस्य को चर्चा शुरू करने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह आ गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्त।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

'वोट के बदले नोट' के भुगतान के बारे में अखबार की रिपोर्ट के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया, मैं इस सदन में शांति की अपील करता हूं। हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम यह संसदीय मर्यादा के ढांचे के करेंगे किंतु इस सदन को विभिन्न विचारों को सुनना होगा और हम एक हद तक सहिष्णुता बनाए रखेंगे क्योंकि हम कुछ बेहद असमान्य मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो समान्यत: पूर्व में नहीं हुआ होगा।

मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री के एक से थोड़े अधिक पृष्ठ का वक्तव्य है। सर्वप्रथम, मुझे कहना चाहिए कि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य संक्षेप में कहा है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य अकाट्य था। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने बड़ी ही तत्परता से अपनी गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है। मैं यह भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री बड़े अडिग थे- उनकी आवाज बड़ी कड़क थी। जो सामान्यतया वे नहीं होते। किंतु इस बार वे पिछले विश्वास प्रस्ताव के दौरान 'कैश फॉर वोट' की शिकायतों को निरस्त करने में बड़े दृढ़ थे। किंतु महोदया मैं बताना चाहता हूं कि कभी-कभी तथ्यों को छुपाने के लिए भाषाई जोश का सहारा किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं किंतु उससे कई प्रश्न खड़े हो गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री चुनाव के परिणामों के बारे में बड़े स्पष्ट रहे हैं। मैं चुनाव परिणाम को स्वीकार करता हूं। हम सभी चुनाव परिणाम को स्वीकार करते है। मुझे सभा पटल पर उन्हें बधाई देने का कोई अवसर नहीं मिला था। इसलिए आज मैं उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता हूं...*(व्यवधान)* जी हां, यह देरी से दी गई बधाई देता हूं।...*(व्यवधान)* जी हां, यह देरी से दी गई बधाई है क्योंकि यह अवसर देर से मिला है।...*(व्यवधान)* मैं कांग्रेस पार्टी को चुनाव में दूसरी बार जीत के लिए बधाई देता हूं। परंतु महोदया, क्या मैं यह कह सकता हूं कि चुनावी जीत के बारे में डींगे मारने को बजाय, माननीय प्रधानमंत्री को उन पर पुष्पवृष्टि करने की बात किसी और व्यक्ति पर छोड़ देनी चाहिए थी। आत्म-प्रशंसा भारतीय लोकाचार के अनुरूप कही है *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : यह आत्म अभिव्यक्ति है, आत्म-प्रशंसा नहीं...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, प्रारंभ में मैंने शांति की वकालत की थी। मैंने इस कारण से इसकी वकालत की थी। *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : श्री दासगुप्त जी, कृपया भाजपा के हाथों में मत खेलिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्त जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने चुनाव नतीजे पर जरूरत से अधिक बल देकर स्वयं की प्रतिष्ठा के साथ न्याय नहीं किया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि संदेह यह है कि चुनाव नतीजे पर ज्यादा बल देने से...*(व्यवधान)*

महोदया, क्या ऐसा संभव है? कृपया मुझे बताएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मेरी तरफ उन्मुख होकर बोलिए। इधर देखिए और बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं मानता हूं कि चुनावी विजय पर ज्यादा बल देकर 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाला सिद्धांत प्रस्तुत करने की प्रवृति है...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आपने पश्चिम बंगाल में क्या किया है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : और कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि चुनावी नतीजों से आपराधिकता की अनदेखी नहीं कर सकती, यदि इसे जारी रखा गया है...*(व्यवधान)* इतना ही नहीं बल्कि मुझे थोड़ा और आगे जाने दें।

चुनावी जीत लोकतंत्र की कैसी पहेली हैं? सरकार को 25 प्रतिशत से कम वोट के साथ 300 से अधिक सीटें मिली हैं। मेरा यह कहना नहीं है यह अल्पमत सरकार है, परन्तु सच तो यह है कि सरकार एवं सरकार के नेतृत्व वाले दल को केवल 25 प्रतिशत वोट मिले थे, जो पिछली बार की तुलना में अल्प बहुमत है। परन्तु उससे मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालता...*(व्यवधान)*

मेरा यह कहना नहीं है कि यह अल्पमत सरकार है। यह सरकार है और मैं इसका सम्मान करता हूं। यह देश की सरकार है परन्तु यह लोकतांत्रिक पहेली है। महोदया, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' एक खतरनाक मान्यता है जो कार्यशील लोकतंत्र में फिट नहीं होती।

महोदया, कभी-कभी यह आशंका होती है कि कमजोर, मजबूत भाषा में बात करता है तथा मजबूत समझौते की भाषा में आ जाता है। निष्कर्ष आप निकालें। मेरा यह कहना नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सभा को गुमराह किया है। मैं ऐसा कहने से इसलिए बच रहा हूं क्योंकि इस मामले पर निर्णय आपको लेना है...*(व्यवधान)*

श्री के. बापीराजू (नरसापुरम) : यह आपके द्वारा की गयी बहुत खराब टिप्पणी है। वह प्रधानमंत्री को प्रश्न के दायरे में कैसे खड़ा कर सकते है?...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, मैं यह कह रहा हूं कि सभा का समुचित रूप से मार्गदर्शन नहीं किया गया है। मैं संसदीय शब्दावली के मानकों के दायरे में कम से कम यह तो कह सकता हूं कि संसद को गुमराह किया गया है।

महोदया, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया जतायी तथा रिपोर्ट से एक पंक्ति उद्घृत की। यह दूसरे पैरे में है। उनका कहना है, और यह उद्धरण में नहीं है, ''समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि घूस के कसी निष्कर्ष तक पहुंचने के संबंध में अपर्याप्त साक्ष्य हैं? इसमें यह है, परंतु इससे कुछ इतर भी है। हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री को समुचित जानकारी नहीं भी दी गयी हो। कभी-कभी ऐसा होता है, वह बहुत व्यस्त हैं।

परंतु बात यह है कि सिफारिशें पृष्ठ 57 पर की गयी हैं। पहली सिफारिश उस समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गयी थी, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेसी द्वारा की गयी थी। यह उस समिति की रिपोर्ट थी। इसमें क्या कहा गया? मैं केवल एक अंश पढ़ रहा हूं:''...सिफरिश करती है कि इस मसले की आगे की जांच किसी समुचित जांच एजेंसी द्वारा की जा सकती है।'' माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी अनदेखी क्यों की माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वाक्य की अनदेखी क्यों की। यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें यह कहा गया है,''....किसी समुचित (महोदया, शब्दों पर गौर कीजिए) जांच एजेंसी द्वारा जांच...''

क्या मैं किसी व्यक्ति पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी न कर यह कह सकता हूं कि हमारे स्कूली दिनों में हमें शिक्षकों द्वारा यह सिखाया गया था कि अर्द्ध सत्य पूर्ण झूठ से बदत्तर है? यही हमें स्कूलों में सिखाया गया था। परंतु मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालता।

प्रश्न यह उठता है, ''क्या कोई जांच की गयी थी?'' जैसा कि समिति द्वारा सुझाया गया, क्या कोई जांच की गयी थी? प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। इसे सजग होकर छोड़ा गया था, मैं इसे 'जानबूझकर' नहीं कहता, परंतु इसे सजग होकर छोड़ा गया था। संसदीय वाद-विवाद में अच्छे वक्ता यह जानते है कि मुख्य प्रश्न से कैसे नजरअंदाज किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता हैं। वह जानते हैं कि मुख्य प्रश्न को कैसे नजरअंदाज किया जाये। मुख्य प्रश्न यह था कि इसकी किसी समुचित एजेंसी द्वारा और जांच जरूर की जानी चाहिए क्या कोई जांच हुई थी?

मुझे सभा को इसकी जानकारी देने दें। साउथ ब्लॉक के प्रागण में क्या हुआ। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस रिपोर्ट को गृह मंत्री को सौंपा जो सम्मानित सहकर्मी एवं हमारी सरकार के पसंदीदा मंत्री हैं। उन्होंने क्या किया था? तत्कालीन गृह मंत्री ने फाइल किसे भेजी थी? उन्होंने इसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेजा।

महोदया, समिति ने 'समुचित' शब्द का प्रयोग किया। मैं आप सभी से यह प्रश्न कर रहा हूं, ''क्या 'वोट के बदले नोट' या 'वोट के बदले नोट नहीं', घूस दी गई या नहीं दी गयी, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जांच के लिए अपराध शाखा समुचित जांच एजेंसी है?'' जब इस मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ, तब एक समिति गठित नियुक्त की गयी। जब सदस्य उत्तेजित हुए तो सरकार ने

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

भी समिति को स्वीकार करने में देर नहीं लगायी परंतु समुचित जांच एजेंसी क्या है? क्या यह अपराध शाखा है? कैसा आपराधिक मजाक है।

संसद में जो कुछ हुआ, जिसने संसद को झकझोर दिया, किसी एक ने मेज पर नोटों की गड्डियों को ढेर लगा दिया, किसी ने दावा किया कि कोई उसके पास आया, दूसरे ने दावा किया कि उनके पास कोई नहीं गया, ऐसी स्थिति में मामले में आगे की जांच सी.बी.आई, प्रवर्तन एजेंसी या आयकर-विभाग को न सौंपकर अपराध शाखा को सौंप दी गई। पैसा कहां से आया आयकर-विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और सी.बी.आई को इसका पता लगाना होगा। दिल्ली पुलिस की अपराधा शाखा के एक उप-निरीक्षक को यह जांच करनी है कि क्या संसद में विरुद्ध मत डालने अथवा अनुपस्थित रहने के लिए संसद सदस्यों को मान दिया गया था? क्या यह एक व्यंग्य है, अथवा स्वप्नचित्र है अथवा एक सनक है अथवा एक ऐसी सरकार का निर्णय है जो इस बात मैं विश्वास नहीं करती कि संसदीय समिति की सिफारिशों का आदर करना होता है? मैं इस बारे में निर्णय हेतु इसे सरकार पर छोड़ता हूं, संसद पर छोड़ता हूं वह इसे समझे और संपूर्ण देश इसे महसूस करे।

मेरा ऐसा मानना है कि जानबूझ कर जांच नहीं की गई। जांच एक उपयुक्त जांच एजेंसी को सौंपकर जानबूझकर डाल दी गई। ऐसा क्यों हुआ? किसी को बचाना था, कुछेक राजनैतिक प्रबंधकों को पृष्ठभूमि में रहना था, कुछ राजनैतिक व्यापारियों के लिए यह सुनिश्चित करना था कि उनका नाम उजागर न हो - बस, बस चुप्पी, और मामला रफा-दफा।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : आपने इस मामले को पहले क्यों नहीं उठाया?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : मुद्दा यह है कि यह पार्लियामेंटरी पायरेसी का मामला है क्योंकि कुछ सदस्यों को जबरन रोक कर रखा।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, हम सभी इस सभा के सदस्य हैं। यदि वे इसे 'पार्लियामेंटरी पायरेसी' कहें तो मैं नहीं समझता यह संसदीय शब्द है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं इसे देखूंगी। मैं इस शब्द को देखूंगी।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, मैंने नियम पुस्तिका देख ली है। 'पार्लियामेंटरी पायरेसी' असंसदीय शब्द नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : श्री चौधरी, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया पीठ को संबोधित करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं यह दोहराता हूं 'पार्लियामेंटरी पायरेसी' असंसदीय शब्द नहीं है क्योंकि कुछ संसद सदस्यों को जबरन रोक कर रखा गया था। नकदी के बदले वोट संबंधी प्रश्न को बड़ी संख्या में विपक्ष के सदस्यों की अनुपस्थिति और न कि कांग्रेस के सदस्यों की, इस पृष्ठभूमि में इस पर विचार करना होगा। ऐसा किसने किया? मैं गत 25 वर्ष से संसद में हूं। मैंने अनेक अविश्वास प्रस्तावों को देखा है। लेकिन मैंने यह कभी नहीं देखा जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्यों को उपस्थित न रहने के लिए विवश किया गया हो अथवा वे अनुपस्थित रहे हों। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि...*(व्यवधान)* अत: मैं उस महिला का सम्मान करता हूं, और इस बारे में बोलने के लिए मैं उनसे संपर्क भी कर सकता हूं। मूल प्रश्न घूस का है और इस पर बहस होनी चाहिए।

घूस का तात्पर्य है- कथित घूस। इसका तात्पर्य है- विश्वास मत हासिल करने के लिए अनुचित तरीके अपनाना। यह पराकाष्ठा है। घूस की शिकायत को, यदि मैं गलत नही हूं, तो विपक्ष के 19 सदस्यों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (हुमरियागंज) : यह आपका आरोप है जिसे जनता ने खारिज कर दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं आपके हस्तक्षेप से प्रेरित महसूस कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, प्रतिक्रिया मत दिखाइए, और पीठ को संबोधित कीजिए। अब आपके लिए अपना भाषण समाप्त करने का समय है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है- विपक्षी सांसदों, लेफ्ट से नहीं, कांग्रेस से नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में अन्य दलों के सांसदों की अनुपस्थिति उन्नीस सदस्य अनुपस्थित थे। क्यों? प्रश्न वही है।

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : यह आरोप है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं आपके विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री शरद पवार : यह विपक्षी दल पर लगाया गया आरोप है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : जी, नहीं। यह आरोप नहीं है, यह तथ्य संबंधी विवरण है।...*(व्यवधान)* शरद पवार जी, आप सदा ही विनम्र रहे है। अचानक आप इतने संवेदनशील क्यों हो गए हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्त जी कृपया हर समय प्रतिक्रिया मत दीजिए। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, इसीलिए यह संदेह हो रहा है कि राजनीतिक गुंडो का एक संगठित समूह कार्य कर रहा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं इस मामले की जांच कराउंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (फ़िरोज़ाबाद) : महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि श्री गुरुदास दासगुप्त जी जो बात कह रहे हैं...*(व्यवधान)* उन 19 लोगों में से मैं एक था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : राज बब्बर जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। इन सभी को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। मैं माननीय सदस्यों से सिर्फ यह कहना चाहती हूं, कि मैं इस मामले की जांच कराउंगी और यदि कुछ भी आपत्तिजनक रहा तो मैं इसे हटवाउंगी। कृपया कार्यवाही जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : मैं रिकार्ड की जांच कराउंगी और यदि कोई भी तथ्य आपत्तिजनक निकला तो मैं इसे उसमें से निकलवा दूंगी।

...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदया : गुरुदास दासगुप्त जी, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आपने बहुत समय ले लिया है। अब अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मुझे बोलना है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। कृपया भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदया, क्या यह एक रनिंग कॉमेंट्री है?*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूं। वह निवेदन यह है कि*...(व्यवधान)* आप सबको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। राज बब्बर जी, आप सबको भी मौका मिलेगा।*...(व्यवधान)* यह नहीं हो सकता कि एक माननीय सदस्य सदन में अपनी बात कह रहे हों और दूसरी ओर से सारे लोग खड़े होकर उन्हों बोलने न दें और डिबेट न चलने दें।*...(व्यवधान)* यह सदन है, कोई स्टूडियो नहीं है, यह कोई नाटक या नौटंकी का प्लेस नहीं है।*...(व्यवधान)* मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले इन्हें बैठाएं, नहीं तो फिर हमारा यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप हाउस शांत नहीं कर सकतीं तो हमारे बैठने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग जाते हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैंने इस पर अपना विनिर्णय दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : यह क्या तरीका है कि आपके होते हुए भी माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, यह नहीं हो सकता है कि आपके होते हुए सदन में कोई बोल नहीं सकता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सब बैठ गये हैं, शरद यादव जी आप भी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : मेरा पहला मुद्दा बड़ी संख्या में संसद सदस्यों की अनुपस्थिति से जुड़ा था। मेरा दूसरा मुद्दा यह था कि मुझे विकीलिक्स पर भरोसा नहीं है क्या मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे विकीलिक्स पर भरोसा नही है। लेकिन मुझे 'द हिन्दू' नामक समाचारपत्र पर विश्वास है जोकि सम्मानित समाचार पत्र है। उन्होंने प्रकाशित किया है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : राज बब्बर जी, आप बैठ जाइये। कृपया आप अपना भाषण अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। यह काफी देर से चल रहा है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं बोल नहीं पा रहा हूं...*(व्यवधान)* यदि मेरे भाषण में व्यवधान नहीं डाला गया तो मैं अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना भाषण जारी रखें। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मुद्दा यह है कि क्या कूटनीतिक प्रकटन को सत्यापित किया जा सकता है या नही, क्या यह सरकार की पहुंच से बाहर है या नही इसने कुछ संशय उत्पन्न किया है। मुझे उसमें विश्वास नहीं है। मुझे ''द हिन्दू'' में विश्वास है। यदि 'द हिन्दू' ने कोई गलत समाचार छापा है तो कोई भी प्रेस परिषद में जा सकता है, वहां कानून है। यदि कोई समाचार पत्र कोई गलत समाचार छापता है तो वे प्रेस परिषद जा सकते हैं...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कह रहा हूं कि...*(व्यवधान)* मैं आपसे सहमत हूं कि मुझे गलत जानकारी दी गई है...*(व्यवधान)* इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। आप एक अच्छे इंसान है। मैं आपका आदर करता हूं...*(व्यवधान)*

पहला मुद्दा सदस्यों की अनुपस्थिति है, दूसरा मुद्दा कूटनीतिक प्रकटन है और तीसरा मुद्दा समुचित एजेंसी द्वारा जांच शुरू करने हेतु समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन में सरकार की विफलता है।

चौथा मुद्दा यह है कि देश का परिवेश दूषित होता जा रहा है। पूरा देश दूषित हो चुका है...*(व्यवधान)*। स्पेक्ट्रम प्रकरण और राष्ट्रमंडल खेल प्रकरण ने देश में दूषित परिवेश और वातावरण का निर्माण किया हैं अंत में काले धन का प्रसार हो रहा है। इसके साथ-साथ हमारे यहा पेड न्यूज है। चुनाव में धन के उपयोग ने इस संकट की और बढ़ा दिया है। महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके वक्तव्य से भ्रम की स्थिति समाप्त नहीं हुई है। अभी भी संदेह थे बादल मंडरा रहे है कृपया अपने आपको पाकसाफ साबित किजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : वह अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे संसद सदस्यों की संख्या का सहारा न तो जो उनके पास है। वे सदस्यों का सहारा न लें- यह एक झूठा बहाना है...*(व्यवधान)* मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इन पर किस्मत मेहरबान रही है, मैं सहमत हूं कि उन पर किस्मत मेहरबान रही है, लेकिन इतिहास क्रूर हो सकता है। इतिहास स्वयं को दोहराता नहीं है। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है, उसे इतिहास में सम्यक स्थान मिलता है...*(व्यवधान)* इतिहास बहुत क्रूर है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाएगी। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार देश के सर्वाधिक कलंकित सरकार के रूप इतिहास में अपना नाम दर्ज नही कराना चाहेगी। मैं समझता हूं कि कोई सरकार संदेह में कार्य नहीं कर सकती है। यह प्रधानमंत्री पर है कि वे किस विकल्प को अपनाते है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूं, नेता सदन और प्रधानमंत्री जी सदन में बैठे हैं। आपने हमारे कहने पर चर्चा स्वीकार की है और नेता सदन ने भी कल सदन में यह चर्चा स्वीकार करने की सहमति दी थी। यह चर्चा बहुत गंभीर विषय पर हो रही है, इसलिए वातावरण के भी इतना ही गंभीर होने की आवश्यकता है। इसके लिए मुझे आपसे संरक्षण भी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल माननीय सदस्या का भाषण ही रिकॉर्ड में जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे गंभीर वातावरण चाहिए, इस पर भी इन लोगों को ऐतराज़ है। मुझे इस चर्चा की शुरूआत करते समय आपका पूर्ण संरक्षण चाहिए। आज सदन में प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य पर चर्चा हो रही है, जो उन्होंने 18 मार्च, 2011 को सदन में दिया था। 17 मार्च को हिंदू अखबार में विकिलीक्स के हवाले से खबर छपी थी, वर्ष 2008 में विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए बड़े पैमाने पर सांसदों की खरीद-फरोख्त हुई थी। उसमें यह भी लिखा था कि तत्काल मंत्री के घर उस समय अमरीकन अंबेसी में कार्यरत एक पोलिटिकल काउंसलर ने जा कर पैसों से भरे दो बड़े बैग देखे।

उनको कहा गया कि आप चिंता मत करिए। हम सरकार बचा लेंगे। हमारे लिए यह कोई नया रहस्योद्घाटन नहीं है। हमारे लिए यह उस आरोप को पुष्ट करने का मजबूत साक्ष्य है जो आरोप हमने उस समय भी लगाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब सन् 2008 में आप इसी सरकार में मंत्री थीं, भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर वामदलों ने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सरकार संकट में आ गई थी और इसीलिए विश्वास-प्रस्ताव लेकर आई थी। उस समय अमेरिका चिंतित था कि सरकार बचेगी या गिरेगी और इसीलिए सरकार के प्रबंधक जो सरकार को बचाने की जुगाड़ कर रहे थे, वे अमेरिका की चिंता मिटाने में भी लग गये थे। यह चिंता उसी समय की है,...*(व्यवधान)* 22 जुलाई को विश्वास-मत हुआ। यह केबल 17 जुलाई 2008 का है जिसका नंबर 162458 सीक्रेट। यह केबल उस समय के चार्ज डी' अफेयर्स स्टीवन व्हाइट ने भेजा था।...*(व्यवधान)* उस केबल में स्टीवन व्हाइट ने लिखा था कि हमारे पोलिटिकल काउंसिलर सरकार के एक मंत्री के घर गये ओर वहां उन्होंने पैसों से भरे दो बैग देखे और उनको यह कहा गया कि आप चिंता मत करिए, सरकार बचाने में हम लगे हैं और पैसे की कमी भी नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि कुछ लोग पैसा ले लें और वोट न दें। इस बात की चिंता उन लोगों को थीं। लेकिन इस केबल को प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पेकुलेटिव, अनवैरिफाइड और अनवैरीफायबल कहा है। यह उनका अपना बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि *[अनुवाद]* यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि महज अटकलबाजियों, असत्यापित और असत्यापनीय बातों को महत्व दिया गया।

[हिन्दी]

ये तीन शब्द उन्होंने इस केबल के लिए इस्तेमाल किये हैं। इससे पहले कि इन तीनों शब्दों का मैं तार्किक रूप से उत्तर दूं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, परसों एनडीटीवी 24x7 पर एक इंटरव्यू आया था और वह इंटरव्यू एनडीटीवी के एडीटर प्रणव राय ने किया था और उस व्यक्ति असानजे के साथ किया था जिन्होंने इस केबल को सार्वजनिक करने का कार्य किया। बहुत अकाटय तर्कों के साथ असानजे ने यह कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री ने गुमराह करने वाला बयान दिया है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, मैं असानजे की बात को एक तरफ रखती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अधीर चौधरी जी, आप बैठ जाइए। संजय निरुपम जी, आप भी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं लेकिन अपनी ओर से...*(व्यवधान)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सुषमा स्वराज जी जो कह रही है,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, आप स्वयं डिप्लोमैटिक सर्विस में रही हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जो केबल्स किसी भी दूतावास से किसी भी देश में भेजे जाते हैं, वे दो श्रेणी में होते हैं। एक वे संदेश होते हैं। मैं केबल को संदेश कह रही हूं, केबल अंग्रेजी में कहा जाता है। एक वे संदेश हाते हैं जो कोई डिप्लोमैट किसी व्यक्ति से बातचीत के आधार पर अपना आकलन बनाकर भेजता है। अपनी ऐससमेंट बनाकर भेजता है। वे संदेश विवादित हो सकते हैं, कोई व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आया, किसी अंदाज में बात की, उसने किसी अन्य अंदाज में समझी और आपके व्यक्तित्व या आपकी बात के कारण किसी स्थिति का आकलन करके कोई संदेश भेज दिया। (अनु) उस पर विवाद हो सकता है। वे विवादित हो सकता है। लेकिन दूसरी श्रेणी के संदेश होते हैं जिसमें घटना का वर्णन होता है। ये संदेश एक घटना का वर्णन कर रहा है, जो उसने स्वयं देखी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप इसे स्पेकुलेटिव कह रहे हैं। आप बताइए जिस व्यक्ति ने संदेश भेजा उसकी क्या शत्रुता उस मंत्री के साथ हो सकती है जिसका नाम उसने लिखा? क्या उसकी कोई दुश्मनी थी? इससे भी बड़ी एक और बात है कि ये केबल कभी सार्वजनिक होंगे, किसी को पता नहीं था। *...(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : नाम बताइए।*...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप नाम बुलवाना चाहते हैं? 17 मार्च का हिंदू अखबार पढ़ लीजिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए पूरी चर्चा में किसी का नाम नहीं लूंगी।*...(व्यवधान)* मैंने किसका नाम लिया?*...(व्यवधान)* ये सारे के सारे नाम यहां लिखे हैं। जिन पर आरोप है मैं उनकी बात कर रही हूं। मैं किसी आरोपी का नाम नहीं लूंगी। आप 17 मार्च का हिंदू अखबार उठाइए और पढ़ लीजिए, विकीलीक्स केबल के हवाले से क्या लिखा है।*...(व्यवधान)* मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आखिर आपने कहा - स्पेकुलेटिव। उस व्यक्ति की क्या शत्रुता थी? क्या दुश्मनी थी? इसके अलावा मैं दूसरा प्रश्न उठा रही हूं कि किसी को मालूम नहीं था कि ये केबल कभी सार्वजनिक किए जाएंगे, कभी पब्लिक डोमेन में आएंगे क्योंकि ये सीक्रेट है, गोपनीय है। ये तो अचानक एक घटना घटी कि चोरी करके केबल्स निकाल दिए गए जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। लेकिन कभी भी ये सार्वजनिक नहीं होने थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहती हूं कि इन केबल्स को स्पेकुलेटिव कहना, अनवेरिफाइड या अनवेरिफाएबल कहना, सत्य से आंखें मींचना है। आप सत्य को देखिए, सत्य को पहचानिए और इस तरह के तीन शब्द देकर इस तरह के केबल्स को खारिज मत कीजिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से निकलता है जिसका जिक्र अभी गुरुदास दास जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने 14वीं लोक सभा में गठित एक समिति का हवाला देते हुए कहा-

[अनुवाद]

> ''समिति ने कहा था कि रिश्वत दी गई है, संबंधी निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य थे।''

[हिन्दी]

यानी सबूतों के नाकाफी होने के कारण रिश्वत देने का आरोप साबित नहीं हो सका, यह आपने कहा। मेरे पास रिपोर्ट है, इसके पैरा 141 में सारे कन्कलूजन्स लिखे हैं। इस कमेटी रिपोर्ट के पैरा 168 और 169 में सिफारिशें लिखी गई हैं। सिफारिशें केवल दो हैं लेकिन पैरा 141 में एक-एक व्यक्ति को लेकर अलग-अलग कन्कलूजन दिया है। हालांकि यह रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं है। सात सदस्य समिति थी, तीन ने विमत टिप्पणी दी, असहमति जाहिर की,

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

डिसेंटिंग नोट दिया, चार ने एक तरफ दिया। अगर मैं यह कहूं कि सदस्य छः थे, एक चेयरमैन थे, सदस्य बराबर बंट गए और सभापति की वीटो पावर के कारण यह रिपोर्ट स्वीकृत हुई, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन चार और तीन से यह रिपोर्ट आई है। मैं बहुमत की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, विमत टिप्पणी नहीं पढ़ रही हूं, डिसेंटंग रिपोर्ट नहीं पढ़ रही हूं। मैं कन्कलूजन में से पैरा 141 के सब पैरा 15 में एक व्यक्ति का नाम लेकर लिखा गया है।

क्योंकि मैं रिपोर्ट से पढ़ रही हूं, इसलिए नाम पढ़ सकती हूं। पैरा 141, सब-पैरा 15 में

[अनुवाद]

> ''श्री सक्सेना जाने या अनजाने ही, घूस देने वाले थे। अत: उन्हें संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अधीन छूट प्राप्त नही है। स्पष्ट है कि उन्हें नहीं मालूम था कि सदस्य व्हिसल ब्लोअर थे। अत: यह संसद सदस्यों को उनके संसदीय आचरण को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया गया था।''

श्री सक्सेना जाने या अनजाने घूस देने वाले थे *[हिन्दी]* यह उस समिति का निष्कर्ष है और उस समिति ने इसी पैराग्राफ में कहा है। *[अनुवाद]* अत: मामले में उनकी भूमि पर और जांच की आवश्यकता है *[हिन्दी]* प्रधानमंत्री जी, मैं आपको चुनौती देकर कहती हूं कि यह पूरी रिपोर्ट...*(व्यवधान)* यह पूरी रिपोर्ट मैं आपको दे दूं...*(व्यवधान)* मैं बताती हूं, जब आपका टाइम आयेगा तो आप पैरा 17 पढ़ दीजिएगा। मैं पैरा 15 पढ़ रही हूं, आपको भी समय मिलेगा। जब मैं धीर-गंभीर वातावरण की बात करती हूं तो उसका मतलब यही है कि मेरे तर्क सुन लीजिए, अगर उनकी काट आपके पास है तो आप अपने समय में बोल लीजिए। पैराग्राफ 17 में क्या लिखा है, वह आप पढ़ दीजिए। मैं यह कह रही हूं कि कौन आपकी स्टेटमैन्ट बनाता है, मैं आपको यह रिपोर्ट दे देती हूं। अगर इस पूरी रिपोर्ट में कहीं लिखा हो कि इनसफीशिएंट एविडेन्स के कारण कनक्लूजन ऑफ ब्राइबरी नहीं आया। आप सिफारिशें पढ़ लें, आप ऑब्जर्वेशंस पढ़ लें, आप फैक्ट्स पढ़ लें। यह आया है कि फाइंडिंग्स पढ़ लें, आप ऑब्जर्वेशंस पढ़ लें, आप फैक्ट्स पढ़ लें। यह आया है कि *[अनुवाद]* श्री सक्सेना जाने या अनजाने में घूस देने वाले थे। इस मामले में उनकी भूमिका की जांच आवश्यक है।

[हिन्दी]

रिक्मैडेशंस में यह आया है कि इसकी एप्रोपरिएट एजेन्सी के द्वारा आगे जांच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कमेटी ने मामला वहां खत्म नहीं किया। कमेटी के पास किसी इनवेस्टिगेटिंग एजेन्सी का टूल नहीं था। कमेटी ने यह पाया कि इस मामले में आगे जांच होनी चाहिए और जैसा श्री गुरुदास दासगुप्त बता रहे थे कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपनी ऑटोबायग्राफी में लिखा है–

[अनुवाद]

जांच समिति ने 15 दिसंबर, 2008 को अपनी रिपोर्ट सभा को सौंपी। दुर्भाग्यवश यह सर्वसम्मति से नहीं थी। इसने सिफारिश की कि मामले की आगे जांच किसी समुचित जांच एजेन्सी द्वारा की जाए। 16 दिसंबर, 2008 को मैंने सभा में कहा कि समिति द्वारा की गई सिफारिसों के आधार पर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

15 दिसम्बर को रिपोर्ट आई, 16 दिसम्बर को श्री सोमनाथ चटर्जी ने फर्दर इनवेस्टिगेशन के लिए दे दी। मैं आपको बताऊं कि इसके बाद केस दर्ज हुआ। *[अनुवाद]* वह है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन दिल्ली पुलिस, अपराध शाखा, अंतर-राज्यीय प्रकोष्ट में मामला सं.-141 *[हिन्दी]* 24 जनवरी, 2009 को केस रजिस्टर हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप उस विषय पर वक्तव्य दे रहे थे, जो हिन्दू में आया था। ये तमाम फैक्ट्स जो आपको यहां बताने चाहिए थे, उसके बजाय आपने यह कह दिया–

[अनुवाद]

समिति ने कहा था घूस दी गई थी, इसका निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य है।

[हिन्दी]

नहीं प्रधानमंत्री जी, कमेटी ने कहीं नहीं कहा, कमेटी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि सबूत नाकाफी थे। कमेटी ने कनक्लूजंस में एक-एक व्यक्ति के बारे में लिखा और कमेटी ने सिफारिशों में कहा कि इस पर आगे जांच होनी चाहिए और उस समय के स्पीकर के कहने

पर होम मिनिस्ट्री को उन्होंने जो केस दिया, उसके बाद यह केस दर्ज हुआ। क्या बात है, ये सारे मालूमात आपको नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं दी गई कि इसके आधार पर अभी भी केस चल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है और मैं आगे भी बता दूं कि सीएफएसएल, सैन्टर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने टेप्स भी वैरिफाई करके मंगवा लिये हैं कि टेप्स टैम्पर्ड नहीं हैं। यह इस केस का स्टेटस है। लेकिन आपको कोई नहीं बताता, हर चीज में आप यह कह देते हैं कि यहां गलत लिखकर कि कमेटी ने कनक्लूड कर दिया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, बल्कि मेरा प्रिविलेज मोशन भी इसी पर है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, कमेटी में बिल्कुल अलग लिखा गया है तो समिति की रिपोर्ट और आपकी बातचीत में अंतर है, इसी को लेकर मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

लेकिन आपसे मेरी मांग है कि यह केस कछुए की चाल चल रहा है। तीन साल होने को आए हैं लेकिन इस केस में ज्यादा प्रगति नहीं है। सीएफएसएल की एक रिपोर्ट आई है। जैसा गुरुदास दास गुप्ता जी ने कहा, मेरी आपसे मांग है कि केवल यह केस केवल सीबीआई को मत दीजिए। ये खुलासा जो विकिलीक्स ने किया है, उसमें जिन लोगों के नाम हैं, उन नामों को एफआईआर में जुड़वाइए, उसके बाद यह केस आप सीबीआई को सौंपने का काम करें। जब तक वे नाम इसमें नहीं जुड़ेंगे, तब तक सत्य उजागर नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि एफआईआर में उन लोगों के नामों को जोड़कर यह केस सीबीआई को सौंपने का काम करें।

महोदया, मेरा तीसरा प्रश्न प्रधानमंत्री जी वक्तव्य से जो निकलता है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में जीत का तर्क देकर स्वयं को बरी करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपके इस तर्क को मैं मान लूं तो राजनीति में अपराधीकरण की एक नींव पड़ जाएगी। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि अगर जनादेश के साथ सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं तो गुजरात में गोधरा काण्ड के बाद, गुजरात के मुख्य मंत्री के दो-दो बार चुनाव जीतने के बाद भी आप उस केस को समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है...*(व्यवधान)*

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (संभल) : ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (वी. नारायणसामी) : उच्चतम न्यायालय मामले की जांच कर रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आपने कहा कि 2009 के चुनाव में हमने इसको मुद्दा बनाया, उसके बाद भी आप जीत गए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं। गुजरात के चुनाव में दोनों बार, वहां की कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। उसके बाद भी जनादेश नरेन्द्र मोदी के पक्ष में गया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। लेकिन गुजरात में पहले स्टेट पुलिस, फिर सीबीआई, फिर एसआईटी ने इस केस को लिया। पहले एक ट्रायल, फिर दूसरा ट्रायल, फिर तीसरा ट्रायल हुआ। यह जनादेश का सिद्धांत क्या वहां लागू नहीं होता? हमने कभी यह मुद्दा नहीं बनाया, हमने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव जीत गए हैं, इस कारण से हमें बरी हो जाना चाहिए। लेकिन आप इस बात का हवाला दे रहे हैं।

मैं दूसरा प्रश्न आपसे करती हूं। प्रधानमंत्री जी 1984 के दंगो के बाद कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट लेकर जीती थी। सबसे ज्यादा सीटें लेकर जीती थी। आजतक कभी कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुईं थी। सन् 1984 के दंगों के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटें लेकर जीती थी। मैं आपसे पूछना चाहती कि क्या 400 सीटें लेने के बाद कांग्रेस के ऊपर लगा हुआ सिख दंगों का दाग धुल गया था?...*(व्यवधान)* क्या वह धब्बा बरकरार नहीं है? 24-24 साल बाद जब रेवाड़ी और चिल्लड़ के केस बाहर निकल कर आते हैं तब वे धब्बे और गहरे होकर दिखाई देते हैं। यह तर्क आप कहां से लाए हैं? किसने यह तर्क दिया है आपको? यह तर्क नहीं है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, यह तर्क नहीं कुतर्क है। और मैं हैरान हूं कि आप जब ऐसा तर्क देते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग मेजें थपथपाते हैं। आप जब चुनाव में जीत की बात करते हैं तब आप अपनी तरफ के लोगों की वाहवाही लूटते हैं।...*(व्यवधान)* 1984 का जवाब दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, चुनाव की जीत या हार लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस घटना को भुला नहीं सकती है, धो नहीं सकती है। यह वह घटना है जिसने पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार किया है। यह वह घटना है जिसने भारतीय लोकतंत्र को कलंकित किया है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि जब आप कहते हैं कि भूल जाइये, आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें रिजैक्ट कर दी गई थी, हम दुबारा-दुबारा क्यों उठा रहे हैं। यह नया साक्ष्य उभर कर आया है, हम जरूर इसे उठायेंगे और इसका जवाब हम आपसे मांगेंगे, और हम सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, चौथा प्रश्न प्रधानमंत्री जी की आदत के अनुसार आया है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात उन्हें याद दिलाना चाहूंगी। चौदहवीं लोक सभा में केवल एक ऐसी घटना भी घटी। चौदहवीं लोक सभा में एक ऐसी घटना भी घटी। जब प्रश्न पूछने के बदले पांच हजार रुपये लेने के आरोप में दस सांसदों को इस सदन से निष्कासित कर दिया गया। उस समय भी एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन वर्तमान संसदीय कार्यमंत्री थे। यह जो दूसरी समिति बनी, उसके चार सदस्य उस समिति में थे। उस समय संसद की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया था, संसद की गरिमा का प्रश्न बनाया गया था, बिना कोई क्रॉस एग्जामिन किये, बिना ज्युडिशियल प्रक्रिया अपनाए यह बात कहते हुये कि हम सैल्फ रेगुलेट करेंगे, भारत की संसद की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में कायम करेंगे, यह कहते हुये दस सांसदों का राजनैतिक भविष्य सील कर दिया गया था। इस संसद ने खड़े-खड़े दस सांसदों को निष्कासित कर दिया। उस समय बहुत बड़े-बड़े कोटेशन आज के संसदीय कार्य मंत्री ने रिपोर्ट में दिये थे। मैं याद दिलाना चाहती हूं। जब दूसरी संसदीय समिति आ रही थी तब टी.एस, इलियट याद नहीं आया:–

[अनुवाद]

''वर्तमान और भूत दोनों भविष्य की गर्त में होता है। भविष्य में भूतकाल की छाया निहित होती है।''

[हिन्दी]

टी.एस. इलियट को कोट किया गया था। पंडित नेहरु की ट्रीइस्ट डेस्टिनी को कोट किया गया था ओर उस रिजोल्यूशन को कोट किया जब 1997 में इस संसद की स्वर्णिम जयंती मनायी गई थी तो उस समय इस संसद ने पारित किया था। मैं वह रिजोल्यूशन आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूं। यह 1997 में इस संसद का पारित किया गया प्रस्ताव है:–

''सार्वजनिक जीवन में और अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु निरंतर सक्रिय प्रयास शुरू किये जायें ताकि संसद तथा अन्य विधायी निकायों की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा सुनिश्चित और परिवर्द्धित हो। विशेष रूप से सभी राजनैतिक दल ऐसे सभी कदम उठायें जिनसे हमारी राजनीति को अपराधीकरण और उनके प्रभावों से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।''

मैं यह कह रही हूं कि इस संसद ने बहुत सही कहा। संसद के जब 50 वर्ष पूरे हो रहे थे तो उस समय यह संसद का प्रस्ताव पारित किया गया था। मैं पूछना चाहती हूं कि जब दूसरी समिति चर्चा कर रही थी तो उस समिति ने नोट देने के लिये नहीं बल्कि नोट दिखाने को अपराध माना। उस समिति ने ब्राइब गिवर को नहीं बल्कि व्हिसल बलोअर की भर्त्सन की। मैं पूछना चाहती हूं कि इस संसद की दृष्टि क्यों बदल गई थी? पांच हजार रुपये लेने के आरोप में जो संसद दस सांसदों को इस संसद से निष्कासित कर बाहर करती है, वह संसद करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद इस सरकार को बचाने वाले कांड के ऊपर पर्दा डालने का काम करती है। यही नहीं बल्कि बाद में श्री सोम नाथ चटर्जी ने लिखा कि उनके सामने 27 केसेज़ आये जिन दलों के सांसदों ने क्रांस वोटिंग की थी, उन सांसदों के दलों ने पटीशन्स फाइल की। श्री चटर्जी ने 27 केस सुने जिनमें नौ सासंदों को बाहर करने की बात कही गई। मैं पूछना चाहती हूं कि यह तो ओपन एंड शट केस था। इस बारे में पूछने की या जानने की क्या जरूरत है? लेकिन उस पर जिस तरह से पर्दा डाला गया, मैं उसकी बात कर रही हूं। यह वही संसद है जो 14वीं लोक सभा में पांच हजार रुपये लेने के आरोप में संसद से निष्कासित करती है तो दूसरी तरफ करोड़ों रुपये खर्च करके अपनी सरकार को बचाने का काम करती है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा चौथा प्रश्न प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के अंतिम पैराग्राफ में से निकलता है।

[अनुवाद]

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जुलाई, 2008 में विश्वात मत के दौरान कांग्रेस पार्टी और सरकार में से कोई भी किसी और कानूनी कार्य में लिप्त नहीं था।

[हिन्दी]

महोदया, प्रधानमंत्री जी की यह आदत है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे लोगों ने कुछ नहीं किया, न मेरी पार्टी ने कुछ किया ओर न मेरी सरकार ने कुछ किया।

महोदया, मैं पूछना चाहती हूं...*(व्यवधान)* कि अगर आपकी पार्टी, आपके लोगों ने नहीं दिया तो फिर किसने दिया?...*(व्यवधान)* महोदया, इस पूरे प्रकरण का लाभार्थी कौन होने वाला था, इस पूरे कांड का बैनीफिशरी कौन होने वाला था...*(व्यवधान)* सरकार किसकी बचनी थी...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री किसे रहना था?...*(व्यवधान)* मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी, जो लोग काम कर रहे थे, अगर आपकी सरकार बचाने के लिए काम हो रहा था ओर आपको पता नहीं था, तो भी आप बराबर के दोषी हैं, क्योंकि क्रिमिनल ज्यूरिस प्रूडेंस का यह सिद्धांत है कि अपराध करने वाला जितना जिम्मेदार होता है, उस अपराध का लाभ उठाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है।...*(व्यवधान)* मैं यह मानने का तैयार नहीं हूं कि आपको पता नहीं था।...*(व्यवधान)* मैंने कहा कि यह आपकी आदत हो गयी है। आप अपनी भलमनसाहत को आगे रखकर दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं।...*(व्यवधान)* देश में महंगाई है तो शरद पवार जिम्मेदार हैं।...*(व्यवधान)*

महोदया, यह आदत है, अगर देश में महंगाई है तो शरद पवार जिम्मेदार हैं।...*(व्यवधान)* 2जी स्पेक्ट्रम का आबंटन है तो राजा जिम्मेदार है, सीडब्ल्यूजी का घोटाला है तो कलमाड़ी जिम्मेदार हैं।...*(व्यवधान)* मुझे कुछ पता नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं बिल्कुल पाक-साफ हूं।...*(व्यवधान)* मुझे कुछ नहीं पता...*(व्यवधान)* मुझे कोई जानकारी नहीं है।...*(व्यवधान)* और अगर मेरी कोई जानकारी है तो मेरे गंठबंधन की मजबूरी है।...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी प्रेस कांफ्रेस में कहते हैं कि मैं गुनहगार तो हूं, मगर उतना बड़ा नहीं, जितना लोग दिखाते हैं, छोटा-मोटा गुनहगार हूं।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जी पिछले सात साल से लोग यह सुन-सुनकर अगाह गये हैं।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहती हूं, मुखिया आप हैं, इसलिए जवाबदेही आपकी बनती है।...*(व्यवधान)* आप दूसरों के सिर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज जो कह रही है, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, यह बात केवल मैं नहीं कह रही हूं, आज यह बात पूरा देश कह रहा है। अब लोग पूछने लगे हैं...*(व्यवधान)* कि आखिर अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रधानमंत्री क्यों बने हुए हैं?...*(व्यवधान)* मैं दूर की बात नहीं करती हूं...*(व्यवधान)*

महोदया, आप उन्हें बिठाइये।...*(व्यवधान)* आप बैठिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। हां, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, यह बात अकेले मैं नहीं कह रही हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज जो कह रही हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं विपक्ष में बैठी हूं।...*(व्यवधान)* आप सोच सकते हैं कि मैं आलोचना कर रही हूं, लेकिन महोदया,...*(व्यवधान)* आज पूरा देश यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा है...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज जो कह रही हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, अब लेखक लेख लिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं...*(व्यवधान)* यह आज का दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, इसमें आज एक लेख छपा है।...*(व्यवधान)* यह किसी भाजपाई ने नहीं लिखा है, एक बहुत बड़े समाजवादी चिंतक ने इसे लिखा है। मैं राज बब्बर जी को बता दूं कि यह आपकी चिंतनधारा वाले ने लिखा है।...*(व्यवधान)* आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। इसका शार्षक है- ''इस कदर क्यों हैं बेखबर''।

''इस सरकार की खूबी यह है कि जो बात सारी दुनिया को पता होती है उसके बारे में भी वह यह कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं।'' इसमें लिखा है ''प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के सूचना तंत्र, गुप्तचर तंत्र, और लोकतंत्र के सिरमौर हैं, और उन्हें कुछ पता नहीं होता...*(व्यवधान)* तो इस पद पर बने रहने की उनकी मजबूरी क्या है? वह अपने और इस पद की साख निरंतर क्यों गिराए जा रहे हैं? यह लिखा है ''दैनिक भास्कर'' ने। आपके ''दैनिक भास्कर'' ने लिखा है कि अगर उन्हें कुछ पता नहीं होता।...*(व्यवधान)* आज के दैनिक भास्कर ने इस लेख में लिखा है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के सूचना तंत्र, गुप्तचर तंत्र और लोकतंत्र के सिरमौर हैं और उन्हें कुछ पता नहीं रहता तो इस पद पर बने रहने की उनकी मजबूरी क्या है? वे अपने और इस पद की साख निरन्तर क्यों गिराए जा रहे हैं? यह आज देश में लेखक उनसे पूछ रहे हैं। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि इसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पढ़ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूं

''न इधर-उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा?
हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है''

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.के. बंसल

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : अध्यक्ष महोदया, श्री मुंडे जी जानते हैं कि आज का विषय गंभीर है।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए श्री नंद कुमार जी। उनको भी बिठाया था। आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदया, मैं कूटनीति से कोसों मील दूर हूं। मैं इस बात का ज्ञान नहीं रखता कि कूटनीति के तौर-तरीके क्या हैं, बारीकियां क्या होती हैं? लेकिन मैं जैसे कि ओर बहुत से सदस्य जानते हैं, इतना जरूर जानता हूं कि प्रायः सभी देश जैसा कि माननीय नेता विपक्ष ने भी कहा था अक्सर सभी देश अपने राष्ट्र के दूतावास के जरिए समय-समय पर अलग-अलग देशों में क्या हो रहा है, वहां की क्या घटनाएं हैं, वहां के क्या डेवलप्मेंट्स हैं उनके प्रति कुछ-न-कुछ जानकारी, कुछ-न-कुछ सूचना हासिल करते रहते हैं। ऐसी ही एक जो सूचना अमेरिका के दूतावास से यहां से उनके स्टेट डिपार्टमेंट को पहुंची थी, उसका जिक्र ''द हिंदू'' में विकीलिक्स का हवाला देते हुए 17 मार्च को किया गया। उसमें यह कहा गया है कि उनके *चार्ज-डि-अफेयर्स* ने हमारे एक वरिष्ठ नेता से यह जानकारी हासिल की कि कांग्रेस विपक्ष के ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए लगी है और हमें विश्वास है कि हम यह विश्वास मत जीतेंगे। इसमें क्या गलती थी? आगे उसमें कहा गया है कि *[अनुवाद]* एक शेखी मार व्यक्ति, यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं उस व्यक्ति को शेखीमार व्यक्ति पुकार सकता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उसका ज़िक्र करते हुए यह कहा कि उसने किसी और इंप्लाइ को कुछ पैसा दिखाया था पेटियों में बंद किया हुआ, जिससे मालूम होता है कि सरकार ने पैसे के ज़रिये वोट जीते। इस पर देश में बबाल उठा है, शोर हुआ है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इसके साथ पार्लियामैंट को भी बंदी बना लिया गया। महोदया, विपक्ष के नेताओं की तरफ से मांग उठी, पहले दिन ही जब यहां स्टेटमैंट हुई, उसी वक्त चाहते थे कि प्रधानमंत्री अपना जवाब उस पर दें। प्रधानमंत्री ने अगले दिन अपना वक्तव्य दिया। मैं समझता हूं कि वह वक्तव्य देते वक्त प्रधानमंत्री से यह गलती हो गई कि उन्होंने यह वक्तव्य उनको पहले नहीं दिखाया। हरेक चीज़ में शायद यह तवक्को की जाती है। श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा था। *[अनुवाद]* मैं उन्हें उनके शब्द याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने कहा ''लोकतंत्र में यह महसूस करने की अवधारणा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस एक खतरनाक अवधारणा है''। मैं उनसे पूर्णरूप से सहमत हूं। परंतु जब वे उनके साथ होते है तो वे कहते हैं कि जो वे कहते हैं वह ठीक है। *[हिन्दी]* क्या वह डैमोक्रेसी के लिए होना चाहिए? लोकतंत्र में लोग वोटों के ज़रिये किसी एक ग्रुप को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : अध्यक्ष महोदया, क्या वे एक मिनट के लिए रूकेगें?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आपकी बात मैंने मानी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : क्या आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : जी हां।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदया, मुद्दा यह है कि लोकतंत्र में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। उनका अपना अस्तित्व होता है। किसी समय किसी एक मुद्दे पर विचारों की अभिसरिता हो सकती है इसका यह अर्थ नहीं है कि हम नीतिविरुद्ध होकर किसी के साथ जुड़ जाएं। कृपया इसके याद रखें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदया, उस खबर के बाद भारत के इतिहास, भारत के विशाल लोकतंत्र को भी बंदी बना लिया गया। प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं क्योंकि उसका ज़िक्र बार बार होगा, उसी पर नेता विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है और जिसकी ज़रूरत थी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें है, उसमें पता नहीं कैसे कैसे टिप्पणी आपने कर दी। इधर-उधर की और बातों में ले आए। लेकिन वह आखिरी पैरा में है–

[अनुवाद]

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जुलाई, 2008 में विश्वास मत के दौरान कांग्रेस पार्टी अथवा सरकार का कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्यों में शामिल नहीं था।''

[हिन्दी]

इसके अलावा और क्या हो सकता था? आप इल्ज़ाम लगा रहे थे और आज तक लगाते रहे हैं लेकिन अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो यह प्रधानमंत्री का थां मैं यह भी विश्वास रखता हूं कि आप अपनी नेता की बात मानेंगे कि आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। उसको इस तरह से नहीं करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सब जाइए। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : क्योंकि महोदय, कथन जैसे मैंने कहा है, एक विश्वास बन गया है उधर कि जो भी हम कहते हैं वह सत्य है। *[अनुवाद]* हमारा दिव्य सत्य है *[हिन्दी]* और इसी बात को मानते हुए आज विपक्ष की नेता ने बार-बार ज़िक्र किया है कि एक मंत्री के घर से उन्होंने कोई जानकारी हासिल की थी।

उन्होंने दिखाया था और मैं उस दिन का अखबार फिर से दिखाना चाहता हूं। उन्होंने बार-बार हमारे सदस्यों को याद करवाया था कि 17 मार्च का अखबार पढ़ लीजिए। मैं 17 मार्च का अखबार आपको दिखाना चाहता हूं आप 17 तारीख के इस हिन्दू में बता दीजिए कि किस मंत्री का जिक्र किया गया है? *[अनुवाद]* या

[श्री पवन कुमार बंसल]

तो वे विशेष स्मृति लोप से ग्रस्त है..., *[हिन्दी]* बातों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ज़िक्र है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से जानकारी ली कि कांग्रेस लगी हुई है हर ढंग से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विश्वास मत जीतें। उस कोशिश में, क्योंकि उस वक्त श्री मुलायम सिंह जी ने महसूस किया था कि आप सैद्धांतिक तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं। आपके मन में केवल एक लालसा है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएं...*(व्यवधान)* इस कारण उन्होंने यह फैसला किया था कि हमें इस मौके पर...*(व्यवधान)*

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : अध्यक्ष महोदया, संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष की नेता को गैर जिम्मेदार कहा है...*(व्यवधान)* वह ये शब्द वापस लें।...*(व्यवधान)* लीडर आफ ओपोजिशन को गैर जिम्मेदार कहा है...*(व्यवधान)* इस बात को वह वापस लें। इन्होंने विपक्ष की नेत्री को गैर जिम्मेदार कहा है।...*(व्यवधान)* इन्होंने बूथ एलाटमेंट में क्या किया?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं उस बात पर थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मैं उस बात का थोड़ी देर बाद ज़िक्र करूंगा कि आपने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आपने एक खबर लेने के बाद...*(व्यवधान)* आपको एक खबर अखबार में मिल जाने के बाद कैसे फिर वही भावनाएं भड़क उठी हैं और कैसे आज आपने अपने प्रेस स्टेटमेंट में गाली दे रखी है, श्री मुलायम सिंह को भी, यह कहते हुए कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ जो केस थे, वे वापस ले लिए, इस कारण उन्होंने वोट दीं। ऐसी बातें आज भी की जा रही थीं। गुरुदास दासगुप्त जी आपकी बात की मैं हमेशा कद्र करता हूं, इज्जत करता हू, लेकिन आपने भी, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, यदि कुछ सदस्यों ने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने यह फैसला किया कि वे वोटिंग में गैर हाजिर रहेंगे, आप उन पर भी लांछन लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)* लोकतंत्र में यह नहीं होता है।

महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर फिर आता हूं। उनके वक्तव्य के कुछ हिस्से पढ़कर एक केस बनाने की कोशिश की गई। मैं उसी सेंटेंस पर आता हूं, जिस पर सुषमा जी को आपत्ति है। रिपोर्ट के जो अंश उन्होंने पढ़े, मैं भी उनको पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो कि 14वीं लोक सभा में बनी थी *[अनुवाद]* ''समिति का यह निष्कर्ष था कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि रिश्वत दी गई थी, पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे'' *[हिन्दी]* क्या प्रधानमंत्री इस रिपोर्ट पर थीसिस लिख रहे थे?...*(व्यवधान)* थोड़ा रूकिए।...*(व्यवधान)* इस रिपोर्ट में कहां लिखा है? यह इंटरप्रेटेशन का सवाल होता है। आप अपनी इंटरप्रेटेशन किए जा रहे है...*(व्यवधान)* आप दो सफे पढ़ने के बाद उस रिपोर्ट की इंटरप्रेटेशन किए जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं देते, जिनकी गरिमा का आप जिक्र करते हैं।...*(व्यवधान)* आप उनको अधिकार नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : महोदया, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इनको बोलने दीजिए। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : महोदया, यह सदन को गुमराह कह रहे हैं? *[अनुवाद]* पृष्ठ संख्या क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलेंगे देंगे, तभी तो बताएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं रिपोर्ट के पैरा 141 पर आता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : यह प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है...*(व्यवधान)* यह व्याख्या का विषय नहीं है...*(व्यवधान)* यह कटु सत्य है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, यह गंभीरता दिखाई जा रही है।...*(व्यवधान)* मैं उस रिपोर्ट का ही जिक्र करता हूं और सबसे पहले वही पैरा पढ़ूंगा जो माननीय नेता विपक्ष ने पढ़ा है। 141 का 15वां, उसमें लिखा है।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

रिपोर्ट के पैरा 141 (पंद्रह) में कहा गया है:

''श्री सक्सेना द्वारा जानबूझ कर अथवा अन्जाने में रिश्वत दी गई''...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप बहुत काबिल हैं, मैं जानता हूं। क्या ब्राइब अनविटिंगली होती है? अगर ब्राइब अनविटिंगली नहीं होती, मैं आगे जो लाइनें पढ़ूंगा, उसके बाद आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसी पैराग्राफ में है;

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा गया है:–

''समिति के समक्ष अनेक प्रश्न आए...*(व्यवधान)* किनके इशारे पर श्री सक्सेना कार्य कर रहे थे...''

[हिन्दी]

ये इस कारण से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ये बात नहीं कहने देना चाहते।

[अनुवाद]

''वह अशोक रोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में क्यों गए; उनकी कार में नोटों से भरा थैला कहा रखा गया...''

[हिन्दी]

आप इनका जवाब दीजिए, इसके बाद आपके माननीय सदस्य भी बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदया, समिति में आगे कहा गया, क्या सक्सेना से जबरन कार्य कराया गया था, सदस्य श्री गुरुदास गुप्त से नहीं...'' समिति के सदस्यों ने पूछा:–

''क्या सक्सेना से जबरदस्ती कार्य कराया गया और एक ऐसा कार्य पूरा करने के लिए बाध्य किया गया जिसे किसी प्रयोजन के लिए छोड़ दिया गया था''

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं गुजारिश करता हूं, इन्होंने हमें कहा था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया कर आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अब मैं पैरा 141 का पैरा 17 पढ़ना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप श्री पवन कुमार बंसल जी की बात सुन तो लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं पहले नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इन्होंने भी नाम लेकर बोला है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

[अनुवाद]

श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी को कौन नहीं जानता? पैरा 141 (सत्र) कहता है:–

''जहां तक सुधीन्द्र कुलकर्णी का संबंध है, समिति ने नोट किया कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि संदिग्ध व्हिस्ल ब्लोअर ऑपरेशन के वे स्वयं षडयंत्रकारी थे। उन्होंने इस प्रस्ताव कि रुपयों को सभा पटल पर रखा जाए, का सक्रिय समर्थक होना स्वीकार किया। उनके द्वारा व्हिस्ल ब्लोअर ऑपरेशन की अवधारणा तैयार करने के लिए दिया गया औचित्य विश्वसनीय नहीं पाया गया है। जैसा कि तथ्य स्पष्ट करते हैं, श्री कुलकर्णी ने सदस्यों को रिश्वत देने में सहायता की''

[हिन्दी]

सक्सेना के केस में ब्राइब का जिक्र हो रहा है।...*(व्यवधान)* यह मैं नहीं कह रहा, आप थोड़ी सी सहनशक्ति और रखिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिए। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : आप थोड़ी सी सहनशक्ति और रखिए।...*(व्यवधान)* आपकी बात का जवाब आपके नेता ने दिया है। इसमें एफआईआर दायर हुई है, ऐसी ही एफआईआर पहले 11 सदस्यों के खिलाफ दायर हुई थी।...*(व्यवधान)* उन सभी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दायर हुई है।...*(व्यवधान)* आप थोड़ी सी सहनशक्ति रखिए तो मैं उन बातों का भी जवाब आपको दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, पैरा 141 के उक्त पैरा दस में भी आगे कुछ जिक्र हुआ है, वह बात कहनी जरूरी है; इसमें कहा गया है:–

[अनुवाद]

''स्टिंग ऑपरेशन के इस युग में, यह कहना अत्यंत कठिन है कि कौन किसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को जो किसी सदस्य के लिए कार्य कर रहा है, अपने साथ मिला लेना और नोटों से भरा थैला सौंपना जिसे वह आगे किसी को देगा और फिर यह स्टिंग ऑपरेशन कर यह आभास देने का प्रयास करना कि वह व्यक्ति उस सदस्य की ओर से पैसों की सुपुर्दगी कर रहा था, कठिन कार्य नहीं है।''

[हिन्दी]

यह है सत्य बात, और इसी कारण इस कमेटी की रिपोर्ट को नकार रहे हैं, और मुझे सुनने में यह आ रहा है कि कमेटी के अध्यक्ष पर भी लांछन लगाए जा रहे हैं कि वे इधर के सदस्य थे। कल को जे.पी.सी. के बारे में भी आप यही कहेंगे कि उसके चेयरमैन तो आपकी पार्टी के थे। कमेटी क्यों मांगते हैं। मैडम, मुझे एक बात की हैरानी होती है और उसका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। इस केस में, इसके बाद जैसा माननीय नेता विपक्ष ने कहा था, इसमें एफ.आई.आर. लॉज हुई है। यह बात दीगर है, अलग है कि वे कहते हैं कि सी.बी.आई. से जांच क्यों नहीं हुई। यह मैं अपनी पुरानी बात दोहरा रहा हूं। ये कभी तो सी.बी.आई. की इन्क्वायरी मांगते हैं और जब मन में आए, तो सी.बी.आई. को गाली दे देते हैं। आप अपना मन बनाइए कि आपकी नीति क्या है और आपका विश्वास किस चीज में है? आपका विश्वास अपने देश में नहीं, आपका विश्वास बाहर से कोई चीज आ जाए, उसमें है। उस पर आप विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री के ओहदे की गरिमा का आप जिक्र करते हैं, लेकिन आपके हर वक्त प्रयास

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वही हैं, जिनके कारण देश कमजोर हो। मैं यह नहीं कहता कि आप देश को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कहने का अधिकार नहीं है, भले ही मन चाहता हो, लेकिन जो आप कर रहे हैं, आपकी उस कार्रवाई का नतीजा केवल एक होगा, क्योंकि आपके मन में एक ही लक्ष्य है और वह है यहां पहुंचना। यहां पहुंचने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, तो आप करेंगे।... *(व्यवधान)*

महोदया, मैं, इसमें आगे और बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक सदस्य का जिक्र इसमें बार-बार किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कमेटी ने और क्या टिप्पणी की, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिन तीन माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी, उन शिकायतकर्त्ताओं के बीच में से एक का जिक्र किया है कि पहले जो एम.पी.एल.ए.डी. कमेटी बनी थी, उसमें भी उनके खिलाफ समिति को टिप्पणी करनी पड़ी थी। उसके बाद भी वे उसका हिस्सा हैं और अगर आप और आगे जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

मैडम मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो यहां पर तमाशा हुआ वह एक स्टेज मैनेज्ड स्टिंग ऑपरेशन था और मैं क्यों कह रहा हूं, वह मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले उसमें सवाल आ जाता है।

[अनुवाद]

सी.एन.एन. और आई.बी.एन से किसने संपर्क किया *[हिन्दी]* आपके बीच में ही, इसमें से पढ़कर मैं आपके सदस्यों का जिक्र कर रहा हूं। आपके तीन सदस्यों ने रिपोर्ट में कहा है कि *[अनुवाद]* हमने सी.एन.एन. और आई.बी.एन टी.वी. चैनलों से संपर्क किया।

[हिन्दी]

लेकिन जिन महोदय का मैंने अभी जिक्र किया है श्री कुलकर्णी, उनकी स्टेटमेंट क्या है, वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी एक ने फोन किया था, उसका नाम चूंकि रिपोर्ट में ही है, इसलिए मुझे नाम लेना होगा-सुहेल हिन्दुस्तान। उसने मुझे फोन किया था कि आपके मैम्बरों के ऊपर कुछ किया जा रहा है, उन्हें बचा लीजिए। इस कारण, उसके बाद, मैंने यह व्हिसिल ब्लोइंग ऑपारेशन किया और मुझे बताया किसने कि सी.एन.एन, आई.बी.एन के साथ बात हो गई है और वे आएंगे,*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, सुहेल हिन्दुस्तानी का जिक्र भी इसी रिपोर्ट में किया गया है और मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है*...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं नाम वापस लेता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने वापस ले लिया है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं वापस लेता हूं मुझे खेद है। मैं अपने पैरा को पुनः तैयार करता हूं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने वापस ले लिया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं रिकार्ड पुनः दुरुस्त करता हूं:

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने उनका नाम वापस ले लिया है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैंने उनका नाम वापस ले लिया है यद्यपि रिकार्ड में इसका उल्लेख किया गया है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने इस रिपोर्ट का उल्लेख किया है। मैं रिपोर्ट से उदृत कर सकता हूं। क्या मुझे इसमें उनके साक्ष्य का उल्लेख करना चाहिए? क्या मुझे श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी के साक्ष्य को उदृत करना चाहिए? यह रिकार्ड का भाग है और यह स्पष्ट रूप से कहा गया है परन्तु इसके संबंध में कोई आपत्ति है तो में इसे वापस लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : आप मुझे यह बताइए कि आपने उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया?

श्री पवन कुमार बंसल : आप थोड़ी देर बैठिए।*...(व्यवधान)* मैडम, मैं पहले बता चुका हूं कि मुकदमा दायर हो चुका है, इन्वेस्टीगेशन हो रही है।*...(व्यवधान)* ये बात सुनना नहीं चाहते और यह वही बात है कि ये जो कहते हैं, वह सत्य है। भगवान ने यह अधिकार इनको दिया है कि आपके मुंह से जो बात निकलेगी, वह सत्य निकलेगी।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे मालूम है देशभक्ति पर वे एकाधिकार समझते हैं: वे सत्य पर एकाधिकार चाहते है; और वे हर अच्छी बात पर एकाधिकार चाहते है: शायद यही उनकी प्रवृत्ति है...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* लेकिन असलियत क्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, अब मैं श्री जसवंत सिंह जी, जो हमारे एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं उनको बहुत महान, बहुत काबिल और आदरणीय अपने यहां का सदस्य मानता हूं। मैं जब 1984 में लोक सभा में आया था, उसी वक्त से उनको सुना, उसी वक्त से उनसे प्रभावित हुआ था। वे इस मसले में...*(व्यवधान)* आडवाणी जी हैं, इनको याद जरूर आएगी। वे इस मसले में आडवाणी जी को मिले थे और उन्होंने आडवाणी जी को क्या कहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

''उनके साथ एक अजनबी था जिसका नाम मुझे याद नहीं-कुछ हिन्दुस्तानी था वे सुधीन्द्र कुलकर्णी के साथ मेरे घर आए। मुझे ठीक से याद है''...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : वे इनको रिपोर्ट करने गये थे कि ये बतायें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : सुषमा जी ने तो आज एक अखबार पढ़ दिया। मैं श्री जसवन्त सिंह जी के उस इण्टरव्यू का जिक्र करता हूं, जो एक बहुत बड़े पेपर को उन्होंने *'Walk the talk'* में दिया और उन्होंने वहां कहा वहां उन्होंने आगे क्या कहा था:

[अनुवाद]

''केवल उसी समय मैं सुहैल हिन्दुस्तानी से मिला था। मैंने संसद कार्यालय में श्री आडवाणी जी को सावधान किया था- मत करिये, परंतु वे चुप रहे।''...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : किस समाचार पत्र में...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह 23 अगस्त, 2009 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ था। कृपया इसे श्री जसवंत सिंह से पूछे कि उन्होंने ऐसा कहा था, अथवा नहीं कहा था, मुझसे नहीं...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, ये कुछ भी बोल दें, क्या वह इसे प्रमाणित कर सकते हैं और सभा पटल पर रख सकते हैं? इसे सदन में जारी कीजिए, क्योंकि यह बुनियादी संस्था हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, सुषमा स्वराज जी ने सवाल अपने अंदाज में उठाया। उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, मैं जानता हूं। कई बार तथ्यों के बिना भी इतनी जबरदस्त बात कहती है कि लगता है कि बस यही सही है। यह मैं जानता हूं और यह मैं आज से नहीं जानता, 40 वर्षों से जानता हूं, लेकिन आज वे फिर उसी पुरानी फितरत पर आ गई। जब प्रधानमंत्री पर लांछन लगा रही हैं तो ये फिर उस वक्त 1984 की याद हिन्दुस्तान के सभी लोगों को दिलाना चाहती हूं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने यहां खड़े होकर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वी रिग्रेट दिस और मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ा रोल सिख समुदाय का रहा है। सब बातें वे मानते हैं। 1984 का एक धब्बा लगा था, उसको हम भूल नहीं सकते, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी चर्चा बार-बार आज की इस डिबेट में करके क्या हम उनसे यह तवक्को करते हैं, हम उनसे यह उम्मीद करते हैं। अगर यह सवाल प्रधानमंत्री के वक्तव्य से पैदा होता है...*(व्यवधान)* अगर उनके वक्तव्य से ये सवाल पैदा होते हैं तो उनका जवाब कोई क्या देगा। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। मैडम, इसके अलावा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अजनाला जी, बैठ जाइये।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पवन कुमार बंसल : आज एक सवाल और श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने पुरानी बात का जिक्र करते हुए किया कि जब 10 मैम्बर्स उस वक्त एक्सपैल्ड हुए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हरसिमरत कौर जी, बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे उस वक्त एक मुश्किल काम सौंपा गया था। मुझे एक मुश्किल काम सौंपा गया था कि उस कमेटी की अध्यक्षता मैं करूं। आपके सदस्य भी उसमें थे। मुझे नहीं याद कि आपने किसी वक्त भी कहा हो कि इनके खिलाफ यह एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आज आप यह बात कहना चाहते हैं, जैसे दूसरी बातों में आप कर जाते हैं, उस बात में भी आप उस वक्त, उस माहौल में जो देश में एक माहौल बना हुआ था, उसके कारण आप भी उस समय चुप रह गए और आज उस बात का जिक्र करते हैं कि उन दस लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, वह गलत हुई?...*(व्यवधान)* मैं अपनी उस बात पर प्रसन्नता जाहिर नहीं करता, कोई क्रेडिट उसका नहीं लेता कि हमने को बहुत बड़ा महान काम किया था।...*(व्यवधान)* लेकिन आज इस डिबेट में फिर यही कह रहा हूं कि इस डिबेट में वह मुद्दे लाए जाएं, जो प्रधानमंत्री की इस बात से नहीं निकलते। आपने जो नोटिस दिया है, वह है, *[अनुवाद]* प्रधानमंत्री के दिनांक 18 मार्च, 2011 के वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है, वह है,

[हिन्दी]

उससे ही आप बातों का जिक्र करते हैं। उसमें से उस बात को बार-बार उठाने का जिक्र कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपने जब अपना पांचवा सवाल किया था,...*(व्यवधान)* मैं आपको स्पष्ट तौर पर एक बात याद दिला देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आप उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन मत करिए।...*(व्यवधान)* जो आप बात करते हैं, आपने जो कहा, मैं उन पांच सवालों का भी जिक्र करना चांहूगा, जो आपने कही और बिल्कुल वही बात अलग-अलग कही, मैं उन पर आना चांहूगा।...*(व्यवधान)* लेकिन आप बेनेफिशियरीज की बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप बात कर रहे थे कि कैसे आपने सरकार बनायी?...*(व्यवधान)* क्या यह अधिकार नहीं? अगर आप विश्वासमत लेते हैं, जो आपके साथ उस बात पर आपको रिपोर्ट देते हैं, वह नहीं चाहते कि देश में अस्थिरता हो, वह नहीं चाहते कि देश में अराजकता हो, अगर आपका वह विचार था, श्री मुलायम सिंह यादव जी का नहीं था। ...*(व्यवधान)* इनका नहीं था।...*(व्यवधान)* यह बात के लिए साथ रहे।...*(व्यवधान)* सरकार को बहुमत मिला।...*(व्यवधान)* सुषमा जी, मैं यहां यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि समय-समय पर बहुत पत्थर आप फेंकते हैं।...*(व्यवधान)* बहुत पत्थर फेंकते हैं और हमारी लीडरशिप उन पत्थरों को इकट्ठा करती है।...*(व्यवधान)* उनको उठाकर हम आप पर नहीं फेंकते।...*(व्यवधान)* उन पत्थरों से एक ऐसी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं,...*(व्यवधान)* एक ऐसा सेतु बनाना चाहते हैं, आप जो हमारे बीच में दूरियां पैदा करते रहते हैं, वे दूरियां पैदा न हों।...*(व्यवधान)* यह कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* देश में सभी की जिम्मेदारियां हैं। विपक्ष की अपनी जिम्मेदारियां हैं और हमारी आपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारे यहां समय-समय पर क्रूा हो रहा है?...*(व्यवधान)* हर बात तें, आपने जिन-जिन बातों का जिक्र किया, मैं सभी का जिक्र नहीं करना चांहूगा लेकिन फिर मुझे उन पर आना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* आपने कहा कि यह सबसे बड़ा घोटाला देश में हो गया है।...*(व्यवधान)* कौन कहता है? दूतावास में अमरीका का एक अमरीकी चार्ज द'अफेयर्स कुछ लिखता है, उसको आप एवीडेंस मानते हैं। एक सुनी-सुनायी बात को आप मानते हैं कि यही सब कुछ है।...*(व्यवधान)* आप अपनी बात नहीं सोचना चाहते, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते,...*(व्यवधान)* कोई तर्क नहीं जानते,...*(व्यवधान)* उसमें कुछ नहीं जानते।...*(व्यवधान)* आप कहते हैं कि आपने फैसला कर लिया कि प्रधानमंत्री आरोपी हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपने प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगाए हैं, क्योंकि उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका नाम है, वह हमेशा उनसे आगे बढ़कर निकले हैं, मजबूत बनकर आए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे हमेशा से ही सभी दोषारोपणों में सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, सभी प्रकार के दोषारोपणों से जो भी आरोप आपने समय-समय पर लगाए हैं...*(व्यवधान) [हिन्दी]* मुझे यह भी याद है, आप कोई भी बात कहते हैं, आडवाणी जी उस दिन यहां खड़े हुए थे।...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : प्रधानमंत्री पर कोई आक्षेप नहीं लगना चाहिए, वह तो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : इन्होंने किसी लाठी चार्ज का जिक्र किया था। इन्होंने यह कहा था कि मैंने इतनी बर्बरता के साथ होते हुए कभी कुछ नहीं देखा।...*(व्यवधान)* बाद में निकला क्या था, कुछ भी नहीं। अगर आप इस ढंग से बातों को बढ़ाकर बात करना चाहते हैं,...*(व्यवधान)* आज के दिन, शायद आपको एक लगेगा कि वह आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन इस देश के लोग सूझबूझ वाले हैं और समझते हैं।...*(व्यवधान)* वह इन बातों पर आकर कुछ तय नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* अगर आप विकीलीक्स का जिक्र करना चाहते हैं,...*(व्यवधान)* आप उन पत्राचार के समाचारों के बिना पर इल्जाम लगाना चाहते हैं।

तीन शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे थे *[अनुवाद]* अटकलबाजी पूर्ण गैर सत्यापित और सत्यापित न होने लायक *[हिन्दी]* आप मुझे सचमुच बता दीजिए कि क्या आपने वेरिफाई किया है? क्या आप वेरिफाई कर सकते हैं? अगर आप उनका जिक्र हो रहा है *[अनुवाद]* आप इसे यहां सत्यापित क्यों नहीं करते?*[हिन्दी]* किस बात पर मैडम जी यह बात हो रही है? इतना बवाल उठाना, इतना उस पर माहौल बना देना और अगर आप मुझ से कुछ जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से मुद्दों पर सचमुच ही देश में लोगों का ध्यान उठा उसकी आवाजें आई वह मुझे याद है अच्छी तरह से मैं उधर बैठा था आप इधर बैठे थे, उस वक्त टेलीविजन के कैमरे में आ गया था, कौन सी पार्टी के अध्यक्ष थे, जिनको कैमरा पर ही पैसा लेते दिखा दिया था और किस बात के लिए वे कोई इम्दाद कर पाएं रक्षा खरीद में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल : यह किसने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम से कम भी नहीं। यह किसने कहा था।...*(व्यवधान)* आज असांजे को आप...*(व्यवधान)*, जब कि दूसरे देशों ने मैडम...*(व्यवधान)* विकीलिक्स की बात सिर्फ हिन्दुस्तान से संबंधित नहीं है यह बात दुनिया के बहुत देशों से संबंधित है। दूसरे देशों ने क्या कहा? इस पर दूसरे देशों की क्या रिएक्शन हुई? आपने जरूर पढ़ी होगी। हिन्दुस्तान के अलावा और आप के अलावा किसी और देश ने इस पर कोई बात नहीं उठाई। क्या कहा है उन्होंने कि आज के जमाने में हमें साइबर टेररिज्म का ध्यान रखना होगा। यह कहा गया है। साइबर टेररिज्म की बात कही गई है। मैडम, क्लासिफायड इंफॉरमेशन होती है। अगर किसी ढंग से असांजे को मिल गई तो उसके बाद आप असांजे को खुदा बना रहे हैं। अब जो असांजे ने कह दिया वह सत्य है और उसके मुकाबले जब आप हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री की बात, उनकी गरिमा की जिक्र करते हैं तो डा. मनमोहन सिंह की बात नहीं, वह हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री के पद की बात है।...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : किस नियम के अंतर्गत?

श्री निशिकांत दुबे : नियम, 353 *[हिन्दी]* यह बात जिसके बारे में ऐलिगेशन लगा रहे हैं, वे यहां के सिटिंग मेम्बर हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री पवन कुमार बंसल : प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी बैठा हो, उसको आप असांजे के बराबर ला कर खड़ा कर देना चाहते हैं। यह आप देश की सेवा कर रहे हैं। यह आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। आप क्यों भूल रहे हैं, उसके अलावा आप घेटालों की बात करते हैं, क्यों भूल रहे हैं आप कि पूरे देश में चर्चा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है? लेकिन आपके अध्यक्ष वहां कह रहे हैं कि गैर कानूनन नहीं कोई नैतिकता का सवाल हो सकता है। अगर नैतिकता का सवाल हो क्या फिर उनको चले नहीं जाना चाहिए? क्या आप में दम है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें? क्यों नहीं करें? क्या-क्या सवाल उससे उठते हैं, उसका जिक्र आज मैं इस मौके पर नहीं करना चाहता हूं। बहुत सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब किसी न किसी वक्त आपको देना पड़ेगा। मैडम, हमें यह आदत नहीं, मैंने पहले कहा कि एक-एक बात को उठा लें। आज मुझे कुछ बातों का जिक्र करना होगा। ऋषिकेश में क्या हो रहा है? आपने जाना है, कुछ वहां उत्तराखंड किसी-किस बात पर कौन-कौन सी कमेटी बनाई गई। उस जमीन का स्कैण्डल कौन सा हुआ है? उन स्कैण्डलस को आपने कभी जानने की कोशिश की। आप देश को जोड़ने की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : क्या हम राज्य सरकार पर चर्चा करें? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने राज्य सरकार का उल्लेख नहीं किया है। मैंने कुछ कहा है विशेषकर...*(व्यवधान)* मुझे यशवंत सिन्हा से यह सुनकर खुशी हुई...*(व्यवधान) [हिन्दी]* लेकिन मैंने जो कहा है आप उस बात पर उत्तेजित मत होइए, आप उस बात की जानकारी लेने की कोशिश कीजिए।बहुत बातें और हैं, उत्तेजित मत होइए,...*(व्यवधान)* मुझे मालूम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं इसकी जांच करवाऊंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : इनका यह व्यवहार स्वाभाविक है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं इसकी जांच करूंगी और इसे निकलवा दुंगी। यदि कुछ नियमों के विरुद्ध होगा, मैं उसे निकलवा दुंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : क्योंकि इनका विश्वास अदरवाइज़ यह है कि ये मानते हैं कि गॉयबेल्स हिटलर के एक प्रोपगंडा सैक्रेटरी थे, क्योंकि आज लगता है इन्होंने उनको मात दे दी।.. .*(व्यवधान)* इन्होंने गायवेल्स को ही मात दे दी है। और इसी बात पर लगे रहते हैं कि अपनी बात कहेंगे, क्योंकि अगर और कोई बात सत्य हो, उसे जानने की कोशिश नहीं करते।...*(व्यवधान)*

मैडम, मैं बात कर रहा था कि इनके मन में प्रधानमंत्री जी के पद के लिए क्या इज्जत है? किस हिसाब से इन्होंने सवाल कर डाले। जिस हिसाब से आडवाणी जी ने, जो यहां के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, तब से ये राजनीति में यहां थे, उन्होंने भी वही सवाल कर दिए क्योंकि सुषमा जी ने उन्हें दे दिए कि ये सवाल जरूर उठाने हैं।...*(व्यवधान)* उन सवालों में जो मन में आया, वह कह दिया और आज भी उसी बात पर लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

आप सफल विश्वात मत के मुख्य लाभभोगी है *[हिन्दी]* उससे पहले क्या कहा। *[अनुवाद]* सी.बी.आई ने मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध आप से अधिक सम्पत्ति के मामले में अपना शपथपत्र बदल दिया है। सवाल उसके बाद किए जा रहे हैं।...*(व्यवधान) [अनुवाद]* क्या यह आपकी अंतरात्मा पर कभी बोझ डालता है। वे राष्ट्र के अंतविवेक के रक्षक हैं। मैं जानता हूं कि वे इस मामले पर एकाधिकार रखना चाहते हैं। *[हिन्दी]* इस ढंग से प्रधानमंत्री जी से सवाल किए जाएं और लोगों तक पहुंचाए जाए, *[अनुवाद]* संकट का वातावरण बनाया जा रहा है। *[हिन्दी]* आपने एक बार बहुत सही कहा था कि आज के दिन चार के चार स्तंभ एक स्ट्रैस पर हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उसे और बढ़ा रहे हैं। उस पर और ज्यादा लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

चाहे जो कुछ, उन्हें इस जहां में होने वाली सभी संभव बुराई के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाना है। *[हिन्दी]* उस स्टेटमैंट को, जिसे आपके कहने पर प्रधानमंत्री जी ने यहां एकदम वह वक्तव्य दिया और मैंने कहा था कि गलती शायद यही है कि वह आपको नहीं दिखाया, क्योंकि आपकी मान्यता आज भी यह है कि लोकतंत्र में यह कोई बात नहीं कि एक सरकार जीतकर आती है, होगा वही जो हम करेंगे। होना वही चाहिए जो हम करेंगे, हम चाहेंगे। उसके लिए इंतजार कीजिए। समय बार-बार आता है। अगर लोगों ने भेजा है, तो उनकी राय की कद्र कीजिए। उस वक्त ये बातें कहिए। लगातार ये बातें कहते रहना शोभा नहीं देता।. ..*(व्यवधान)*

मैडम, मैं सिर्फ एक चीज और कह देना चाहता हूं, बार-बार जिक्र नहीं करूंगा। फिर वही बात, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप तर्क बहुत शानदार देना जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया इस मामले की मुख्य बात यह है, जैसा कि मैंनें पहले भी पढ़ा है...

[अनुवाद]

''मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या सरकार से कोई भी व्यक्ति जुलाई माह के दौरान हुए विश्वास मत के लिए किसी प्रकार के अवैध कार्य में शामिल नहीं हैं....''

[श्री पवन कुमार बंसल]

[हिन्दी]

उन्होंने यह कहा। उसके अलावा क्या उन्हें और कुछ कहने का अधिकार नहीं था? क्या उन्हें यह याद दिला देने का अधिकार नहीं था कि यहां उसके बाद एक और चुनाव हुए थे? आप देखिए कि इसके आगे क्या कहा।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्यों हारे?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप यहां बिहार का जिक्र कर रहे हैं। अभी तो प्रान्तों का जिक्र नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा था। किस जिक्र में यह बात हुई और कितने शानदार तरीके से सुषमा जी ने इसका और मतलब बना दिया। *[अनुवाद]* मुझे इस बात की निराशा है कि विरोधी दल के सदस्य यह भूल गये कि इसके बाद क्या हुआ। लोक सभा की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव हुआ और हम लोग और अधिक सदस्य संख्या के साथ लौटे।

[हिन्दी]

इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कहा है?...*(व्यवधान)* आप उनको यह भी कहने का अधिकार नहीं दते कि हमें लोगों ने यहां इतनी सीटें देकर भेजा है और उससे आप यह मतलब निकालते हैं।...*(व्यवधान)*

मैंडम, उससे यह मतलब निकाला जाता है, अगर मैं उसे बिल्कुल उसी फार्म में रखूं, कि किसी एक इंसान पर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। वह चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, तो आकर यह कहे कि चूंकि मैं चुनाव जीत गया, मेरा मर्डर का केस खत्म कर दो।...*(व्यवधान)* क्या आप यह कह रही हैं?...*(व्यवधान)* क्या आप यह कह रहे हैं?...*(व्यवधान)* यह नहीं कहा।...*(व्यवधान)* यह नहीं कहा।...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि यह नहीं कहा।...*(व्यवधान)* आपकी आदत है।...*(व्यवधान)* मैडम, मैं फिर वही बात कहता हूं। आपकी आदत है कि जो भी कोई चीज हो, उसे तोड़-मरोड़ दें। उसका गलत मतलब निकालें और यही मैं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* शायद तीसरी बार मुझे इतने थोड़े समय में कहना पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* आप सभी चीजों पर अपना एकाधिकार रखना चाहते हैं। *[हिन्दी]* सच्चाई आप जो बोलें, उसके मुकाबले की किसी की सच्चाई नहीं है। जो धर्म की बातें आप मानते हैं, कोई मानता नहीं। देश में क्या हो रहा है, उसका जिक्र मैं आज इस मौके पर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विषय और भी हैं।...*(व्यवधान)* मालेगांव ब्लास्ट वगैरह की चीजें मैं नहीं लाना चाहता।...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ इसी बात तक सीमित रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* सच्चाई फिर कड़वी है। मुझे इसका उल्लेख न करने दें। *[हिन्दी]* लेकिन मैं आपसे सिर्फ यह अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री की एक स्टेटमैंट लोगों के सामने है। सभी अपना-अपना मतलब निकाल लें कि उससे क्या निकालते हैं। लोगों के सामने है। पार्लियामैंट में आपके कहने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्टेटमैंट यहां आकर एकदम दी। उसके अपने-अपने मतलब निकाले जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। वे तर्क को बिल्कूल भी रस्वीकार नहीं करते हैं। *[हिन्दी]* आप उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने यह कहा, ऐसा कहा। वह सिर्फ दो शब्दों में है। मैं जानता हूं आपके व्यवहार से, अगर उन्होंने सिर्फ पिछली तीन लाइनों की स्टेटमैंट दी होती, तो आप उस पर भी हल्ला करते। ...*(व्यवधान)* अगर उन्होंने सिर्फ यही किया होता, यही कहना था। इसमें आप कहां कहते हैं...*(व्यवधान)* इससे आपको कहां मिलता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तो पता नहीं। यह कहां कहा है? क्योंकि आपने मान लिया। वही तो मैं कह रहा था।...*(व्यवधान)* आपका विश्वास है कि एक बात को बार-बार दोहराते रहें, दोहराते रहें और आखिर में लोगों को सत्य लगना शुरू हो जायेगा।...*(व्यवधान)* गॉयबल्स और आपमें अंतर क्या है?...*(व्यवधान)* यही मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे आज यही अपील करना चाहता हूं।. ..*(व्यवधान)* बातें हैं, आपने सवाल उठाये, जब मैंने श्री जसवंत सिंह का जिक्र किया, मेरे पास वह भी है, उनकी स्टेटमैंट पूरी की पूरी है। मुझे विश्वास है कि अगर आप उनसे जानेंगे, तो मेरे पर वे सवाल आप नहीं उठायेंगे।

मैं आखिर में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आपकी भी कुछ कम्पलशन्स होंगी। एक अखबार ने, किसी ने ठीक लिखा था, अखबारों का जिक्र आप करते हैं, मैं नहीं करता, मुझे मालूम नहीं, क्या कहा था? सुषमा जी, दूसरी तरफ से उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक जेएस पिंग पोंगे चल रहा है।...*(व्यवधान)* यह कहीं आया था। यह मालूम नहीं, अभी

मैं शब्द सीख नहीं पाया कि जेएस क्या है?...*(व्यवधान)* लेकिन जेएस पिंग-पोंग चल रहा है। उस पिंग-पोंग को आप देश का एक पिंग-पोंग मत बना दीजिए। देश के लिए, देश से हमें कुछ इंसाफ करना है।...*(व्यवधान)* आपके बीच में अंदरूनी बातें हो सकती हैं। उसके कारण आपके कम्पलशन्स को हम समझ सकते हैं। वे अक्सर होती हैं।...*(व्यवधान)* सभी पोलिटिकल पार्टीज की होती हैं, लेकिन बहुत मुद्दे हैं, जैसे आप अक्सर कहते हैं, हमें उससे बहुत ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* यह अधिकार विपक्ष का है...*(व्यवधान)* कि अगर मौके की सरकार की कोई एक मामूली सी भी गलती हो, उस गलती को पकड़िए। उस गलती को लोगों के बीच में लेकर जाइये, आप अपनी आवाज उठाइये।...*(व्यवधान)* लेकिन यह मत शुरू कर दीजिए कि जो आप सोचते हैं, वही सत्य है। इस कारण हम जो कह दे, वह ठीक है। हम जो लिख दें, हम जो बात कह दें, वह बात सत्य है। ऐसा नहीं चल पायेगा। यही आपका एक प्रयास इसमें रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक पारदर्शिता के साथ इतने वर्षों में अपना काम किया है। आज देश का नाम उन्हीं के कारण दुनिया भर में ऊंचा है।...*(व्यवधान)* अगर समस्या है. ..*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* अगर कोई समस्या है, समस्या हमारे अंदर है। समस्या वहां है। *[हिन्दी]* मुश्किल है समझ लेना कि इतने ढंग से वर्ष 2004 में कैसे आ गये?...*(व्यवधान)* उसके बाद वर्ष 2009 में कैसे आ गये? वे इस कारण आए, क्योंकि सरकार ने काम किया था, क्योंकि लोगों के बीच में नाम गया था, क्योंकि लोगों ने उनकी लीडरशिप को माना था।...*(व्यवधान)* इस कारण दूसरी बार आये। समय बदलता रहता है।

मैं यह नहीं कहता कि हमेशा हम आयेंगे, लेकिन एक माहौल, एक प्रिसिडैंट, परम्पराएं तो ऐसे बना दीजिए कि पार्लियामैंट चले, वहां काम हो।...*(व्यवधान)* कोई भी बात हो, उसमें पार्लियामैंट एकदम एडजर्न होगी, उसमें पूरा का पूरा समय निकल जाएगा और यह कहा जाएगा कि जितनी देर तक यह नहीं होगा, पार्लियामेंट नहीं चलेगी।...*(व्यवधान)* क्या कभी ऐसा सुनने में आया है कि *[अनुवाद]* जब तक यह स्वीकार नहीं किया जाएगा, संसद नहीं चलेगी। क्या कभी ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा पहले हुआ है? क्या ऐसा कहीं हुआ है? *[हिन्दी]* इस कारण मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आज हम इसके बाद इस बात को भूल जाएं।...*(व्यवधान)* असांजे को आप महत्व मत दीजिए।...*(व्यवधान)* उनको महत्व मत दीजिए। वे उनकी अपनी अनवैरिफाइड, अनअथेंटिकेटेड इनफार्मेशन्स हैं, उन्होंने ले ली,...*(व्यवधान)* उनका अपना व्यापार है, उनका काम उस पर चलना है और उसी के कारण बाहर वाले देशों को अभी मैं जो शब्द दोहरा रहा हूं...*(व्यवधान)* कहना पड़ा कि *[अनुवाद]* हमें आज इस साइबर आतंकवाद से सावधान और सचेत रहना चाहिए। *[हिन्दी]* आप उसका शिकार हो सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, . ..*(व्यवधान)* उसमें एक शब्द भी कहीं ऐसा नहीं है जो कंट्राडिक्टरी हो, जो उनके खिलाफ हो जो उस रिपोर्ट में कहा है...*(व्यवधान)* अपने ढंग से बात कहनी है।...*(व्यवधान)* क्या शब्दों की च्वाइश भी हम आपसे लेते?...*(व्यवधान)* क्या प्रधानमंत्री जी आपसे पूछते कि मुझे यह वक्तव्य देना है, आप बता दीजिए क्या कहें?...*(व्यवधान)* यदि ऐसा नहीं किया, नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)* इसके बाद मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि हम आगे बढ़ें।...*(व्यवधान)* बहुत से अन्य मुद्दे हैं लेने के लिए, हमारे पास बहुत से विधेयक थे।...*(व्यवधान)* उन विधेयकों पर चर्चा नहीं हुई।...*(व्यवधान)* कल इतना महत्वपूर्ण विषय था - वित्त विधेयक। आपने वाकआउट कर दिया।...*(व्यवधान)* क्यों वाकआउट किया?...*(व्यवधान)* यह कह कर वाकआउट किया कि पहले इस विषय को लेंगे, फिर कुछ और होगा।...*(व्यवधान)* फिर वही बात है कि क्या लोकतंत्र की भावना ऐसी होती है?...*(व्यवधान)* इस ढंग से हमें यहां कार्यवाही करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो भी हुआ, आपने पहले इस सेशन के शुरू में कहा था और मुझे भी इस बात का अफसोस था। कल आडवाणी साहब ने खड़े होकर कहा था कि पिछला शीतकालीन सत्र इस कारण चला गया क्योंकि हमारे किसी के बीच में, आपकी स्पीच को बाधित किया, रूकावट डाली गयी।...*(व्यवधान)* इसको आप जानते हैं।...*(व्यवधान)* बार-बार अब तक कितना करते रहे हैं आप।...*(व्यवधान)* अभी भी आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : आपका जवाब दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* उसे भी याद कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, लोकतंत्र में नोंक-झोंक चलती रहती है, थोड़ी बात आपने कही, थोड़ी इधर से कह दी, इसके कारण एक दिन की बात मान सकता था, लेकिन इसके कारण आपने पूरा सेशन नहीं चलने दिया।...*(व्यवधान)* पूरा सेशन आपने उड़ा दिया।...*(व्यवधान)* लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए हमारे प्रति इतना भारी शिकवा है, तो मैं समझता हूं कि हमें उसके लिए जरूर मुआफी मांगनी चाहिए कि ऐसा शिकवा नहीं होना

[श्री पवन कुमार बंसल]

चाहिए।...*(व्यवधान)* ऐसी हमारी कोई राय कभी नहीं थी। हम सभी चाहते हैं कि हाउस चले, आइए अब तो मिलकर आगे बढ़ें इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, इस चर्चा का जवाब शाम 4 बजे दिया जाएगा। यह सभा 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.19 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

'वोट के बदले नोट' के भुगतान पर समाचार-पत्र के रिपोर्ट के संबंध में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य—*जारी*

सभापति महोदय : हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इस विषय पर बहस करने के लिए जो सबसे ज्यादा आतुर थे, वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह बहस जिस आधार पर हो रही है, विकीलीक्स के आधार पर हो रही है और विकीलीक्स के जिस आधार को बनाकर बहस हो रही है, हम उसे नहीं मानते। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल था, हमारे सामने एक समस्या थी और वह समस्या थी देश। यूरेनियम हमारे देश के पास नहीं है। यूरेनियम के बिना परमाणु शक्ति नहीं बन सकती और परमाणु शक्ति के बिना हम पूरे देश को बिजली नहीं दे सकते। बिजली की कितनी आवश्यकता होती है और बिजली से क्या क्या नहीं होता? कोई भी काम चाहे हिन्दुस्तान का हो या दुनिया का हो, बिजली के बिना विकास नहीं हो सकता। विकास बिजली से जुड़ा हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी से कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं मिला, मैं दावे के साथ कहता हूं।

जहां तक बिजली का सवाल है, सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है, परमाणु शक्ति की आज देश को आवश्यकता है। एटम बम चारों तरफ बन रहे हैं। हमारी सीमा पर खतरा है। वहां सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। मिसाइल लगाई जा रही हैं, हमारे देश के तमाम प्रदेशों को दूसरा देश अपने नक्शे पर दिखा रहा है। ऐसे में हमें विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए भी यूरेनियम चाहिए। यह बात सारा हिन्दुस्तान जानता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यूरेनियम नहीं है और यूरेनियम के बिना हम बिजली पैदा नहीं कर सकते और किसान को आज हम बिजली नहीं दे सकते। बिजली के बिना किसान पैदावार नहीं बढ़ा सकते। हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, जमीन सिकुड़ रही है और हमें अन्न की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से विचार किया और हमने ही विचार नहीं किया, जो आज हिन्दुस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक और हिन्दुस्तान के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, उनके पास गये और हमने दो साथियों के साथ बात की। सवाल यह है कि सदन में हम क्या करें? हम सलाह चाहते हैं, आपने मेरे साथ काम किया है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी को क्या निर्णय लेना चाहिए? उन्होंने कहा कि राजनीति से मुझे कोई वास्ता नहीं है। आप चाहे इधर रहिए या उधर रहिए। जहां तक परमाणु शक्ति का सवाल है, यूरेनियम का सवाल है, यह समझौता अमेरिका से हो रहा हो या किसी से हो रहा हो, उसमें हम कह सकते है कि यह देश के हित में है। इसलिए हमने देश को सर्वोपरि माना है, अपनी पार्टी को नहीं माना है और यह सही है कि उस निर्णय से हमें राजनैतिक लाभ नहीं हुआ बल्कि घाटा हुआ है। वह भी मामूली घाटा नहीं हुआ है। हम इतने निराश तो नहीं हैं कि जीवन में हम वह घाटा पूरा न कर पाएं। अगर हमने इनकी सरकार को न बचाया होता तो आज देश में हमें राजनैतिक स्तर पर लाभ होने वाला था

जो नहीं हुआ। हमारी समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन दिया था, वह इसीलिए दिया था क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया था कि हमारे देश के पास यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम के बिना बिजली पैदा नहीं हो सकती, परमाणु शक्ति नहीं बन सकती और हम देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। चारों तरफ एटम बम बन रहे हैं। देश की सुरक्षा और देश के विकास का सवाल था और हम कई बार सरकार में रहे हैं। जहां जाते थे, वहीं लोग बिजली-बिजली करते थे और अभी तक बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इस आधार पर समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था।

जहां तक विकीलीक्स का सवाल है, चौधरी अजीत सिंह ने वोट नहीं दिया। जब चौधरी अजीत सिंह ने वोट नहीं दिया है, सरकार नहीं बचाई है, सरकार के खिलाफ वोट दिया है तो इसके आधार पर, इसकी रिपोर्ट पर बहस करने का क्या मतलब है?. ..*(व्यवधान)* इसीलिए हम आज की बहस पर ज्यादा लंबा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहते। पहले तो आधार ही गलत है कि जो यह सूचना दी है, जिसने दुनिया में यह सूचना दी है, मध्य एशिया को बर्बाद कर रहा है। अब उस आधार पर इतनी बड़ी बहस हो। मैं इतना बड़ा प्रमाण दे रहा हूं कि अजीत सिंह ने वोट दिया है, सरकार के खिलाफ, उनका भी नाम आ गया। इस बहस का कोई आधार नहीं है। हम चाहते हैं कि एक दूसरे पर लांछन न लगाकर देश को आगे संभालें। हमने समर्थन दिया था, हमने राजनीतिक नहीं बल्कि देश को सर्वोच्च मानकर समर्थन दिया था।

सभापति महोदय : श्री दारा सिंह चौहान।

...(व्यवधान)

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : भारतीय जनता पार्टी के सीनियर में से एक भी नेता नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया गरिमा बनाए रखे। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : आपकी मिलीभगत से हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया सदन में शांति बनाए रखे। कृपया गरिमा रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, मुझे इस पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 17 मार्च को विकीलीक्स का जो बयान हिंदू अखबार में छपा था, जिस बयान को लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया, हम उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। चूंकि 17 तारीख को पार्लियामेंट में सवाल उठा। सरकार बचाने, गिराने, किसने बचाया, कैसे बचाया, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसने क्या पाया, कैसे बचाया।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान : मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि इसमें एक मंत्री का एक सवाल आ रहा था, राज्य सभा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री दारा सिंह चौहान]

के सदस्य का नाम इस बयान में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी, यह सही बात है कि राज्य सभा के सम्मानित सांसद उसमें महारथी के रूप में काम कर रहे थे। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं। हमारी पार्टी, हमारी नेता का साफ कहना है कि विकीलीक्स ने जो सवाल किया है, जो बयान दिया है, उससे दो सवाल खड़े हो जाते हैं कि या तो बयान सही है या तो गलत है। यह या तो असत्य है या सत्य है। अगर विकीलीक्स का बयान असत्य है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : महोदय, तहलका में भारतीय जनता पार्टी का नाम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया परेशान न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान : मैंने क्या गलत कहा है? मैं तो उस बयान की बात कह रहा हूं कि उस बयान ने दो सवाल खड़े कर दिए। या तो बात सही है, या तो बात गलत है, दो में से एक ही बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गलत और सही दोनों हों। अगर बयान गलत है। वैसे मैं देश के प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी पर कोई अविश्वास नहीं करता, वह ईमानदार आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यह निसंदेह है कि देश के प्रधानमंत्री जी एक ईमानदार आदमी हैं। लेकिन अगर वह बयान गलत है तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यदि वह बयान सच है, जिसके कारण देश की राजनीति में भूचाल आ गया है, इस भूचाल को खत्म करना है, तब उस भ्रष्टाचार को लेकर, चूंकि वह भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल है, उसे खत्म करना चाहते हैं तो विकिलीक्स के उस बयान की जांच होनी चाहिए। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है, मैं किसी पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच में अगर जो सही पाया जाए तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसकी वजह से देश की राजनीति में जो भूचाल आया है, उसे खत्म किया जाए। हमारी पार्टी का यही कहना है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदय, विकिलीक्स को जो नया खुलासा हुआ है, आज सुबह से उस पर बहस हो रही है। चार वक्ता इस पर बोले हैं। मैं उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं आपके माध्यम से देश से यह निवेदन जरूर करूंगा कि ईमान उठ रहा है और यह ईमान यहां ऐसी बहस में तब्दील हुआ है कि इस बहस से यहां कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देश की जनता इस बहस को सुन रही है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा कि इसके पहले भी विकिलीक्स के बयान आये हैं, लेकिन मैंने उन पर यकीन नहीं किया। जब यहां विश्वास मत था तो उस पर जो घटनाक्रम हुआ और उसके बारे में हिन्दू ने जो लिखा...*(व्यवधान)* विजय बहादुर जी, आप भी गजब आदमी हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें। आपस में बातचीत न करें। कृपया टोका-टाकी न करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं तो चुप हूं, लेकिन यदि मान लो कहीं चर्चा हो गई तो मैं क्या करूंगा। यह बात जरूर है कि इस नये खुलासे को मैंने अपनी आंखें से यहां जरूर देखा है। मैं उसके लिखे पर यकीन नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां जिस तरह से 19 सांसदों ने पाला बदला तो दलबदल का जो कानून है, उसमें आदमी सिर्फ पैसे से दलबदल करता है, यह बात नहीं है। दलबदल कानून में मंत्री पद का लालच हो सकता है। पार्टियों में तानाशाही है, आदमी दिक्कत में है, तकलीफ में है, इसलिए भी वह पाला बदलता है कि टिकट भी श्योर हो जाए और किसी बड़ी पार्टी की संस्था है जैसे इनकी वर्किंग कमेटी है, पार्लियामेंट बोर्ड है,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारे यहां भी है। उस लालच के चलते भी आदमी जाता है। कुछ लोग बोल रहे थे, वे अभी यहां नहीं है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन दल-बदल कानून में यह लिखा हुआ है कि दल बदलने के क्या-क्या कारण होते हैं। सिर्फ पैसा ही दल-बदल का कारण नहीं होता है। जिस लोकतंत्र में ईमान उठ जाए, जिस समाज में ईमान उठ जाए वह लोकतंत्र आज पैसे से चल रहा है। दक्षिण भारत के चुनाव में, एक विधान सभा में और आपके गोवा में तो गजब ही हो गया है। वहां साईकिल, रेडियो और टीवी दिए जा रहे हैं। ऐसा मुझे चुनाव आयोग ने बताया है। जितनी भी योजनाएं आप यहां से गरीबों के नाम पर भेज रहे हैं वे सारी योजनाएं और पूरा पैसा पानी में जा रहा है। सर्वोच्च सदन में भी ईमान नजर नहीं आ रहा है। बहस सिर्फ यह है कि तू यह है, मैं यह हूं। इस तरह की बहस यहां पर हो रही है। मैं इस मामले पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मामला हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी पार्टी के दो सांसद गए हैं। एक पैसे से और दूसरा बगैर पैसे से गया है। एक टिकट के लालच में गया है। लेकिन वे दोनों हार गए हैं। उनका नाम लेने से क्या फायदा। एक है दक्षिण का और एक उत्तर का है। एक विंध्या के नीचे वला है और एक विंध्या के ऊपर वाला है। हमारे यहां जो एमपी है उसने मुझे खुद बताया। यदि कोई जांच एजेंसी हो तो मैं उसको लेकर चल सकता हूं कि उसे पैसा मिला है। वह पैसे के लालच में गया है। उसे मालूम था कि उसका टिकट नहीं होगा। मैंने उसको बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उसको शक हो गया था कि उसे टिकट नहीं मिलेगा। वह थोड़ा बूढ़ा आदमी है। उसने सोचा कि टिकट तो मिलेगा नहीं और ईमान तो इस देश में उठ गया है, इसलिए जितना माल मिलता है बटोर कर घर को चलें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (उदयपुर) : ईमान तो है, ऐसी बात नहीं है कि ईमान न हो।

श्री शरद यादव : हां चोरी का ईमान है। प्रधानमंत्री जी का बयान मेरे पास है। मैंने कई बार उसको पढ़ा है। प्रधानमंत्री कोई हो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वह इस देश की सबसे बड़ी संस्था का आदमी है। हम विरोध में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे सरकार में हों उसका इकबाल यदि खतम हो जाए तो फिर देश में राज अस्त-व्यस्त हो जाता है। आजकल गोली से राज नहीं बनता है। बोली से राज बनता है और बोली सच्ची चाहिए। जब बोली असत्य होती है तो फिर ईमान और बेईमानी का राज होता है। यहां भी यही हाल हो गया है। यूपीए-I भी था, जिसमें वामपंथी भी थे। यकीन मानिए कि इनके चलते आप भी सुकुन में थे और सरकार भी इकबाल के साथ चल रही थी। लेकिन इनको आपने धक्का मारा दिया क्योंकि आप न्यूक्लियर डील करना चाहते थे। आपने न्यूक्लियर से बिजली बनाने का सपना देखा था। आप आज जापान की स्थिति देख रहे हैं? पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा था, आज बम जमीन से उठ कर आपके विकास का नया तरीका हो गया है। मुझे लगता है कि डॉ. लोहिया ने एक बार कहा था कि या तो दुनिया में गांधी रहेगा या तो दुनिया में गांधी रहेगा या दुनिया में बम रहेगा। दोनों चीजों में से एक चीज रहेगी। सच्चे आदमी की यहां कोई पूछ नही होती है। यहां तो गोल-गोल आदमी चाहिये, गोल-गोल आदमी का काम होता है...*(व्यवधान)* जापान में सुनामी से न्यूक्लीयर प्लांट्स दुनिया के 22 देशों के लिये दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में जैतापुर में कुछ नहीं होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारे यहां जैसा फालतू इंतजाम है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। कह रहे हैं कि ठीक रहेगा। कपिल सिब्बल साहब बैठे हुये हैं, ये उनकी ऐसी वकालत करेंगे कि ये अमरीका भाग जायें और पूरा देश चला जायेगा। सवाल यह है कि इस बयान से पहले 2जी स्पैक्ट्रम पर प्रधानमंत्री जी का बयान हुआ था। वह बयान निर्गुण था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि असत्य था। महात्मा जी कहते थे कि सच मेरा परमात्मा है। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बार मिला और उन से यह कहा था कि आपकी पूरी उम्र गुजर गई है साख ही आपकी सब से बड़ी चीज है। कांग्रेस पार्टी ने आपकी साख पर ही आपको प्रधानमंत्री का पद दिया है। पद आते हैं, जाते हैं लेकिन साख को बनाकर रखना चाहिये। कबीर ने कहा है:

झीनी-झीनी बीनी चदरिया,
दास कबीर जतन से उड़ी,
जस की तस रख दीनी चदरिया।

परमात्मा ने मानस तन बनाया है। हमें इसे इस तरह जीना चाहिये कि इस पर कोई दाग न लग जाये। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे आदमी हैं जिन पर कोई दाग नहीं था। सीवीसी के मामले में आपका बयान आया। हम उसे लेकर रोयें या हसें, हमें समझ में नहीं आता है। आज से सैंकड़ों साल पहले चाणक्य ने कहा था कि जो राज करने वाला है, राजा है, वह कहे कि मुझे मालूम नहीं, मैं गुमराह हो गया तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा जिसे मैं नहीं कहना चाहता लेकिन कहा कि गर्दन पर हाथ रखकर उसे

[श्री शरद यादव]

हकाल दिया जाता है। आप प्रधानमंत्री हैं लेकिन सीवीसीं का इतना बड़ा मामला कोर्ट कर रही है। इस सदन को इतनी शक्ति मिली है, इसे रखने की क्या जरूरत है? यह अकेले प्रधानमंत्री का मामला नहीं है, यह हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। हम 2जी स्पैक्ट्रम का मामला यहां दो साल से उठा रहे थे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, अदालत ने किया। अदालत की ताकत से वे लोग जेल में बंद हैं। एक आदमी हसन अली है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस आदमी को बंद करो। कानून में कोई चीज ढूंढने के लिये किताब निकालो। मैं वह नहीं कहता क्योंकि राजनैतिक लोगों पर कई तरह के राजनैतिक आरोप लग जाते हैं। चोर या बदमाश सोचता है कि पहले अगर इन लोगों का नाम ले लो तो वह बच जाता है। मैं उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के तीन वक्तव्य हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापति जी, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। आप छोड़िये क्योंकि आपको समय की जरूरत है। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : महोदय, कंक्लूड करने दीजिए।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने कंक्लूड करने के लिए मना नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : अध्यक्ष महोदय, श्री शरद यादव एनडीए के नेता हैं। इन्हें भाषण के लिए कुछ और समय दिया जाए।...*(व्यवधान)*

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मंगली लाल मंडल (झंझारपुर) : हम हाउस नहीं चलने देंगे।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.46 बजे

इस समय श्री मंगनी लाल मंडल, श्री रमेश बैस और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये ओर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.47 बजे

इस समय श्री मंगनी लाल मंडल, श्री रमेश बैस और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्य से केवल समय का ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया। मैने उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के लिए अनुरोध किया। मैने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। इसलिए कृपया अनुचित कार्य न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री शरद यादव, कृपया अपना भाषण जारी रखें। मैने आपसे केवल भाषण समाप्त करने के लिए कहा था क्योंकि समय नहीं है। अन्य माननीय सदस्यों को भी भाषण देना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : महोदय, आपने इतना समय ले लिया। मैं समय नहीं ले रहा हूं, मैं तत्काल बोल रहा हूं। मैं अंत में यही निवेदन करता हूं, आपके पास समय का अभाव है, हम बहुत वर्षों से यहां है, जब देश में बहस होती है तो अध्यक्ष महोदय दया करके हमें थोड़ा अतिरिक्त समय देते रहे हैं। हमें यहां 37 वर्ष हो गये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं लब्बोलुआब यह कह रहा हूं कि देश को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के पद के बारे में मैंने पहले कहा है, मैं मानता हूं, क्योंकि देश की जनता के द्वारा चुना हुआ यह पद है। सब अधिकार हमारे हाथ से छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, हम यहां फैसला नहीं करते हैं। यह एक सीधी बात है कि यही व सदन है, जिसमें एनडीए की सरकार के समय, उस समय मैं विरोध में था, अटल जी की सरकार के समय में इस सदन का इतना गौरवशाली इतिहास है कि एक वोट से सरकार नहीं बन सकी। कुछ लोग कह रहे थे कि इस देश के सदन ने इतना गौरवशाली कदम उठाया, ऐसा दुनिया का कोई सदन नहीं, कोई अदालत नहीं, जिसने 13 दिन में अपने ही साथियों को 50 हजार, 60 हजार, 30 हजार रुपये लेने पर बाहर निकाल दिया हो। यह वह सदन है और इसी सदन में पहली बाद दलबदल हुआ। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस सवाल को हमने उस समय भी उठाया था, विकिलीक्स तो आज आया है, हमें इतनी बैचेनी हुई थी। नारायणसामी जी, इस दलबदल के कानून को वापस लेना चाहिए। यह बिल्कुल निकम्मा कानून है। जब स्वर्गीय नरसिंह राव जी की सरकार थी, हमने शिकायत नहीं की थी, हमारे यहां से एक तिहाई आदमी गये थे, लेकिन हमने शिकायत नहीं की थी। हां, लेकिन जिनकी शिकायत हुई थी, वे झारखंड के लोग थे, उन्होंने कई दिन तक अदालत के चक्कर लगाये, प्रधानमंत्री जी ने लगाये। इस सदन में ये दो इतने बड़े इतिहास के, इस सदन के ऐसे पन्ने हैं, जिसमें 540 में से एक आदमी भी टस से मस नहीं हुआ। इतना बड़ा ईमान यहां था। इस सदन में हमारे ही साथी थे, बहुत से लोग तो मेरे बहुत अजीज थे। मैं राज्य सभा में था, मैंने वहां दो घंटे बोलकर निश्चित तौर पर उन्हें हटाने का काम किया। मैं एक बात कहूं कि उनके ऊपर केस चलना भी ठीक नहीं है। जब सबसे बड़ी सजा यहां हो गयी तो उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, वे नहीं चलने चाहिए।

इसलिए आज इस सदन में 19 आदमी दल-बदल किए हैं, यह देश के लिए कलंक तो नहीं, इस देश के लिए शर्म का मामला है। यह हमारे देश के लिए शर्म का मामला है, सदन की अवमानना का मामला है, सदन के अवमूल्यन का मामला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बयान है, यह बयान सच को आईना नहीं दिखा रहा है। यह तो निर्गुण है। बचने के लिए यह बयान दिया गया है। इसमें और कुछ नहीं है। बचो नहीं, सबसे बड़ी जगह पर बैठकर बचने का काम करेगा तो देश नहीं चलेगा। सच्चाई पर चलो। यही एक रास्ता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री शरद यादव, मैंने आपको 18 मिनट दिये। आपकी पार्टी का समय केवल 9 मिनट है। मैं यह श्री मंडल के कारण कह रहा हूं। मैंने कभी भी कम समय नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया श्री आचार्य को न टोके।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, जिस दिन 22 जुलाई को इस सरकार ने विश्वास मत जीता, हमने कहा कि सरकार ने विश्वास मत हासिल किया पर प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस अपनी जीत के इर्द-गिर्द बेईमानी की कथा से पीछा छुड़ाने में समर्थ नहीं होगी।

महोदय, हमने वाम दलों ने संप्रग-I सरकार को बाहर से समर्थन दिया। जब हमारे साथ धोखा हुआ तब हमें माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया था कि सरकार परमाणु संधि को आगे नहीं बढ़ाएगी। पर, माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दबाव में परमाणु संधि को आगे बढ़ाने का एकतरफा निर्णय लिया। हमने अपना समर्थन वापस लिया। तब इस सभा में विश्वास मत पर 21 एवं 22 जुलाई को चर्चा हुई। जब हमने समर्थन वापस लिया, श्री मुलायम सिंह - वह उस समय सभा में नहीं थे - ने अपने समूह के साथ सरकार को समर्थन दिया तथा समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद भी उस समय सरकार के पास बहुमत नहीं था। बहुमत नहीं था तथा सरकार अलमत में थी। कैसे बहुमत बनाया गया, कैसे बहुमत जुटाया गया तथा कैसे बहुमत का प्रबंध किया गया।

जब मैं बोल रहा था, मैं अपना भाषण समाप्त करने ही वाला था। तब, मैंने नोटों का बंडल देखा। वह दिन भारतीय संसद के इतिहास का सबसे काला दिन था। जिस तरह से विश्वास मत जीता गया, वह हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र का तोड़ मरोड़ भी था।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा प्रधानमंत्री कार्यलय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : श्री आचार्य, क्या आप एक मिनट रूकेंगे?...*(व्यवधान)*। माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने समिति का गठन किया। समिति ने जांच कर रिपोर्ट दी...*(व्यवधान)*। वह उसे ही दुहरा रहे हैं जो उन्होंने 2008 में कही था...*(व्यवधान)* आप इसे क्यों दुहरा रहे हैं? समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें न टोकें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 22 जुलाई को जो हुआ उसका हवाला दिया क्योंकि आप उस समय इस सभा में नहीं थे...*(व्यवधान)* मैं सभा में उपस्थित था...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी : मैं मंत्री था और उस समय इस सभा में उपस्थित था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गोपीनाथ मुंडे : आपके मंत्री का समय लेकर बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने 1993 में देखा था जब हमने स्व. श्री नरसिम्हाराव सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और सरकार अल्पमत में थी। उन्होंने समर्थन प्राप्त किया। उस दल के नेता ने सरकार के विरुद्ध बात की तथा अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बात की पर मतदान के दौरान झा.मु.मो. के छह सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया। वह भी संसदीय लोकतंत्र की तोड़-मरोड़ थी। पहली बार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के छह सदस्यों को कैसे घूस दिया गया था। यदि एक सरकार घूस देकर सत्ता बनाए रखना चाहती है तो यह और कुछ नहीं बल्कि लोकतंत्र का अवमूल्यन है।

22 जुलाई को और उसके बाद क्या हुआ? मानो हमारे देश के लोगों ने भूलकर या इस सरकार को जमा कर दिया हो, प्रधानमंत्री नक इसे उचित ठहराया। हमने 1987 में तथा 1989 में देखा है। 1989 में क्या हुआ? 1987 में जब बोफोर्स घूस कांड सामने आया तो उस सरकार का क्या हुआ जिसे 1985 में तीन-चौथाई बहुमत मिला था? 1989 में क्या हुआ? शायद आप उसे भूल गए। हमारे देश की जनता ने 1989 में जनादेश दिया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए। माननीय सदस्य जी बासुदेव आचार्य के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शमिल नहीं किया जाएगा। कृपया उन्हें मत टोकिए।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बसुदेब आचार्य : उन्हें ऐसा लगाता है जैसे यह मामला अत्यंत साधारण था और जिस तरह विश्वास मत हासिल किया गया था उसे इस देश की जनता भूल चुकी है।

हमने विकीलीक्स खुलासे से संबंधित मामला उठाया था। जब यह मामला इस सभा में उठाया गया था तो हमने प्रधानमंत्री से क्या आशा की थी? प्रधानमंत्री ने केन्द्र के आदेश का उल्लेख किया। उन्होंने हमें यह इसलिए याद दिलाया क्योंकि हमने यह मामला उठाया था और हम इसे उठाते रहे हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि चौदहवीं लोकसभा में हमारे 59 सदस्य थे और अब यह संख्या घट कर 24 रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है फिर भी हम अपनी कुल सदस्य संख्या में 61 सदस्यों की बढ़ोत्तरी कर पाए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी, 2008 में जो कुछ हुआ उसे औचित्यपूर्ण ठहरा रहे है। वह इस प्रकार से बोले जैसे जनता ने उन्हें आदेश दिया हो और कि विश्वास मत के दौरान जो हुआ था। जनता वह भूल चुकी है।

मैंने इस तथ्य का हवाला दिया कि सरकार के पास बहुमत नहीं था। क्या हुआ? पहली बार विश्वास मत के समय 19 सदस्य अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वाले 19 सदस्यों में से अधिकतर एनडीए के थे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन अनुपस्थित रहने वालों में से एक सदस्य जो उस समय एनडीए में थी, अब मंत्रिमंडल में रेल मंत्री है।...*(व्यवधान)* उस समय वह एनडीए में थी। उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं दिया।

अपराह्न 3.00 बजे

सरकार ने बहुमत प्राप्त करने के लिए ऐसा अनुचित तरीका क्यों अपनाया?

महोदय, प्रधानमंत्री ने चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल में गठित समिति का हवाला दिया है। श्री नारायणसामी ने भी उक्त समिति के रिपोर्ट का उल्लेख किया है। उक्त रिपोर्ट सर्वसम्मति से नहीं दी गई थी। उस समिति ने सर्वसमिति से से केवल एक सिफारिश की थी कि समिति कार्मिकों, मशीन और प्रौद्योगिकी के रूप में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की अनुपलब्धता के कारण अक्षम है और यह कि इस मामले में एक उपयुक्त जांच एजेंसी से आगे जांच करवाई जाए। अन्य सिफारिशों के मामले में सदस्य एकमत नहीं थे और सदस्य समान रूप से विभाजित थे तथा तीन सदस्यों ने विमत टिप्पणीयां भी दी थी। अब, चूंकि समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस मामले में एक उपयुक्त एजेंसी से आगे जांच करवाई जाए, मैं इस बारे में प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी उपयुक्त जांच एजेंसी है जो इस मामलें में आगे जांच कर रही है। वाद-विवाद का उत्तर देते समय प्रधानमंत्री को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष ने भी इस सभा को बताया था कि उन्होंने गृह मंत्री को इस सुझाव के साथ रिपोर्ट भेजी थी कि इस मामले में आगे जांच करने हेतु एक उपयुक्त एजेंसी को नियुक्त किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित समिति एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और उस समिति ने सिफारिश की कि इस मामले में आगे जांच की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस बारे में संदेह था।

प्रधानमंत्री ने अनेक बार ऐसा कहा है कि सीजर की पटनी पर शक नहीं किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.03 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रधानमंत्री ने अपने कथन में यह उल्लेख किया कि जुलाई, 2008 में विश्वास मत के दौरान कांग्रेस पार्टी अथवा सरकार किसी गैर-कानूनी कार्य में शामिल नहीं थी। वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे दो-चार मिनट और दे दीजिए। आप आते ही हमें समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चार बजे जवाब होना है और बहुत से लोग बोलने वाले हैं और सभी को मौका देना है। आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है:

[श्री बसुदेव आचार्य]

''मैं यह बताना चाहूंगा कि अनेक व्यक्ति, जिनका उल्लेख उन रिपोर्टों में किया गया है, ने विषयवस्तु की सच्चाई को दृढ़ता से इन्कार किया है।''

[हिन्दी]

चोर भी नहीं बोलता है कि उसने चोरी की है। डाकू कभी नहीं बोलता कि हमने डकैती की है।

[अनुवाद]

श्री राजा अब तिहाड़ जेल में हैं। वर्तमान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और अगले ही दिन श्री राजा को जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 64 वर्षों में यह पहली बार हुआ कि पूर्व कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया गया और वे अब जेल में हैं। भ्रष्टाचार का एक के बाद दूसरा मामला सामने आया। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, कामनवैल्थ घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला इन सब मामलें में 15 लाख करोड़ रु. का काला धन शामिल है।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि क्योंकि देश का राजनीतिक वातावरण अब प्रदूषित हो रहा है। इसमें धन और बाहु बल भी शामिल है। चुनावों में धन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। विकिलीक्स ने यह उजागर किया हे कि तमिलनाडु में हुए पिछले लोक सभा चुनाव और आंध्र प्रदेश राज्य...*(व्यवधान)* बंगाल में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री बसुदेव आचार्य : परंतु इस बार पश्चिम बंगाल के विधान सभा चुनाव में हमें इसकी आशंका है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस धन बल के प्रयोग को कैसे रोकें?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दो मिनट बोलने के लिए दिए थे।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह जो मनी पावर है, इसे खत्म करना है। यह जो पेड न्यूज है कि पैसा खर्च करके खबर छपवाते हैं, इसे बंद करना है।

[अनुवाद]

मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 22 जुलाई, 2008 को जब पैसे लेकर वोट देने का समाचार सामने आया ओर इस संबंध में खुलासा हुआ कि क्या जैसा कि समिति द्वारा सुझाया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उपयुक्त ऐजेंसी द्वारा जांच के आदेश दिए जाएगें और जो व्यक्ति इस घूस देने के मामले और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने में शामिल है, के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा अथवा नहीं मैं प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब जो आप बोलेंगे, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य और इस वक्तव्य के संबंध में प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, प्रधानमंत्री पुराने कांग्रेसी नहीं है और मेरे विचार से यही उनकी विशेषता है। मेरे विचार से कांग्रेस पक्ष के लोग भी यह जानते हैं। वे एक प्रतिष्ठित नौकरशाह थे जिन्हें सरकार का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया है। परंतु खेद की बात यह है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य से किसी भी कट्टर कांग्रेसी को कोई भी लाभ नहीं होगा।

महोदय, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के दो पहलू हैं। एक जो वह है जिसके अंतर्गत उन्होंने विकीलीक्स रिपोर्ट को अटकलों पर आधारित गैर-सत्यापित और सत्यापित न किए जाने योग्य बताया है। उनसे पहले सदन के नेता द्वारा एक तकनीकी और सतही तौर पर सत्य

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रतीत होने वाला यह वक्तव्य दिया गया कि चौदहवीं लोक सभा में जो कुछ घटित हुआ उसे प्रन्द्रहवीं लोक सभा में चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता।

मुझे दोनों माननीय सज्जनों, जो सार्वजनिक जीवन में सम्मानित स्थान रखते हैं, द्वारा दिए गए वक्तव्यों से सबसे अधिक त्रासदीपूर्ण यह लगा कि दोनों ही व्यक्ति शायद यह भूल गए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके वक्तव्यों में इसका लेश मात्र भी आभास नहीं हैं कि वास्तव में इस मामले में एक आपराधिक जांच बनती है तो यह जांच की जानी चाहिए और यदि यह जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जैसे अहिंस्र संगठन द्वारा की जा रही है तो इस बारे में यह विडंबना है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जो मेरे विचार से दिल्ली के भीतर छोटे-मोटे अपराधों की जांच करती है। यदि इसकी जांच का कार्य अपराध शाखा को दिया गया है तो इस मुद्दे की जांच की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री साधारण बचाव क्यों नहीं करते अथवा साधारण उत्तर देते कि 'हा' नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, जांच की जा रही है, हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जांच ऐजेंसी द्वारा इस पहलु की भी जांच की जाएगी? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसके बजाय प्रधानमंत्री ने क्या कहा? यह गैर-सत्यापित और सत्यापित न किए जाने योग्य है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने साइबर आतंकवाद की बात कही और जूलीमन असांज को साइबर आतंकी कहा।

मैं इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि जबसे विकीलीक्स के खुलासे सामने आए हैं एक भी ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे असत्यापित है अथवा केवल सत्याभासी अथवा असत्य है। भारत में एक प्रसिद्ध राजनयिक श्री कंवल सिघल ने प्रमुख समाचार पत्र के पिछले दिन जो कुछ कहा था, उसे मैं पढ़ता हूं:

> ''विकीलीक्स केबल्स में जो कुछ नया या भौंचक कर देना वाला है, उसके बारे में पेशेवर राजनयिकों के लिए कुछ भी महत्व का नहीं है। उनके लिए केबल्स में लोक हुई रिपोर्ट की गुणवत्ता और उसकी विषय-वस्तु बिल्कूल ही समान्य स्तर की है।''

वे आगे कहते हैं:– ''क्या कोई भी व्यक्ति राजनयिक सिद्धांतों के मामलों पर इन राजनीतिज्ञों को सलाह देता है, चाहे उसका सामान्य ज्ञान उनका ही मार्गदर्शन करने में असफल है? संबंधित व्यक्ति किये जा रहे प्रयासों- राजनयिक मानकों का कुछ गंभीर उल्लंघन - संसद में सरकार की हार को रोकने- में बारे में समान्य टैंक के विदेशी राजनयिकों के ब्रीफिंग में क्या प्राप्त करने की आशा करता है?''

इसलिए, भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के दो पूर्व राजदतों में यह प्रमाणित किया है कि ये रिपोर्ट भवार्थ तथ्यों पर आधारित हैं और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। हमारे अपने भारत में राजदूत कहते हैं कि यह सामान्य स्तर का है...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : क्या आप कपिल सिब्बल के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री पिनाकी मिश्रा : मैं उनके भाई के बारे में बात कर रहा हूं, जो बहुत ही प्रसिद्ध पूर्व विदेश सचिव रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां समस्या यह है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, आखिरकार वह अप्रमाणिक है, जो कुछ काल्पनिक हे, वह कुछ भी काल्पनिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका के दूतावास के दो जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रथम सूचना और व्यक्तिगत रूप से किये गए दृश्य निरीक्षण के आधार पर कहा, यह मात्र सुनी-सुनाई बात नहीं है। पहली सूचना के आधार पर उन्होंने कहा कि वे एक विशेष तथ्य के गवाह हैं, जिसके बारे में उन्होंने वाशिंगटन स्थित अपने राजनयिक बॉस को लिखा। यह संख्या एक है। इसलिए यह काल्पनिक नहीं है। यह कैसे अप्रमाणिक है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह तथाकथित रूप से अप्रमाणिक है क्योंकि जो लोग इसमें आरोपित है, उन्होंने इससे पूरी तरह से इंकार किया है। क्या हम लोगों ने इससे कम की आशा की थी? क्या हम लोगों ने इससे संदेहास्पद चरित्र की आशा की थी, जिसने 30 या 40 करोड़ रुपये का गबन किया है वह आगे आएगा और भरेगा, ''नहीं, हम लोग रिपोर्ट से इंकार नहीं करते, हम लोग इसे स्वीकार करेंगे''? क्या प्रधानमंत्री जी को ऐसी आशा है? तब वे कहते हैं कि यह अप्रमाणिक है। यह कैसे अप्रमाणिक है? जिस सज्जन व्यक्ति ने यह रिपोर्ट भेजी है, वह आपसे सवाल

[श्री पिनाकी मिश्रा]

करने और इसकी प्रमाणिकता की जांच करने के लिए यहां है। यहां राजनयिक उन्मुक्ति का प्रश्न नहीं है। वे आरोपित व्यक्ति नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं: ''आपने यह रिपोर्ट भेजी है। क्या यह संस्करण सही है?'' यह सभी जांच प्रक्रिया में किया जा सकता है। वह नहीं होता है।

उसके स्थान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर अपना वक्तव्य दिया, जैसा कि मैंने कहा, इसका क्षेय कैरियर कांग्रेस जन को जाता है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलने का कारण यह है, और इसके कांग्रेस पार्टी का कुछ उल्लेख किया जाना है- कि चूंकि मैं एक कांग्रेसी हूं, इसलिए मुझे जानना चाहिए- कांग्रेस पार्टी का ट्रैक-रिकार्ड क्या है- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में बहुत ही ढुलमुल रवैया है। ऐसा कहा जाता है: ''जो जीता वही सिकंदर''। प्रत्येक बार प्रगतिवाद और व्यावहारिकता बनाम दार्शनिक अर्थों में यह कुछ सैद्धान्तिकता है। जब कभी व्यावहारिकता और सैद्धान्तिकता के मध्य चर्चा होती है, मेरा विश्वास करें, प्रत्येक बार कांग्रेस पार्टी व्यावहारिकता के तरफ हो जाती है। 1993 के विश्वासमत- मैं दर्शक दीर्घा में बैठा था और अपराह्न 4 बजे मैंने देखा कि विश्वास मत में 14 संसद सदस्यों की कमी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय के बाहर 7 संसद सदस्य आये; सदन के पटल पर टाई हो गया; अध्यक्ष ने अपना निर्णायक मत डाला। इस प्रकार सरकार बच गई। 1999 में पुन: टाई हुआ। और अनुमान लगाए, कौन मतदान के लिए आया। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के चार माह बाद ओडिशा के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सदन में आते हैं और सदन में संसद सदस्य के रूप में अपना मत डालते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा सैद्धान्तिकता के ऊपर व्यावहारिकता होती है। यदि आप सोचते है कि सिद्धांत उचित है, तो यह आपके लिए अच्छा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हम लोग यहां देख रहे हैं वह जांच है। इस जांच का युक्तिसंगत निष्कर्ष अवश्य निकलना चाहिए।

उस जांच में ये विशिष्ठ तथ्य जो अब स्पष्ट तौर पर प्रकाश में आए है, उस जांच के भाग होने चाहिए। उस जांच के क्षेत्र के भीतर ही उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कांग्रेस पार्टी को केवल यही बताना है कि जो वर्ष 2008 में हुआ था, वह सर्वविदित है। उस संदेहास्पद 'विश्वास मत' को जिताने में अहम् भूमिका निभाने वाले चरित्रों की छवि सर्वविदित है। उनमें से एक वस्तुत: इस सभा का सदस्य है। वह एक पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे आज दुर्भाग्यवश एक बड़े अपराध के कारण जेल में हैं, यह जेएमएम परियोजना की भाग था जिसके द्वारा जेएमएम के संसद सदस्यों ने क्रॉस मत दिए।

दूसरी एक अन्य परियोजना थी जहां दूसरी सभा का एक सदस्य सम्मिलित था। दिल्ली और केन्द्रीय कक्ष में अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह है कि धन आया कहां से? यह क्यों आया और किसे गया? इसलिए अब कांग्रेस सरकार को वस्तुत: इस बात का आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है मेरा मानना है कि इसके नकद संग्रहण प्रणाली में गंभीर कमियां है और नकद संग्रहण प्रणाली को सुकर बनाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जो आपकी सोर से संग्रहण कर रहे हैं! धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम लिस्ट में है, आप बाद में बोलना।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : डिप्टी स्पीकर साहब, 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुलाई, 2008 में विश्वास मत के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, आज उस पर चर्चा हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने पूरे गलत तरीके से स्टेटमेंट दिया है। उसका कुछ हमारे पास फुलप्रूफ है, उसको हम बाद में आपको बता देंगे। पहले तो...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़ शांत रहिये न, उनको बोलने दीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : स्टेटमेंट में जो इम्पोर्टेंट पाइंट है: *[अनुवाद]* मैं उल्लेख करता हूं- मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या सरकार की ओर से कोई भी जुलाई, 2008 के विश्वास मत के दौरान किसी अविधिक कृत्य में शामिल नहीं थी *[हिन्दी]* डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इसको देखें तो पूरे 19 लोग जो एमपीज़ थे, उस टाइम में सिटिंग मैम्बर थे, उनमें से सात आदमी रातों-रात इधर से उधर गये। रात में यहां से गये,

दूसरे दिन मोर्निंग में वोट डाल दिया। उनमें से दो लोग हमारी पार्टी तेलगूदेशम् के हैं। हमारे तेलगूदेशम् के उस टाइम में पांच आदमी थे। उन दो आदमियों में से एक आदमी अभी उधर बैठा हैं, उनको सीट भी मिल गई, नोट भी मिल गये और दूसरे आदमी को तिरुपति देवस्थानम् का चेयरमैन बना दिया गया है। जिसे चेयरमैन बनाया है, वह उस टाइम में क्या बोल रहा था कि हमारा एक ही लड़का है, कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तुम हमें वोट नहीं डालते हो तो तुम्हारे लड़के को मर्डर के केस में अंदर करवा देंगे। क्या यह बिल्कुल फैक्ट नहीं है डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात यह बोली है,...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नाम नहीं लिया है।

श्री नामा नागेश्वर राव : वह एक व्यवसायी हैं, जिसने पहले उधर वोट डाला है, वह बिजनेसमैन है, उसको यह धमकी दी गई है कि अगर वह वोट नहीं डालता है तो कांग्रेस की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने बोला कि तुम्हारे ऊपर इन्कम टैक्स की रेड डलवा देंगे और जो आदमी इधर से उधर गया है, उसको टिकट दे दिया। फिर भी अभी तक ये लोग नीयत की बात बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत ईमानदार आदमी हैं, बाकी जो ईमानदार नहीं है, उनको साथ देकर यह सब हो रहा हे, तो उन्हें खुद रिजाइन करना चाहिए। अगर वे रियलाइज़ करें कि सचमुच के ईमानदार हैं, गलती को प्रोटैक्ट करने के लिए कुछ भी मन से नहीं बोलना चाहिए।

अभी मैं मेंडेट के बारे में प्रधानमंत्री साहब से दो ही बातें बोलना चाहता हूं। देश ने कांग्रेस और यूपीए सिर्फ 34 परसेंट वोट दिया है और आपके अगेन्स्ट में लोगों ने 66 परसेंट वोट डाला है। 66 परसेंट लोगों ने कांग्रेस के अगेन्स्ट में वोट डाला है। केवल 24 तो हमने कांग्रेस के लिए बोला, कांग्रेस को सिर्फ 22 परसेंट वोट डाला है। अगर 22 परसेंट आपका वोट नहीं है तो 78 परसेंट आपके अगेन्स्ट में वोट डाला है।

भारत देश के 51 परसेंट लोगों का मैनडेट आपको नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नामा नागेश्वर राव : उपाध्यक्ष जी, ये लोग जो पाप करते हैं,...*(व्यवधान)* उस पाप को वोट से धोना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* वह बिल्कुल गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : नागेश्वर राव, संक्षेप कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : महोदय, मैं कांक्ल्यूड कर रहा हूं। मार्निंग में जब इस डिबेट को शुरू किया, तब गुरुदास दासगुप्त जी ने ...* कहा था। तब ये लोग उठ गए थे। ये ...*हैं।...*(व्यवधान)* इन लोगों ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया।...*(व्यवधान)* इसलिए अभी भी अगर उन लोगों को ईमानदारी दिखाना है तो...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव : अभी जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, यह सब बात...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई आब्जेक्शनेबल बात होगी, तो हम देख लेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कुछ आब्जेक्शनेबल होगा, तो उसे सुधार देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ आब्जेक्शनेबल होगा, तो उसे एक्सपंज कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव : डिप्टी स्पीकर साहब, ये लोग इस तरह से क्यों उठ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।...*(व्यवधान)* आप तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से हाउस को यूज कर रहे हैं। यह क्या बात है?...*(व्यवधान)* आप भी अपनी बात करिए।...*(व्यवधान)* जब आपका टाइम आएगा, आप अपनी बात कहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने हटा दिया है।

...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : डिप्टी स्पीकर साहब, इन सब बातों पर प्राइम मिनिस्टर को रिप्लाई करना है। हम डिमांड कर रहे हैं कि इसकी फर्दर इन्वेस्टीगेशन भी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय आज हम यह वाद-विवाद कर रहे हैं कि विकीलिक्स ने 2008 में मतदान को प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त अनुचित साधनों के संबंध में एक प्रश्न उठाया है, 2008 में भी ऐसे प्रश्न उठाए गए थे, और एक जांच समिति गठित की गई थी और एक प्रकार से यह जांच अभी भी जारी है।

अब, मैं इस वाद-विवाद में इसलिए भाग ले रहा हूं कि राजदूत द्वारा अपने मूल देश को भेजे गए विकीलिक्स के तारों में से एक में मुझे किसी अन्य के साथ बातचीत करते हुए बताया गया है, जिससे मैं कभी मिला नही, जिसे मैं जानता नहीं, जो किसी राजनीतिक दल का कोई विशिष्ठ पदाधिकारी नहीं है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके पास काफी धन है और वह इस विश्वास मत में मतदान के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। वस्तुत: उसने हमारी पार्टी का नाम लिया है और उल्लेख किया हे कि आरएलडी के चार संसद सदस्यों को काफी धन दिया गया था।

अब, आरएलडी प्रारंभ से ही नाभिकीय ऊर्जा के विरुद्ध थी और हमने अपने विचारों को उस समय समाचारपत्रों और हर जगह स्पष्ट किया। हमने वामपंथियों, टीडीपी, टीआरएस के साथ चर्चाएं की थीं और हमने सरकार के विरुद्ध मतदान करने का निर्णय लिया था, और हमने सरकार के विरुद्ध मतदान किया भी।

प्रसंगवश हमारे चार संसद सदस्य नहीं थे उस समय आरएलडी के केवल तीन संसद सदस्य थे। इसलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि जो भी केबलों में कहा गया है वह वेदवाक्य है, के समान ही एक तथ्य है, देखिए, विकीलिक्स केवल एक बातचीत को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि किसी उच्चदूतावास अधिकारी को, दूतावास में किसी ने किसी के साथ चर्चा, जिसे मैंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी का महत्वपूर्ण पदाधिकारी नहीं था, और इसी के आधार पर एक केवल भेजा गया हां, केबल की जांच इस संदर्भ में की जा सकती है कि उन्होंने केबल भेजा था। परंतु यदि उन्होंने इससे अधिक कुछ जांच की थी तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि आरएलडी के कितने संसद सदस्य हैं, प्रसंगवश जैसा कि मैंने अभी कहा उस समय हमारे केवल तीन सांसद थे, मैं यह कह रहा हूं कि इस सभा के एक सम्मानित सदस्य टीवी पर गए और कहा:–

[हिन्दी]

> ''माननीय अजित सिंह जी कहते हैं कि उस दिन मैंने विपक्ष के साथ फ्लोर पर रह कर वोट किया है तो गलत कहते हैं उनके सांसद ने कोई वोट नहीं किया है।''

[अनुवाद]

वे इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री या लोक सभा अध्यक्ष कार्यालय से कर सकते थे। परंतु फिर भी वह टीवी पर गए और इसे कई बार दोहराया। मैं कहना चाहता हूं कि आरएलडी एक नई जांच के पक्ष में है, वस्तुत:, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि नई जांच के आदेश दे। परंतु इसके साथ ही मैं सांसदों से अनुरोध करूंगा कि राजनीतिक लाभ के लिए वक्रोक्ति एसोसिएशन द्वारा दोषारोपण और सीधे झूठ का प्रयोग न करें।

मैं यह दोहराता हूं कि, यदि यह सम्मानित सभा या सरकार दूसरी जांच का निर्णय लेती है, तो आरएलडी उनके साथ पूर्ण सहयोग करेगी; और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि निष्पक्ष जांच करें।

**डा. रतन सिंह अजनाला* (खडूर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वोट के लिए नोट पर मीडिया रिपोर्टों के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य संबंधी चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण को सुना। तथापि, कोई भी माननीय सदस्य सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह कहु सत्य यह है कि धन प्रलोभन से लोग बदल जाते है और वोट खरीदे जाते है। पैसा किसने दिया और किसने लिया? यह बात लेन-देन करने वाले दोनों पक्ष, जानते है।

महोदय, 14वीं लोकसभा में मेरी पार्टी शिरोमणि आकाली दल के ग्यारह सदस्य थे। विश्वास मत के दौरान हमारी पार्टी के तीन

**मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।*

माननीय संसद सदस्यों से संपर्क किया गया था। उन्हें भी समान रूप से प्रलोभन दिया गया था। तीन में से दो सदस्यों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, हमारी माननीय सदस्या से थी संपर्क स्थापित किया गया था। सोचा कि वह उन्हें प्रलोभन दे सकते हैं क्योंकि वे गरीबी में पली-बढ़ी हैं। तथापि उन्होंने प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। तथापि, हमारे संसद सदस्यों में से एक* ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए। सिर्फ श्री अजनाला जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

*(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : माननीय सदस्य जो इल्जाम लगा रहे हैं, वह गलत बात है।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* महोदय, वे वर्तमान सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिलिट हो गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. रतन सिंह अजनाला : महोदय, वे 40 वर्षों से अकाली दल के सदस्य थे।...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस रूल के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए। माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, वे व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सदस्य के खिलाफ आरोप लगाया गया है...*(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

डा. रतन सिंह अजनाला : हम सच बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* पैसे दिए गए हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अजनाला जी की बात के अलावा और किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

डा. रतन सिंह अजनाला : यह सच्चाई है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जिस रूल के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, वह रूल बताइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी : नियम 356 और 357 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बिना पूर्व सूचना दिए किसी व्यक्ति द्वारा सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

सभा के एक वर्तमान सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया गया है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटाने की आवश्यकता है और सदस्य को उत्तर देने की अनुमति दिए जाने की आवश्कता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही डिलीट कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा रूल है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 353 में उल्लेख है–

> ''किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपण स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो''

अकाली दल के सदस्य ने निजी आरोप लगाए हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाए और सदस्य को उत्तर देने का अवसर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं कि वह डिलीट हो गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. रतन सिंह अजनाला : मैंने नाम नहीं लिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर किसी ने किसी का नाम लिया है तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : चूंकि बिना इन सूचना के एक वर्तमान सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं अत: माननीय मंत्री को इस पर बोलने की अनुमति दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उसे डिलीट कर दिया गया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, रतन सिंह अजनाला जी ने जो बात...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रतन सिंह अजनाला जी ने मेरा नाम लेकर जो बोला है, वह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ये लोग असत्य बोलने के आदी हैं।...*(व्यवधान)* जब यह फैसला हुआ कि हमने न्युक्लियर के हक में वोट देना है, तब वहां... *...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय सदस्य का नाम नहीं जायेगा। ये सब नाम डिलीट हो जायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह : ये सारे इकट्ठे थे। इन्होंने यह फैसला किया कि हमने इसके हक में वोट डालना है, लेकिन यहां आकर सब मुकर गये। पता नहीं आडवाणी जी उसे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई।...*(व्यवधान)* मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* ये गरीब आदमी को गिराना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

*(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख दी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल रघुवंश प्रसाद सिंह जी के अलावा किसी और की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

*(व्यवधान)...**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी बात पूरी हो गयी है। आपका नाम रिकार्ड से निकल गया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात ही रिकार्ड में जायेगी।

*(व्यवधान)...**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस चल रही है...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर सदन में बहस चल रही है।...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी का बयान विकीलीक्स की रिपोर्ट पर आया।...*(व्यवधान)*

महोदय, चौदहवीं लोक सभा में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात ही रिकार्ड में जायेगी।

*(व्यवधान)...**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : चौदहवीं लोक सभा में यहां एक बड़ी भारी दुर्घटना हुई थी।...*(व्यवधान)* उसमें कई बक्से रुपये आए थे।...*(व्यवधान)* दुनिया भर में बड़ी फजीहत हुई।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह लोकतंत्र पर कलंक है। सदन ने एक कमेटी बना दी।...*(व्यवधान)* उस कमेटी की रिपोर्ट आयी। ...*(व्यवधान)* उस रिपोर्ट में कहा गया कि और जांच होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* सुनते हैं कि जांच हो रही है।...*(व्यवधान)* उसके बाद विकीलीक्स की कोई रिपोर्ट आयी है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसी पर हाय-तौबा मचाई जा रही है।*...(व्यवधान)* श्री अजित सिंह ने सदन में बयान दिया। उनकी पार्टी के नाम का जिक्र किया गया है।*...(व्यवधान)* उन्होंने उस रिपोर्ट का पूरा खंडन किया कि यह विश्वसनीय नहीं है।*...(व्यवधान)* श्री शरद यादव जी ने भी कहा कि विकीलीक्स उधर है।*...(व्यवधान)* विकीलीक्स के किसी बयान का कोई मतलब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव में लोग एक कहावत कहते हैं।*...(व्यवधान)* वह कहावत है कि एक आदमी से कहा कि कौवा उसका कान लेकर उड़ गया, भाग गया।*...(व्यवधान)* जिसको कहा कि कौवा कान ले गया, वह अपना कान टटोलने की बजाय कौवे को देख रहा है कि कौवा कान कहां ले गया।*...(व्यवधान)* घटना घटी।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो नाम लिए थे, उनको डिलीट कर दिया गया।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप लोग बैठ जाइए। वे नाम डिलीट हो गए हैं। सारे नाम कटवा दिए, मामला खत्म हो गया है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, वह घटना घटी, कमेटी बनी। कमेटी ने जांच की।*...(व्यवधान)* जांच करके रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पर इमिडिएटली काम नहीं करते हैं।*...(व्यवधान)* असांजे का बयान सुनते हैं और पढ़ते हैं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा कि एक-दो पार्टीज के लोग ही उसमें इधर से उधर गए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम डिलीट हो गया। उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय में ज्यादा पार्टीज के लोग इधर से उधर हुए थे।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : तीन-चार पार्टीज के लोग इनटैक्ट रहे, उनमें राष्ट्रीय जनता दल एक था। वह टस से मस नहीं हुआ। अपनी जगह से हिला नहीं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाजवा जी, आप बैठ जाइए। आपस में बातचीत मत कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आज विकीलीक्स पर बहस चलाई जा रही है। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। कोई कहीं कुछ भी बयान कर देगा, कहीं कुछ लिख दिया।*...(व्यवधान)* उस बात की पहले सदन की कमेटी ने जांच की है, सदन की कमेटी पर बीजेपी को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। नेता, विपक्ष समिति के खिलाफ भाषण कर रही हैं।*...(व्यवधान)* समिति के खिलाफ बोलने से परहेज करना है, कानून में रोक है। जितनी मर्यादा सदन की है, उतनी ही मर्यादा सदन की समिति की है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बाजवा जी, आप बैठ जाइए। आपस में बातचीत मत कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख दी, उन्होंने अपनी बात रख दी, खत्म हो गया मामला। अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, उस समिति की मर्यादा

है। कोई भी विषय होता है, उस पर लोग सवाल उठाते हैं, सदन की कमेटी से जांच हो, लेकिन जब सदन की कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दे दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, यह देखना चाहिए और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष का काम बोलने का है, सरकार का काम करने का है।. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

*(व्यवधान)...**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए एफआईआर हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सदन की कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दी है।...*(व्यवधान)* इसलिए यह जो बहस चलाई जा रही है, इस बहस में मैं देख रहा हूं कि कहा-सुनी ज्यादा हो रही है।...*(व्यवधान)* तथ्य पर पहुंचने की कोशिश नहीं हो रही है, इस कहा-सुनी से, आरोप-प्रत्यारोप से देश या जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ देश का तब होगा, जब लोग बोलेंगे और सदन की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस पर सरकार कार्रवाई करे। उस पर क्या कार्रवाई हुई सदन को बताएं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : तब सदन सहमत होगा और जानकारी होगी। चूंकि सचमुच वह बहुत भारी काण्ड हुआ था।...*(व्यवधान)* लेकिन असांजे वगैरह और विकीलीक्स की रिपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)* गांव के लोग कहते हैं - ''आन्हर कुत्ती बतासे की भूखी''। गांव की यह कहावत यहां चरितार्थ हो रही है।... *(व्यवधान)* सदन की कमेटी की रिपोर्ट...*(व्यवधान)* क्या कह रहा है और क्या कर रहा है, उस पर सभी को कान देने के लिए मजबूर होना पड़ा।...*(व्यवधान)* आज उस पर बहस चलाई जा रही है।...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : महोदय, सदन की एक सम्मानित महिला सदस्य के लिए *शब्द का प्रयोग किया गया है।...*(व्यवधान)* यह बिल्कुल गलत और असंसदीय है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रसी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में आपको सदन का और सदन द्वारा गठित समिति का सम्मान करना चाहिए *...(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष जी, मेरा यह अनुरोध है, कि माननीय महिला सदस्य के लिए *शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो यह बहुत अपमानजनक है, असंसदीय है। यदि यह है तो जिन्होंने कहा है वह क्षमा मांगें या फिर इसे एक्सपंज किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी असंसदीय शब्द होगा, वह रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : उन्होंने माननीय सदस्या के लिए नहीं कहा, उन्होंने यह कहा होगा कि वह*...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग) : महोदय, विचाराधीन विषय से तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ मिर्जा महबूब बेग की बात ही रिकॉर्ड में जाएगी।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : महोदय, मेरा मानना है कि विचाराधीन विषय से तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं...*(व्यवधान)* एक महत्वपूर्ण मुद्दा है- इस देश में प्रधानमंत्री का पद इस पद का सृजन एवं विकास एक समयावधि में हुआ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है। अब आप बैठ जाएं, आपको बाद में बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : इस संस्था को विकसित होने में छह दशक लगे पर अन्यथा सबसे जिम्मेदार लोग- वे जिन्हें जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए- बारंबार प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं इसका अनुरोध उनसे करूंगा। क्या आप ऐसी सहमति नहीं कर सकते ताकि इस पद जो समयावधि के दौरान बनी है, के प्रति आरोप लगा कुछ भी गलत नहीं हो? वे व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा सकते हैं पर वे पद पर आरोप नही लगा सकते...*(व्यवधान)*।

वे प्रधानमंत्री, सीबीआई तथा अन्य संस्थाएं, जो इस देश में एक समयावधि में विकसित हुई हैं, जिन पर भी वे आरोप लगाना चाहते हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं...*(व्यवधान)*

मैं भाजपा से अनुरोध करूंगा कि 'कमजोर प्रधानमंत्री' जैसे विशेषज्ञों का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे इस देश की उन संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं जो एक समायावधि में निर्मित हुई हैं।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस विषय से उठता है वह है-भ्रष्टाचार का मुद्दा...*(व्यवधान)*। भ्रष्टाचार का मुद्दा जहां भी यह है, हम स्वीकार करें कि यह हमारी व्यवस्था के प्रामतत्वों को खा रहा है। यह शर्मनाक है कि हमने वर्ष 2010 में देखा है, जहां तक महाराष्ट्र का और रा.मं. खेलों का संबंध केवल सं.प्र.ग. सरकार द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है। जब उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया तो क्या हुआ?...*(व्यवधान)* मुझे याद है कि श्री आडवाणी सभा से चले गए जब उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बचाव करने की कोशिश की...*(व्यवधान)* मैंने उन्हें निराश देखा और वे सभा में लौट कर नहीं आए...*(व्यवधान)* यह श्री आडवाणी को मेरी चुनौती है कि वे अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि वे कर्नाटक में जो कुछ कर रहे हैं क्या वह इस बारे में खुश हैं...*(व्यवधान)*। वह खुश नहीं हैं, और यह मेरी चुनौती है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : तीसरा मुद्दा जो इस विषय से उठता है वह है इसका देश से बाहर क्या असर हो रहा है। इस देश ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपना स्थान हासिल किया था। वे क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं? विकिलिक्स भरोसेमंद है यदि यह सं.प्र.ग. सरकार पर प्रहार करता है पर जब वही विकिलिक्स, उनके तीसरे केबल ने जो आडवाणी जी के बारे में कहा तब उन्होंने इसके बारे में चुप्पी साध ली, एक भी शब्द नहीं कहा। विकिलिक्स ने आडवाणी जी के बारे में भी कहा है। यदि विकिलिक्स इतना महान है तो वे विकिलिक्स को समग्रता में स्वीकार करें। विकिलिक्स को आंशिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, विकिलिक्स को चयनात्मक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा विकिलिक्स को समग्रता से स्वीकार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग : मुझे उनसे अवश्य ही अपील करनी चाहिए कि वे स्वयं पर नियंत्रण रखें क्योंकि इससे देश के बाहर गलत छवि तथा गलत संकेत जा रहा है। हम ऐसा करना बंद करें तथा हम सभी एकजुट हो तथा ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे देश की बदनामी होती है देश शर्मसार होता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट के लिए बोल लीजिए लेकिन किसी का नाम आप नहीं लेंगे। आप बोलिये, आप बीच में बोलने से रूक गये थे।

डा. रतन सिंह अजनाला : सर, मैं सच बोलता हूं, पहले भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। बात यह है कि जो 2जी स्पैक्ट्रम है, वह भी गलत है, आदर्श घोटाला भी गलत है, कॉमनवैल्थ गेम घोटाला भी गलत है और विकिलिक्स भी गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये मुल्क लुटाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : यह क्या है? मुझे यहां एक बात कहनी है। माननीय सदस्य ने पहले अपनी बात कही थी। तत्पश्चात् दो अन्य सदस्यों ने अपनी बात कही। अब उन्हें पुनः बोलने का मौका मिल रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इन्हें इसलिए बोलने दिया गया है क्योंकि

इनका भाषण बीच में छूट गया था, शोर-शराबे के बीच में बंद हो गया था।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने अपना भाषण एक उर्दू शेर से समाप्त किया : *[हिन्दी]* ''किसने लूटा मेरा काफिला'', *[अनुवाद]* इसलिए मैं यह समुचित समझता हूं कि यह कहकर उनको उत्तर दूं:

[हिन्दी] ''दस्ते फितरत ने किया जिन गिरेबानों को चाक मस्दरवी मनतरव की सोजन से नहीं होते रफू''

[अनुवाद]

विकिलिक्स क्या है? प्रसिद्ध लोकोक्ति से इसका दृष्टांत दिया जा सकता है, ''ए टेल टोल्ड बाई एन इडिएट फुल आफ साऊण्ड एण्ड फरी सिग्निफाईंग नथिंग''। इसका कारण यह है कि जनश्रुति/अफवाह कहना कमबचानी होगा। चूंकि मेरे पास बहुत कम समय है इसलिए मैं सविधान करना चाहूंगा कि 'तथ्य' क्या हे और 'जनश्रुति/अफवाह' क्या है।

स्ट्रॉब टालबॉट ने ''इंगेजिंग इंडिया: डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड द बम'' नामक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री के बारे में बात की है। मैं केवल तीन लथ्यों को कहूंगा। पहला तथ्य यह है कि स्ट्रोब टालबॉट ने यह कहा है: ''तत्कालीन विदेश मंत्री ने कहा था कि परमाणु शस्त्र से लैस भारत इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका का स्वाभाविक मित्र है।'' स्ट्राब टालबॉट ने रोम में हमारे साथ रात्रिभोज तथा अन्य अवसरों पर कहा था, ''उन्होंने गांधी का महात्मा के रूप में विचार के प्रति अपनी अधीरता नहीं छिपायी।'' तीसरे, उन्होंने यह कहा था ''तीन अवसरों पर, तत्कालीन विदेश मंत्री ने नियंत्रण रेखा के आधार पर कश्मीर विवाद का समाधान करने की बात की''।

श्री पवन कुमार बंसल : वह विदेश मंत्री कौन है?

श्री असादूद्दीन ओवेसी : वह श्री जसवंत सिंह है। क्या एक मंत्री कश्मीर के विभाजन पर राजी हो सकता है? कृपया मेरी बात सुनें...*(व्यवधान)*

वे तीन अवसर थे-9 जुलाई को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर, अगस्त, 1998 में स्टेट डिपार्टमेंट में और उसके बाद मनीला में। यहां इसका सबसे खराब भाग यह है कि तत्कालीन विदेशी मंत्री को मेडेलिन अल्ब्राइट द्वारा 'झूठा' कहा गया था जिसका उल्लेख टॉलबॉट द्वारा किया गया है। जसवंत सिंह व्यक्तिगत रूप से 'झूठे' हैं या नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर वह वहां भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

अब तथ्य ये हैं; विकिलिक्स जनश्रुति/अफवाह है। अब, यदि मामला यह है, यदि विकिलिक्स 'ब्रहमवाक्य' के समान महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : आज यह कहां तक तर्कसंगत है? हम प्रधानमंत्री के बयान पर चर्चा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी : हरिन भाई, क्या मैं कुछ कह सकता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : आप मेरे विद्वान मित्र हैं। हम आज प्रधानमंत्री के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। आप इस मामले में जो कह रहे है, वह कहां तक तर्कसंगत है?...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदय, वह मेरा समय ले रहे हैं...*(व्यवधान)*। मुझे अपनी बात पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मंत्री रहे हैं। आपका नाम भी विकिलिक्स में आया है...*(व्यवधान)*

पहली बार आपने श्री मोदी की प्रशंसा की है। मैं जानता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें पसंद नहीं करते पर आपने उनकी प्रशंसा की है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक ने जो कहा है, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा, केवल ओवेसी जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी : आपराधिक कानून में, किसी अधिनियम को आपराधिक कानून बनने के लिए आपको एक्टस रिया मेन्स रिया होना चाहिए। एक्टस रिया कहां है? और मेन्स रिया कहां

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

है? लगभग 60 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं। क्या इसका प्रयोग किया गया? क्या श्री हरिन पाठक जानते हैं कि रुपये दिए गए थे? क्या वे थाने जाकर कह सकते हैं, ''हां, मैं गवाह हूं कि यह राशि किसी संसद सदस्य को दी गई थी?'' क्या वह ऐसा कर सकते हैं? क्या कोई भाजपा संसद सदस्य वैसा कर सकता है?...*(व्यवधान)* उनके प्रति अत्यंत आदर रखते हुए मैं यह कहता हूं कि उन्हें यह महसूस करने में तीन साल लग गए। वह इस पर चुप्पी साधे हुए थे...*(व्यवधान)* मेरा समय लिया जा रहा है। *[हिन्दी]* शाहनवाज जी, अभी तो हमारा समय है, आपका समय अब आनेवाला नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं एक और तथ्य बताऊंगा तथा विकिलिक्स की तुलना करूंगा। मैं गुजरात से आने वाले माननीय सांसद से यह अनुरोध करूंगा कि वे वर्ष 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 एवं 2009 की स्टेट डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम रिपोर्ट को पढ़ें। उसमें उनके राज्य, उनकी सरकार के बारे में बहुत जोरशोर से बातें कहीं गयी हैं, राज्य को भूल जाइए पर सरकार के बारे में कहीं गई बात पर गौर कीजिए।

ये तथ्य हैं। यदि विकिलिक्स ही ईश्वर के शब्द या विचारों का समूह है, तो फिर न्यायालय जाइए। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप न्यायालय जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह अप्रष्ट दस्तावेज है। वह विधि की संवीक्षा पर खरा नहीं उतरेगा।

मैं, यहां अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। विकिलिक्स मुस्लिमों के कारण इजराइल पर भारतीय नीति के बारे में बात करता है। यह एक मुस्लिम फोबिया है, फिलिस्तीनी हित के लिए हमारी नीति को पंडित नेहरु और महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया है। यह एक दूसरी बात है कि दुर्भाग्यवश हमारी सरकारें इजराइल के हथियारों की सबसे बड़ी खरीददार बन गयी हैं। परंतु यह मुस्लिमों के कारण है, यह कहना गलत है। श्री मोदी का आंकलन विषयपरक है। हम इससे कैसे सहमत हो सकते हैं?

अंतत: मैं निष्कर्ष रूप में यह कहना चाहूंगा कि जहां तक डॉ. मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाने की बात है, हमने अनेक प्रधानमंत्री देखे हैं, परंतु इस देश ने ऐसा बुद्धिजीवी ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं देखा आप अपने कार्यों में ईमानदार हो सकते हैं परंतु डॉ. मनमोहन सिंह बुद्धिजीवी ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। आपको उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति को लाने में कई वर्ष लग जायेंगे। मेरा मानना है कि देश को अस्थिर करने के लिए हमें आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्यवश, वे यहां काफी अच्छा काम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विकिलीक्स के ऊपर चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रही थी। पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के तर्क के साथ-साथ मैं आम भारतीय के दुख को महसूस कर रही थी और अभी भी कर रही हूं, क्योंकि यह दुख आम भारतीय का है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपर लगा है। हमारे पूर्वजों ने संघर्षपूर्ण तरीके से एक लंबी लड़ाई के बाद देश को आजाद कराया, ताकि हम आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें, लेकिन इस तरह की बातें हमें बहुत दुख देती हैं। भारतीय लोकतंत्र पर यह भ्रष्टाचार का एक दाग है, जो हमारे दामन पर लग गया है और यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मैं अपनी बात को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखना चाहती हूं। जब कुछ समय पहले विकिलीक्स का खुलासा हुआ, तब कई तथ्य सामने आए, उसमें एक मुद्दा यह भी था, जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं। जब मैं टीवी पर सुन रही थी, उस समय मैं यही सोच रही थी कि इसमें कितनी सार्थकता है, इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह न्यूज कितनी ऑथेंटिक है? किसी एक व्यक्ति ने अपनी एक वैबसाइट बनाई और इस पर किसी के लिए कुछ लिखा और हम उसे विश्वसनीय मान रहे हैं। आज एक पार्टी और कुछ लोग इसके शिकार होते हैं, कल काई एक और दूसरी पार्टी और कुछ दूसरे लोग इसके शिकार हो सकते हैं।...*(व्यवधान)* मेरी पक्ष और विपक्ष दोनों से एक प्रार्थना है और दोनों से मैं यही गुजारिश करना चाहती हूं कि दोनों पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठकर जिस किसी भी जांच एजेंसी में उनकी आस्था हो, उस एजेंसी से इसकी जांच करा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए वर्ना आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस (एर्नाकुलम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

प्रो. के.वी. थॉमस : महोदय, नियम 380 इसके अनुसार:–

''यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवके से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।''*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम सब को यह याद करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव किस ढंग से लाया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान इस सम्मानित सभा में किसी तरीके से चर्चा की गई। निश्चित तौर पर यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि 2008 में भी विश्वास मत प्राप्त करने के लिए वही तरीका नहीं अपनाया गया। इसके अतिरिक्त 'कैश फॉर वोट' घोटाले पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें उल्लेख किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्टत: स्वयं सहित किसी कांग्रेस सदस्य के कदाचार में संलिप्त हाने से इंकार किया है। बल्कि यह कहा गया कि कुछ बाहरी तत्व इसमें सम्मिलित थे। तो क्या हम यह मान लें कि कांग्रेस ने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कुछ बाहरी तत्वों को सम्मिलित किया था।

तीसरे, देश के लोग इन घटनाओं को उत्सुकतापूर्वक देख रहे हैं। वे प्रतिदिन उजागर होने वाले घोटालों और भ्रष्टाचार की घटनाओं की श्रृखलाओं के साक्षी हैं। इसका आम जनता के मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जोकि हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए घटना की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग को इसे काफी गंभीरता से लेना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। यद्यपि यह सही है कि असांजे की विकिलिक्स केवल की विश्वसनीयता संदेहास्पद है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि जिन कुछ तथ्यों को हम काफी लंबे समय से उठा रहे है, वे इन नवीनतम प्रकटनों से कुछ हद तक मेल खाते हैं। 2008 में माननीय संसद सदस्यों को खरीदने के लिए और जुलाई में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए धन का प्रयोग किया गया था। निश्चित रूप से भ्रष्ट पद्धतियों का आश्रय लिया गया था और सरकार उस दिन बेईमानी से बची थी, यह हमारे राष्ट्र के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इन शब्दों के साथ इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत ही कम बोलूगां। मेर प्रश्न प्रधानमंत्री जी से है और आशा करता हूं कि वे इसपर ध्यान देंगे और जब वे इस चर्चा पर बोलेंगे तब इसका उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 18 मार्च को इस मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए जब वे इस सदन में आए तब कुछ घंटे पूर्व ही वे इस देश के एक प्रसिद्ध पत्रिका के कार्यक्रम में गये थे। इस मुद्दे पर उनसे प्रश्न पूछा गया और उन्होंने वहां इस पर वक्तव्य दिया।

मैं समाचार पत्र की रिपोर्ट को उद्धृत कर रहा हूं। यदि प्रधानमंत्री जी इसमें कुछ जोड़ना या घटाना चाहेंगे तो मैं सही साबित होउंगा। प्रधानमंत्री जी ने वहां कहा, ''मुझे किसी प्रकार के क्रय की जानकारी नहीं है। और मैं बिल्कुल ही निश्चित हूं कि मैंने किसी को मत खरीदने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है। मैं मत खरीदने हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई से मिज्ञ नहीं हूं। मैं बिल्कूल ही निश्चित हूं कि मैं इस प्रकार के संव्यवहार में कतई शामिल नहीं हूं। मैं इस प्रकार के किसी संव्यवहार में बिल्कुल ही लिप्त नहीं हूं।'' वे इससे इंकार नहीं कर रहे हैं कि ऐसा संव्यवहार हुआ है*...(व्यवधान)* वे कह रहे है, ''मैं शामिल नहीं हूं''*...(व्यवधान)* लेकिन जब वे सदन में आए और इस सदन में अपना वक्तव्य दिया, तब यह

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री यशवंत सिन्हा]

बिल्कूल ही एक अलग वक्तव्य था। इसलिए, पहला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री को इस माननीय सदन के समक्ष यह जवाब देना जरूरी है कि सुबह में 10.30 बजे और अपराह्न 2 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य बदलना पड़ा. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। ऐसे कैसे होगा?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : दोनों में क्या अंतर है? आप अपने एप्रोच में विश्लेषणात्मक है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.) : हर बात पर मंत्री जो बोलेंगे? हर बात पर उठ जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है कि इंडिया टुडे कांक्लेव में मैंने क्या कहा। प्रश्न जो मुझसे पूछा गया है: ''प्रधानमंत्री जी, हमें बताएं, आप इस संव्यवहार में किस प्रकार शामिल हैं या शामिल नहीं हैं? यही प्रश्न है और यही जवाब है जो मैंने दिया है *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के स्पष्टीकरण के लिए उनका आभारी हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे आसानी से यह बात कह सकते थे कि इस प्रकार का कोई कार्यकलाप नहीं हुआ है। मैं इस कार्यकलाप में शामिल नहीं हूं, ऐसा कहने के बजाए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्यकलाप नहीं हुआ है। तदुपरान्त उन्होंने इस सदन के पटल पर ऐसा वक्तव्य दिया।...*(व्यवधान)* उन्होंने यह वक्तव्य दिया...*(व्यवधान)*

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या यह सत्य है कि संयुक्त राज्य अमरीका के स्टेट सेक्रेटरी हिलेरी क्लिंटन ने भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा से टेलीफोन पर बात की और...*(व्यवधान)* उन्हें सचेत किया कि ऐसे लीक हो रहे हैं और कि भारत सरकार को परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।... *(व्यवधान)* क्या यह सत्य है या नहीं?...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि सरकार हमें बताएं।...*(व्यवधान)* क्या श्री एस.एम. कृष्णा को स्टेट सेक्रेटरी से टेलीफोन पर बातचीत हुई है...*(व्यवधान)*

तीसरा प्रश्न यह है...*(व्यवधान)* जहां तक सच्चाई का प्रश्न है- मुझे विदेश मामलों का कुछ अनुभव है - प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें कुछ अनुभव है, यह अभिपुष्ट करेंगें कि ऐसे टेलीग्राम सामान्य बात है, विश्वभर में दूतावासों से मुख्यालयों को विदेशी मामलों के कार्यालयों को ये भेजे जाते हैं। यह एक सामान्य राजनयिक कार्यकलाप है। अब, जहां तक विकीलिक्स का संबंध है, चाहें टेलीग्राम से जो भी बात हो, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह...*(व्यवधान)* कुछ व्यक्तियों ने इसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की है...*(व्यवधान)*

वे इसे 'अफवाह' कह सकते हैं या जो कुछ नाम वे देना चाहे, दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है: क्या यू.एस. प्रशासन ने इस विशेष टेलीग्राम के अस्तित्व को नकारा है? क्या नई दिल्ली स्थित यू.एस. दूतावास ने इस टेलीग्राम के अस्तित्व से इंकार किया है? क्या उन्होंने इससे इंकार किया है?''...*(व्यवधान)*

यदि टेलीग्राम की सच्चाई के बारे में पुष्टि की आवश्यकता थी तो अमरीकी दूतावास, अमरीकी सरकार ने इस टेलीग्राम के अस्तित्व से इंकार नहीं किया है...*(व्यवधान)* वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली में अमरीका के पूर्व राजदूत मल्फर्ड ने वक्तव्य दिया कि इस प्रकार का टेलीग्राम मौजूद है और उन्होंने ऐसा टेलीग्राम भेजा है। यह पुष्टि है।

अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह यह है मैं केवल यह कहने जा रहा हूं...*(व्यवधान)* इसलिए इस टेलीग्राम का क्या महत्व है? इस टेलीग्राम का महत्व यह है कि यह समकालीन है यह उस समय से संबंधित हे जब यह घटना हो रही थी और यह घटित हो रहा था। दूसरी बात जो इसकी पुष्टि करती है, अधिकांश हम लोगों में जो यह महसूस करते है वह वास्तव में इस माननीय सदन में घटित हुआ है। यह इसका मूल्य है...*(व्यवधान)* मैं सभा की समिति के प्रतिवेदन के प्रश्न के संबंध में सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता क्योंकि इस पर चर्चा हो चुकी है।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यदि श्री कुलकर्णी दोषी हैं, तो क्या सरकार इस घटना की सी.बी.आई जांच के आदेश देने का साहस करेगी साहस दिखाइये! हमें यह बताइये श्री कुलकर्णी अथवा भाजपा अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने षडयंत्र रचा और फिर जांच के आदेश दीजिए और *[हिन्दी]* दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

महोदय, अनेक सदस्यों ने इस माननीय सभा में यह मुद्दा उठाया है जिसका प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया है वह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अस्वीकार्य राजनीतिक दर्शन है। मैंने अपने लंबे सरकारी और राजनीतिक सेवा में मैंने कभी नहीं सुना कि एक वोट किसी अपराध का निर्धारण करेगा। क्या एक वोट यह निर्धारित करेगा? सभा के एक माननीय सदस्य, जो आज जेल में बंद हैं मैं श्री राजा का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। एक दूसरे माननीय सदस्य है आप उन्हें जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूं। वे झारखंड राज्य से हैं और वे भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। उन्होंने चुनाव जीता और इस सभा में आए। हमें उन्हें माफ क्यों नहीं करना चाहिए? हम ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए कि कोई भी आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे इस घटना के पश्चात उन्होंने चुनाव जीता?*...(व्यवधान)* आपराधिक आरोपों का मत के द्वारा निर्णय नहीं होता हैं उनका निर्णय न्यायालयों में होता है। हमारे लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत यह है कि आपराधिक मामले न्यायालय में निपटाए जाएगें मत के द्वारा नहीं क्योंकि चुनाव जीतने के पश्चात किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं रहेंगे *...(व्यवधान)*

आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें इस सोच का त्याग करना चाहिए कि जो उन्होंने इस देश पर थोपने का प्रश्न किया। दांव पर क्या था*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं समाप्त कर रहा हूं। उस मतदान में दांव पर क्या था? इस सरकार के बने रहने के अतिरिक्त भारत-अमेरिका परमाणु समझौता दाव पर था। वह मामला दांव पर था।

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली) : वे आपकी सरकार के बारे में भी ऐसा ही कहा करते थे।*...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि मैंने जो कहा यदि उसके कारण प्रधानमंत्री जी और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी को तत्काल जवाब देना पड़ा, तो मेरा यह मानना है कि मेरे द्वारा मुद्दा उठाया जाने का असर हुआ। इससे एक संदेश गया और इसीलिए*...(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी : यह आपकी बात का उत्तर है*...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, हमने परमाणु समझौते का पूर्णरूपेण विरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री इस बारे में जानते हैं। मैं इस सदन में नहीं था। मैं दूसरे सदन में था। परमाणु समझौते पर जो बहस हुई वह मुझे याद है। रुसियों ने ऐसा समझौता क्यों नहीं किया? परमाणु समझौते के विषय में जो अमेरिका ने किया ऐसा फ्रांस अथवा ब्रिटेने ने क्यों नहीं किया? अमेरिका के संबंध में क्या विशेष बात है? यह एक अंतराष्ट्रीय समझौता है। हमने आई. ए.ई.ए के साथ समझौता किया है। इसमें केवल अमेरिका की क्यों रूचि थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की रूचि एक सामरिक भागीदारी की बजाय सामरिक आज्ञाकारिता में थी। इसमें यह अंतर है*...(व्यवधान) [हिन्दी]* आडवाणी जी ने डिनाई नहीं किया है और आप भी डिनाई मत करो क्योंकि जो कहा है वह सही कहा है. *..(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, श्री यशवंत सिन्हा यह तर्क दे रहे हैं कि श्री आडवाणी ने यह स्वीकार कर लिया है कि विपक्ष केवल लोक दिखावा कर रहा था*...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : श्री सिद्धार्थ वरदराजन एक महान और सम्मानित पत्रकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं उन्हें उद्धृत करके अपना भाषण समाप्त करूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए न।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, उन्होंने यह कहा है और मैं उनको उद्धृत करता हूं:

''मैं इस बारे में जितना अधिक सोचता हूं, मैं उतना ही संतुष्ट हो जाता हूं कि अनेक टिप्पणीकारों ने मनमोहन सिंह की सरकार की दूसरी पारी में उदासीनता, निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, वह उस बात से साबित होते हैं जिस तरीके से विश्वास मत हासिल किया गया। यू.पी.ए ने उस दिन अपना नैतिक आधार खो दिया, और उसके साथ अपना राजनीतिक आधार''...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : इसीलिए, मैं यह कह रहा हूं कि इस सरकार को सत्ता में बने रहने कोई नैतिक आधार नहीं है।...*(व्यवधान)* उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। *[हिन्दी]* नहीं तो जनता इनको हाथ पकड़ कर निकाल देगी।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात उन्होंने साफ कह दी कि आडवाणी जी के प्रति डबल स्पीक की बात है, वह आडवाणी जी मान रहे हैं।इन्होंने यह कह दिया है।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : आडवाणी जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को हल्के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसमें गलत क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कपिल सिब्बल के अलावा किसी सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के विशिष्ट सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वास्तव में मैं भी 12-13 वर्षों से संसद का सदस्य हूं और चर्चाओं के भाव और विषय-वस्तु में धीमी गिरावट को देख रहा हूं।

एक दिन मैं आधुनिक भारत के निर्माताओं पर राम गुहा की पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें मैंने अंबेडकर और भारत के सभी महान नेताओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपना खून बहाकर और अपना बलिदान करके हमें स्वतंत्रता दिलाई और ईंट-ईंट जोड़कर इस देश तथा संविधान का निर्माण किया। हम लोग लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठते है।

मुझे इस बात की आशा थी कि इस देश में हम सभी महसूस करते हैं कि हम लोग राष्ट्र के रूप में बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करते हैं और यह समस्या न केवल आपको वरन् इस सदन के सभी सदस्यों और शायद प्रत्येक राजनीतिक दल के बीच विवाद पैदा करता है। लेकिन मैं बहुत देर से यह देख रहा हूं कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री कार्यालय और इस देश के संवैधानिक कार्यालयों की महत्ता का ख्याल रखे बिना प्रत्येक कदम पर राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास में है और इससे इस कार्यालयों के मूल्य

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

धीरे-धीरे क्षीण हो रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, शायद 50 वर्ष बाद, इसका शीर्षक होगा - विशेषकर विपक्ष की भूमिका पर- 'भारतीय लोकतंत्र के निर्माता' नही होगा बल्कि 'भारतीय लोकतंत्र के विभाजक' होगा।...*(व्यवधान)*

प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सहज है; यह स्पष्टवादी है, और यह निरूपित करता है कि न तो किसी भी स्तर पर सरकार और न ही किसी भी स्तर पर कांग्रेस पार्टी उस तथा कथित कार्यकलाप में शामिल हैं जिसके बारे में विपक्ष बात कर रहा है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अब, आज भी चर्चा का जो परिणाम निकला है, वह है विकीलिक्स में किये गये कुछ अनुमान, कुछ अप्रमाणिक और अप्रमाण्य वक्तव्य हैं और मुझे विश्वास है कि साधारण कारण के लिए वे अप्रमाणिक और अप्रमाण्य है कि उस विकीलिक्स में विपक्ष के विशिष्ट सदस्य यह पूछ रहे हैं कि उन्होंने आडवाणी जी के बारे में क्या कहा है, मुझे याद है कि आडवाणी जी इस सदन में और सदन के बाहर इस बात को कभी, चुनाव से पहले उल्लेख करते हुए कहते थे कि यदि मेरी सरकार कभी सत्ता में आएगी तो मैं परमाणु डील पर पुन: बात करूंगा। यही बात उन्होंने इस देश की जनता से सार्वजनिक रूप से कही। हम लोग उनका विश्वास करते थे। हम लोग उनपर विश्वास करते थे क्योंकि वे एक सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने विकीलिक्स में क्या कहा? उन्होंने कहा:-

> ''आडवाणी इस बात से आश्वस्त थे कि बीजेपी निकट भविष्य में इस डील को फिर से नहीं उठाएगी। उनके विचार में सरकार में विशेषकर विदेशी नीति के मामलों में निरन्तरता है।''

अपराह्न 4.25 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

उन्होंने कहा कि यदि वे सत्ता में आए लेकिन भारत में चल रहे घरेलू राजनीतिक हलचल के प्रति उस रवैया से जुड़े रहे। वे उस समय भारत में चल रहे घरेलू राजनीतिक हलचलों के कारण इसे सार्वजनिक रूप से कहा...*(व्यवधान)* विकीलिक्स में यही बात है।

अब, मैं आडवाणी जी से जानना चाहता हूं कि जब वे भारत की जनता से कह रहे थे कि वे डील पर पुन: बात करेंगे, क्या यह सही था या वे विकीलिक्स में किसी और व्यक्ति को कहा? यदि हम लोग आडवाणी जी पर भरोसा नहीं कर सकते तब हम लोग विकीलिक्स का कैसे भरोसा कर सकते हैं?...*(व्यवधान)* केवल यही बात नहीं कही गई। हमारे पास उनकी राजनीतिक पार्टी के दूसरे सदस्य हैं, उदाहरण के लिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनमें से एक ने कहा: ''उन्होंने मानक आचरण के रूप में वक्तव्य को खारिज किया जिसका उद्देश्य यू.पी.ए. के विरुद्ध आसान राजनीतिक लाभ लेना था।'' इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत की जनता के प्रति आपका व्यवहार भारत की जनता का उपयोग करने का उद्देश्य है और आपका वास्तविक व्यवहार कुछ और है जो बीजेपी की दोहरी बात है जोकि शुरू से ही उनकी नीति रही है।

जब 22 जुलाई के विश्वासमत का पूरा मुद्दा सामने आया तो इससे मुझे आघात लगा, इस सभा के प्रत्येक सदस्य को आघात लगा कि कैसे नोटों की गड्डिया इस सभा के अहाते में लायी गयी। उन्हें यहां आने की अनुमति कैसे मिली? उसके बाद 28 अगस्त 2009 के 'द आउटलुक' में इस पूरी घटना के बारे में जसवंत सिंह जी द्वारा किए गए बयान को पढ़कर मुझे धक्का लगा और में इसे उद्धृत करता हूं। जसवंत सिंह जी ने कहा:

> ''यह बड़े दुख की बात है। यहां एक ऐसा आदमी था जो प्रधानमंत्री बनना चाहता था और उन्होंने अपनी इस इच्छा के कारण अनेक गलतियां की।''

यह मेरा बयान नहीं है...*(व्यवधान)* यह आपके दल के सदस्य का बयान है जो इस सभा में नहीं है तथा सलाह से नहीं हैं। जसवंत सिंह जी ने यह बयान दिया तथा उन्होंने कहा: ''क्या आप जानते हैं कि वोटों के लिए रुपये के लेन देन की यह दु:खद घटना गलत निर्णय लेने का आदर्श उदाहरण है तथा अत्यंत विक्षुब्धकारी बात यह है कि उन्होंने खड़े होकर यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। इस पूरे ड्रामा के केन्द्र में आडवाणी जी थे।' ऐसी बात आपके लोग आपके बारे में कह रहे हैं तथा आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं।

महोदया, वास्तव में इस सुबह यह बहुत दिलचस्प है कि तहलका डॉट कॉम नवीनतम बात लेकर आया है। आज सुबह यह प्रकाशित हुआ है। इसमें क्या कहा गया है? मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> ''यह ऐसी कहानी है जो समसामयिक भाषण को बदल देती है। यह दु:खद कहानी है कि कैसे मुख्य धारा के तीन राजनीतिक

[श्री कपिल सिब्बल]

दलों एवं मीडिया के वर्गों ने राष्ट्र को बेवकूफ बनाया है। यह कहानी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों को वोट के बदले नकद राशि के स्कैंडल में सोच-समझकर फंसाया है।''

श्रीमती सुषमा स्वराज जानना चाहती थी कि इसके पीछे कौन था। पीछे देखिए तथा आप जान जाएंगी कि इसके पीछे कौन था।...*(व्यवधान)*

''कैसे समाजवादी पार्टी स्वेच्छा से इस जाल में फंस गयी इसकी कहानी है।''

यह खुलासा है। वास्तव में, तहलका कॉम यहां तक कहता है तथा मैं कुछ ही उद्धरण पढ़ूंगा क्योंकि मैं इस सभा का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता...*(व्यवधान)*

''इसका शायद एक कारण है कि स्टिंग स्वतंत्र पत्रकारिता कार्य नहीं था तथा यह एक राजनीतिक दल, जो भा.ज.पा. है, के सहयोग से किया गया था।''...*(व्यवधान)*। उसके बाद इसमें आगे कहा गया है: ''रात 8.30 बजे से 9.00 बजे के बीच राजदीप ने मुझे कॉल किया और एक मोबाइल नं. दिया, जिसपर आगे के अनुदेशों के लिए मुझे बात करनी थी। मोबाइल नं. ... का निकला''

और मैं नाम नहीं लूंगा पर वह दूसरे सदन में सदन के नेता हैं...*(व्यवधान)* वह दूसरे सदन के नेता हैं।

''उस भद्रपुरुष ने मुझे दूसरे मोबाइल नं. पर कॉल करने के लिए कहा जो सुधीन्द्र कुलकर्णी का था। कुलकर्णी ने हमें बलवंत राय मेहता रोड स्थित अपने घर पर पहुंचने को कहा''।

सिद्धार्थ ने तहलका जो पत्रकार था, से यह कहा। अब आगे वे कहते हैं:–

''स्पष्ट रूप से किसी भी कीमत पर खरीद-फरोख्त कर, उसके सबूत हैं, सरकार को अस्थिर करने की सोची समझी चाल थी। किसी व्यक्ति को जाल में फंसाने के लिए एक साथ दो प्रयास किए जा रहे थे। एक प्रयास अर्गल द्वारा किया जा रहा था। दूसरी समानान्तर कोशिश हिन्दुस्तानी द्वारा की जा रही थी जो लॉन में बाहर आकर आवेश में कॉल कर रहा था।''...*(व्यवधान)* वे यहां तक कहते हैं कि उनके पास टेलीफोन नं. हैं तथा बातचीत का रिकॉर्ड है जो उस रात की गयी थी। और बातचीत इन लोगों तथा भा.ज.पा. के सदस्यों के बीच की गयी थी...*(व्यवधान)* श्रीमती सुषमा स्वराज जानना चाहती थी कि उसके पीछे किसका हाथ था। वे बहुत इच्छुक थी कि ऐसा क्यों हुआ। और अब खुलासा यह है कि सुषमा जी यह सब आपके इशारे पर हुआ। इसका कारण था कि आप सरकार को अस्थिर करना चाहती थी। सुषमा जी, दुर्भाग्यवश समस्या यह है कि आपने उन सभी चीजों में किसी तरह विश्वास करना प्रारंभ किया है जो आप कहती हैं। यही आपके साथ समस्या है...*(व्यवधान)* वहां और यहां के बीच की दूरी बहुत कम लगती है...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* यह रास्ता बहुत कम लगता है लेकिन दिल्ली दूरस्थ।..*[अनुवाद]*...*(व्यवधान)*

महोदया, फिर उन्होंने जूलियान असांजे का उल्लेख किया और कहा कि जूलियान असांजे कहते हैं कि यह सही है...*(व्यवधान)* उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि अर्धसत्य झूठ से भी बदत्तर है। परंतु सुषमा जी ने स्वयं वह सब नहीं पढ़ा जो जूलियान असांजे ने कहा है और उसे मैं उनके लिए यहां उद्धृत करना चाहूंगा। असांजे ने कहा:

''केबलें तो प्रामणिक हैं परंतु केवल उनकी विषयवस्तु सही या गलत हो सकती है।''

ऐसा कहा जूलियान असांजे ने। सुषमा जी, अब आप मुझे बताएं कि क्या यह अर्ध सत्य भी झूठ है?...*(व्यवधान)*

1999 में क्या हुआ? मुझे याद है जब 1999 में 18 अप्रैल को विश्वास मत रखा गया तो उस दौरान क्या हुआ...*(व्यवधान)* मुझे उन दिनों की याद है। विश्वास मत से एक दिन पूर्व श्रीनिवास सेलकॉम जिसके मालिक श्री शिवशंकरन को लाइसेंस की प्रभावी तिथि को नौ महीने बढ़ाकर 55 करोड़ रु. का लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकार विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए। परंतु भाग्य और नियति आपके साथ नहीं था।...*(व्यवधान)*

मेरे अच्छे मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त ने भाग्य की बात कही। उन्होंने कहा कि भाग्य कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है और इतिहास हमारे विरुद्ध होगा। श्री गुरुदास दासगुप्त जी, अगले दो महीने में आपको पता चलेगा कि भाग्य ने आपके साथ क्या किया है..

.(व्यवधान) उन्होंने यह भी कहा कि ये 'विकीलीक्स' का विश्वास नहीं करते परंतु 'हिंदू' पर इनका विश्वास है। परंतु समस्या यह है कि पिछले दो-तीन महीनों अथवा या दो वर्षों का आपका व्यवहार यह जताता है कि आप 'हिन्दू' से 'हिन्दूत्व' की ओर मुड़ रहे हैं...*(व्यवधान)* कृपया ऐसा न करें। इससे पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावों में आपको और हानि होगी। आपको यह मेरी नेक सलाह है। कृपया ऐसा न करें...*(व्यवधान)*

अब, मैं 'विकीलीक्स' के बारे में आपके सामने कुछ खुलासा करना चाहूंगा...*(व्यवधान)* वास्तव में, श्रीमती सुषमा स्वराज ने सभा में यह गलत कहा कि उस राजनीतिक सलाहकार ने स्वयं सभा के भीतर लेन-देन होते देखा। यह तथ्यों की गलत बयानी है। 'विकीलीक्स' तक में यह नहीं कहा गया है। 'विकीलीक्स' में कहा गया है कि उस राजनीतिक सलाहकार स्टीफन व्हाइट, ने एक दूतावास कर्मचारी से यह सुना। उस दूतावास कर्मचारी के नाम का उल्लेख 'विकीलीक्स' नहीं किया गया है। दूतावास के उस कर्मचारी ने कहा कि श्री अजित सिंह और उनकी पार्टी के चार सदस्यों को रकम दी गई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी, कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बस, मुझे अंतिम बात कहने दें और मैं समाप्त करता हूं।

'विकीलीक्स' में कहा गया है कि दूतावास के किसी कर्मचारी ने उन्हें यह बात बताई। लेकिन उस कर्मचारी का नाम हमें नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि यह लेन-देन कहां हुआ। हमें नहीं पता कि यह किस जगह हुआ। हमें नही पता कि वह तिजोरी कहां थी...*(व्यवधान)* प्रतिपक्ष की नेता का कथन है कि जिस व्यक्ति के यहां यह सब हुआ वह कांग्रेस पार्टी का है जबकि 'विकीलीक्स' ने ऐसा नहीं कहा गया है। यह फिर 'विकीलीक्स' की पूरी तरह से गलत व्याख्या है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हैं: तो आरोप लगाने से पहले आपको संबंधित दस्तावेज की विषयवस्तु को गंभीरता से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि प्रतिपक्ष की नेता जो आरोप लगा रही हैं वह सामान्य आरोप नहीं है। समस्या यह हे कि आप देश के संस्थानों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)* जिस सी.बी.आई. की आप बात करते हैं उसकी आपने सार्वजनिक रूप से आलोचना की क्योंकि जांच का रूझान आपके विरुद्ध था..*(व्यवधान)*

आज सुबह मैं न्यायामूर्ति वर्मा को सुन रहा था जब वे 'विकीलीक्स' के आधार पर श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उनके मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्यकरण आक्षेप का जवाब दे रहे थे...*(व्यवधान)*

आपने गुजरात के मुख्य मंत्री की बात की। यहां मैं 'द हिन्दू' समाचार पत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। श्रीमती सुषमा स्वराज को 'विकीलीक्स' में इतना विश्वास हैं। तो फिर क्या वे 'विकीलीक्स' के इस कथत वक्तव्य को स्वीकार करेंगी? इसमें कहा गया है कि ''श्री ओवेन ने श्री मोदी की सार्वजनिक छवि और उनकी व्यक्तिगत कृत्यों के बीच के अंतर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। सार्वजनिक रूप से मोदी एक जनाकर्षक और लोकप्रिय व्यक्ति हो सकते हैं। तथापि, सब प्रकार से वे एक अनुदार और अविश्वासी व्यक्ति है जो सलाहकारों के एक छोटे से समूह के साथ शासन करते हैं। मुख्य मंत्री का यह आंतरिक विभाग, उनके और उनके मंत्रिमंडल व पार्टी के बीच एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। वह समावेश और सहमति की बजाय अधिकतर भय और दबाव द्वारा शासन करते हैं पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के प्रति रूक्ष, एहसान जताने वाला और प्राय: निन्दात्मक रवैया रखते हैं वह सारी शक्ति स्वयं के पास रखते हैं और प्राय: अपने मंत्रियों के विभागों से जुड़े प्रभावी निर्णय करते समय उनकी अनदेखी करते हैं''...*(व्यवधान)*

तो यह रहा की 'विकीलीक्स' पर आपका विश्वास! अब आप इस पर कुछ कार्यवाही करते या उन्हें सलाह देने का प्रयास करें और अपने मुख्यमंत्री को थोड़ा और...*(व्यवधान)* आप सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आप यह सुनना नहीं चाहते। ऐसा इसलिए, क्योंकि आप सच सुनना ही नहीं चाहते। आप यह सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप सच्चाई सुनने में विश्वास नहीं रखते। यह है विपक्ष की रणनीति कि आप स्वयं तो जो बोलना चाहते हैं, बोलें और जब दूसरा पक्ष बोलना चाहे, तो उसे बोलने न दें। पहले आपने सभा में मेरे सहयोगी के साथ ऐसा किया और अब मेरे साथ भी यही कर रहे हैं। श्री यशवंत सिन्हा जी, आप तो इस देश के विदेश मंत्री रहे हैं, *[हिन्दी]* उसकी गरिमा तो खत्म मत कीजिए, अपने बारे में तो सोचिए। *[अनुवाद]* बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदया आपसे मुझे कहना है कि मैं इस सम्मानित सभा को तनिक उदास मन से संबोधित कर रहा हूं।

हमारे देश के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। मध्य-पूर्व, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अशांति का वातावरण है। हमारे देश के साठ लाख नागरिक इन देशों में रह रहे हैं। हमें हमारे उन नागरिकों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। हमारी 70 प्रतिशत तेल-आपूर्ति मध्य-पूर्व से होती है। यदि इस क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ता है तो ऊर्जा-सुरक्षा हेतु हमारे प्रयासों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। मैंने सोचा था कि यह सम्मानित सभा इस अवसर पर परस्पर दलगत-भावना से प्रेरित होकर नहीं वरन् एक होकर, उन लोगों की एक सभा के रूप में विचार करेगी जो इस देश के शासन के उत्तरदायित्व की भावना से अभिप्रेरित होकर इस प्रकार एक व्यवहार्य रणनीति तैयार करने में लगे हैं कि हमें इस उभरते घटनाक्रम के संबंध में क्या और कैसे कार्यवाही कर सकते हैं। पर बजाय इसके, हमने यह मुद्दा चुना कि किसी दूतावास का कोई कर्मचारी हमारे बारे में क्या लिख रहा है। मैं सभा को चेताना चाहता हूं कि यह तरीका खतरनाक है। कल को यदि किसी और विदेशी दूतावास का कोई कर्मचारी हमारे देश के राजनीतिक दलों के बीच परस्पर तनाव और फूट का वातावरण बनाना चाहे तो उसे केवल यही करना होगा कि वह एक राजनयिक संदेश रचे और सुनिश्चित करे कि किसी तरह वह लीक हो जाए। मेरा मानना है कि इस राष्ट्र, इस देश और इसकी सम्मानित संसद को यह विचारना चाहिए कि आखिर इसका हमारे देश पर क्या असर होगा। मैं ऐसा किसी दलगत भावना से नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसके परिणाम के बारे में, और इस घटनाक्रम से हमारे देश के भावी प्रबंधन पर होने वाले प्रभाव के बारे में चिंता है।

इन शब्दों के साथ मैं मुख्य विषय पर बयान आता हूं। मैं साफ कह दूं कि श्रीमती सुषमा जी के वाक्-कौशल का मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने उर्दू में एक शेर कहा मैं भी यह कहूंगा कि: *[हिन्दी]* माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

''माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं
तू मेरा शौक तो देख मेरा इंतजार देख।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, यह पहली बार नहीं है कि मुझे अपने संसदीय कैरियर में विपक्ष से इस प्रकार के प्रहार का सामना करना पड़ा हे जिसके आप साक्षी रहे हैं। मुझे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की नियति से होकर गुजरना था। वर्ष 2004 से मुख्य विपक्षी दल ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि हम सत्ता को जबर्दस्ती हड़पने वालों में से थे। श्री आडवाणी जी मानते हैं कि प्रधानमंत्री बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था...*(व्यवधान)* और अत: उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया...*(व्यवधान)* मैं श्री आडवाणी जी से इतना कहना चाहता हूं कि भारत के लोगों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में हमें सत्ता में लाया है, कृपया साढ़े तीन वर्ष और प्रतीक्षा करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि कई सदस्यों ने नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास से वाशिंगटन में अपने प्राधिकारियों को भेजे गए कथित केबल के बारे में अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाए थे। विपक्ष के नेता के अनुरोध के संबंध में मैंने इस सम्मानित सभा में इस विषय पर 18 मार्च, 2011 को एक वक्तव्य दिया था।

महोदया, मैं दुहराता हूं कि भारत सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह ऐसे संवाद की सत्यता या विषयवस्तु की पुष्टि करे। यदि ऐसा होता है तो उन्हें नई दिल्ली में स्थित अमरीकी राजनयिक द्वारा वाशिंगटन में अपनी सरकार को सूचना दी जाएगी। हम दोनों में से किसी के द्वारा आपस में दी गई सूचना की जांच नहीं कर सकते। मेरे 18 मार्च, 2011 के वक्तव्य में मैंने यह भी कहा था कि इस सूचना में संदर्भित बहुत से लोगों ने उसकी प्रमाणिकता को सिरे से नकार दिया है...*(व्यवधान)*

महोदया, मेरे वक्तव्य में घूस खोरी के अपराध के संबंध में उठाए गए मुद्दे का भी उल्लेख था। आरोपों को खारिज करने के अलावा मैंने सम्मानित सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया था कि आरोपों की जांच चौदहवीं लोक सभा द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया था और समिति ने निष्कर्ष दिया था कि घूस देने के निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हैं। माननीय विपक्ष के नेता ने इस कथन के प्रमाणिकता पर प्रश्न उठाया है और मैंने उन्हें और विपक्ष के सदस्यों को इस बात को समझाने में बहुत समय दिया कि निकाला गया निष्कर्ष अनुचित है।

महोदया, इस संबंध में मैं तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने 16 दिसंबर, 2008 को इस सम्मानित सभा में समिति की रिपोर्ट पुर:स्थापित करते हुए जो कहा था, उसका संदर्भ लेता हूं तथा उसका उल्लेख करता हूं–

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह कहा:

''समिति का निष्कर्ष यह है कि रिकार्ड की सामग्री निष्कर्ष रूप से यह साबित नहीं करती कि बैग में रखा गया धन, जिसे अंतत: सभा में दिखाया गया, वास्तव में उन व्यक्तियों द्वारा भेजा गया था जिन्हें विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए श्री अशोक अर्गत, श्री फगन सिंह कुलस्ते और श्री महावीर सिंह भगोरा को सदन में करने के प्रयोजन के लिए कथित रूप से भेजा गया था। तथापि, समिति ने पाया कि इस प्रकरण में शामिल तीन व्यक्तियों द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और समिति ने सुझाव दिया है कि मामले में उनकी भूमिका की जांच जांच एजेंसियों द्वारा कराए जाने की आवश्यकता है''

श्री सोमनाथ चटर्जी ने आगे कहा:

''मैं तदनुसार उक्त तीन लोगों से संबंधित मामलों को समिति की सिफारिशों के आलोक में समुचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को संदर्भित करता हूं।''

अत: महोदया, मैंने जो कहा श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस रिपोर्ट को पुरस्थापित करते हुए ठीक वही कहा था अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं वे इस संबंध में मेरी साख पर संदेह नहीं करें।

महोदया, जब हमने रिपोर्ट की समग्रता में अध्ययन किया तो यही चीज़ सामने आई। किसी की सुविधा या किसी के दलील को समर्थन देने वाले खण्डों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया था ओर यह मेरा सुविचारित निर्णय है कि इस आधार पर जो मैंने कहा कि समिति निष्कर्ष पर पहुंची कि घूस देने का कोई साक्ष्य नही दें, वह ठीक है। मैं पुन: समिति का उल्लेख करता हूं। समिति ने अपने पैरा 168 में इस प्रकार टिप्पणी की है–

''श्री संजीव सक्सेना, श्री सुहैल हिन्दुस्तानी और श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी की भूमिका के संबंध में पैरा 141 विशेष रूप से 14 से 17 में मामलें में समिति के निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात् समिति सिफारिश करती है कि इस मामले की आगे की जांच समुचित जांच एजेंसी द्वारा की जाए।''

महोदया, मामले को दिल्ली पुलिस के पास जांच के लिए भेजा गया था। आगे की जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इसे सम्मानित सभा के विवेक पर छोड़ता हूं कि वह स्वयं निर्णय ले कि क्या समिति की रिपोर्ट किसी रूप में विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की पुष्टि करता है।

महोदया, मैं पुन: स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या सरकार से कोई भी व्यक्ति 2008 में विश्वास मत के दौरान किसी भी गैर कानूनी कार्य में लिप्त नहीं था। हम किसी भी ऐसे कृत्य में शामिल नहीं है और हमने किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्य में शामिल होने के लिए प्राधिकृत नहीं किया।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, अभी नियम, 193 के अंतर्गत जो चर्चा हम कर रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ विधायी कार्य जरूर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। श्री गुरुदास दासगुप्त, मैं इस पर बाद में लौटूंगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त : अध्यक्ष महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं बाद में आपकी बात पर विचार करूंगी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.54 बजे

वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

अध्यक्ष महोदया : अब हम मद संख्या 14 पर आते हैं। श्री पवन कुमार बंसल।

संसदीय कार्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान के अभियोजन को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञात संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदया, इस विधेयक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में निदेश देने तथा डिग्री प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी की स्थापना करने का प्रस्ताव है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : महोदया, हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.55 बजे

इस समय श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 4.55¼ बजे

इस समय श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, अकादमी मुख्यत: ऐसे क्षेत्रों में अनुसंधान करने और प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी, जिनमें कि सामान्यत: भारत में विद्यमान विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाए। पाठ्यक्रम अध्यापन और मूल्यांकन भी नवीकृत होगा और क्रॉस विषयक क्षेत्रों में उच्चतम गुणवत्ता वाले कार्मिक तैयार करने की ओर निदेशित होगा। यह अकादमी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की संपूर्ण भारत में उपस्थिति का उपयोग करते हुए हब और स्पोक्स मॉडल के रूप में कार्य करेगी, देशभर की 37 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और तीन केन्द्रों में फैले हुए हैं, जो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अकादमी सीएसआईआर के विद्यमान संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करते हुए सरकार से बिना सीधी बजटीय सहायता के स्व-संपोषित आधार पर संचालित होगी।

अपराह्न 4.56 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

महोदय, 21वीं शताब्दी की ज्ञान-अर्थव्यवस्था में किसी देश का स्तर राष्ट्रों के सौहार्द में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रकृति में निरंतर वार-विषयक और अंतर-विषयक बन रहे हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की अग्रणीय रहने की क्षमता काफी हद तक इसकी शिक्षा अनुसंधान और नवांतर जोड़ने की इनकी क्षमता पर निर्भर करती है।

सीएसआईआर अत्याधुनिक अनुसंधान में लगे अपने 4500 वैज्ञानिकों में से संकाय प्रदान करने की विशिष्ठ स्थिति में है, जो प्रतिवर्ष विशिष्ठ समीक्षित पत्रिकाओं और पेटेन्टों के सबसे बड़े पोर्टफोलियो पर 4000 से भी अधिक पत्र प्रकाशित कर रहा हैं।

सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग की आधुनिकतम अवसंरचना है। सीएसआईआर और अकादमी के मध्य सांकेतिक संबंध काफी विशिष्ट ओर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य इंजीनियरिंग के क्षेत्रों शिक्षण और अनुसंधान प्रदान कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक ज्ञान का प्रसार करना है।

राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन के सर्वेक्षण अनुसार 1991-2000 के दौरान भारत में पीएचडी की संख्या में वृद्धि चीन की 85 प्रतिशत की वृद्धि तुलना में मात्र 20 प्रतिशत थी चीन के लगभग 10 लाख की तुलना में भारत में केवल एक लाख से थोड़े अधिक अनुसंधान

और विकास कामगार हैं। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो एक समय अपने वैज्ञानिक आऊटपुट में भारत से पीछे थे, अब न केवल आगे निकल गए हैं, बल्कि भारत को काफी आगे हैं।

विकसित देश भी विज्ञान में पीएचडी की संख्या बढ़ाने हेतु कदम उठा रहे हैं। जब तक कि देश में ही पर्याप्त अवसर सृजित नहीं किए जाते, तब तक यह संभावना है कि भारत अंतरविषयक क्षेत्रों में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या को अन्य देशों के लिए खो देगा। अकादमी का मुख्य उद्देश्य स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्रियां प्रदान करना है, ताकि इन विद्यार्थियों को भारतीय शिक्षा तंत्र में बनाए रखा जा सके।

इसके चालू होने के बाद ऐसी आशा है कि अकादमी अनुसंधान द्वारा प्रति वर्ष विज्ञान में 1000 पीएचडी और इंजीनियरिंग में 120 पीएचडी, इंजीनियरिंग में लगभग 200 एमटैक, विज्ञान में 1000 विज्ञान स्नातकोत्तर प्रदान करेगा और अनेक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जिनका घरेलू उद्योग हेतु जनशक्ति में सुधार करने हेतु सीधा संबंध होगा।

कुछ व्यापक सिद्धांत यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अकादमी एक विश्वस्तरीय अनुसंधान संस्थान के रूप में फले-फूले। शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता के सिद्धांत इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों को रेखांकित करते हैं। अकादमी अनिवार्यत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगी, जोकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण से पृथक होगी।

अकादमी का शासी ढांचा इस प्रकार निर्मित किया गया है कि अकादमी शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को जोड़कर एक विशिष्ट संस्थान बन सके। इसमें निदेशक मण्डल, सीनेट, शासी मंडल और अध्ययन मण्डल और कुछ अन्य प्राधिकारी हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

शासी मण्डल का अध्यक्ष अकादमी का कुलपति होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें इस पद हेतु श्रेष्ठ व्यक्ति मिले, इस विधेयक में खोज ओर चयन समिति प्रावधान है, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा नामित चार प्रख्यात वैज्ञानिक या अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रौद्योगिकीविद होंगे।

चार प्रख्यात वैज्ञानिकों या तकनीक विदों में से कम से कम दो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सोसायटियों, अकादमियों या समान संगठनों के प्रमुख होंगे। आकदमी के निदेशक का चयन शासी बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष, परमाण ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

ऐसे सुदृढ़ चयन तंत्र के प्रावधान उच्च वैज्ञानिक उत्कृष्टता का नेतृत्व और हमारे वैज्ञानिक संस्थानों की क्षमता प्रदान करने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसा नेतृत्व उत्कृष्टता की खोज के लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करेगा जो सृजनात्मकता को फलने-फूलने देगी।

महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की और विधेयक के उपबंधों से सहमत हुई। स्थायी समिति ने कुछ सुझाव दिया है जो अकादमी के प्रचालन को दिशा-निर्देश देगी लेकिन समितियों ने पुरस्थापित विधेयक में ने तो किसी संशोधन की आवश्यकता बताई है और न ही इसने किसी संशोधन का सुझाव दिया है। अकादमी निश्चित रूप से स्थाई समिति के माननीय सदस्यों के सुझाव का लाभ लेगी।

हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु का सीएसआईआर, आईआईटी और ऐसे अन्य संस्थानों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की दृष्टि ने भारत के विज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की आधार शिला रखी। समय अब भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत आधार बनाने का है। यह विधेयक राष्ट्र को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए इसकी वैज्ञानिक उत्कृष्टता में और सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सम्मानीय सभा में वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक की सराहना करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान के अभियोजन को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञात संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। चूकि आपने मुझे वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी की स्थापना संबंधी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। केन्द्र सरकार ने सीएसआईआर के वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और लोक सभा में इसे दोबारा 30 जुलाई, 2010 को पुर:स्थापित किया गया था।

अंतर-विषयक और अंत:विषयक प्रयासों से विज्ञान और इंजीनियरी में अग्रणी स्थान हासिल किया जाता है। वही राह सफल हैं जिन्होंने न केवल अनुसंधान और विकास अवसंरचना सृजित करके अपनी स्थिति मजबूत की है अपितु वे मानव संसाधन का भी विकास कर रहे हैं। चीन, कोरिया और ब्राजील जैसे देश जो नब्बे के उत्तरार्ध में भारत से काफी पीछे थे उन्होंने अब इतनी प्रगति कर ली है कि अब हम प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। यह अकादमी शिक्षण का कार्य करेगी और विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में उपाधि प्रदान करेगी क्योंकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद् अनुसंधान के अंत: विषयक क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करती है। प्रस्तावित वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी की संकल्पना विज्ञान और इंजीनियरी के महत्वपूर्ण अंत: विषयक क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और नवप्रर्तनों में सांमजस्य स्थापित करने हेतु एक-स्थान समाधान के रूप में की गई है।

यह अकादमी स्नाकोत्तर तथा पीएचडी की डिग्रियां भी प्रदान करेगी। इसमें उन क्षेत्रों ओर विषयों को भी शामिल किया जाएगा जो अन्य सामन्य विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाए जाते। सीएसआईआर की देश भर में फैला हुआ है और इसकी 37 प्रयोगशालाएं हैं जो विज्ञान और इंजीनियरी की सभी प्रमुख शाखाओं को कवर करती हैं। वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी सीएसआईआर में एकीकृत अंत: विषयक और अंतर-विषयक क्षेत्रों में शोधार्थियों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी करके सीएसआईआर के बौद्धिक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग करके स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अकादमी को विकसित करने में समय नहीं लगेगा क्योंकि एक तरफ तो सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में मौजूद सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा वही दूसरी तरफ सीएसआईआर के वैज्ञानिक ही शिक्षण, मार्गदर्शन और अनुसंधान का कार्य करेंगे।

भारत में वैज्ञानिक प्रशीक्षण मूलरूप से अंतर-विषयक क्षेत्रों में मामूली ओवरलैप के साथ एकल विषयों में होता है। तथापि, सारी नए क्रियाकलाप (भविष्य में होने वाली भी) वैज्ञानिक प्रभाव-क्षेत्र के अंतर-पृण्यों पर होती है, मुख्यत: अतं: विषयक क्षेत्रों में/जेनोमिक्स का बॉयोलॉजी के साथ एकीकरण और चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना विज्ञान के साथ इसका समाकलन का एक बड़ा उदाहरण है। कल की इंजीनियरिंग में जैव-प्रेरित आविष्कारों शामिल होंगे। इसलिए भावी इंजीनियरों को जीवविज्ञान पढ़ने की उतनी ही आवश्यकता होगी जितनी की जीवविज्ञानियों को गणित और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने की। आज आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सुपर-विशेषज्ञ तैयार हो रहे है जो अंतर-विषयक स्वरूप के हैं, जैसे उपलब्ध सामग्री, एवियानिक्स, मैकट्रानिक्स, सिंथैटिक बायोलॉजी, सिस्ट्मज बायोलॉजी इत्यादि, और आने वाले कल थे शैक्षिक पाठयक्रमों में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। एएसआईआर इस बारे में एक समर्थकारी भूमिका अदा करेगी।

महोदय, एएसआईआर अनुसंधान और एकीकृत पीएचडी के जरिए पीएचडी, एम टैक, एमएस स्तर गुणवत्तापरक मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करेगी। अकादमी ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी करने और अपने छात्रों को रोजगार योग्य बनाने हेतु विशिष्ट दोहरी डिग्री आनर्स ओर विद्यालय पाठ्यक्रम मुहैया कराएगी। यह सरकार के कौशल उन्नयन पर जोर दिए जाने की वर्तमान पहले के एकदम अनुरूप है। 5वें वर्ष से, एएसआईआर से विज्ञान में 1000 पीएचडी और इंजीनियरी में 120 पीएचडी प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

फिलहाल, भारतीय ट्यूशन फीस पर कुल सात बिलियन डॉलर व्यय कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यदि यह संस्थान स्थापित हो जाता है तो हम न केवल उस बड़ी रकम की बचत कर जाएंगे जो हम शिक्षा पर विदेशों में खर्च कर रहे हैं बल्कि प्रतिभा पलायन को भी पूर्णतया रोका जा सकेगा और हमारे छात्र अपने देश में शिक्षा गृहण कर सकेंगे।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एएसआईआर और सीएसआईआर के एकीकृत कर दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले से ही आईआईटी और एनआईआईटी जैसी संस्थाएं हैं और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में भी पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संस्थान है। ये पूरे देश में है। सुदूर पूर्व में जोर हाट में एनईआईएसटी है। सुदूर दक्षिण में त्रिवेन्द्रम में एसआईएसटी है। उत्तर में जम्मू में आईआईएम है। पश्चिम में गोवा और पुणे में क्रमण: एनआईओ एवं एनसीएल हैं। इस प्रकार ये संस्थान मुख्यत: जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सूचना विज्ञान, सीएसआईआर एवं मानव विज्ञान से संबंधित हैं।

मैं इस बात का उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि कैसे भारत को न केवल वर्तमान युग पर बल्कि उन शताब्दियों पर और उस समय पर भी गर्व है जब पहली सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी, और आर्यभट्ट के समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ों सभ्यताएं मौजूद थी।

मैं सुदूर क्षेत्रों में ने केवल अरुणाचल, जम्मू और उत्तरांचल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ही सभी पिछड़े क्षेत्रों का हवाला देना चाहूंगा बल्कि ओडिशा के आतंरिक क्षेत्रों या बिहार के गांवों के गरीब लोगों का भी जिक्र करना चाहूंगा जहां कलावती या लीलावती अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही हैं। अभी हाल में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें महिलाओं को मोबाइल फोन के इस्तेमाल में प्राथमिकता दी गयी थी। हमें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि इस मोबाइल फोन का हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिको में से एक श्री जे.सी. बोस द्वारा अविष्कार किया गया था जिन्होंने 1895 में मिलीमीटर तरंगों का आविष्कार किया था।

हमें इस बात पर भी गर्व है कि हमारे यहां सी.वी. रमण, रामानुजन, डी.एस. कोठारी, डॉ. एच.जे. भाभा जैसे वैज्ञानिक हुए हैं। हमारे असंख्य वैज्ञानिकों ने हमारे देश के लिए वास्तव में राह दिखायी है और हमें वास्तव में उनपर गर्व है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विज्ञान कांग्रेस में लगभग 5 वर्ष पहले कहा था - यह चिंता की बात है कि हमारे सर्वोत्तम प्रतिभाशाली लोग विज्ञान की ओर उन्मुख नहीं हो रहे हैं और लोग विज्ञान में नहीं रह पाते हैं। यह बहुत ही दुखद है।

वास्तव में, कुछ ही दिन पूर्व मैं अपने एक दोस्त के घर गया था जिसके पारिवारिक सदस्य दोनों डॉक्टर हैं। मैंने उनकी एकमात्र लड़की के पास जाकर उससे पूछा: ''तुम जीवन में क्या करना चाहती हो?'' मेरे विचार से उसने सुबह में भौतिकी की परीक्षा जरूर दी होगी। उसने मुझे बताया: ''मैं अर्थशास्त्री बनना पसंद करूंगी।'' तब मैंने उससे पूछा, ''तुम अर्थशास्त्री क्यों बनना चाहती हो? तुम विज्ञान में बहुत अच्छी हो और तुम्हें विज्ञान में 90 प्रतिशत अंक मिल रहे हैं। तुम विज्ञान क्यों छोड़ना चाहती हो?'' उसने उत्तर दिया कि वह अपनी मां के साथ एक समारोह में गयी थी जहां उसकी मां मुख्य अतिथि थी। उसकी मां ने उससे कहा; ''बेटी, मुझे बहुत गर्व है; मैं 30 डॉक्टरों को पुरस्कार एवं डिग्री दे रही हूं।'' उसने अपनी मां से कहा; ''मां, जब हम समारोह में गए थे, हमने देखा कि सभी डॉक्टर बहुत बड़ी कारों में आए परंतु हम सैन्ट्रो कार में गए।'' कल्पना कीजिए छोटी बच्ची के विचार एवं मत की और देखिए कि उसका दिमाग कहां गौर कर रहा है। उसका अर्थ है कि वह कॉर्पोरेट दुनिया में जाना चाहती है और वह बड़ी कंपनी में रहना चाहेगी। इसलिए हमारे बच्चों का ऐसा विचार है। हमें इस धारणा को बदलना है।

इसलिए वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के माध्यम से हमारे पास अधिक वैज्ञानिक हो सकते हैं, हम भारत के भविष्य अर्थात् हमारे बच्चों को अधिक महत्व दे सकते हैं जो हमारे भावी वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं।

अंत में मैं माननीय सभापति एवं इस विधेयक को यहां विचारार्थ एवं पारित करने के लिए पुर:स्थापित करने वाले माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य हमारे बच्चों के साथ है जो हमारा नेतृत्व करने एवं हमें रास्ता दिखाने वाले हैं।

मैं यहां केवल एक संदर्भ देना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश में, केवल एक ही संस्थान है अर्थात् पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। हाल में एक इंटरव्यू- मेरे विचार से आईबीएन को दिए गए एक इंटरव्यू में, मेरे विचार से अमेरिका से एक गवर्नर सराह पालिन ने उस खतरे पर टिप्पणी की थी जो चीन की तरफ से हमपर हो रहा है।

पिछली बार जब मैं जर्मनी गया, वहां मैं एक ब्रांडेड शर्ट खरीदना चाहता था। मेरे विचार से यह मार्क्स एंज स्पेंसर की शर्ट थी, और मैंने सोचा कि यह कोई अंग्रेज कंपनी होगी। जब मैंने इसे खरीदा तो मैंने देखा कि यह चीन की बनी थी। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन क्या कर रहा है। इसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के बाजारों को भी कवर कर लिया है।

इसलिए मैं वह उदाहरण दे रहा था। हमारे सभी बच्चे अमेरिका या यूरोप या विदेश उच्च अध्ययन के लिए जाना पंसद करेंगे।

[श्री निनोंग ईरींग]

चूंकि चीनी शिक्षा पर बल दे रहे हैं, हम भी शिक्षा पर अपनी गंभीर सोच रखकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस माननीय सभा में उपस्थित अपने सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि हम इस विधेयक को सही भावना से लेकर पारित करें।

इस विधेयक पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति में विचार किया गया था और वहां भी इस विधेयक को बिना किसी बाधा के पारित किया गया था।

मैं यहां इस विधेयक को पुर:स्थापित करने वाले अपने माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा और मुझे आशा है कि यह माननीय सभा भी इस विधेयक का समर्थन करेगी।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर) : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा। *[हिन्दी]* आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप इस विषय पर बोलेंगे?

श्री प्रताप सिंह बाजवा : इस पर नहीं, लेकिन कोई और महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय : अभी नहीं, बाद में बोलिए।

[अनुवाद]

अब श्री शैलेन्द्र कुमार अपने विचार रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010 जिसे हमारे सम्मानित मंत्री श्री पवन कुमार बंसल जी लेकर आये हैं, उसका मैं पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, यह देखा गया है कि विकसित देशों में रिसर्च के केन्द्र में भारत की जो उभरती हुई तस्वीर हे, अगर उसका हम मूल्यांकन करें, तो आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम और हमारे वैज्ञानिक भूल गये हैं कि जब कभी छात्र या बालक पेड़-पौधों, कीड़े-मकौड़ों, नीले अकाश और सूरज के बारे में पूछते हैं, यह सब जानने की उनकी एक उत्सुकता होती है, तो हम बगले झांकने लगते हैं। हम उस बारे में नहीं बता पाते।

जहां तक देखा गया है, तो वर्ष 2030 तक भारत को शोध के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने का हमारा एक लक्ष्य है। यह बड़ी अच्छी बात है। इसमें केन्द्र सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी कुछ करें, तो हमें इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। इसी रूपरेखा में देखा गया है कि 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को नवरत्न और मिनी नवरत्न दिये जाने का एक मानक भी आपने तैयार किया है, जिसके अंतर्गत करीब 14 शोधों के लिए इनोवेशन संस्थान बनाने का भी एक लक्ष्य हमने रखा है। यह बहुत अच्छी बात है। इसमें मेडिकल कालेज, टेक्नोलॉजी, सामाजिक मुद्दे और ग्रासरूट इनोवेशन आदि सभी शामिल हैं। अगर देखा जाये तो इनोवेशन संस्थान से नयी खोज को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कार्य जैसे भुखमरी को मिटाना, पेयजल की रसमस्या, गरीबी, टीबी, मलेरिया आदि रोगों का सस्ता उपचार तलाशने, सामाजिक और आर्ट्स की तरफ विशेष ध्यान देने की बात कही गयी है।

सभापति महोदय, आज भी हमारे जिन छात्रों को आईआईएसईआर की परीक्षा में बैठने का मौका मिला हे, उसमें हमने केवल 10+2, जो हमारे इंटरमीडिएट पास हैं या उससे ज्यादा अंक पाने वाले हैं, केवल हमने एक प्रतिशत छात्रों को उसमें खास महत्व दिये जाने की बात रखी है, जबकि इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। 10+2 शिक्षा, जो इंटरमीडिएट है, अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बहुत से हमारे देश में छात्र हैं, जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज भी अगर देखा जाये, तो 37 करोड़ युवा भारत वर्ष में हैं, जिनमें से केवल एक करोड़ युवाओं को रोजगार तलाशने का मौका मिला है। हमारे जो अन्य बेरोजगार शिक्षित नवयुवक हैं, उनके लिए कोइ बात नहीं कही गयी है। इन 37 करोड़ युवाओं में से एक करोड़ युवाओं के लिए रोजगार तलाशने की बात आपने कही है, तो यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, यह बात भी सत्य है कि केन्द्र के पास बहुत कम उच्च शिक्षा प्राप्त संस्थान हैं। अगर देखा जाये तो 80

प्रतिशत से ज्यादा राज्यों के पास है। लेकिन उस तुलना में देखा जाये, अपने देश के अलावा अमेरिका में देखा जाये, तो बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का महत्व बढ़ता जा रहा है जिसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने वर्ष 2006 में इंडिया रिसर्च सैंटर की स्थापना की है, जो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो अमेरिका प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों में 4 हजार पेटेंट हासिल करता है, लेकिन भारत वर्ष प्रतिवर्ष केवल 100 पेटेंट हासिल करता है। हम बहुत पीछे हैं। हम केवल आईआईटीज, आईआईएम, एम्स, टाटा इंस्टीटयूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च तक ही सीमित हो पाये हैं, जबकि हमारे यहां नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, चाहे अमर्त्यसेन, डॉ. वेंकटरमन, श्री रामकृष्णन, जगदीस बोस, भाभा साराभाई आदि तमाम ऐसे वैज्ञानिकों के उदाहरण हैं। हम अगर व्यापक अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो वहीं पर सीएसआईआर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को भी हमें बढ़ावा देने की बात सोचनी पड़ेगी। इसको मुख्य उद्देश्य मानकर हमें कार्य करना पड़ेगा। विज्ञान की प्रगति के लिए हमें जितना काम करना चाहिए था, उतना हमने अभी तक नहीं किया है। 10 से 27 वर्ष तक के केवल 3.5 लाख छात्रों को विज्ञान की पढ़ाई के लिए हमने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है, जबकि 10 से 27 वर्ष के बहुत छात्र हमारे देश में हैं, उनको भी छात्रवृत्ति देकर आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। अगर विज्ञान का ज्ञान उनमें होगा, तो मेरे ख्याल से अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, अच्छे अनुसंधान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने देश में दूसरी सबसे प्रमुख समस्या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। यह चिंता का विषय है। यह बात सही है कि कृषि पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसकी तरफ हमारी तमाम खोज जारी है और 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान हमने की है। कृषि प्रणाली को और तेज करने की आवश्यकता है, इस प्रणाली को इतना तेज करें कि हम अधिक अनाज का उत्पादन कर सकें, उसमें आत्मनिर्भर हों, हम दूसरे देशों को अनाज भेज सकें, हमें बाहर से अनाज न मंगाना पड़े। जलवायु परिवर्तन केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आता है, उससे बहुत बड़ा रसायन का नुकसान इस देश को पहुंच रहा है। जहां तक देखा जाए इलेक्ट्रानिक्स या प्लास्टिक का जो कचरा है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। सभापति महोदय, इसके लिए प्लास्टिक के कचरे और इलेक्ट्रानिक के सामान के बारे में उत्तरांचल में आपने खुद प्रयास किया है। हमारे यहां चार लाख टन इलेक्ट्रानिक कचरा पैदा होता है और हम केवल 83 हजार टन तक हम निपटारा कर पाते हैं, बाकी सब वेस्टेज होता है, जिससे भूमि की उर्वरता भी कमजोर होती है। उससे भूमि सुधार के हमारे तमाम कार्यक्रम भी विफल हो जाते हैं।

भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में काफी तरक्की की है और हम दूसरे देशों को भी उससे लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत से छोटे एवं लघु उपग्रह भी हैं, जिनके माध्यम से हम संचार, मौसम, कृषि विज्ञान, भूकम्प, सुनामी आदि के बारे में तमाम सूचनाएं एकत्र करते हैं। अगर देखा जाए तो इन तीस वर्षों में 1000 से ज्यादा उपग्रह हमने अंतरिक्ष में भेजे हैं, जिनसे बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। भारत में 900 से अधिक वैज्ञानिक संस्थाएं हैं और विज्ञान-तकनीकी कार्य से जुड़े हमारे जो अनुसंधान हैं, उनकी भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। दुनिया के विज्ञान में हमारा नामोनिशान कहीं पर नहीं है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए तकनीकी क्षेत्र में अधिक प्रयास करना पड़ेगा और दूसरे देशों पर निर्भर होने से हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जहां तक वैज्ञानिक संस्थानों के तीसरे और चौथे दर्ज की बात है, वहां पर बहुत से तिकड़मबाज लोगों का कब्जा है, जिनका विज्ञान और तकनीकी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। इसे भी सुधारने की आवश्यकता है। आज हमारे विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने के केन्द्र बने हुए हैं। हमारे यहां बहुत कम शोध छात्र निकल पा रहे हैं। शोध करने की छात्रों में लालसा और जिज्ञासा कम होती जा रही है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों की स्थिति को अगर देखा जाए, हमारे इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरु इंजीनियरिंग कॉलेज एवं आईआईआईटी है, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को अधिक कारगर बनाने के लिए हमें अनुसंधान और शोध की तरफ विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इस पर हमें प्रतिवर्ष बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम अमेरिका से तुलना करें, वहां 250 अरब डॉलर खर्च होते हैं और भारतवर्ष में केवल 9 अरब डॉलर खर्च होते हैं। इतनी बड़ी राशि हम केवल कृषि, अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा पर खर्च करते हैं। यह एक बहुत बड़ी जरूरत है अपने देश के लिए कि हम चाहे जो क्षेत्र हो, उसमें रिसर्च करें, शोध करें, हमारे यहां के छात्र और वैज्ञानिक इतना रिसर्च करें कि वे बाहर भी जाएं, अपने देश में हम तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें, दूसरे देशों की तरफ न देखें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए।

आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदय, इससे पहले कि माननीय सदस्य अपनी बात शुरू करें, मैं एक दरख्वास्त सदन से करना चाहता हूं। मेरी यह दरख्वास्त है कि इस बिल को आज पूरा कर लें, इस पर पूरी डिसकशन हो जाए, उसके बाद आधे घंटे की चर्चा ले ली जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.) **:** सभापति महोदय, वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। यह बात पूरे भारत और विश्व में सिद्ध हो गई है कि हिन्दुस्तान के यूथ और पढ़े-लिखे लड़के विश्व में विद्वता और ज्ञान में आगे चल रहे हैं। पिछले 20 सालों में देखा जाए तो कम्प्यूटर में जो रिवोल्यूशन हुआ, तो हमने पूरे विश्व में अपना स्थान स्थापित किया। पूरा मार्केट एक तरह से कैप्चर किया हुआ है। आज जो हमारी आमदनी हो रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कम्प्यूटर और आउटसोर्सिंग की बदौलत हो रही है। छोटे-छोटे बच्चों को कम्प्यूटर मिला, उससे उन्होंने अपना परचम फहरा दिया है। मुझे मालूम है कि चीन में टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हिन्दुस्तान के बच्चे तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। यह हमारी इंटैलिजेंसी झंडा पूरे विश्व भर में फहराया हुआ है। लेकिन एक एक भारी कैविएट है, एक बड़ी समस्या है कि आउटसोर्सिंग की बदौलत अकेले ही हम लीड नहीं ले सकते। जब तक रिसर्च और इनोवेटिव सिस्टम को डवलप न किया जाए, तब तक सिर्फ आउटसोर्सिंग से वे सिर्फ शॉपकीपर्स ही रहेंगे और हमारा विकास रूक जाएगा।

मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है, जैसा मेरे मित्र शैलेन्द्र जी ने भी कहा, कि यूनिवर्सिटीज पीएचडी की डिग्री़ज एक किस्म से प्रोडक्शन की तरह दे रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि पीएचडी पढ़ने के लिए एक अनिवार्य उपाधि मानी जाती है, जिसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। पिछले 25-30 साल में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट न मेडिकल में, न साइंस में ऐसा रिसर्च नहीं आया, जिसका रिवोल्यूशन या तहलका छाया हो।

इस एक्ट में एक विचार बहुत सराहनीय है। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि इसमें दिए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में 37 मिलियन यूथ्स हैं और जॉब ऑपरच्युनिटीज़ सिर्फ वन मिलियन हैं। वित्त मंत्री जी के बजट में हमने देखा कि 12 प्रतिशत वृद्धि इनोवेटिव फील्ड में है, लेकिन यह बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है। चीन में 16 प्रतिशत है, कोरिया जो एक छोटा सा देश है, वहां 19-20 प्रतिशत है। अंतरिक्ष, दवा, जीवन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में भारत बहुत पीछे है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यह बात जरूर है कि इसकी बदौलत हमारे पूंजीपतियों का नाम बिलियनर्स में, फोर्ब्स में बढ़ रहा है, लेकिन कोई नोबल लारिएट हम लोगों ने पैदा नहीं किया।

उसकी ताकत आप देखिए कि हार्वर्ड के, स्टैनफर्ट के यहां सीड्स खो रहे हैं और इंडिया के डवलपमेंट में वे रिसर्च करा रहे हैं। आयुर्वेदिक में, पिछले साल मैं जर्मनी था तो मुझे बताया गया कि जितनी जड़ी-बूटियों की किताबें हैं, उन्होंने सबका माइक्रो फिल्मिंग करके उसका ट्रांसलेट करा रहे हैं और उन्हें स्टडी कर रहे हैं।

यहां मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। इस एक्ट में प्राविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्ट बनाने और उसका कार्यान्वियन करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई एक्ट बना दे कि करप्शन रोका जाए तो एंटी करप्शन एक्ट से करप्शन नहीं रूकता है। अब आप देखिये, मैं धारा-12 की बात बताना चाहता हूं। धारा-12 में लिखा है कि:

[अनुवाद]

> ''अध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी।''

[हिन्दी]

और यह सिलेक्शन कमेटी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी है। इस धारा में कोई प्रावधान नहीं है कि जहां यह भी हो कि मैन ऑफ एमीनेंस अपाइंट होगा जो इस गरिमा में रह सके। यह साइंटिफिक रिसर्च की बात कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि धारा में यह होना चाहिए कि जो एकेडमी का साइंटिफिक रिसर्च का हैड होगा, वह ए मैन ऑफ हाई-कैलिबर ब्रिलिएंस का यहां कहीं जिक्र नहीं है। उसमें लिखा है फाइनेंस सैक्रेट्री, इंडस्ट्री सैक्रेट्री, लगात है यह आगे चलकर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का हैवन होने वाला

है। नंबर वन, इसमें इसकी अपाइंटमेंट्स में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नंबर टू, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं यह प्रावधान नहीं है कि इसमें कितने धन की व्यवस्था की गयी है? अगर इन्नोवेटिव रिसर्च है, तो उसमें हाई कैलिबर के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए और इसमें पर्याप्त धन का भी प्रावधान होना चाहिए। अगर इसमें रीयली एकेडमिक, साइंटिफिक और इन्नोवेटिव रिसर्च का मतलब है तो उसमें मैन ऑफ ब्रिलिएंस तथा सफिशिएंट मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था हो। ये इंस्टीटयूट जहां खोलते हैं तो बस मुंबई, कोलकाता, बंगलौर आदि मेट्रोज में खोलते हैं। अब यहां पर एकेडमिक वातावरण है ही नहीं। अगर आपको इंस्टीटयूट्स खोलने हों तो उत्तराखण्ड, बुंदेलखण्ड में खोलिये, जहां प्राकृतिक सौन्दर्य है और वहां पर पूरा वातावरण एकेडमिक है। वहां प्रचुर मात्रा में जमीन होती है और वहां का विकास भी इससे संभव होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन इसकी भावन पर ध्यान दिया जाए और इसमें रीयली इन्नोवेटिव रिसर्च होनी चाहिए।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रस्तावित वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010 स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र और कुछ नौकरशाहों तथा कतिपय शिक्षाविदों के निहित स्वार्थ की जरूरतें पूरी करने की एक कोशिश है। यह कदम हमारे शैक्षिक संस्थानों से वैज्ञानिक प्रतिमा को बाहर ले जाने की आशंकाओं को पुष्ट करना प्रतीत होता है। नयी अकादमी विश्वविद्यालयों को निचोड़ लेगी और दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्द्धा का सृजन करेगी।

यदि आप दिल्ली स्थिति सीएसआईआर मुख्यालय जाएं तो आप पाएंगे कि इस 'कॉर्पोरेट मुख्यालय' कहा जाता है। यह नव-उदारवादी माहौल में इस संगठन की बदलती धारणाओं का स्पष्ट परावर्तन है। इसलिए पिछले दशक में सीएसआईआर संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति गिबड़ गयी है, क्योंकि उन्हें संसाधन उत्पन्न करने हेतु उद्योग के साथ भागीदारी करने के लिए बाध्य किया गया है। यह प्रवृत्ति वर्तमान विधेयक में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

इसमें यह कहा गया है कि भारत में पीएचडी उपाधि प्राप्त लोगों की भारी कमी है तथा यह देश के आर्थिक विकास में नकारात्मक घटक है। परंतु संख्या नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता तथा गरीबों तक उनकी सेवाओं की पहुंच भारत जैसे देश में महत्वपूर्ण है, जहां अधिकांश लोग प्रतिदिन यहां तक एक वक्त के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अधिक-से-अधिक पीएचडी उत्पन्न करने की जद्दोहद के बगैर हमें समाज की भलाई में उत्पादकता एवं लाभ प्रदता पर अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करना चाहिए। अब सवाल यह हे कि संसद की सहमति प्राप्त किए बगैर पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति उत्पन्न करने तथा आईआईटी एवं आईआईएम जैसे वर्तमान संस्थानों महत्व कम करने की जल्दबाजी क्या है? यह पीएचडी की संख्या का सवाल नहीं है, परंतु सभी के लिए हमारी मूलभूत शिक्षा प्रणाली का सवाल है। यदि पीएचडी की संख्या पर ध्यान केन्द्रित है, तो आप उन सभी पीएचडी उपाधि धारकों को नौकरी कैसे सुनिश्चित करेंगे? इससे उनकी सामाजिक वचनबद्धता पर भी संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि उस बोर्ड जिसे असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, में खासकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं एवे कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

यह विधेयक उस बोर्ड को सर्वोच्च शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें प्रमुखत: वैज्ञानिक एवं उद्योगपति हैं। यह अपनी अन्तर्विषयक विशेषता कैसे कायम रखेगा तथा इस विधेयक के अनुसार इन विषयों की विषय-वस्तु के साथ न्याय करेगा? पाठ्यक्रम समिति के चयन का तरीका क्या है? दूसरी प्रवृत्ति काम के प्रति ढुलमुल रवैया होना है। खण्ड 7 एवं खंड 33 में निर्दिष्ट है कि इस अकादमी का प्रत्येक कर्मचारी अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। यह स्पष्ट नव उदारवादी एजेंडा है। आकदमी खंड 30 के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए निदेशक को शक्ति प्रदान करता है। यह सर्वथा अधिकारवादी है तथा उसमें विद्यार्थियों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

अब, खंड 8 उन विद्यार्थियों के भविष्य की स्थिति के बारे में मौन है, जिन्होंने पाठ्यक्रम वापसी की स्थिति में अकादमी से डिग्री या डिप्लोमा पहले ही प्राप्त कर लिया है। खंड 8 पर टिप्पणी के अनुसार उद्योगों एवं विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग की प्रकृति के बारे में एकदम अस्पष्ट है। देश एवं विदेश में इन सहयोग करने वाले संस्थानों की निष्ठा एवं गुणवत्ता कौन तय करेगा?

प्रवेश मानदंड चिंता का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। यह उल्लिखित है कि यह मेधाविता पर आधारित होगा। अब वैज्ञानिक

[शेख सैदुल हक]

और नवीकृत अनुसंधान अकादमी महिलाओं, विक्लांग व्यक्तियों, समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। आरक्षण के लिए संवैधानिक उपबंध हैं। इस अकादमी को विशेष उपबंध क्यों करना चाहिए? विशेष उपबंध क्या है? विशेष उपबंधों का निर्णय कौन करेगा?

खंड 8 की धारा 2(i) में कहा गया है कि: ''खंड 9 के उपबंधों के अध्यधीन विद्यार्थियों का प्रवेश मेधाविता के आधार पर किया जाएगा''। यह ठीक है परंतु बेहद वर्ग एवं जाति विभाजन वाले भारत जैसे देश में मेधाविता सापेक्ष शब्द है। यह जन्मजात गुण या किसी विशेष वर्ग को मिला गुण नहीं है। आप किसी विद्यार्थी के मात्र अकों के आधार पर मेधाविता का आकलन कैसे करेंगे?

इस विधेयक की स्पष्ट प्रतिक्रियात्मक प्रकृति के अलावा, नवीकृति का सबसे बड़ा सवाल हे, यह शब्द जो कि एक साथ ध्यानाकर्षक एवं भ्रामक है। अपने स्पष्ट पूंजीवादी हित वाली सरकार को यह दिखाना चाहिए कि बाजार और नवीकृति या अकादमिक हित एक साथ कैसे चलेंगे? विधेयक के प्रस्तावकों को हमारे मौजूदा संस्थानों की कार्यकुशलता के बारे में स्वयं से पूछना चाहिए। गत वर्ष हम शिक्षा के लिए कुल आबंटन का केवल 30 प्रतिशत ही व्यय कर पाए। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सीएसआईआर द्वारा 94.2 मिलियन रुपये के आयात किए गए महंगे उपस्कर देश भर की विभिन्न प्रयोगशालाओं में व्यर्थ पड़े थे। मुद्दा संसाधन नही है बल्कि संसाधन का उचित उपयोग है। अब प्रश्न यह है कि ये संस्थान किस प्रकार कार्य करेंगे और संसाधन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा? यह अनुमान लगाया गया है कि अकादमी शिक्षण शुल्क से संसाधन जुटाएगी और 40 प्रतिशत निजी वित्त पोषण से जुटाया जाएगा। परिणाम क्या होगा? अब आप इसे देखेंगे। संस्थान किसके हितों का प्रतिनिधित्व करेगा? यह राज्य के हितों का संरक्षण करेगा अथवा कॉर्पोरेट हितों का संरक्षण करेगा? बाजार अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी निधियों का प्रयोग करके अपने उत्पादों के सुधार हेतु नई नवोन्मेषी अकादमी का प्रयोग करेगा। यह बुनियादी नवोन्मेष को प्रोत्साहित नहीं करेगा और यह बाजार के हाथों की गुड़िया होगी।

विधेयक के प्रावधानों को लेकर कुछ अन्य आपत्तियां है, परंतु मैं इस मुद्दे के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। इस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता नहीं है जैसा कि विधेयक में प्रस्ताव किया गया है और इससे शैक्षणिक संस्थानों का निगमीकरण होगा इससे संस्थान लाभ अर्जित करने वाली वाणिज्यक संस्थान मात्र बन कर रह जाएगें। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह विधेयक वापस ले और मौजूदा विश्वविद्यालयों आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करे और उनकी क्षमता को समृद्ध बनाए।

यह स्पष्ट नहीं है कि बिना प्रत्यक्ष सरकारी सहायता के इतनी बड़ी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव कैसे किया जा सकता है। इसलिए यह समय की मांग है कि मौजूदा प्रौद्योगिकीय संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सीएसआईआर को सुदृढ़ और सुचारू बनाया जाना चाहिए जिससे कि जिस प्रयोजन के लिए विधेयक का प्रस्ताव किया गया है, को सीएसआईआर, आईआईटी और आईआईएम और उसी स्तर के अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों के द्वारा प्राप्त किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक 2010 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में छात्रों को प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा की गुणता की कमी है तथा वे सत्य ही देश में उच्च शिक्षा संस्थाओं का अभाव है। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पर्याप्त विकास के बावजूद एक औपचारिक स्तर पर विज्ञान संबंधी कोर्स में पढ़ाई का स्तर निराशाजनक है।

नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च नामक संस्था ने 2005 में अपने कराए गए एक सर्वेक्षण में पाया कि 8 से 12वीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले बच्चों में विज्ञान विषय में लोकप्रियता कम हो रही है। डा. आर. चिदम्बरम जो कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है में समस्या के मूल को चिन्हित किया। उनका मत था कि बहुत कम विद्यार्थी ही 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय चुनते हैं। अभिभावक भी विषय को हेय दृष्टि से देखते हैं। आज देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में यही स्थिति है।

अरुणाचल प्रदेश के मेरे मित्र ने भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने भी वर्ष 2005 की विज्ञान कांग्रेस में क्या उल्लेख किया था। मेरे विचार से विधेयक प्रधानमंत्री के द्वारा ही उदभूत है, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि ''युवाओं का विज्ञान की ओर रूझान नहीं बढ़ रहा है और जिनका बढ़ रहा है वे विज्ञान के साथ नहीं रहते।'' यह हमारे देश में समस्या है।

जहां तक नवीनीकरण का संबंध है, हमें देश को नवीकृत केन्द्र के रूप में विकसित करना है। आप बिना पानी और बिजली के ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण कैसे कर सकते हैं? मैं इस समस्या को इस तरह से देखता हूं जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। हमारा अनुसंधान परिणाम विस्मयक रूप से छोटा है। यदि हम केवल अभियंत्री विद्या पर विचार करें, तो इसका प्रौद्योगिकी सम्पन्न ताईवान और कोरिया जैसे छोटे एशियाई देशों से सकारात्मक रूप से भी तुलना नहीं कर सकते।

एक और उपाय महत्वपूर्ण है कि पीएचडी धारकों का उनकी विधाओं में परिणाम से संबंधित है। विश्वभर में आज जो भी अनुसंधान हो रहा है पीएचडी धारकों द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों सरकार, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा साथ ही औद्योगिक अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के लिए यह रूप है। विश्वभर में सरकारी संस्थाएं विश्वविद्यालयों में पीएचडी अनुसंधान हेतु सहायता प्रदान करती है। यह सहायता प्रतियोगी छात्रवृत्ति के माध्यम से उपलब्ध है।

एक वर्ष पूर्व मुझे येल विश्वविद्यालय का दौरा करने और वहां कुछ सप्ताह ठहरने का अवसर मिला। प्रोफेसरों के साथ बात-चीत के दौरान भारतीय मूल के एक प्रोफेसर ने मुझसे प्रश्न पूछा ''आपके देश में कितने पीएचडी तैयार हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि चीन में अनेक लोग पीएचडी कर रहे थे, संमुवत राज्य अमरीका में अनेक लोग पीएचडी कर रहे थे, परंतु हमारे देश में कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं? मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हम पीएचडी तैयार करने में काफी पीछे है। पीएचडी का अर्थ क्या है? यह अनुसंधान से सबंधित है। जब हमारे पास प्रतिभा है- तो हमारे विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हैं?

अब हम अकादमी की बातें कर रहे हैं। उस प्रोफेसर महोदय ने एक समस्या व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 1970 अथवा 1960 के अंतिम वर्षों में हमने अपनी अनुसंधान संस्थाओं को अपने विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया था। यही मुख्य एक कारण है जिसके कारण बेहतर विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के लिए आगे नहीं आ रहे है। इस अवधि के दौरान हमने सोवियत मॉडल को अपनाया। सोवियत माडल के अंतर्गत, हमने बेहतर प्रयोगशालाएं, बेहतर और विशिष्ट संस्थान बनाए और उनको निधियां प्रदान की। इस प्रकार यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है और मानव संसाधन विकास के अंतर्गत नही है। इस संबंध में अधिकांश विश्वविद्यालयों में पीएचडी का शिक्षण नहीं हो रहा है। विशेष कर विज्ञान संकाय के अंतर्गत पीएचडी का शिक्षण नहीं हो रहा है। आज भारत के लिए इस बारे में आगे आने और विकासशील देशों से होनहार छात्रों को यहां बुलाने का एक अवसर उपलब्ध है। यह तब ही संभव है जब हम उनकी शिक्षा और रहने संबंधी सहायता करें और उनके स्नातक करने के पश्चात् उन्हें पांच वर्ष काम करने का परमिट जारी करें। क्या हम ऐसा कर सकते है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए भी आमंत्रित कर रहे है। हम विकासशील देशों से विद्यार्थियों को आमंत्रित क्यों नहीं कर सकते और उनको सहायता प्रदान क्यों नहीं कर सकते? इस बिन्दु पर मंत्री जी और सरकार को विचार करना चाहिए।

चीन ने वर्ष 1999 से अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति के भाग के रूप में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निवेश को दोगुना कर दिया है, जोकि जापान और कोरिया में निवेश से 3.5 प्रतिशत कम है, तथापि गोल्डमैन ऐच द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार भारत में यह 0.7 प्रतिशत पर स्थिर है। आर एंड डी में चीन का वर्तमान निवेश 100 बिलियन यू.एस. डॉलर हे जबकि अमरीका में यह 325 बिलियन यू.एस डॉलर और जापान में 123 बिलियन यू.एस. डॉलर है, चीन का लक्ष्य 2020 तक आर एंड डी पर अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का 2.5 प्रतिशत व्यय करके इस क्षेत्र में निवेश को तीन गुणा बढ़ाकर 300 बिलियन यू.एस. डॉलर करने का है, माननीय मंत्री इस बारे में अपना जवाब दे सकते हैं। दशक के मध्य से विज्ञान ओर इंजीनियरी वस्तुओं में चीन के हिस्से में छह-गुना वृद्धि हुई है जो 9000 से बढ़कर प्रतिवर्ष लगभग 57,000 हो गयी है और 2007 में वैश्विक अनुसंधान उत्पादन का सात प्रतिशत है और अब वर्ष 2011 है।

भारत का हिस्सा 1999 और 2007 के मध्य 2 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जबकि अमरीका का हिस्सा 31 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत और यूरोपिय संघ को 36 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो गया। भारत को सेवा प्रदाता की बजाय आविष्कारक बनने की

[श्री भर्तृहरि महताब]

आवश्यकता है। हां, हम एक आईटी सुपर पावर हैं फिर भी हमारे पास ऐसी कंपनियां नहीं हैं जो आइ-पोड या फेसबुक निर्मित कर सकें, हमें सुपर पावर की लीग में देशज माइक्रोसॉफ्ट और डेल प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है।

अमरीका आज जो है वह अपने नवाचारों और उद्यमिता के कारण है और असफलताओं को स्वीकार करने के अपने अंतर्निहित दृष्टिकोण के कारण है। यदि अमरीका में कोई असफल होता है, वह अनुभवी है, परंतु विभिन्न विचार विमर्शों में आपके अनुसार जोकि आपने कहा भी है असफलता के साथ आप अनुभव प्राप्त करते हैं; असफलता से किसी चीज का अंत नही हो जाता है। मेरा मानना है कि हमें इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री भर्तृहरि महताब : मुझे कुछ और समय चाहिए, यदि आप अनुमति दें।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : उद्यमिता के प्रति हमारे सामाजिक चिंतन को अवश्य बदलना होगा और हमारी शिक्षा प्रणाली में इसे एक मूल सर्वसम्मत सिद्धांत बनाना होगा। येल विश्वविद्यालय के प्रेजीडेंट, रिचर्ड लेविन पिछले अक्तूबर में यहां आए थे। उन्होंने कहा था कि उच्च स्तर की शिक्षा में चीन के निवेश के लिए भारत का उत्तर नवाचार है और वह विधेयक उसे प्राप्त करने का एक तरीका है।

भारत प्रतिवर्ष लगभग चार लाख इंजीनियर स्नातक और तीन लाख कंप्यूटर विज्ञान स्नातक तैयार करता है, जबकि मात्र 20,000 स्नातकोत्तर और 1000 से कम पीएचडी। यूजीसी द्वारा 2007-08 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार 47 विशविद्यालयों में अनुसंधान में रिक्ति स्तर 51 प्रतिशत के उच्च स्तर तक था। ये आंकड़े भारतीय अनुसंधान के अंश या अनुपात के संबंध में दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी हैं। यद्यपि डिग्री कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, गैर-डिग्री कार्यक्रम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आशा करता हूं कि आकदमी गैर-डिग्री कार्यक्रमों को बढ़ावा दे, जो देश में लघु, ग्रामीण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की तकनीकी क्षमता के उन्नयन में मदद करेंगे। ये कुछ सुझाव हैं, मुझे आशा है मंत्री जी इन पर विचार करेंगे।

खाद्यी और ग्रमोद्योग आयोग जैसे संस्थान आज प्रौद्योगिकीय उन्नयन की कमी के कारण स्थिर है। यह वह क्षेत्र है जहां इस अकादमी, यहां तक कि सीएसआईआर को ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अकादमी को दो आयामी रणनीति अपनानी चाहिए ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, अकादमी को एक तरफ उच्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तथा दूसरी तरफ विशेष रूप से ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना चाहिए जैसा कि चीने ने नगर और ग्राम उद्यम की अवधारणा के माध्यम से सफलतापूर्वक किया है।

अकादमी को एक और पीएचडी निर्माण करने वाली मशीन नहीं बनना चाहिए यह टिप्पणी डॉ एम.एस स्वामीनाथन द्वारा बार-बार दोहराई गई है।

मैं मंत्री का ब्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अकादमी को केवल अनुसंधानों और पेटेन्टों की संख्या पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें समाज के लाभ हेतु उत्पादों और सामान में परिवर्तन करने को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो एक समय दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की राय थी। उन्होंने कहा था कि सीएसआईआर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी में बड़ी संख्या में पीएचडी डिग्रीधारक तैयार कर रहा है, परंतु इन विद्यार्थियों को जेएनयू या किसी अन्य विश्वविद्यालय के गाइड के अंतर्गत स्वयं को रजिस्टर करना पड़ता है ताकि वे डिग्री प्राप्त कर सकें। इस अकादमी के अस्तित्व में आने से विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी। इस विधेयक का उद्देश्य विद्यार्थियों को पीएचडी हेतु पंजीकृत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अकादमी का प्रशासनिक मॉडल साधारण प्रकार का हो। आपके पास पद-सोपान की श्रृंखला क्यों है? विशेषकर खण्ड 8, उप खण्ड 9 में आपने प्रोफेसरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप, सहायक प्रोफेसरशिप अकादमी प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, डिस्टिंगविशड प्रोफेसर, आऊटस्टैडिंग प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर. ..*(व्यवधान)* विजिटिंग प्रोफेसर और अन्य शिक्षण या अकादमी या अकादमी के लिए अपेक्षित अन्य पद सृजित करने के बारे में और ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां करने का उल्लेख किया है। क्या

हम इसे सरल नहीं बना सकते? आप इतना बड़ा पद सोपान क्यों सृजित कर रहे हैं? आप अनावश्यक पद-सोपान क्यों सृजित कर रहे हैं? मेरा मानना है इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरा यह भी मानना है कि बोर्ड ऑफ अकादमी काफी बड़ी है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अकादमी की संविधि में एक स्पष्ट बौद्धिक संपदा अधिकार स्वामित्व नीति को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसमें यह नहीं है।

मैं इस पर और चर्चा कर सकता था क्योंकि हम इस सदन में इस विषय पर यदा-कदा ही चर्चा करते हैं, इस दिवस की समाप्ति, पर चूंकि हमने चर्चा में अधिक समय लिया है, ऐसे विषय पर जिसमें हमने आज कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस विषय पर और चर्चा करनी चाहिए। यह ऐसा है विषय जिस पर देश की समृद्धता और भविष्य आश्रित है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यदि अकादमी स्थापित की जाती है तो इस देश के विकास हेतु बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : माननीय सभापति महोदय, इस विशेष विधेयक नामत:, वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक में इस प्रत्याशा के साथ वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है कि इससे अनुसंधान और अंतर-वैषणिक व पार-वैषणिक क्षेत्रों की काफी प्रगति होगी।

यह एक तथ्य है कि हमारे देश में पीएचडी धारकों की कमी है। सन् 1980 के दशक के शुरूआती वर्षों में हमारे देश में अन्य एशियाई देशों की तुलना में कहीं अधिक पीएचडी धारक थे। अब उस संख्या में कमी आ गई है और इस संबंध में हम चीन और कोरिया से बहुत पीछे हैं। सचमुच, हमें पीएचडी धारकों की संख्या और इन क्रियाकलापों में वृद्धि करने की जरूरत है। लेकिन, मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारे पास देश में ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं तो हम ऐसे संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे? ये संस्थान पीएचडी की सुविधा उपलब्धवश रहे है और उनके पास आवश्यक अवसंरचना भी है। एक महत्वपूर्ण विधेयक भी लंबित है जिसमें आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। परंतु जब हम विद्यमान संस्थानों को ही सुदृढ़ नहीं कर रहे तो फिर ऐसे विधेयक को पेश करने की आवश्यकता क्या है?

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि इन संस्थानों को स्वायत्तता प्राप्त है। अत:, ऐसी आशंका बन जाती है कि इस प्रकार की अकादमियां, उक्त विद्यमान संस्थानों के स्वायत्तता के अधिकार का हनन करेंगी। इससे आउटसोर्सिंग का काम बहुत बढ़ जाएगा। जो अन्य वक्ताओं ने जैसा कहा वह सही है कि इस अकादमी का एकमात्र उद्देश्य केवल पीएचडी करवाना ही नहीं है। इतना ही नहीं, इसके शीर्ष निकाय के बारे में जो ब्यौरा दिया गया है और इसके सभी सदस्यों को नामित करने की जो व्यवस्था रखी गई है उससे इसके ज्यादा नौकरशाही केन्द्रित और निरंकुशता होने की आशंका है। जिससे विद्यमान संस्थानों की स्वायत्त प्रणाली बाधिक होगी। अत:, मेरे विचार से मंत्री इस पर सोचें और इसे स्थायी समिति को भेजा जाए। इससे इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक संस्थाओं की मौजूदा कार्य प्रणाली भी प्रभावित होगी।

इस कारण, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे और एक व्यापक विधेयक लाए जो विद्यमान विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम तथा अन्य संस्थानों की अवसंरचना को मजबूत करे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, अब छह बज गए है। हमें इस विधेयक को पारित करना है तत्पश्चात् आधे घंटे की चर्चा है और फिर 'शून्य काल' होगा। अतएव, यदि सभा की सहमति हो तो हम 'शून्य काल' की समाप्ति होने तक सभा का कार्य समय बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, मेरे सामने ये वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के पास हो जाने से इस देश के विश्वविद्यालय ओर उनके अंदर होने वाला अनुसंधान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जब मैं इस विभाग का मंत्री था उस समय मेरे सामने भी यह प्रस्ताव आया था।

सायं 6.00 बजे

कई संस्थायें अपने आपको डीम्ड टूबी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हैं, नीपा बनाना चाहती थी, एनसीआरटी बनाना चाहती थी,

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

सीएसआईआर बनाना चाहती थी। मैंने पूछा कि आखिर क्यों? सी. एसआईआर का मैनडेट क्या है- कौंसिल फॉर साईंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। विश्वविद्यालयों का मैनडेट क्या है? हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय अभी खोले गये हैं। उनमें फैक्टलीज़ नहीं हैं। वह 10 से 20 हजार अध्यापकों का अभाव है। विज्ञान के विभागों में भी अभाव है। मै। सीएसआईआर का फैलो था जब रिसर्च करता था। सीएसआईआर में अधिकांश लोग यूनिवर्सिटी से गये हैं। कोई देश अपने देश के विश्वविद्यालयों को समाप्त करके इंडस्ट्रियल रिसर्च नहीं करा सकता। कोई एक देश बता दीजिये। हर देश अपने यहां मौलिक अनुसंधान को पुष्ट करने के लिये विश्वविद्यालयों को मजबूत करता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो जायेगी लेकिन मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि क्या हो रहा है? सीएसआईआर का काम अनुसंधान है। कहा गया है कि साईंस एंड इंजीनियरिंग में अधिक संख्या पीएचडी की चाहिये, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीएचडी का स्तर क्या होना चाहिये, उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए?

मैं आपके सामने साईंस एडवायजरी कौंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट का कुछ हवाला देना चाहता हूं। उसके मुताबिक पीएचडी और आर एंड डी में प्रतिवर्ष यूएसए में 8 हजार हैं, चीन में 9 हजार और भारत में 700 हैं। इसमें इनवैस्टमेंट की बात देखिये। भारत का इनवैस्टमेंट आर एंड डी में 4.6 बिलियन डॉलर, अमरीका 292 बिलियन डॉलर - 50 गुणा से ज्यादा, चीन में 19 बिलियन डॉलर - पांच गुना से ज्यादा लेकिन अगर आप देखेंगे कि इतने कम इनवैस्टमेंट में भी हम यह काम कर रहे हैं। अगर विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिये उन्हें मजबूत करें तो आपको इसमें बहुत गुंजाइश दिखेगी। साईंस एंड टैक्नौलौजी के इंडिकेटर्स को सिलैक्ट कंट्रीज के बारे में कहते हैं कि वर्ष 2006 में यूएसए में टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन्स 4 लाख 51 हजार 28, चीन में 78,671 और भारत में 26,963 है।

हमने देखा कि हमारे यहां जो रिसर्च है, वह कॉस्ट इफैक्टिव है। दुनिया में सब से कम खर्च में हम सब से ज्यादा काम करते हैं। अगर यह रिसर्च का काम सीएसआईआर को सौंप दिया, तो मैं सदन से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि विदेशी रिसर्च सीएसआईआर की इन संस्थाओं में आयेगा। उनके यहां की स्पौंसर्ड रिसर्च आप करेंगे, वे अपनी रिसर्च यहां के लिए आऊटसोर्स करेंगे और तब भारत की रिसर्च नहीं होगी। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मैंने इसीलिये ऐसा नहीं होने दिया। यह बिलकुल गलत बात होगी क्योंकि मैडिकल साईंस में यही हुआ। वहां आज विदेशों से रिसर्च आऊटसोर्स हो रहा है। हमारे देश के लोगों और मरीजों को गिनिपिग बनाया जा रहा है। जिस एक दवाई की रिसर्च के लिये टैस्ट के लिये एमएनसीज अपने देशों में दस हजार डॉलर देती हैं, वहीं हिन्दुस्तान में 500 डॉलर में होता है। आप पढ़कर देखिये कि इन कंपनियों की रिसर्च का क्या हाल है? मेरे पास पूरे डाकुमैंट्स हैं। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप बनाना चाहते हैं? आप विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय रहने देजिये, सीएसआईआर को सी.एस.आई.आर ही रहने दीजिये। सीएसआईआर को सीएसआईआर रहने दीजिए। बहुत पहले कोठारी कमीशन में इन सब बातों पर विचार हुआ था। हमारे विश्वविद्यालय में पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने अपने दीक्षांत भाषण में जो कहा था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उसे मैं यहां सदन के सामने रखना चाहता हूं:-

[अनुवाद]

> ''पंडित जवाहर लाल नेहरु ने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत-समारोह में अपने भाषण में विश्वविद्यालय के मूल्य उद्देश्यों और राष्ट्रीय जीवन में इसकी भूमिका के इस तरह परिभाषित किया था कि: ''विश्वविद्यालय का ध्येय है: मनुष्यता, सहिष्णुता, विवेक, विचार-मंथन और सत्य की खोज। इसका ध्येय मानव जाति को उच्चतर लक्ष्यों की ओर सतत् गमन के लिए प्रेरित करने का भी है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करते हैं तो राष्ट्र और देशवासियों का कल्याण होता है।''

[हिन्दी]

आप यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? जब आप सीएसआईआर को यूनिवर्सिटी बनायेंगे, ये अकादमी और उसके अंदर जो हाइरारकी अभी महताब जी ने बतायी, एमरेटस प्रोफेसर, डिस्टिंगुइश्ड प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर कहां से आयेंगे? यूनिवर्सिटीज के लोगों को ही आप वहां ले जायेंगे। वैसे ही हमारे यहां अध्यापकों की कमी है। जो कुछ अच्छे हैं, वे ही सब यहां चले आयेंगे। और तब जो कुछ आज यूनिवर्सिटीज की हालत है, वे बिल्कुल ब्लीड कर जायेंगी। आज अनीमिक हैं, तब बिल्कुल रक्त शून्य हो जायेंगी। कोई अच्छा अध्यापक गढ़वाल की हेमवती नन्दन बहुगुणा यूनिवर्सिटी

में नहीं रहेगा, वह यहां आ जायेगा, कोई कुमांऊं यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगा। कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जहां अनुसंधान की सुविधाएं हैं और एक स्थापित अनुसंधान की परंपरा है, वहां के लोग रूकेंगे, लेकिन बाकी सब यहां दौड़ेंगे। इसका क्या नतीजा होगा? जो वहां मैडिकल साइंस की रिसर्च में हो रहा है, वही यहां होगा। आपको इस पर ठीक ढंग से संपूर्ण विचार चाहिए, इसकी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? मैं आपको बता रहा हूं, जो बात भाभा जी ने कही थी, वह विचारणीय है। भाभा कहते हैं और उनसे मेरी इस संबंध में बातें होती थीं, तब तो मैं विश्वविद्यालय का एक छोटा अध्यापक था, लेकिन भाभा हमारे यहां इलाहाबाद में बहुत आते थे। उनसे हमारा बहुत संबंध था ओर उनसे हमारी बातें भी होती थीं। उनका कॉसेप्ट क्या था, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन इत्तेफाक से यह कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसे मैं पढ़ रहा हूं। वे कहते हैं:

[अनुवाद]

बहुत अधिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के खोले जाने के कारण भी विश्वविद्यालयों को अपने वरिष्ठ शिक्षण एवं अनुसंधान कर्मियों से वंचित होना पड़ा है। जैसा कि डॉ. एच.जे. भाभा ने अपनी दुखद मृत्यु के कुछ सप्ताह पूर्व अंतराष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था,- ''वरिष्ठ पदों को परिपक्व वैज्ञानिकों द्वारा बाहर से भरने की कोशिश का अर्थ किसी अल्पविकसित देश में केवल उन्हीं संस्थानों से ही लेना होगा, जिनमें वैज्ञानिक कम संख्या में है अर्थात् अपर्याप्त है अर्थात् विश्वविद्यालयों से लेना होगा। यह निर्विवाद है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ओर परिषद् द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया की तर्ज पर राष्ट्रीय प्रयोगशाला के निर्माण की लागत विश्वविद्यालयों को कमजोर करने की होगी, उनके कुछ अच्छे लोगों को लाकर जो उनकी सबसे कीमती परिसंपत्ति हैं।''

[हिन्दी]

आज उससे 10 गुणा, 20 गुणा ज्यादा ब्रेन ड्रेन होगा, आप क्यों विश्वविद्यालयों को नष्ट करना चाहते हैं? मैंने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखी है। मुझे उस पर टिप्पणी करने में बहुत संकोच हो रहा है। उसने न तो शिक्षा के विशेषज्ञों से बात की है, न रिसर्च के विशेषज्ञों से बात की है, न बहुत व्यापक पैमाने पर रिसर्च स्कॉलर्स से और अध्यापकों से बात की है। केवल एक विश्वविद्यालय के वाइस चासंलर को बुलाया था, जिसका हवाला भर्तृहरि महताब जी ने दिया है। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड से उन्होंने बात नहीं की, पता नहीं उन्होंने यूजीसी की रिपोर्ट देखी या नहीं देखी। यूजीसी में क्या-क्या हुआ, उसकी सारी डिटेल्स मेरे सामने हैं?

यूजीसी की एक रिपोर्ट में जिससे थोड़ा बहुत संबंध उस समय मेरा भी था, लेकिन बाद में फिर यूजीसी के सामने जब यह मसला रखा गया तो उन्होंने क्या-क्या कमेटीज बनायीं और बताईं, उसका मैं यहां हवाला दूंगा। उसके अनुसार, अब हमारे देश में एक नयी परंपरा शुरू हो गयी है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग अपने आप यूनिवर्सिटी के तौर पर डिकग्री देना शुरू करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया से, इस प्रकृति से बड़े गहरे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय ही दुनिया के सारे देशों में रिसर्च के मुख्य केन्द्र हैं। कैम्ब्रिज में एक यूनिवर्सिटी में 88 नोबेल लारिएट्स हैं। दुनिया में ज्यादातर मौलिक रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च, मानवता के कल्याण की रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च से होती है। महोदय, आज की मौलिक गवेषणा कल की टेक्नॉलोजी है। जिस वक्त ट्रॉयोड वॉल्व का, बल्कि डोयोड वॉल्व का जन्म हुआ था तो किसी को पता नहीं था कि कल चलकर के उसमें से ट्रांजिस्टर निकलेगा, फिर परसों मोबइल निकलेगा, अब 3-जी निकल रहा है, प्लाज्मा निकल रहा है, सारे संचार के साधन निकल रहे हैं। लेकिन जब बीएससी में वह डायोड वॉल्व हम लोग पढ़ते थे तब यह डायोड वॉल्व और ट्रायोड वॉल्व गैसीय इलैक्ट्रॉनिकी की पराकाष्ठा थी। उसमें से रेडियो निकाला, उसमें से ट्रांजिस्टर निकला। गैसियस इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉलिड स्टेट इलैक्ट्रॉनिक आया, अब प्लाज्मा आया। लेकिन बुनियाद कहां है? वह किसी सीएसआईआर की लैब में नहीं है। ये सारे काम विश्वविद्यालयों में होते हैं। अगर आप दुनिया के मौलिक अनुसंधान का जिसके आधार पर आज की टेक्नॉलोजी चलती है, उसका इतिहास देखें तो विश्वविद्यालय में होता है। वहां नए छात्र, नौजवान छात्र जिनका मस्तिष्क उर्वर होता है, जिनमें नई-नई कल्पना करने की शक्ति होती है, वे इन्नोवेशन करते हैं। उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज तो अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए वातावरण नहीं है। रिसर्च एक वातावरण में से निकलता है। मैं जब रिसर्च करता था, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, हमारे विभाग के प्राध्यापक और मेरे से जो वरिष्ठ स्कॉलर्स थे, रात को एक-एक, दो-दो बजे तक काम करते थे। मुझे

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

भी कई बार रात-रात भर काम करना पड़ना था, ऐसे प्रयोग होते थे। एक चेतना थी विश्वविद्यालय के अन्दर कि हमारे यहां से अच्छा अनुसंधान होना चाहिए। हर साल 8-10, 8-10 रिसर्च स्कॉलर्स डिग्री लेते थे। उसी तरह से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में, फिर बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय जहां से रिसर्च आगे निकलकर चली, दिल्ली विश्वविद्यालय आया। विज्ञान की बहुत सी रिसर्च चेन्नई, पुणे में हुई। क्या दिक्कत है इसमें? आप कहते हैं कि आपका जो उद्देश्य है, आप कहते हैं कि हम इंटीग्रट करेंगे। क्या इंटीग्रेट आप करेंगे? इसमें ह्यूमैनिटीज का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या बिना मानविकी को पढ़े बिना ह्यूमैनिटीज को जाने, बिना साहित्य को जाने, बिना इतिहास को जाने, बिना अर्थशास्त्र को जाने, समाजशास्त्र को जाने, क्या कोई अच्छा वैज्ञानिक भी बन सकता है? विश्वविद्यालय में यह वातावरण होता है, वहां सब संकाय होते हैं, सारी फैकल्टीज होती हैं। वहां के कोर्सेस इंटीग्रेटेड बनाइए। वहां के कोर्सेस में परिवर्तन कीजिए, यह मैं समझता हूं। लेकिन यह एक अहंकार या एक अपनी जिसको कहिए एक प्रवृत्ति, अपनी इच्छा कि मैं भी एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बन गया हूं। मैं भी एक डिग्री दे रहा हूं, यह संतोष करके आप देश के रिसर्च को क्यों नष्ट कर रहे हैं? आज जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हमें जरूरत हैं इंजीनियरिंग और टेक्नॉलोजी के लोगों की। मैं सीएसआईआर के हर लैब का मैनडेट जानता हूं। उसके डायरेक्टर जनरल विराजमान हैं यहां। इनकी बड़ी इच्छा है कि यह एकेडमी बने। ये इसके प्रस्तोता हैं। इनके पहले डॉ. माशेलकर थे। वे मुझसे बहुत झगड़ा करते थे। मैंने कहा कि नहीं होगा, यह गलत है। मैं एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं। विज्ञान विभग का अध्यक्ष होकर रिटायर हुआ हूं। मैं इस देश के विज्ञान को नष्ट होने का समर्थन नहीं कर सकता, इस देश के विश्वविद्यालयों की प्रतिभाओं को नष्ट होने का समर्थन नहीं कर सकता। यह क्या बात हैं? सीएसआईआर में रिसर्च हो, किसी ने मना नहीं किया। जहां-जहां आपकी प्रयोगशालाएं हैं, उनमें अधिकाश स्थानों पर विश्वविद्यालय हैं– दिल्ली में हैं, चंडीगढ़ में है, जम्मू में है, पूना में है, लखनऊ में है, चेन्नई में है, गोवा में है। कौन सी जगह ऐसी है जहां विश्वविद्यालय नहीं हैं? कोलकता में है, हैदराबाद में है। अगर करना ही है तो वहां की प्रयोगशालाएं उन विश्वविद्यालय के साथ जुड़ सकती हैं। अलग से एकैडमी क्यों बना रहे हैं। फिर आपना पढ़ना शुरू करेंगे। पांच-सात वर्ष तो आपको सारा कुछ डैवलप करने में लगेगा। पढ़ाने की एक अलग परिपाटी होती है, वह एक अलग परंपरा होती है। यह स्पॉन्सर्ड रिसर्च और अध्यापन दुनिया में कहीं एक सा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है:–

[अनुवाद]

> ''कालांतर में भारत ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं आईआईसी तथा आईआईटी जैसे श्रेष्ठ केन्द्रों में अधिक से अधिक निवेश करना प्रांरभ किया। धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों की पूर्व श्रेष्ठ स्थिति कमजोर होनी प्रांरभ हो गयी है।''

यह भाभा ने कहा है:–

> ''हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली पर दबाव बढ़ने के साथ विश्वविद्यालयों से अनुसंधान का धीरे-धीरे अन्यत्र अंतरण होता गया।''

[हिन्दी]

मैं जब मंत्री था तो मैंने देखा कि आईआईटीज़ में क्या होता है। आईआईटीज़ का बजट 80 करोड़ रुपये का और रुड़की विश्वविद्यालय का बजट 16 करोड़ रुपये का। मैंने रिसर्च के आंकड़े दिखाए। रुड़की विश्वविद्यालय रिसर्च कर रहा था, आईआईटी रिसर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि आईआईटीज़ में इस ज़माने में यह हाल था कि जब आईआईटी में प्रवेश हो जाए तो लड़के या लड़की का शरीर तो यहां रहता था और आत्मा अमेरिका चली जाती थी। वह फिर आत्मा की खोज में अमेरिका भागता था। एमटैक था ही नहीं। कहां से आईआईटी में रिसर्च होगी? कौन जाता था रिसर्च करने के लिए- जो इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटैक करके जाते थे, वे फिर आईआईटीज़ में रिसर्च करने के लिए जाते थे। क्या रिसर्च की क्वालिटी होगी? इसलिए हमने पहले इंजीनियरिंग कालेजेज़ को अपग्रेड किया, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टैक्नोलॉजीज बनाई। आईआईटीज़ को कहा कि रिसर्च करो, अगर तुम्हारे प्रोजैक्ट्स में 50 प्रतिशत रिसर्च नहीं होगी तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। वहां रिसर्च कराने की जरूरत है। आईआईटीज़ में रिसर्च कराइए, विश्वविद्यालयों में रिसर्च कराइए। मैं सीएसआईआर के योगदान को कम नहीं रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां से कुछ नहीं होता है लेकिन उसका काम, उसका रोल, उसकी भूमिका भारत के विकास में अलग है। सीएसआईआर क्यों नहीं हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रीज़ के साथ आज तक अपने आपको लाकर खड़ा कर पाई? मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्रियल

रिसर्च क्यों नहीं होती? वह कहां होगी? आप फंडामैंटल रिसर्च भी कराने लग जाएंगे तो इंडस्ट्रियल रिसर्च कहां यूनिवर्सिटी में हो? कहा जाता है कि इन्नोवेशन करना है। माफ कीजिए, मुझे फिर कहना पड़ रहा है लेकिन जब मैं मंत्री था तो उन दिनों हमने एक नेशनल इन्नोवेशन फंड बनाया था। हमाने गुजरात के अहमदाबाद के श्री अनिल अग्रवाल जी उसको देखते थे। कौन कर रहा था इन्नोवेशन? मैं हर इंस्टीट्युट में जाकर पूछता था कि कितना इन्नोवेशन आपने किया? कौन सी चीज़ की है? मैं आपको बताऊं इन्नोवेशन इस देश में कौन कर रहा था और आगे भी कौन करेगा? वह अनपढ़ आदमी जिसको आप तिरस्कृत कर देते हैं, वह कर रहा था घटनाएं बताती हैं। गुजरात के एक गांव में जहां रुई होती थी, कपास होता था, उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि उसको बीज से रोएं को अलग करने में मैनुअल काम करते-करते सारा गांव परेशान हो जाता था। उसमें नुकसान बहुत होता था। वहां के एक आदमी ने सोचा कि यह तो बड़ी गलत बात है। पूरा महीना गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें इसी में लगे रहते हैं और नुकसान होता है। उसने दिमाग लगाया और एक मशीन बनाई जिससे सब काम सरल हो गया। बीज अलग हो गया, रुई अलग हो गई और क्वालिटी ठीक रही, धागे टूटे नहीं। हमको पता लगा तो उन्हें बुलाया। वे हमारे पास आए। हमने पूछा कि यह मशीन आपने कैसे बनाई? उन्होंने कहा कि मुझे तो इससे प्रेरणा मिली कि मेरे गांव में यह नुकसान हुआ। हमने पूछा कि क्या आपने कहीं मैकेनिकल काम किया है तो उन्होंने कहा – जी नहीं। हमने पूछा कितना पढ़े हैं, तो बोले- स्कूल गया नहीं, मास्टर जी ने पहली बार ही अंगुलियों में पैन्सिल फंसाकर दबाया तो मैंने तौबा कर ली कि स्कूल नहीं जांऊगा। पांच लाख रुपए में उसकी वह मशीन बनती थी। हमने कहा कि हम तुम्हें और मदद करेंगे, इसे इम्प्रूव करो, इसे पेटेंट करवांएगे। उसने कहा कि पेटेंट नहीं कराऊंगा, वरना कोई बड़ी कम्पनी आकर इसके अधिकार ले लेगी और 30 लाख या 50 लाख रुपए में बेचेगी। मैं जिले-जिले में इसका अधिकार दूंगा। यह उस गांव के आदमी की भावना कि मैं साइंस और टैक्नोलॉजी से एक्सप्लोइटेशन नही होने दूंगा। मैं इनके लिए काम करूंगा। हमने उसकी मदद की और उसकी मशीनें चल रही हैं। मैं आपको और बताता हूं, हमने पच्चीसों वे घटनाएं देखी, जो अनपढ़ आदमियों ने की। इस सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन श्री दर्डा जी राज्य सभा के सदस्य हैं। मैं उनके यहां नागपुर में बैठा हुआ था। एक सज्जन आए, उन्होंने स्लिप दी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने समझा कि या तो बच्चे का एडमिशन चाहते होंगे या ट्रांसफर चाहते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने पूछा कहां जाना है? उन्होंने कहा कि कही मत चलिए आप अपने हाथ के अंगूठे को ऐसे कर दीजिए। मैंने वैसे ही किया और उन्होंने जेब से एक चीज निकाल कर के रख दी। आप समझ नहीं सकते कि वह क्या चीज थी? वह स्टीम इंजिन का मिनिएचर था, फंक्शनिंग।..भाप ईंजन का कार्यशील मिनिएचर उसके बाद मैंने उनको यहां बुलाया और दिखाया, टीवी चेनल्स ने उनको दिखाया, सारी बातें की। मैंने पूछा कि आप कहां तक पढ़े हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो लेथ का काम करता हूं, उसी से करते-करते सीख गया। उसे हमने जर्मनी भेजा और वह ईनाम लेकर आया। अमरीका से उसे फिर से बुलावा आया, फिर फर्स्ट प्राइज़ लेकर आया। भारत का झंडा लगाकर आया। जब तीसरी बार भेजने के लिए कहा तो उस समय मनमोहन सिंह जी आदेश नहीं करते तो शायद नहीं जा सकता था। हमारी साइंस वालों की यह हालत में आपको बताता हूं। हमें नियम बताया गया कि आपने दो बार भिजवा दिया, अब तीसरी बार क्यों भिजवा रहे हैं? मैंने कहा कि यह कोई मेरा बाप नहीं है, बेटा नहीं है। एक भला आदमी है, देश के लिए सम्मान ला रहा है। यह कैसा रूल है? यह कैसा कानून है कि आपको दो बार भेज दिया, तीसरी बार नहीं भेज सकते, आप कैसी बात कर रहे हैं? इनोवेशन ये लोग करते हैं। उसको ईनाम में जो लेथ दी गई थी, उसकी उसने मिनी लेथ बनाकर दिखा ही। ऐसे आदमी इनोवेशन करते हैं। वहीं नागपुर की नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी थी। मैंने नागपुर की नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी वालों से पूछा कि आपके यहां कोई इनोवेशन वाला है, वहां कोई नहीं है। आज हमारी रिसर्च पश्चिम के देशों की उच्छिष्ट रिसर्च, जो वहां करते हैं, उसी को यहां लागू करना शुरू कर देते हैं। फंडामेंटल रिसर्च हों, तो यहां से नोबल प्राइजेज मिलें। रमन साहब ने फंडामेंटल रिसर्च की थी, बोस साहब ने फंडामेंटल रिसर्च की थी, भाभा जी भी कर रहे थे। ऐसे कई जोग थे, जो रिसर्च कर रहे थे। यह अंदर की चेतना, भावना होती है कि मुझे रिसर्च करना है। रिसर्च अकेडमी बना देने भर से ही नहीं होती है और खाली डिग्री देने से या एक हायरार्की बना लो, उससे नहीं है। इसके बाद इन्होंने यह कहा–

[अनुवाद]

> ''शायद अब यह मूल्यांकन करने का समय आ गया है कि विश्वविद्यालयों से प्रयोगशालाओं में इस अंतरण के नकारात्मक परिणाम निकले हैं या नहीं। लगता है कि इसके बड़े परिणम निकले है। धीरे-धीरे देश में अनुसंधान में विश्वविद्यालय

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

कमजोर हुए हैं। अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं शिक्षण केन्द्रों का फोकस भिन्न है। ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। एक ही निकाय में दोनों भूमिकाओं का आवासन भारत के दीर्घावधि हितों में उत्पादकरोधी है।''

[हिन्दी]

मंत्री जी वैज्ञानिकों की बात सुनिए। वैज्ञानिकों की कमेटी बनी थी। बहुत शोर मचा था कि कुछ होना चाहिए। इसकी 15 प्रयोगशालाएं छांटी गई कि इनमें पोटेन्शियलिटी है, इन्हें आप डीम्ड-टू-बी यूनीवर्सिटी बना दीजिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इन पर रोक लगा दी। तब इन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया, इंतजार कीजिए, लेकिन देश को नष्ट मत कीजिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं, वर्ष 2008-09 में देश भर में जो डाक्टरेट डिग्रीज़ मिली हैं, उसमें आर्ट्स में 3845, साइंस में 3821, कम्प्यूटर साइंस में केवल 134, कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सिर्फ 8, कामर्स में 426, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 1194, मेडीसिन में 336, एग्रीकल्चर में 434 और वेटिनरी साइंस में सिर्फ 93 डिग्रीज़ हैं। वेटिनरी साइंस बहुत इम्पोरटेंट है, सारे कृषि और डेरी फार्मिंग की दृष्टि से इम्पोरटेंट है। उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं आया है, ये जो करने वाले हैं, उसका कहीं जिक्र नहीं हैं। आप देखिए, आज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 1194, साइंस में 3821 डिग्रियां मिली हैं। आपको 1194 की संख्या को बढ़ाना है। आज कम्प्यूटर साइंस की बहुत जरूरत है, जिसे बढ़ाना है। सीएसआईआर की कौन सी प्रयोगशाला है, जो इंजीनियरिंग का काम करती हैं? आपकी एक-आध सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या कोई एनपीएल के अंदर काम करने वाली हो, वे हों। लेकिन 40-42 इंस्टीटयूटस में से कम्प्यूटर साइंस की एक भी नहीं है, कम्प्यूटर एप्लीकेशंस में नहीं है, वे तो अलग हैं। मेटीरियल साइंस की रिसर्च लेब अलग है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनने में सौ साल से ज्यादा का समय लगा और वह टाटा जी के जमाने से शुरू हुई, आज की नहीं है। मैंने उस समय उन्हें कहा, मैं जब गवर्निंग काउंसिल का मेम्बर रहा। मैंने उन्हें मजबूत किया कि वे अंडर ग्रेजुएट अपने यहां शुरू कराएं, नहीं तो रिसर्च आगे चलेगी नहीं। मुझे खुशी है कि इस बार से उन्होंने अपने यहां अडंर ग्रेजुएट लिए। आप अगर नये लड़कों, नये बच्चों को विश्वविद्यालय की शिक्षा और ह्यूमेनिटी से वंचित करेंगे, तो क्या होगा? मैं जानता हूं, मैं इंटेग्रेटेड रिसर्च का बहुत पक्षधर हूं। मैंने सीएसआईआर को भी मजबूत किया कि इंटेग्रेटेड रिसर्च कीजिए। आज इनडिविजुअल रिसर्च का जमाना नहीं है, परन्तु उसे आप कैसे लाएंगे, रिक्रुटमेंट कहां से करेंगे? हमारे वहां प्रोफेसर साहब बैठे हैं, बोलिए न कुछ गणितज्ञ। आप इन सब बातों को देखिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूं, देश के वैज्ञानिक आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप कुछ विश्वविद्यालयों को मजबूत कीजिए। सिब्बल साहब यहां बैठे नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें अधिक पुष्ट कीजिए। इनोवेशन गांव से होगा, मैं आपको बता रहा हूं। गांव से इनोवेशन होगा, इनोवेशन सीएसआईआर लेब या यूनिवर्सिटीस के डिपार्टमेंट्स में अभी नहीं हो रहा है, माफ कीजिए। हमारे यहां साहा साहब ने इनोवेशन किया था, उसके बाद उस विश्वविद्यालय में बरसों तक इनोवेशन नहीं हुआ। जब आप धरती से जुड़ते हैं, वहां की समस्याओं को समझने हैं तब इनोवेशन करते हैं, जैसे उसने समझा। मेरे पास अनके मिसाल हैं। केरल में नारियल तोड़ने के लिए उस आदमी ने जो रास्ता निकाला, हैरत है। स्प्रे करने के लिए एक आदमी जाता था,वह भी गुजरात का ही किस्सा है। वह इधर से चलता था, उधर एक मील तक जाता था और फिर लौट कर आता था, उसने कहा कि क्या मतलब है, उधर जाना, फिर इधर लौटना। क्या मैं दोनों हाथों से स्प्रे नहीं कर सकता? उसने दिमाग लगाया, जूते में स्प्रिंग लगा कर उसे अपने पेस्टीसाइड बैग से जोड़ लिया और दोनों हाथों से काम करने लगा। उसे एक विदेशी ने देखा और कहा कि यह टेक्नोलॉजी बेचोगे। वह हम लोगों के पास आया और कहा कि साहब, यह क्या टेक्नोलॉजी है और क्या बैचेंगे। इसे पेटेंट करो। उस विदेशी ने उससे वह टेक्नोलॉजी खरीदी। उसने उससे पूछा कि आप कितने पढ़े हो तो उसने कहा कि मैं कुछ भी पढ़ा नहीं हूं। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो यह काम करता। उसने कहा कि तुमने पढ़े-लिखों के कान काट लिए, क्या करते हो। अगर आज इनोवेशन चाहिए तो इनोवेशन की स्प्रिट जगाइए, आप धरती से जुड़िए। मैं ब्राजील गया था, मैंने सुना था कि वहां के बुल्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरे बॉयो टेक्नोलॉजी के सैक्रेट्री ने कहा कि इनके फॉर्म को जरूर देखिए तो मैं वहां गया। मैंने कहा कि आप इतने अच्छे बुल्स कहां से लाए तो वहां का वैज्ञानिक हंसने लगा। वह कहने लगा कि भारत से इम्पोर्ट किया था, उसे हमने विकसित कर दिया। अब हम वहां से इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या बात है। क्या सीएसआईआर

और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीस इस दिशा में कार्यरत हैं। इस देश में क्या हो रहा है? अगर आपको इस देश में रिसर्च और टैक्नोलॉजी करानी है, मंत्री जी पहले वैज्ञानिकों को, विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर को इस धरती से जोड़िए। हम सीएसआईआर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा देश की बाकी यूनिवर्सिटियों से भी पूछना चाहते हैं कि वे कट एंड पेस्ट रिसर्च क्यों कर रहे हैं? विदेशों में जो काम हो रहा है, वे उसकी अंधी नकल यहां क्यों कर रहे हैं? भारत की कितनी समस्याओं को लेकर ये रिसर्च लैब्स आज हमारे देश की समस्याओं का हल कर रही हैं। हां, कुछ काम हुआ है, मैं यह नहीं कहता कि किसी ने नहीं किया, कुछ प्रयोगशालाओं में बहुत अच्छे काम हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के काम हुए हैं, लेकिन कुल मिला करके भारत की धरती से, क्षमा करेंगे, बहुत कम काम हुए हैं।

सभापति जी, रुड़की विश्वविद्यालय को हमने हिमालयन टैक्नौलौजी के लिए आईआईटी बनाया था। वह सेंट्रल यूनीवर्सिटी है, क्योंकि आईआईटी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जब हम यहां से हट गए, तो हिमालयन टेक्नोलॉजी का पूरा प्रकरण ही खत्म हो गया। हमने कहा था कि एक यहां बनाइए जो इधर की सारी चीजों को देखेगी और एक जम्मू या हिमाचल प्रदेश में बनाइए, जो उधर की सारी चीजों को देखगी। कुछ नहीं किया, क्योंकि जमीन से नहीं जुड़ना चाहते हैं।

जब देश की समस्याओं को आप समझते हैं, जब देश की चुनौतियों को आप समझते हैं, तो इसका नतीजा हमने स्पेस में और एटोमिक साइंस में देखा है। चुनौतियों को समझ कर जब काम होता है, जब देश के सामने आपत्ति आई और जब हमारे देश के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, चुनौतियां आई और देश के स्वाभिमान का सवाल आया, तो स्पेस का काम हुआ और एटोमिक इनर्जी का काम हुआ, बहुत काम हुआ, लेकिन कब हुआ? मगर माफ करेंगे, न्यूक्लीयर सांइस ने विदेश के विश्वविद्यालयों में न्यूक्लीयर फिजिक्स का अध्ययन और रिसर्च बिल्कुल बन्द कर दिया है, क्योंकि बार्क अपने बच्चे शुरू से इकट्ठे लेता है और उन्हीं को ट्रेंड करता है। कहता हूं कि अगर आपने एटम का नाम कहीं मेरे अलावा बाहर ले लिया, तो आप पकड़े जाओगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना एटोमिक इनर्जी एक्ट ठीक-ठाक कर लीजिए, वरना एटम शब्द कहने पर आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। यह क्या बात है?

मेरे विश्वविद्यालय में, मैंने बहुत कोशिश की, उस समय, लेकिन उस समय न्यूक्लीयर का प्रौफेसर नहीं मिला, क्यों? पता नहीं। सिर्फ दो-चार यूनीवर्सिटीज में हैं। वे थोड़ा सा अपना काम कर के बाहर चले जाते हैं। आज अगर भगवान न करे हमारे देश में जापान की तरह से भूकम्प या सुनामी आ जाए और न्यूक्लीयर प्लोंटों से रेडिएशन का खतरा उत्पन्न हो जाए, तो क्या आपको न्यूक्लीयर साइंटिस्ट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। एग्रीकल्चर का क्या हाल है? आपके देश में ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जो यह कह रहे हैं कि आप अमुक विश्वविद्यालय से जो अमरीका के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पढ़े हुए लड़के से काम कराएंगे, उसे आप अपने यहां एक्सटेंशन देंगे, बाकी वालों को नहीं देंगे, क्यों? आप क्या चाहते हैं? भगवान के वास्ते इस देश की रिसर्च को मौलिक रिसर्च बनाइए।

महोदय, यहां नालंदा थी, तक्षशिला थी और विक्रमशिला थी। ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें दुनियाभर के लोग आकर काम करते थे। एक साथ इनमें 10-10 हजार लड़के पढ़ते थे। मेरा निवेदन है कि आप उनका इतिहास पढ़िए और देखिए कि वे क्या काम करते थे। वहां से वैज्ञानिक बनकर निकलते थे। आज हमारे यहां से बच्चे विदेश पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने विश्वविद्यालयों को कमजोर कर दिया? यह जो सीएसआईआर की अकैडमी बनेगी, माफ कीजिए, मैं चेतावनी दे रहा हूं, इससे देश में रिसर्च या इन्नोवेशन की कोई नई परिपाटी पैदा नहीं होगी। डॉ. ब्रहमचारी, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। मैं उनका बहुत अच्छा प्रशंसक हूं। वे सीएसआईआर के डीजी बनकर यहां आए, मैंने उनका समर्थन किया था। उनकी वैज्ञानिकता मे मुझे कोई संदेह नहीं है। मगर मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस योजना को छोड़ दें। यह मत करो। मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में साइंटीफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च को मजबूत करने वाले डीजी बनिए। आप विश्वविद्यालयों को नष्ट करने वाले डीजी के रूप में मत जाइए। यदि आपने इस बिल को इसी रूप में पास कर दिया, तो मंत्री जी आपको और उन्हें, आपके इस अपराध के लिए देश माफ नहीं करेगा।

मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आज आप इस बिल को वापस ले लीजिए। दूसरे ढंग से, सम्यक विचार कर के इसे लाइए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि इसमें एग्रीकल्चर भी आए, हम चाहेंगे कि मैडीसिन भी आए। जिन चीजों की हिन्दुस्तान को जरूरत है, वे सब चीजें आनी चाहिए, उनका घोर अभाव है। इसका जो मैनेजिंग बोर्ड बना है, वह क्या है? वह केवल ब्यूरोक्रेट्स का बोर्ड है। क्या रिसर्च ब्यूरोक्रेसी कराएगी? अगर ब्यूरोक्रेसी को

[डॉ. मुरली मनोहर जोशी]

रिसर्च करानी ही होती, तो वह अपने यहां ही सुधार कर लेती। मुझे माफ कीजिए, आज देश का जो सर्वनाश हुआ है, वह इस ब्यूरोक्रेसी के कार्य-कलापों से ही हुआ है। आप उसे यहां क्यों लाना चाहते हैं? आप इस रिसर्च को भी समाप्त करना चाहते हैं। क्या ब्यूरोक्रेटिक रिसर्च कराना चाहते हैं? क्या बात होगी?

मंत्री जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज इस विधेयक को वापस ले लें और दूसरे रूप में लाएं। इसे अच्छा बनाने में हम सब आपकी मदद करेंगे। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए मैंने अपने छः साल के कार्यकाल में जो कुछ किया था, ब्रहमचारी जी, स्वयं उसकी गवाही देंगे। यहां की लैब्स में क्या होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब उसके साथ हैं, लेकिन हम यह चाहेंगे कि देश की रिसर्च, देश की धरती से भी जुड़ कर होनी चाहिए। और देश में जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिभा है, उसका भी विकास होना चाहिए, उसको मौके मिलने चाहिए और वे मौके विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मिलेंगे, वहां विज्ञान को परिपुष्ट करके मिलेंगे। भगवान के वास्ते भाभा के शब्दों को सुनिये, जवाहर लाल जी के शब्दों को सुनिये और अगर आपको आपत्ति न हो तो कुछ मेरे शब्दों को भी सुन लीजिए और इस बिल को आज आप वापस ले लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, यह चर्चा कल जारी रहेगी। अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे। श्री राजू शेट्टी।

सायं 6.35 बजे

आधे घटे की चर्चा

पर्यटन नीति के संबंध में

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले) : सभापति महोदय, 25 फरवरी को जो मंत्री महोदय ने मौखिक उत्तर दिया था, उसी पर मैंने हाफ एन ऑवर डिस्कशन मांगा था। मैंने यह जो डिस्कशन मांगा है, यह इसलिए कि पर्यटन के बारे में उस दिन उतनी बहस नहीं हो सकी तो अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि इसकी आप हाफ एन ऑवर में डिमांड करो।

खास कर के मुझे पश्चिमी घाट के टूरिज्म पैकेज के बारे में कई मुद्दे यहां उपस्थित करने थे, इसलिए मैंने यहां यह डिस्कशन मांगा था। रत्नागिरि, रायगढ़, कोल्हापुर, सांगली और सतारा, ये वैस्टर्न घाट में 5-6 जिले आते हैं। यह इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने यहां कई पहाड़ी किले बनवाये, जो यहां के पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण है। विदेशी पर्यटन भी यहां बहुत सारे बाहर से आते हैं। यहां वैस्टर्न घाट की हरियाली है, यहां हिल स्टेशंस हैं, पहाड़ी हैं, गोवा यहां से बहुत ही नजदीक है, लेकिन पूरा पश्चिमी घाट हरा-भरा होने के बावजूद इस हरे पहलू के पीछे दुख-दर्द और गरीबी छिपी है। यहां रहने वाले आदिवासी, गरीब किसान, मजदूरी करने के लिए मुम्बई जाते हैं और उन्हें वहां होटल में वेटर का काम करना पड़ता है।

सांय 6.37 बजे

[**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

पश्चिमी घाट में बहुत सारी वनौषधियां, वनस्पतियां हैं, इसलिए इस इलाके को सरकार ने ईको सेंसिटिव जोन बनाने का विचार किया है। अगर हमारे यहां ईको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होता है तो वहां जो किसान खेती करते हैं, उस खेती पर पाबन्दी लग सकती है, वहां जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस पर भी पाबन्दी लग सकती है। यहां दो रिजर्व फोरैस्ट हैं और बहुत सारे हाथी और शेर जैसे वन्य जीव भी यहां पश्चिमी घट में हैं, इसलिए खेती करना दिन-ब-दिन मुश्किल हो रहा है। यहां के आदिवासी, वन्य लोगों के लिए रोजगार निर्माण करने के लिए एक पैकेज इस पश्चिमी घाट के लोगों को देने की नितान्त आवश्यकता है, इसलिए मंत्री महोदय ने उस दिन आश्वासन दिया था। उस चर्चा के अनुरूप मैं पश्चिमी घाट के लिए एक टूरिज्म पैकेज की मांग करता हूं।

जैव विविधता के कारण यहां ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ईको टूरिज्म के बारे में महाराष्ट्र बहुत पिछड़ा रहा है। ईको टूरिज्म के अलावा, दिल्ली के अतिरिक्त वैस्टर्न घाट मैडीकल टूरिज्म विकसित करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहां का टैम्परेचर कभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होता और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कभी नहीं जाता। यहां का पानी

बहुत अच्छा है, इसलिए मेडीकल टूरिज्म, ऐतिहासिक पर्यटनस्थल विकसित करने के लिए, शिवाजी महाराज के किलों की मरम्मत के लिए पूंजी निवेश, वन्य पर्यटकों के लिए सड़क का निर्माण और टूरिज्म हट के निर्माण की आवश्यकता है। पश्चिमी घाट में रहने वाले मूल निवासी, जो आदिवासी किसान हैं, इनको प्रशिक्षित करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्तकला प्रदर्शन और राष्ट्रीय बांबू मिशन के तहत रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है। खासकर कोल्हापुर, जिसे दक्षिणकाशी कहा जाता है, यहां बहुत सारे पुराने जीर्ण-शीर्ण क्षेत्र हैं, उनका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। वेस्टर्न-डेक्कन ओडिसी कोल्हापुर तक आती है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु डेक्कन ओडिसी के किराये में कटौती करने की आवश्यकता है। पश्चिमी घाट में बाक्साइट की माइनिंग में खनन होता है। वहां जो अवैध रूप में खनन होता है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन में वह बहुत बाधा डाल रहे हैं। राष्ट्रीय बांबू मिशन के तहत रोजगार निर्माण करने की बहुत सारे अवसर यहां हो सकते हैं। इसलिए एक पूरा पैकेज पश्चिमी घाट के विकास के लिए देने की आवश्यकता है। वन औषधि, वनस्पति के साथ-साथ मेडिकल-टूरिज्म, ईको-टूरिज्म, वन प्रांगण देखने के लिए आए हुए पर्यटकों के टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वह एक अध्यावत पैकेज पश्चिम घाट विकास के लिए दे दें, धन्यवाद।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तराखंड से आता हूं। प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड, जहां एक तरफ बहुत ही पवित्र स्थल हरिद्वार और दूसरी तरफ हिमालय की गगनचुंबी चोटियां हैं। बड़े विशाल आकार में फैला उत्तराखंड प्रकृति के सौंदर्य को अपने आप में संजोए हुए है। यह ऐसा स्थान है, जहां अनेक ऋषियों ने तपस्या की, अनेक मनीषियों ने चिंतन किया और धर्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं से उत्तराखंड भरा हुआ है। आजकल लोग मात्र गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा करते हैं। अगर हम स्कन्द पुराण के केदार खंड का अवलोकन करें, तो वहां पंच प्रयागों को, पंच केदारों का और पंच बद्री का उल्लेख आता है। जो प्रसिद्ध धाम हैं, उनके अलावा अगर हम और धामों को विकसित करें, उनके इतिहास को जनता को बतायें, तो उत्तराखंड के अंदर पर्यटन की संभावनायें और अधिक बढ़ जाएंगी।

देश में विशेषकर उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को और विशेषकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में कालीमठ और स्वामी कार्तिकेय आदि धामों के रूप में विकसित करें, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री सतपाल महाराज : मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, धार्मिक पर्यटन के लिए और इन धामों को विकसित करने के लिए क्या उपाय करेंगे और क्या कार्यक्रम या योजना बनायेंगे? मेरा यह मानना है कि सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने से क्या होता है यारो, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि धामों को विकसित करने की योजना के बारे में बतायें।

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : सभापति महोदय, तारांकित प्रश्न से दिए गए जवाब से उत्पन्न कुछ सवाल हैं, जिन पर आज यह सदन अमल करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी सरकारी नीति को आप देखते हैं, तो अलग-अलग मापदंड हो सकते हैं कि वह सफल नीति है या नहीं। पर्यटन नीति को अगर हम देखें, मंत्री जी ने जवाब में जानकारी दी कि वर्ष 2002 से पर्यटन की एक नीति है, उन्होंने यह भी आंकड़े दिखाए कि पर्यटक विदेशी स्तर पर और हमारे देश के जो लोग पर्यटन पर निकल रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रहा है।

यह अच्छे संकेत हैं, लेकिन सिर्फ यह मानक नहीं हो सकता है। पर्यटक की विचित्र स्थिति यह है कि जब आप आर्थिक निर्भर हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो गतिविधियां हैं उन पर जब आर्थिक प्रगति होती है तो लोग पर्यटन पर निकलते हैं और हमारे देश में जब मंदी होती है जब दुख और संकट होता है तब लोग सोचते हैं चलो वैष्णो देवी चलो, चलो वृंदावन चलो, वहां हमें शांति मिलेगी। इसका कोई सीधा हिसाब नहीं है। इसे आर्थिक प्रगति का संकेत मत मानिए कि हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आप मानक क्या मानेंगे? कैसे हम सोचें, विचार करें कि हमारी नीति कुशल नीति है या नहीं है? मैं अपनी ओर से सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपा कर प्रश्न पूछिए।

श्री जयंत चौधरी : महोदय, सबसे पहले तो जो हमारी बुनियादी एवं आधारभूत सुविधाएं हैं, जो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं वहां हमने क्या किया? आप किसी भी पर्यटन क्षेत्र में जा कर देखेंगे, वहां न सड़क है, न शौचालय हे, न पीने के पानी की व्यवस्था, न विद्युत की व्यवस्था है, न वहां कोई प्रशिक्षित गाइड होते हैं जो उस क्षेत्र के इतिहास के जानकार हों ताकि जो पर्यटक वहां आएं उनको कुछ जानकारी दे सकें। एक तो बुनियादी स्थिति है। दूसरा बहुत बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में मानसिकता, जो हमारे देश के पर्यटक जाते हैं उनको तो हम पराया मानते हैं और जो विदेश से पर्यटक आते हैं उनको हम लूटना चाहते हैं। इस मानसिकता को परिवर्तित करने में क्या हमारी जो नीति है वह सफल हुई या नहीं हुई? सबसे बड़ा जो बुनियादी सवाल बनता है, वह सिर्फ संख्या मत देखिए, हर साल हजार पर्यटक बढ़ गए, आठ प्रतिशत की प्रगति दर है, तो अच्छा है। सर, वह मानक नहीं है। बुनियादी सवाल यह बनता है पर्यटन की दृष्टि से देखें कि संभावनाओं का सागर है। हमारे देश के किसी भी कोने में आप देख लिजिए, अभी हमारे उत्तराखण्ड के सम्मानीय सदस्य थे, वह बता रहे थे कि हर कोने में ऐसी आपको विशेषताएं मिल जाएंगी, ऐसा इतिहास मिल जाएगा। अगर हम पर्यटन स्थल की तरह विकसित करेंगे तो लोग आएंगे। हम संभावनाओं की सागर की ओर देख रहे हैं और गांव के तालाब को देखकर हमें संतोष नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी-बड़ी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के जिक्र जो मेरे कॉन्स्टिचूएन्सी में आती हैं, उनका जरूर वर्णन करना चाहूंगा। मैं बृज क्षेत्र से सांसद हूं। हमारे बृज को आप देखें, सिर्फ एक जिला में नहीं, तीन प्रदेशों का वह सम्मिलित क्षेत्र माना जाता है। दुनिया भर से पर्यटक उस क्षेत्र में आते हैं। वहां एक सड़क है। होली के त्योहार को हम सभी मेम्बरों ने मनाया होगा, नंदगांव बरसाना में जो होली मनाई जाती है, वह प्रसिद्ध है। कोसी से नंदगांव, बरसाना, गोवर्द्धन जो सड़क है, वह 48 किलोमीटर की सड़क है। मैंने पिछले साल केन्द्रीय सड़क फंड से इसका प्रस्ताव रखा था लेकिन वह नहीं हो पाया। 48 किलोमीटर की पद यात्रा दो दिन में मैंने की। ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो और प्रशासन के नजर में यह बात आए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसको टेक-अप करें क्योंकि आज वही लोग हाइवे से गुजरते हैं, बहुत टूटी सड़क है, अगर आप उसे पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से कुछ संरक्षण प्रदान करेंगे तो सड़क जल्दी बन जाएगी और यह पर्यटन स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इनको जोड़ने का काम यह सड़क करती है। हम अगर मथुरा जनपद की बात करें तो यहां यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के तट पर जो घाट हैं उनमें जब प्रदेश सरकार में हमारी भागीदारी थी, हमने उनको बनवाया था, लेकिन आज भी उसमें बहुत कमियां हैं। उस तरफ भी आप ध्यान दें। रसखान जो हमारे देश में एक बेमिसाल धार्मिक सदभावना का प्रतीक है, जिन्होंने कृष्ण जी का वर्णण अपने कला के माध्यम से किया। आज उनके मजार के हालत को देखिए। उनके लिए हम विशेष महोत्सव कर सकते हैं। यमुना के ऊपर हम विशेष महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण में सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे देश में जो कुटीर उद्योग हैं, जो परंपरागत उद्योग हैं, मुरादाबाद में पीतल का काम होता है जो प्रसिद्ध है वहां हम क्यों नहीं पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित करें ताकि दुनियां के लोग आकर उसे देखें। जो लोग हाथ से काम करते हैं, आगरा में जो लेदर का काम होता है, मेरे यहां सराफा बाजार है, जो चांदी का काम करते हैं। वहां आप जा कर देखें।

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री जयंत चौधरी : टर्की की ब्लू पॉट्री प्रसिद्ध है इसलिए वहां पर टूरिज्म पर कोऑपरेटिव बनाए गए हैं। वहां के जो लोग हैं जो अपने हाथों की कलाओं से काम करते हैं। उनको कोऑपरेटिव में जोड़ा गया है। दुनिया से पर्यटक वहां जाते हैं, सिर्फ उस काम को देखने के लिए। हमारे यहां ऐसे कितने परंपरागत उद्योग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए मार्केटिंग की भी सुविधा हो जाएगी। इसलिए हमारे जो ऐसे छोटे-छोटे परंपरागत उद्योग है उनके लिए भी आप विशेष ध्यान दीजिए। आखिरी सवाल मेरा यह है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के लिए एक नीति बनाई लेकिन क्या हमने कोई मैपिंग की है। मेरे बृज में ही ऐसे हजारों स्थान हैं जिनका अनोखा इतिहास है लेकिन कोई जानता नहीं है। कैसे हम उनको नीति में जोड़ पा रहे हैं? हमें माइक्रों प्लानिंग करने की आवश्यकता है। उस योजना को बनाने में हमारे जो सांसद है उनकी भूमिका होनी चाहिए, जो समाजिक संस्था है उनकी भूमिका होनी चाहिए जो हमारे विभिन्न शास्त्र के विद्वान हैं, उनकी भूमिका होनी चाहिए, एनजीओज होने चाहिए, उद्योग के लोग होने चाहिए। सिर्फ अवसर न हों और आप ऐसी सलाहकार समितियों का गठन करेंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं।

आप हजार नहीं, दो हजार नहीं, सिर्फ सौ स्थान चिन्हित कर लीजिए कि पूरे देश में सौ स्थान ऐसे हैं जो आज भी टूरिज्म

कलैंडर में नहीं हैं और हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं। शुक्रताल, हस्तिनापुर, गढ़गंगा के मेले का आयोजन होता है, इतने लोग आते हैं कि गिने नहीं जाते। मेरे वृंदावन में अर्धकुंभ मेले में लाखों लोग थे। मैंने प्रदेश सरकार से मांग की थी, लेकिन कुछ सुविधा नहीं मिल पाई थी। ऐसे जो आयोजन होते हैं, आप कलैंडर बनाकर तथागत उनकी रैंकिंग करें और लोगों को बताएं कि हमारे देश में ऐसे-ऐसे स्थान हैं।

आप एक ग्रामीण पर्यटन की योजना भी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो जिले - रायबरेली और मेया, मथुरा में एक गांव है, जहां आपने ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत कार्य करवाया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात पूरी हो गई है। आपको सिर्फ प्रश्न पूछना है।

...(व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण आखिरी बात है।...*(व्यवधान)* मेरी कौन्सटीटूएंसी के गांव में काम हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि काम अच्छा हुआ, अच्छी सड़कें बनीं। जो सामान्य लूट होती है, वह हुई है लेकिन अच्छा काम हुआ है। आप गांव में जाकर समीक्षा कीजिए। गांव के लोगों को मालूम नहीं है कि उनके गांव में पर्यटन की योजना चल रही है। ग्रामीण पर्यटन की योजना के पीछे अच्छी सोच है। कुशल नीति बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसमें समीक्षा करें, दखल करें। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) **:** सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ सवाल पूछने का अवसर दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम के मुताबिक एक ही सवाल पूछना है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आपकी बड़ी कृपा होगी। आपने जिस तरह जयंत जी को एक सवाल पूछने की अनुमति दी, उस हिसाब से मैं आधा सवाल ही पूछूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है क्योंकि जिस तरह अभी जयंत जी ने कहा कि नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी पर एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति वर्ष 2002 में बनी थी। माननीय मंत्री जी को यह नया विभाग मिला है। मैं चाहूंगा कि वर्ष 2002 में जो राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनी थी, क्या आज के परिवेश में दुनिया के बदलते हुए टूरिज़्म मैप में उसे बदलने का कुछ प्रयास करेंगे या नई नीति संशोधित करने पर विचार करेंगे?

अगर पर्यटन की दृष्टि से इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है, मैं उस फिगर में नहीं जाना चाहता कि पिछले साल कितने टूरिस्ट्स आए। जीडीपी में क्या है? मैं मानता हूं कि बुद्धिस्ट सर्किट से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। आज जापान, चीन, इंडोनेशिया, बैंकाक, श्रीलंका, मलेशिया, क्वालालामपुर तमाम साउथ ईस्ट एशिया इलाके के लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। आप भी गए होंगे। सबकी दुकानों और घरों में गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है। उनके यहां देवी-देवता के नाम पर एक गौतम बुद्ध ही है। उनके लिए पवित्र स्थल है कि वे बोधगया की पत्ती लेकर जाते हैं। सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु की मिट्टी लेकर जाते हैं। दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट्स, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहां आते हैं, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए। आज कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, सारनाथ या श्रावस्ती आदि उस बुद्धिस्ट सर्किट की सड़कों की क्या कंडीशन है? आज रेल की क्या कनैक्टिविटी है, एयर की क्या कनैक्टिविटी है? क्या माननीय मंत्री जी कोई इंटिग्रेटेड ऐफर्ट्स करने का प्रयास करेंगे? मंत्री जी, आज ऐसा नहीं है कि पर्यटन और डिपार्टमैंट ऑफ आर्कियोलॉजी की कोई साख हो, ज्वाइंट ऐफर्ट हो। मैं दो साल से प्रयास कर रहा हूं कि गौतम बुद्ध की पैदाइश पिपरहवा गांव में हुई। नेपाल क्लेम करता है कि वे लुम्बिनी में पैदा हुए। मैं जब हिस्टोरियन, डिपार्टमैंट के अधिकारी से बात करता हूं तो वे यह मानते हैं कि जब उनकी मां मायके से जा रही थी, तो वे रास्ते में बैलगाड़ी में पैदा हुए। वह जगह पिपरहवा है। हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं जबकि खुदाई में सिद्धार्थनगर के पिपरहवा में जो चीजें मिली हैं, वे कोलकाता के नेशनल म्यज़ियम में रखी हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल एक बिल्डिंग दी कि कम से कम एक नेशनल म्युज़ियम बनाया जाए, जो चीजें खुदाई में मिलीं, उसकी रैपलिका बनाई जाए। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो बिल्डिंग हैंडओवर हुई है, जब टूरिज़्म से बात करते हैं तो कहते

[श्री जगदम्बिका पाल]

हैं कि आर्कियोलॉजी में है, आर्कियोलॉजी से बात करते हैं तो कहते हैं टूरिज्म में है। क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमैंट ऑफ आर्रियोलॉजी या टूरिज्म डिपार्टमैंट मिलकर इंटिग्रेटेड कोई ऐफर्ट करेंगे? मैं समझता हूं कि क्यों न एक आथॉरिटी बना दी जाए, क्योंकि कह देंगे कि स्टेट गवर्नमैंट ने प्रस्ताव नहीं भेजा। ये मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज अगर ये 5 करोड़ रुपये का मेगा प्रोजैक्ट स्वीकृत करते हैं, अभी तक पूरे देश में 38 मेगा प्रोजैक्ट हैं जिनमें से इन्होंने 28 स्वीकृत किए।

बुद्धिस्ट सर्किट पर एक भी मेगा प्रौजेक्ट स्वीकृत नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से केवल सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बुद्धिस्ट सर्किट की प्रॉयरिटी है, तो भारत के जो विभिन्न 28 मेगा प्रौजेक्ट स्वीकृति हुए हैं, उनका भी महत्व है, मैं उनकी इम्पोर्टेंस पर मैं कहीं असहमति नहीं व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन लोग इस बात पर भी इत्तफाक करेंगे कि बुद्धिस्ट सर्किट का महत्व न केवल देश में, बल्कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर है, तो उस महत्व को देखते हुए आखिर उस मेगा प्रौजेक्ट के लिए आप क्यों करेंगे? आज मीटरगेज से ब्रॉडगेज का कन्वर्जन हो रहा है, उस पर पिछले दस वर्षों से लगातार अभी तक कनेक्टिविटी नहीं हुई है। बोधगया में एक इंटरनैशनल एयरपोर्ट हो गया, तो वहां बैंकॉक से सप्ताह में दो बार फ्लाइट आती है। क्या गोरखपुर को इंटरनैशनल नहीं बना सकते, क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट का हब बन सकता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जगदम्बिका पाल जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती को इस तरह से अगर बनायें, तो शायद पूरी दुनिया के पर्यटकों को हम आकर्षित कर सकते हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी के विचार जानना चाहूंगा कि क्या वे आगे आने वाले दिनों में बुद्धिस्ट सर्किट को प्रॉयरिटी देंगे? आप जैन धर्म, सूफी धर्म आदि सभी चीजों को करें, लेकिन मैं समझता हूं कि बुद्धिस्ट सर्किट के महत्व को रेखांकित करते हुए आज वे अपनी नीति को स्पष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू (नरसापुरम) : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। नि:संदेह मैं सभा के नियमों का पालन करता हूं।

भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन नीति जारी है। अध्यक्ष महोदया ने सदस्यों के अनुरोध पर आधे घंटे की इस विशेष चर्चा की अनुमति दी है। यह बहुत उपयोगी है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश की महान जनता का योगदान है। प्राचीन काल से ही उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में योगदान किया है। हमारे देश को जो हमारे पूर्वजों से मिला है, हम उसका दोहन करने में असमर्थ हैं। मैं इस सभा से बता रहा हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोलेरु झील नामक एक झील है। यह 348 वर्गमील में फैला जल क्षेत्र है। यह प्राकृतिक झील है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि है। इसकी विश्व नक्शे में पहचान है। पर हम इसके बारे में शायद ही कुछ कर सके हैं। उदाहरण के लिए मैं महज जयपुर का उल्लेख कर रहा हूं। हम इसे 'गुलाबी शहर' कहते हैं। आप जानते हैं कि जय सिंह ने इस शहर का निर्माण कराया था।

अभी-अभी माननीय सदस्य बौद्धधर्म एवं जैनधर्म के बारे में बता रहे थे। उदाहरण के लिए बिहार एक ऐसा स्थल है जिसे हम भूल नहीं सकते। जिस किसी ने भी जन्म लिया है वह अपनी मृत्यु के पूर्व गया जाना चाहेगा। *[हिन्दी]* गया जाने का मौका है।

[अनुवाद]

महोदय, हाल ही में आपने पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। यह माननीय प्रधानमंत्री एवं सोनिया जी द्वारा आपको दिया गया सबसे बड़ा मौका है। आपको अन्य राज्यों से मिलना है। उदाहरण के लिए, आज आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। राजस्थान का पहला स्थान होना चाहिए था, परंतु अब यह तीसरे या चौथे स्थान पर चला गया है। केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय में कुछ तो गलत हो रहा है...*(व्यवधान)*

मेरा कहना है कि मेरे पूर्वज राजस्थान के थे। सौ वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज राजस्थान से थे। आप मेरे रास्ते में क्यों आ रहे है?

मैं मंत्री जी को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी नए अधिनियम को बनाने के पूर्व भारत सरकार को राज्य सरकारों

के साथ समन्वय करना चाहिए। कृपया सभी राज्यों के साथ समन्वय करें। कल विधेयक को अंतिम रूप से पारित करने के पूर्व कई बैठकें कीजिए।

महोदय, आप मेरे प्रति बहुत उदार रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पर्यटन के लिए हमारा देश आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व से ही आकर्षण का केन्द्र रहा है। इसलिए, हमें केवल इसका दोहन करना है। हमारे यहां समुद्र की ओर जाने वाले छोटे-छोटे नाले हैं, उदाहरणत: बंगाल की खाड़ी। उदाहरणत: अमरीका में वे उस प्रत्येक स्थान पर पर्यटन केन्द्र बनाते हैं, जहां नाला समुद्र से मिलता है। वे वहां नावें चलाते हैं तथा बंगले बनाते हैं। हमारे पास कई ऐसे स्थान हैं, जिनकी अभी भी पहचान नहीं की गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बहुत से स्थानों का दौरा करें। कुछ करने के पूर्व आप पूरे देश का दौरा करें। आप समुद्र देखें, विभिन्न देशों की यात्रा करें तथा अच्छी एवं सुंदर पर्यटन नीति बनाएं। इसके अलावा, हमारी अपनी संस्कृति भी है। पूरे विश्व में विभिन्न देशों की साझा संस्कृति का विकास करने के लिए आप इसे पर्यटन हेतु लाभ के रूप में लें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सायं 07.00 बजे

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियमानुसार केवल चार माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले ही चार माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछ चुके हैं।

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राजू शेट्टी जी ने पिछली बार भी सवाल पूछा था और उनका जो मेन कंसर्न हे कि पूरा कोंकण इलाका, कोल्हापुर से लेकर आगे तक, पर्यटन की दृष्टिकोण से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का माना जाता हे, उसे कैसे हम इंटीग्रेटेड वे में डेवलप करें। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह पूरा रीजन, जिसे हम वेस्टर्न सर्किट कह रहे हैं, हमारे लिए प्राथमिकता का विषय बना हुआ है। हमने वहां पर कुछ काम शुरू भी किए हैं, जैसे कोल्हापुर में पन्हाला फोर्ट के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। इंटीग्रेटेड कोल्हापुर सर्किट के लिए हमने अलग से पैसा दिया है और एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में यह काम किया जा रहा है, जिसे कोंकण रिवर सर्किट के नाम से वर्ष 2004 से ही हम लोगों ने शुरू किया है। फिर वही सवाल उठता है, मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि सरकारें सब जगह अपनी भी हैं, दूसरी भी हैं, लेकिन राज्य सरकारों के लिए दुर्भाग्य से यह बहुत प्राथमिकता नहीं बन पाई है। हमारी बहुत योजनाएं वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 से पड़ी हुई हैं और पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को उसकी झलक देखने को नहीं मिल पा रही है कि यह काम हुआ या नहीं। मैंने अपने मंत्रालय के लोगों को कहा है, जैसे माननीय सदस्य राजू शेट्टी जी ने राज्य सरकार के साथ कोआर्डिनेशन हो, उनके द्वारा प्रोजेक्ट का जो प्रायरटाइजेशन किया जाता हे, उसी प्राथमिकता पर हम लेते हैं। उसके बाद भी अगर काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हर राज्य में हमारे पदाधिकारी जाएंगे, रीजनल कांफ्रेंस करेंगे, मैं खुद जाऊंगा। माननीय सदस्य ने सलाह दी है कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूं। मैं 30-35 साल से घूम ही रहा हूं, लेकिन आपकी सलाह अच्छी है। इससे एक मंत्री को चीजों को समझने में मदद मिलेगी।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : इसमें माननीय सदस्यों को भी साथ ले जाएं।

श्री सुबोध कांत सहाय : कुछ किया जाएगा, जिससे माननीय सदस्यों को भी ले जाएं। माननीय सदस्यों को ले जाना इसलिए भी जरूरी है कि जब तक यह पोलिटिकल एजेंडा नहीं, क्योंकि सैर-सपाटे का एजेंडा नहीं है, यह पूरे देश के परिवेश में हैं। आज दुनिया के बहुत से देश टूरिज्म की बदौलत ही जाने जाते हैं। बिहार, जहां से मैं आता हूं, जिसके लिए बुद्धिस्ट सर्किट की बात कही जा रही है, पूरा इलाका तीन-चार धर्मों का उत्पत्ति स्थल हे, इसलिए दुनिया के सामने इसको लाना जरूरी है। इसलिए माननीय सदस्यों को साथ लेकर चले बिना यह काम अधूरा रहेगा। आपके जाने से राज्य सरकार भी साथ चलेगी। यह बात मैं मानता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो उस पूरे इलाके के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कही है, उसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स हमने इंडीविजुअली लिए हैं, इंटीग्रेटेड एप्रोच के साथ हमारे लोग वर्ष 2011-12 का प्रोजेक्ट जब राज्य सरकार के साथ तय करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस विजन को पूरी तरह से उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे।

माननीय सदस्य जयंत चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूं कि पहले से ही हमने बृज के इलाके, मथुरा, वृन्दावन के इलाके के

[श्री सुबोध कांत सहाय]

लिए काफी पैसे दिए हैं। वर्ष 2011-12 में भी इसे लेने जा रहे हैं और हम इसका भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। रहा सवाल रोड का, तो हम लास्ट माइल बनाने का फैसला करते हैं, अगर डैस्टीनेशन से लास्ट माइल का रोड खराब है तो टयूरिज्म डिपार्टमेंट उसके लिए अलग से पैसा देता है। लेकिन अगर पूरे इलाके की बात हो, तो मैं समझता हूं कि वह हमारी परिधि के बाहर है। उसे राज्य सरकार या नेशनल हाईवे देखते हैं। अगर कोई लास्ट माइल में पर्यटन स्थल की रोड है, कोई स्टेट आगे नहीं आती है, तो आप हमें दीजिए, हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : जयंत चौधरी जी ने जो बात कही है गाइड इंस्टीटयूट की तो वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई पर्यटक स्थलों पर गाइड्स की कमी है।

श्री सुबोध कांत सहाय : जब यहां पर कॉमन वैल्थ गेम्स हुए थे, तो बड़े पैमाने पर गाइड्स को, टैक्सी ड्राइवर्स आदि को पूरा ओरिएंटेशन कोर्स कराया गया था। मैं मानता हूं कि गाइड प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए और उन्हें पर्टिकुलर प्लेस की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसकी जानकारी हमें मिली है और हम कोशिश करेंगे कि गाइड्स का स्केल कैसे रिवाइज किया जा सकता है, जिससे वे परफेक्ट गाइड बन सकें।

मैं बौद्ध सर्किट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बौद्ध सर्किट की बात जब हम करते हैं तो यह कम से कम दस राज्यों को जोड़ता है। बिहार, यूपी से लेकर ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश तक को जोड़ता है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के सारनाथ और कुशी नगर का पूरा इलाका देखें, तो इसमें हमने बहुत काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे प्रोपोगेट करने के लिए 'कम टू इण्डिया वाक विदद बुद्धा' जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। इनका साउथ-ईस्ट एशिया में काफी बड़े पैमाने पर कम्पेनिंग किया है। मंत्रालय यह भी सोच रहा है कि दो साल में एक बार बुद्ध कॉक्लेव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले।

जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लेकर कुशी नगर और श्रावस्ती आदि जो तमाम इलाके हैं, हाटा से लेकर कोहली रोड, जो नेपाल बॉर्डर तक बौद्ध सर्कट है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए जापानी बैंक के साथ मिलकर देना तय किया है। इस पर तकरीबन 2011-2012 के बाद काम शुरू हो जाएगा। यह पैसा मुख्यत: इसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए है।

बिहार में बोध गया में कैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह एक बिजनेस माडल भी है। यहां दुनिया भर से लोग ही नहीं आते, बल्कि हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है और बिजनेस भी होता है। यह एक ऐसा सेक्टर है, मैं पहले फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में काम कर रहा था और समझता था कि यह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला महकमा है, लेकिन इस सेक्टर में अगर कोई 10 लाख रुपया लगाए तो 80 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। चाहे वह रिक्शा वाला हो, खोमचे वाला हो या ठेले वाला हो। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा रोजगार की संभावना है। इसलिए हमने हुनर से लेकर रोजगार तक की योजना को बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग के अभियान के तौर पर चलाया है। इस सेक्टर में निवेश हो, प्राइवेट पार्टीज का निवेश हो, राज्य सरकार की भूमिका बने, उनके लिए यह प्राथमिकता बने। राज्य सरकार के पास इस सेक्टर के लिए बजट हो, वह इसके लिए एलोकेट करे। इसके अलावा हमसे जितना होता है, हम वह दे रहे हैं और इसकी मैं मैपिंग करा रहा हूं। वह मैपिंग मैं आज के दृष्टिकोण से करा रहा हूं। पहले जो हमारे सेक्टर थे, अब और ज्यादा नए सेक्टर बने हैं और बनने की संभावना भी है। हम इसकी भी मैपिंग करा रहे हैं।

श्री गणेश सिंह (सतना) : आप भले ही मैपिंग करा लें, लेकिन राज्य सरकार उसे फालो नहीं करतीं। माननीय सदस्य को जो प्रपोजल था, वह भी इसी के तहत था।

श्री सुबोध कांत सहाय : मैंने पहले भी कहा था कि जो माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करके उसे प्राथमिकता में शामिल कराने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री जयंत चौधरी : मेरा यह निवेदन था कि इस बारे में समितियां बनाई जाएं और उसमें वहां के स्थानीय सांसदों को जरूर रखें।

श्री सुबोध कांत सहाय : मैं समझता हूं कि आपकी इस भावना का भी उसमें सम्मान होगा। माननीय सदस्यों को उसमें शामिल करके, उनकी राय ली जाएगी क्योंकि कैम्पेन मोड पर ही इस

क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। चाहे राष्ट्रीय भावना हो, स्थानीय हो या अंतर्राष्ट्रीय भावना हो। इसलिए आपकी भूमिका को भी मैं उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं।

श्री जयंत चौधरी : इसमें परम्परागत भूमिका का भी ध्यान रखा जाए।

श्री सुबोध कांत सहाय : परम्परागत भूमिका के बारे में जैसा मैंने कहा कि जब यह हुनर से रोजगार और रूरल टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर होगा जिसमें वहां के कल्चर और जो दुनिया के लोग आते हैं, वह कोई लॉस-वेगास ढूंढने यहां नहीं आते हैं, यहां का जो आध्यात्मिक टूरिज्म है, यहां का जो कल्चरल हैरिटेज है, उसे देखने आते हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें कोस्टल टूरिज्म का भी ध्यान रखा जाए।

श्री सुबोध कांत सहाय : कोस्टल टूरिज्म के लिए हमारे पास बहुत इलाका है। महाराष्ट्र में ही बहुत सारा वर्जिन इलाका है जो अभी तक डैवलेप नहीं हुआ है। कोस्टल टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्दियों के दिनों में जब पूरा यूरोप बर्फ से ढक जाता है तब लोग यहां आते हैं। इसलिए गोवा बहुत बड़ा टूरिस्ट स्थान बना हुआ है।

माननीय महाराज जी ने चारों धाम की बात की है। उत्तराखंड के साथ ही चारों धाम भी प्रीओरिटी पर हैं। इन्हें हम उस सर्किट में कवर करेंगे और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार पर अपना जोर लगाकर प्रपोजल भिजवाएं, ये मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा। टूरिज्म पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए - क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, दुनिया के लोग जो आएं, वे कल के यहां के निवेशक बनकर जाएं। अगर 8वीं और 10वीं पास बच्चे का थोड़ा सा हुनर डैवलेप कर दिया जाए तो होटल में वह हाउस-कीपिंग की नौकरी कर सकता है।

सभापति जी, अभी हम केवल आधी दुनिया को इस ओर आकर्षित कर पाए हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जितने लोग बाहर से यहां आ रहे हैं दोगुने लोग टूरिज्म के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर हम एक परसेंट लोगों को भी आकर्षित कर पाए तो कम से कम पांच लाख नये होटलों की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अगर पांच लाख नये होटल स्थापित होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार की संभावना हो सकती है।

मैं माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस पर गंभीरता से बहस की और जो भी साथी हमसे सहयोग चाहेंगे, उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सायं 7.13 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) विदेशों में सिखों के मुद्दों जिनके कारण विश्वभर में सिखों के साथ भेदभाव हुआ, के बारे में

[अनुवाद]

डा. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : महोदय, मैं सिख धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सिखों के दर्द को व्यक्त कर रहा हूं। महोदय, सिख धर्म तुलनात्मक रूप से एक नया धर्म है। इसकी स्थापना लगभग 545 वर्ष पूर्व हुई थी। लेकिन यह देखकर मुझे खुशी है कि सिख सभी देशों में पाये जाते हैं। महोदय पगड़ी सिखों का धार्मिक प्रतीक है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, मैं अपने को श्री अजनाला द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : क्या मैं माननीय सदस्य की बात का उत्तर दे सकता हूं?

सभापति महोदय, मैं कल मिलान हवाई अड्डे पर हुई घटना के बारे में सदन में माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों द्वारा भी व्यक्त संवेदनाओं से अपने आपको पूरी तरह संबद्ध करता हूं। हम लोग विदेशों में अपने लोगों की इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान को हमेशा बरकरार रखेंगें।

---

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री ई. अहमद]

हम लोगों ने उस घटना की निन्दा की है और हम लोग यह सुनिश्चित करेगें कि इटली के प्राधिकारियों को हमारी भावनाओं से प्रभावी रूप से अवगत कराया जाए। सुरक्षात्मक उपाय जरूरी हैं, लेकिन इसका अनुपालन सावधानी और आदर के साथ किया जाना चाहिए। हम लोगों ने पहले ही इटली के प्राधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है और उन लोगों ने इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया है। मेरा मानना है कि उन लोगों ने कुछ कदम उठाये हैं, लेकिन उठाये गये कदम स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। हम लोग उनसे इस घटना की जांच करने के लिए भी कहेंगे।

मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि इटली में हमारे राजदूत ने इटली के प्राधिकारियों के साथ यह मामला पहले ही उठाया है। दिल्ली में इटली के प्रतिनिधियों को भी हमारे विचारों से अवगत करा दिया गया है, और हम लोग आज फिर से इस मामले को जोर शोर से उठायेंगे।

आज, मंत्रालय ने दिल्ली में इटली के राजदूत को बुलाया है और इस घटना में जो कुछ घटित हुआ है, उस पर अपना दु:ख और अप्रसन्नता व्यक्त की है। हम लोगों ने उनके आगे अपना गहरा दु:ख भी व्यक्त किया है। राजदूत ने यह सूचित किया है कि वह स्वयं इस पर न केवल खेद और सहानुभूति व्यक्त करता है बल्कि साथ ही साथ वह सरकार को भी इस मामले से अवगत करवायेगा।

हम लोगों ने राजदूत से इटली सरकार में उच्चस्थ पदाधिकारी को हमारी अप्रसन्नता और निराशा से भी अवगत कराने को कहा है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 'पगड़ी' मात्र एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं हैं। यह राष्ट्र का प्रतीक है। हम लोग इसे माफी सम्मान देते हैं। जब कभी 'पगड़ी' कर अपमान होता है, तो यह राष्ट्र का अपमान है। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : मैं माननीय मंत्री जी से वाणिज्य दूतावास को यह कहने के लिए भी अनुरोध करती हूं कि यदि किसी सिख को परेशान किया जाता है और यदि वह संदेश भेजता है, तब उन्हें उसकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति को एक सप्ताह पहले परेशान किया गया था ओर एक सप्ताह के बाद फिर से उसी अधिकारी ने उसे परेशान किया।

श्री ई. अहमद : इसलिए हमने अपनी अप्रसन्नता और दु:ख व्यक्त किया। उन लोगों ने वादा किया है कि सरकार को इससे अवगत करा दिया जाएगा और उन लोगों ने हमें सूचित भी किया है कि वे लोग इस मामले की जांच करने के लिए कदम भी उठाएंगे।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : उन्हें इन मामलों को देखने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रतन सिंह अजनाला : महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सायं 7.16 बजे

(दो) लिबिया से भारत लौटे भारतीयों के लिए पुनर्वास पैकेज शुरू किए जाने आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटनी (पथनयथीट्टा) : सभापति महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लिबिया से वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए समुचित पुनर्वास योजना शुरू करे तथा आउट पास धारकों को तत्काल पासपोर्ट जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

इस अवसर पर मैं स्वेच्छा से भारत लौटने वाले हमारे सभी नागरिकों को सुरक्षापूर्वक वापस लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए सरकार को बधाई देता हूं। 'आपरेशन सेफ होम कमिंग' के माध्यम से बहुत ही कम समय में लगभग सोलह हजार अनिवासी भारतीय भारत वापस लाए गए हैं। इस प्रकार का बड़े पैमाने पर बचाव कार्य विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं एनआरआई समुदाय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री वायालार रवि, माननीय विदेश मंत्री

एस.एम. कृष्णा और हमारे विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद के प्रति इस संबंध जोरदार प्रयास करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय लिबिया से भारत वापस आए अनिवासी भारतीयों के बच्चों के लिए कॉलेज और स्कूल की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विभिन्न तथ्य सरकारों से भी चर्चा कर रहा है।

मैं इस अवसर पर सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि लिबिया से लौटे अनिवासी भारतीय अधर में लटके हैं क्योंकि उनका रोजगार उनसे छिन चुका है। रोजगार की संभावनाओं की अनिश्चितता के साथ वित्तीय संकट ने उनके जीवन में भारी तनाव ला दिया है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया इन वापस आए लोगों के लिए कोई समुचित योजना शुरू की जाए ताकि वे जिस संकट से जूझ रहे हैं, उससे उबर सकें। इसके अलावा मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अनिवासी भारतीयों की संपत्ति और परिसंपत्तियां जो लिबिया से भारत प्रस्थान करते समय लिबिया में ही रह गई थी, की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

यह जानकारी मिली है कि लिबिया से लौटे अनिवासी भारतीयों को नए पासपोर्ट मिलने में दिक्कत हो रही है। उनके पास आउट पास होने के बावजूद, उन्हें नए पासपोर्ट पाने के लिए तीन महीने का इंतजार करना होगा। इससे विदेश में उनकी रोजगार की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आउट-पास धारी अनिवासी भारतीयों की तत्काल पासपोर्ट जारी करने के लिए पोसपोर्ट कार्यालयों को निदेश दे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : मैं केवल माननीय सदस्यों की चिंताओं के संबंध में उत्तर देना चाहता हूं। विदेश मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं कि वे सभी वापस आए लोगों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में समस्त संभव सहायता प्रदान करें। मैं भी बचाव प्रयासों में संलग्न था। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं और वे इस संबंध में विदेश मंत्रालय के सभी प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भ्रूण हत्या का विषय सदन के विचाराधीन रखना चाहता हूं। आज भी उस पर काफी बड़ी खबर आई है। सौ करोड़ के हिन्दुस्तान में जहां हमारी राष्ट्रपति एक महिला हैं, हमारी स्पीकर महोदय एक महिला हैं, जहां हमारी सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी की नेता एक महिला हैं, जहां लीडर ऑफ अपोजीशन एक महिला हैं, वहां आज भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि बच्चे को जन्म देने से पहले ही खत्म कर दिया जाए तो माफ करिएगा, यह बात अच्छी नहीं लगती और न दुनिया में कहीं कोई इसे सराहेगा। कई बार यह मसला उठ चुका है। जब किसी का कत्ल करने वाले पर धारा 302 के अधीन मुकदमा लगता है और जो उसमें शामिल होता है, उस पर भी मुकदमा लगता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आज वक्त है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिससे लोग डरें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आज भी अस्पतालों में खुलेआम इसी तरह के काम हो रहे हैं, आपके किसी कानून से कोई डरता नहीं है। इसलिए कोई कानून आप ऐसा बनाएं जिससे इन चीजों को रोका जा सकें और इस पर सख्त कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा लगे और सरकार इसके लिए एक अच्छा कदम उठाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : इस मामले के साथ जो माननीय सदस्य एसोशिएट करना चाह रहे हैं, वे अपना नाम दे दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सतपाल महाराज, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री धनंजय सिंह, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश सिंह राणा, कुमारी सरोज पाण्डेय और श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला भी श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ स्वयं को संबद्ध करते हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, झारखंड राज्य में खासकर हमारे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में दामोदर नदी की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि हिन्दुस्तान की सबसे ज़हरीली नदी में इसकी गिनती हो गई है। वहीं बोकारो जिला में गर्ग ऋषि ने जहां तपस्या की थी, उसके नाम पर गार्गी नदी है और उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि नदी का रूप उसे नहीं कहा जाएगा

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

बल्कि वह नाला बन गई है। वहां पर लोगों को लैपरॉसी की बीमारी हो रही है और जितने भी वहां कल-कारखाने हैं जहां पर चाहे कोल इंडिया का हो या डीबीसी का हो या प्राइवेट सब्सिडियरी वाले हों, सारे लोग उसमें कचरा डाल रहे हैं जिससे कि वह नदी प्रदूषित हो रही है। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में भी इस बारे में एक पीआईएल दाखिल की गई और वहां पर भी मामला चल रहा है। वर्तमान में समय समय पर जो समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं, वे लोग इस पर आंदोलन वगैरह भी करते हैं लेकिन जो भी सरकार की संस्थाएं हैं, जो सब्सिडियरी हैं, वे वहां पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज इस नदी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि मछलियां मर रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखण्ड तक जो भी कलकारखाना है, उसका कचरा इसमें डाला जा रहा है। हमारा सरकार से आग्रह है कि कोई भी योजना बनाई जाए जिसके तहत इन दोनों नदियों की सफाई का काम करवाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में नई पीढ़ी यही कहेगी कि हमारी धरोहर को समाप्त कर रहे हैं। खास तौर से सीसीएल और बीसीसीएल के क्षेत्र के बगल में वे कचरा गिरा रहे हैं जिसके कारण इसका पाट जो पहले नापने पर 100 फीट चौड़ा था 50 फीट रह गया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलंब इस पर कार्यवाही हो ताकि वहां के लोगों को लाभ मिले। दामोदर नदी और गरगा नदी झारखंड की जीवनरेखा है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंडिगो एयरलाइन्स का एक पायलट फर्जी दस्तावेज के कारण पकड़ा गया। इसके बाद स्पाइस जेट एयरलाइन्स के और दो पायलट फर्जी दस्तावेज के कारण पकड़े गए। इस तरह से छः पायलट पकड़े गए जिनके पास फर्जी दस्तावेज थे। यह बहुत गंभीर विषय है। यह हवाई यात्रा की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा विषय है। देश में हवाई उड़ान का प्रशिक्षण देने वाली कई संस्थाएं हैं। मैं अभी एक स्टेटमेंट डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन, डीजीसीए का पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा छः पायलट के लाइसेंस फर्जी पाए गए इसलिए 10,000 कमर्शियल लाइसेंसधारी पायलटों की जांच के आदेश दे रहे हैं। मैं अखबार में एक और स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इस देश में 40 फ्लाइंग स्कूल हैं, उनका थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पायलटों की ट्रेनिंग में आया, फर्जी दस्तावेज प्राप्त कर लिए, अंत तालिकाएं भी गड़बड़ निकली, क्या इसमें डीजीसीए की कोई भूमिका नहीं थी? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस ट्रेनिंग को बहुत गंभीरता से लेता है तो विमान का प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थाएं देश और विदेश में हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई? यह मामला जानकारी में आए हुए 15 दिन हो गए हैं और अभी तक छः पायलट गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान का एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। सिर्फ पायलटों को गिरफ्तार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। डीजीसीए के अधिकारी और विमान का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं जो देश और विदेश में हैं, इनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जालसाजी करके इन दोनों पायलटों ने क्या कि निर्धारित उड़ान पूरी नहीं करने के बावजूद भी अधिक समय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। कितना बड़ा काम और कितना बड़ा धोखा हो गया फिर भी डीजीसीए कह रहा है कि हम जांच कराएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी कितना ही बड़ा आदमी हो, कितनी ही बड़ी संस्था हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यात्री सुरक्षित हवाई यात्रा कर सकें। धन्यवाद

सभापति महोदय : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले के साथ श्री ए.टी. नाना पाटील को संबद्ध किया जाता है।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) : महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने पूरे देश के किसानों के लिए खेती अंतर्गत रास्ता सुकघर बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। बजट सैशन के पहले महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कृषि विकास दर बढ़ाने की बात कही है। कृषि विकास दर बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कोशिश करने वाली है और इस बजट सत्र में हमारे वित्त मंत्री, श्री प्रणवदा ने भी अपने बजटीय भाषण में कहा कि वह कृषि विकास दर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में फल और सब्जी के भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन की अवसंरचना की कमी के कारण उपरोक्त चीजों का चालीस प्रतिशत नुकसान होता है। इस तरह से चालीस प्रतिशत नुकसान का मतलब हर साल किसानों का लगभग पचास हजार करोड़ रुपये का नुकसान

होता है। वित्त मंत्री जी हमें बतायें कि यदि आप विकास दर बढ़ाना चाहते हैं और यदि किसानों का इस तरह से चालीस प्रतिशत का नुकसान होगा तो हमारी कृषि विकास दर कैसे बढ़ेगी। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करता हूं कि यदि कृषि विकास दर को बढ़ाना है और अन्न सुरक्षा मिशन को यशस्वी करना है तो किसानों को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए हर बजट में भारत में किसानों के खेती के अंतर्गत जो रास्ते हैं, उन रास्तों के लिए हर बजट में दस हजार करोड़ रुपये का आबंटन किया जाए तथा इसके लिए एक स्वतंत्र योजना बनाई जाए। इसी आधार पर हमने अपने संसदीय क्षेत्र, जलगांव जिले के खेती अंतर्गत रास्तों का पूरा मास्टर प्लान, एक पायलट प्रोजैक्ट बनाकर महाराष्ट्र शासन की मंजूरी लेकर ग्राम विकास मंत्रालय में छः महीने पहले भेजा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रोजैक्ट है, इसलिए इस प्रोजैक्ट को आप स्वीकार करें। मैं आपको सुझाव देता हूं कि देश में किसानों के खेती के अंतर्गत रास्तों के लिए एक अच्छी स्कीम बनाई जाए।

इसके अलावा मैं आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश में वाड़ी जोड़ने वाला रास्ता, एक गांव जोड़ने वाला रास्ता और बड़े पैमाने पर हम लोग हाईवे भी बना रहे हैं, आज उनकी जरूरत भी है और उन्हें बनाना भी चाहिए। जिस तरह से हम लोग ये रास्ते बना रहे हैं, उसी तरह से हमारे देश के 68 परसैन्ट किसान, जो खेती पर आधारित हैं, उनके लिए खेती के अंतर्गत रास्ते बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक अच्छा प्लान बनाने की सरकार से विनती करता हूं। आज खेती के अंतर्गत रास्ते बनाने के लिए कम से कम दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की जरूरत भी है और यह माननीय अटल जी और उनकी सरकार ने उस समय मुख्य रास्ता जोड़ने वाली एक बहुत अच्छी पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। इसी आधार पर जो ग्राम का रास्ता है, जो खेती के अंतर्गत रास्ता है, उनके लिए दिये गये प्रोजैक्ट को आप स्वीकार करें और पूरे देश में एक अच्छी योजना बनायें, यहीं मैं आपसे विनती करता हूं।

श्री महेश्वर हजारी (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि भारतीय किसानों के लिए एक भी ऐसी योजना भारत सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, जिसका किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचे। आज भारत में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि विकास योजनाओं को सीधे तौर पर किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि इसका सीधा-सीधा लाभ किसानों को मिल सके तथा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों के विकास हेतु उन्हें सीधे तौर पर मनरेगा योजना से जोड़ा जाना चाहिए।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में जो किसान खेती करते हैं, वहां का जलस्तर इतना नीचे तक चला गया है कि बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा है, जिसके कारण वहां फसल सूख रही है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि स्पेशल स्कीम चलाकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और उनकी सूखती हुई फसल को बचाने के लिए कम से कम माननीय सांसद की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में जो दो-दो स्टेट बोरिंग होता है, वह स्टेट बोरिंग एवं 20 चापाकल पेयजल के लिए प्रत्येक पंचायत में संस्थापित करवाने का कष्ट करें।

दूसरी बात यह है कि वहां की जो जनता और गरीब लोग हैं, वे पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि सारे चापाकल सूख गए हैं। पानी की भारी किल्लत हो गई है। एमएमएनपी के द्वारा भारत सरकार से जो चापाकल जाते हैं, प्रदेश सरकार के पास पहुंचने के बाद वह बंदरबांट हो जाता है। आम जनता और गरीबों के बीच में नहीं जा पता है। दो-चार सौ में बिक जाता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं माननीय सांसद की अनुशंसा पर ही चापाकल लगाने का आदेश यहां से दिया जाए। जिससे वह गरीब जनता तक पहुंच पाए। आप पूरे देश में देख लिजिए कि एमएमएनपी के तहत भारत सरकार, प्रदेश सरकार को जो पैसा देती है वह कहीं भी सही जगह पर नहीं लग पाता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि माननीय सांसदों द्वारा अनुशंसित पत्र पर ही कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा चापाकल गड़वाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : माननीय सभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से सबसे ज्यादा पैसा सड़कों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। भारत सरकार की

[श्री धनंजय सिंह]

तरफ से लगभग सात लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था कि इतनी कीमतों की सड़कें बनेंगी। पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो सड़कें हमारे देश में बन रही हैं वे टोल-टैक्स के आधार पर बन रही हैं। टोल-प्लाज़ा के आधार पर जो सड़कें बनती हैं, उन सड़कों का प्रभाव सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। निश्चित तौर से उससे अवैध वसूली के उपाय बनते हैं। यह रिश्वतखोरी और महंगाई का भी कारण बनती है। जितने मालवाहक उस टोल सड़क से गुजरते हैं, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में टोल-टैक्स देना पड़ता है। मैं एक-दो जगह का उदाहरण देना चाहता हूं। जहां पर उन कंपनियों ने बीओटी रोड बनाए हैं वहां उन्होंने 90 प्रतिशत रिटर्न पाया। आज सदन में दैनिक भास्कर और तमाम अखबार को लेकर चर्चा होती रही। पक्ष और विपक्ष दोनों ने कहा। मैं उसी संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं। इसी अखबार में एक खबर छपी कि लगाए पांच सौ करोड़ रुपए और कमाए चार हजार करोड़ रुपए। इस सरकार की नीतियों का खामियाजा कहीं न कहीं हमारी देश की जनता भुगत रही है। सूरत से भरुच चार लेन की एक सड़क पहले से निर्मित थी। उसको छह लेन में परिवर्तित करने की बात कही गई। आईआरडी कंपनी को ठेका दे दिया गया। उसने 504 करोड़ रुपए सरकार को चुकता कर उस सड़क का ठेका ले लिया। प्रत्येक वर्ष लगभग 128 करोड़ रुपए की वसूली की, क्योंकि सालाना दस प्रतिशत की वृद्धि पर उसे ठेका दिया गया था। लगभग 1600 करोड़ रुपए की आमदनी उस सड़क से दस साल में हो जाएगी। ग्यारह सौ करोड़ रुपए की कमाइ है। इसी के ऐवज में एक पार्ट सूरत से दैसर तक बनना था। उसी पार्ट को बगैर पैसा चुकता किए इसी कंपनी को दोबारा दे दिया गया। मैं इस बात को इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं क्योंकि देश की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। बार-बार सरकार की तरफ से वक्तव्य आता है कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। महंगाई बढ़ने के यही सब कारण हैं। जनता का पैसा लुटा के आप निजी कंपनियों और व्यापारियों की जेब में भरते जा रहे हैं। सूरत से भरुच चार लेन की एक सड़क थी। उस सड़क को छह लेन का करने के लिए उसका भी ठेका दिया गया। जिस दिन वह सड़क दी गई वहां पर काम शुरू होने से पहले उस कंपनी को अधिकार दे दिया गया कि आप टोल-टैक्स एकत्रित कर लीजिए। यह अखबार की खबर है। इसी सड़क का अगला हिस्सा सूरत से दैसर तक का ठेका उसी कंपनी को मिला। लेकिन इस बार ठेके की शर्त बदल गई। इस बार कंपनी ने सरकार को कोई भुगतान नहीं किया। क्योंकि इस पर काम खत्म करने के बाद नहीं बल्कि काम शुरू करने के पहले दिन टोल वसूली का अधिकार मिल गया है। यहां के 4 टोल प्लाजा से उसे एक करोड़ रुपये प्रतिदिन की आमदनी है। टोल का 38 प्रतिशत भाग सरकार को देना है टोल शेयरिंग के रूप में। लेकिन काम खत्म होने के बाद ही सरकार को दिया जायेगा, तब तक सब ठेकेदार का है। ढाई साल में 1100 करोड़ की आमदनी है जबकि खर्चा होना है 1600 करोड़ रुपया। इसकी वसूली अगले नौ साल और होगी, कंपनी 500 करोड़ रुपये खर्च करके लगभग 4000 करोड़ रुपया कमायेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री धनंजय सिंह : सभापति महोदय, मेरा कहना है कि हमारे देश में टोल टैक्स की जो प्रवृत्ति है, इसके बजाय जो हमारी सरकार सड़कों का निर्माण कर रही है, उसे हम ब्रेक करके प्राइवेट लोगों को बढ़ाकर जनता की जेब पर न डालें। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका और सरकार का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि सरकार का कार्य किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण को रोकना है। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रसार भारती है। इस प्रसार भारती में पूरे देशभर के करीब 550 से अधिक जिलों में अंशकालिक संवाददाता जिन्हें हम पीटीसी कहते हैं, कार्यरत हैं। इनका शोषण हो रहा है। ये अंशकालिक संवाददाता वहां पर कम से कम 20 स्टोरीज करते हैं और 20 स्टोरीज के साथ जिले में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। एफएम रेडियो में न्यूज के लिये इन्हें कार्य करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे 24 घंटे में माह में इन्हें सचेत और उत्तरदायी रहना पड़ता है। इसके एवज में इन्हें मात्र तीन हजार रुपया मिलता है। समाचार संग्रहण के लिये और प्रेषण के लिये इन्हें मात्र 500 रुपया मिलता है। फोन और फैक्स खर्च के रूप में इन्हें 750 रुपये मिलते हैं। इस महंगाई के जमाने में यदि प्रसार भारती का एक स्थायी संवाददाता यही कार्य करता हे तो उसे 2000 रुपये मिलते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि प्रसार भारती में इन लोगों का शोषण हो रहा है, उसे तत्काल रोका जाये। भारत सरकार

द्वारा पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 बनाया गया था जिसमें प्रिंट मीडिया के पीटीसी को कवर किया गया था। चूंकि उस समय इलैक्ट्रोनिक मीडिया में ये पीटीसी कार्यरत नहीं थे। उस समय इलैक्ट्रोनिक मीडिया इतनी प्रमुखता से हर जगह पर प्रसारित और प्रचारित नहीं हो पाया था लेकिन आज 20 वर्षों में इलैक्ट्रोनिक मीडिया लगातार प्रमुखता से सामने आया है। मेरा आपसे और आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जनर्लिस्ट एक्ट, 1955 के अंशकालिक संवाददाताओं को इसमें शामिल किया जाये जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया के भी हैं। चूंकि ये उस समय शामिल नहीं हो पाये थे, इसके कारण जो प्रसार भारती के अंशकालिक संवाददाता हैं, उनके कारण उनकी वेतन सुविधा निर्धारित नहीं हो पायी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करना चाहती हूं कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया के अंशकालिक संवाददाताओं को, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में सशोधन करके शामिल किया जाये। जब तक यह संशोधन नहीं होता है, तब तक उनके शोषण को रोकने के लिये प्रसार भारती के अंशकालिक संवाददाताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिये उन्हें वेतन, महंगाई भत्ता, टेलीफोन भत्ता, यात्रा भत्ता सब मिलाकर कम से कम 20 हजार रुपया तत्काल दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं मछलीशहर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं अपने क्षेत्र की कोणार्क सीमेंट फैक्टरी की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह फैक्टरी ग्राम सभा ब्राह्मणपुर, थाना चन्दरोल जनपद जौनपुर में है। जब से यह फैक्टरी बनी है, इसकी स्थापना हुई है, बड़े पैमाने पर जल दोहन और प्रदूषण क्षेत्र में फैला है। जब यह फैक्टरी नहीं बनी हुई थी, इसके पूर्व लोगों को पानी की कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ रही थी। आज इस फैक्ट्री के द्वारा इतना जल दोहन किया जा रहा है कि कुएं सूख गये हैं, हैंडपम्पों ने पानी छोड़ दिया है। इससे क्षेत्र के आम लोगों को पीने के पानी की बहुत किल्लत हो रही है। साथ ही साथ इस फैक्ट्री से उठने वाली धूल और धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। इससे फसलों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आम लोगों का जन-जीवन दूभर हो गया है। लोगों की आंखों में जलन, आंखों में पानी आना, सूजन आना एक आम बात हो गयी है।

उक्त संदर्भ में क्षेत्र में तमाम ग्राम प्रधानों ने एक सामूहिक निवेदन पत्र मेरे माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी को दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वह इसकी जांच कराये, जिससे लोगों की जान-माल की सुरक्षा की जा सके। धन्यवाद।

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र व्यावर, राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में से है। जिसमें उसके आसपास के जिले अजमेर, भीलवाड़ा राजसमंद, पाली आदि दूर-दूर के क्षेत्रों से यात्री आते हैं, लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि इतने बड़े स्टेशन पर इम्पोर्ट एवं जनता के आगमन एवं प्रस्थान के लिए रेलवे का कोई स्टॉपेज नहीं है। उत्तर-पश्चिम रेलवे के अंतर्गत इस रेल मार्ग पर आने वाली ट्रेन नंबर 12215/12216 दिल्ली सराय रोहिल्ला से बान्द्रा टर्मिनल, गरीब रथ एक्सप्रेस तथा ट्रेन नंबर 15269/15270 मुजफ्फरपुर-अहमदाबाद, जन-साधारण एक्सप्रेस तथा प्रमुख रूप से चलने वाली हमारी आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12215/12216 जिसका स्टॉपेज यहां से दिल्ली से जयपुर के बीच में कम से कम आठ जगह होता है। लेकिन, ऐसा कहकर कि एक्सप्रेस ट्रेनों के ज्यादा स्टॉपेज नहीं होने चाहिए, इस आधार पर व्यावर पर इन एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले तमाम फौजी भाई जो बहुत दूर से आते हैं एवं आसपास की जनता उनको बहुत असुविधा होती है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री जी से निवेदन है कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव व्यावर स्टेशन पर किया जाये।

[अनुवाद]

***श्री नलिन कुमार कटील** (दक्षिण कन्नड़) : महोदय, करवार तक के लिए रेल संपर्क बढ़ाने से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यशवंतपुर-मंगलौर दिवस रेल सेवा (रेल संख्या 6515-16) को करवर तक विस्तारित किया है। यह इस क्षेत्र के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांग थी। इसने हमारे लोगों की अपेक्षाओं को पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया, क्योंकि यह सप्ताह में केवल तीन दिन चलती है। यह उतना उपयोगी नहीं है।

मेरे लोग कई दशकों से यशवंतपुर-मंगलौर और करवार के मध्य रेल का स्वप्न देख रहे हैं। रात्रि सेवा रेल मंगलौर-यशवंतपुर

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री नलिन कुमार कटील]

के मध्य प्रारंभ की गई थी। उस समय से ही इस रेल को करवर तक बढ़ाने की मांग चल रही है। यह तटीय कर्नाटक क्षेत्र में अनेक धार्मिक स्थलों जैसे उदुप्पी, कुंडापुर, भहकला, मुरुदेश्वर, कुमुरा, गोकरना तथा हासन, मैसूर और बंगलुरु जैसे शहरों को सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगा।

तटीय कर्नाटक में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ है। इस क्षेत्र में नगर और शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग, विद्यार्थी और व्यापारी बंगलुरु और तटीय नगरों के मध्य आवाजाही करते हैं। अभी की स्थिति अनुसार इस मार्ग पर कोई सीधा रेल संपर्क नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए दक्षिण पश्चिमी रेल ने रेलवे बोर्ड वो 27 सितंबर, 2009 को आंतरिक रेलवे समय सम्मेलन के दौरान एक ज्ञापन प्रस्तुत कर यशवंतपुर और मंगलौर (रेल संख्या 6517-18) के मध्य रेल को बढ़ाकर करवर तक करने की मांग की थी। मुख्य परिवहन प्रबंधक ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। परंतु वर्ष 2009 के रेल बजट में इस लाइन को कर्नाटक में करवर की बजाय केरल में कन्नूर तक विस्तारित किया गया था। इसने इस क्षेत्र के लोगों को निराश किया है चूंकि इसने उन्हें कम खर्च पर राज्य की राजधानी बंगलुरु की यात्रा करने के अवसर से वंचित किया है।

अब दक्षिण पश्चिमी रेल ने रेलवे बोर्ड को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार यशवंतपुर-मंगलौर-कन्नुर के मध्य रेल लाइन पर चलने वाली रात्रि सेवा को मंगलौर पर डिलिंग किया जायेगा। ताकि 10 डिब्बों वाली एक रेल करवर तक भी जा सके। यह कर्नाटक और केरल दोनों के लोगों के लिए उपयोगी होगा।

इसलिए, तटीय कर्नाटक क्षेत्र के लोगों की ओर से, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि यशवंतपुर-मंगलौर-करवार रेल लाइन पर रेल चलाने के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं और इस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का ध्यान मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहूत स्तूप जो प्रख्यात बौद्ध स्मारक एवं कला का भव्य नमूना है तथा भारत की सामाजिक संस्कृति का सुंदर परिचायक है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा उस स्तूप की स्थापना की गयी थी। वह ऐसा ही स्थान है जैसे उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, इलाहाबाद, पैठण (महाराष्ट्र), बिहार में पाटलिपुत्र तथा राजगीर है। यह अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ गगनचुंबी स्तूप के रूप में खड़ा था जो उस समय के मध्य भारतीय वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का जीवन्त साक्षी था। मौर्य वंश, शुंग वंश तथा गुप्त साम्राज्य के समय से आठवीं शताब्दी तक इसकी अग्रगामी गतिविधियां रही हैं। 1873 ई. में पुरातत्व अन्वेषक अलेक्जेंडर के लोग वहां गए थे और संपूर्ण अवशेषों को कलकत्ता भेज दिया था। अत: स्तूप खण्डहर में तब्दील हो गया। उसके जो दुर्लभ चित्र थे उससे उस समय की संस्कृति एवं परंपराओं का जीवंत मिश्रण था। वह कलकत्ता के अलावा यहां-वहां बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ मूर्तियां इतनी कीमती थी कि लोगों ने उसे विदेशी बाजार में करोड़ों रुपए में बेच दिया। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भरहूत स्तूप को पुरातत्व विभाग अपने नियंत्रण में लेकर उसको सुरक्षित करते हुए वहां स्मारक एवं म्यूजियम बना कर जो अवशेष कलकत्ता में रखे हुए हैं, उन्हें वापस सतना जिले में लाया जाए ताकि उसके ऐतिहासिक केन्द्र को लोग समझ सकें तथा नयी खोज कर सकें। वैसे भी मेरा लोकसभा क्षेत्र सतना धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रकूट, मैहर, रामवन, वृषिणपुर, धारकुंडी, मार्कण्डेय घाट, बांधवगढ़, अमरकंटक, भरहूत, देवकुठार जैसे क्षेत्र हैं जिनका पर्यटन की दृष्टि से विकास होना अत्यंत आवश्यक है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर इसको टूरिस्ट सर्किट में भी शामिल करे और पुरातत्व विभाग से यह मांग करता हूं कि ऐसे स्थानों का संरक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएं।

श्री प्रेमदास (इटावा) : सम्माननीय सभापति जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हमारे देश में पानी की बहुत किल्लत होती जा रही है। वर्षा का पानी बरसता है और नदियों-नालों के द्वारा सीधे समुद्र में चला जाता है। वाटर लेवल भी बहुत गहरे हो गए। पानी का दोहन बहुत जबरदस्त हो रहा है। हमारे लोकसभा क्षेत्र इटावा, जिला औरैया में 5 नदियों का मिलन होता है। 20 साल पहले पंचनदी पर एक बांध का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा किया गया था। आज दिन तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। उस बांध से 4 जिले 100 किमी के क्षेत्र में किसानों को और वनों को लाभ मिलने का काम होगा। भिंड, जालौन, इटावा, औरैया- ये चार जिले बहुत अच्छे पानी से, अगर बांध बन जाएगा तो उससे लाभ मिलने का काम

होगा। मेरी मांग है कि इस बांध को जल्दी-से-जल्दी बनाया जाए और जबकि भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। गांव की ओर कोई देख नहीं रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में अरबों रुपया लग रहा है। गांव और पूरा क्षेत्र पानी की वजह से परेशान है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मांग को और इस बांध को जल्दी-से-जल्दी बनाने की कृपा की जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर) : धन्यवाद चेयरमैन सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस विषय को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, हमारे मंत्री नारायणसामी जी अवगत हैं उस बारे में। चेयरमैन साहब, एक जिले में, अगर जिले की बाउंड्री का एक गांव है, अगर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में जाएगा तो कम से कम सारे देश में डिस्टेंस होगा ज्यादा से ज्यादा 100 किमी या 150 किमी। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में मलकानगिरी में एक कालीमेला ब्लॉक है, उसकी जो बाउंड्री है, वह कम से कम 150 किलोमीटर है। वहां पर दो पंचायतें हैं- कुरमालूर और पापलूर, जहां से कोई गरीब आदिवासी यदि इंदिरा आवास के लिए या पेंशन के लिए ब्लाक हैडक्वार्टर को जाता है तो उसको 125 किलोमीटर पड़ता है जिसमें से 30 किलोमीटर वह मोटरबोट में आता है और बाकी लगभग सौ किलोमीटर वह रोड से जाता है। अभी पंद्रह दिन पहले मलकानगिरी कलैक्टर को नक्सलाइट्स ने अगुवा किया था, तो उनकी यही मांग थी कि वहां पर एक नया ब्लाक चित्रकुंडा नाम से बनाया जाए जिसमें कुड़मुलगुमा की कुछ पंचायतें और कालीमेला की कुछ पंचायतें हों तथा आस-पास की पंचायतों को मिलाकर वहां एक नया ब्लाक बनाया जाए। वहां जो आदिवासी हैं, हर साल 10-15 हज़ार आदिवासी ब्लाक का घेराव करते हैं, कलैक्टरेट घेराव करते हैं, अनशन पर बैठते हैं कम से कम महीना भर। जब सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो वे नक्सलियों के पास जाकर उनका सहारा भी लेते हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है। नारायणसामी जी यहां बैठे हैं, वे इस बारे में सब जानते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रखंड पंचायत समिति, ज़िला परिषद् से प्रस्ताव पास करा दीजिए।

श्री प्रदीप माझी : जिला परिषद् से रिकमंड हो गया है और कलैक्टरेट से भी रिकमंड हो गया है। स्टेट ने भी रिकमंड कर दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जनगणना के बाद बनने का कानून है।

श्री नीरज शेखर (बलिया) : सभापति जी, आज मैं अपने आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि साढ़े तीन साल लगातार प्रयास करने के बाद पहली बार ज़ीरो आवर में मेरा विषय उठा है। इसके लिए मैं अपने आपको बधाई देता हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार जो योजनाएं बनाती है, बड़े धूमधाम से कहती है कि नरेगा लाए, यह लाए, वह लाए, उसका बड़ा प्रचार करती है कि पूरे देश में इनकी योजनाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं। 2007 में सरकार ने एक योजना शुरू की थी राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका बहुत प्रचार हुआ और लगातार इसका प्रचार भी हो रहा है, वित्त मंत्री जी कई बार इसके बारे में यहां बोल चुके हैं और समिति में भी यह बात आई है, लेकिन धरातल पर कहां तक यह योजना काम कर रही है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। आदरणीय नारायणसामी जी यहां बैठे हैं, वे हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं। जो बलिया और गाज़ीपुर का जिला है, वहां की बात मैं कर रहा हूं। गाज़ीपुर जिले में करीब 23 लाख परिवारों का स्मार्ट कार्ड बनना था। उसमें से कुछ हज़ार लोगों का बना है। उसमें भी इतनी त्रुटियां हैं कि फोटो किसी की तो नाम किसी और का है। महिला पुरुष हो गया है और पुरुष महिला हो गए हैं। वह कार्ड बन ही नहीं रहा है। अगर केन्द्र सरकार यह कहती है कि राज्य सरकार को बनाने के लिए दे दिया गया है तो हर बात में यही होता है कि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार दोषी ठहराती है और राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार पूरा पैसा नहीं देती है। वहां जब योजना शुरू हुई तो गरीब आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि बीमा बहुत बड़ी चीज़ है। एक गरीब आदमी जब बीमार पड़ता है और उसको बीमारी में मदद मिल जाए तो उसको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होता उहै। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। इलाहाबाद ज़िले में पिछले एक साल में केवल 80 हज़ार रुपये खर्च हुए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि योजना कहां तक चली है। 22-23 लाख कार्ड बनने थे। उसमें से जो दो-तीन लाख कार्ड बने, वे अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं। कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए उसको तीन बार जाना पड़ता है। उसके लिए भी उसको पैसा देना है। हर बात में निराश होकर उसने कार्ड की आशा ही छोड़ दी है। ...*(व्यवधान)* वही मैं कह रहा हूं कि इतनी अच्छी योजना है और

[श्री नीरज शेखर]

केन्द्र सरकार यह कह दे कि राज्य सरकार के ऊपर है, तो इससे बात नहीं बनेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर कुछ दबाव डाले कि वहां काम ठीक से किया जाए क्योंकि गरीबों के लिए योजना है। हर बार यह कह दें कि राज्य सरकार को करना है तो ठीक नहीं है। नरेगा का वही हाल है, बीमा योजना का वही हाल है, मिड डे मील का वही हाल है। अगर राज्य सरकार को आप कुछ नहीं कहेंगे तो यहां से पैसा मत भेजिए, उन पर कुछ दबाव डालिये जिससे वह बीमा योजना ठीक से चल सके।

सभापति महोदय : रोज़गार गारंटी कानून के बैनिफिशियरीज़ को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करना है।

श्री नीरज शेखर : यह बीपीएल के लिए है।

सभापति महोदय : जो बीपीएल नहीं भी है और रोज़गार गारंटी कानून का बैनिफिशियरी है, उसको भी मिलने का कानून हो गया है।

श्री नीरज शेखर : उसको भी मिले, यही मैं आग्रह करता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : सभापति महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना एक ऐसे वर्ग से है जो रोज़ मजदूरी करता है और उस मजदूरी से राशन खरीदता है, अपने बाल-बच्चों का पेट पालता है। यह सूचना इस्पात मंत्रालय से संबंधित है। मेरे लोक सभा क्षेत्र खजुराहो के कटनी जिले कोटेश्वर लाइम स्टोन माइन्स के नाम इस्पात मंत्रालय की एक माइन चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1978 जब यह प्रारंभ हुई तो उस समय यह शर्त रखी गई थी, जिन किसानों के खेत लिए गए थे, उन खेतों को जिन्हें लाइम स्टोन की इन माइन्स में लिया जाएगा, उस परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी और आस-पास के गांवों के मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। आज उन शर्तों को भूलकर इस्पात मंत्रालय ने ऐसी स्थिति खडी कर दी है कि ज्यादा उत्पादन के चक्कर में तीन हजार मजदूर जो रोज़ वहां जाकर मजदूरी करते थे, उनको बाहर निकाल दिया है ओर पूरी माइन का मशीनीकरण कर दिया है।

महोदय, सामी जी यहां बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो मजदूर निकाले गए हैं, जब से यह निर्णय लिया गया है, तब से वे प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे-धीरे विस्फोटक स्थिति होती जा रही है। ये आज भी अपंजीकृत मजदूर हैं, जिसके कारण इनको भविष्यनिधि का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप एक तरफ मनरेगा के माध्यम से गरीबों को रोजगार की गारंटी देकर, उन्हें रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ फायदा कमाने के चक्कर तीन हजार मजदूरों को बेरोजगार करके अनशन के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि यह संवेदनशील मामला है। मध्य प्रदेश के उस इलाके में और कोई काम इस तरीके का नहीं है जिससे वे अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आपकी ओर से भारत सरकार को यह निर्देश जाना चाहिए कि कोटेश्वर माइन्स में जो तीन हजार मजदूर निकाले गए हैं, उनको पुनः शामिल किया जाए। उन्हें पंजीकृत किया जाए, ताकि उन्हें भविष्य निधि का लाभ मिल सके।...*(व्यवधान)* उसमें हाईकोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी आ चुका है। इसमें आवश्यक यह है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें ताकि उन गरीब मजदूरों को राहत मिल सके। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय उन्होंने जो वायदे किए थे, जो शर्तें रखी थीं कि हम क्षेत्र कि किसानों को लाभ देंगे, मजदूरी देंगे और एक आदमी को वहां नौकरी देंगे, उन शर्तों को पूरा किया जाए, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मै उक्त विषय से अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तराखंड के कुमाऊं में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिससे कुमाऊं के छात्र-छात्राओं को केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए या तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अथवा समय और पैसों के अभाव में अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ना पड़ता है। शिक्षा

व प्रतिभा को विकसित करने के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में तीन, दिल्ली में चार, उत्तर प्रदेश में चार, असम में दो और मणिपुर में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड के कुमाऊं में भी एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

महोदय, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करे, जिससे कुमाऊं की प्रतिभाएं भी आगे बढ़े एवं देश के विकास में अपनी सेवाएं प्रदान करें।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जिला बालाघाट और जिला सिवनी में दो नवोदय विद्यालय खोले जाने की मांग जनता द्वारा कई वर्षों से की जा रही है। बालाघाट जिला और सिवनी जिला नक्सल प्रभावित जिले हैं तथा दोनों जिले अति पिछड़े जिले हैं। शिक्षा के मामले में भी दोनों जिले अति पिछड़े जिले हैं। बालाघाट जिले में तिरोड़ी और लांजी तथा सिवनी जिले में कुरई और लखना जोन में नवोदय विद्यालय खुलवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। नवोदय विद्यालय नहीं खोले जाने के कारण लांजी की जनता को और गरीब परिवार के मेधावी छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में तिरोड़ी और लांजी तथा सिवनी जिले में कुरई और लखनादोन में नवोदय विद्यालय खुलवाए जाएं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि नक्सल प्रभावित तथा अति पिछड़े जिलों का वास्तव में अगर विकास करना है तो इन दोनों आदिवासी जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय आगामी सत्र में खोले जाएं। धन्यवाद।

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आरडी गार्डी में मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त कॉलेज में सन् 2003-04 में एमबीबीएस के लगभग सौ छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया था। इन छात्रों का प्रवेश माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से किया गया था। वर्ष 2009-10 में सभी छात्रों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लीं। लगभग डेढ़ वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने अभी तक उन्हें डिग्रियां प्रदान नहीं की हैं। अब कॉलेज प्रबंधन छात्रों से डिग्रियों के बदले में 20-20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर छात्र गरीब तबके से आते हैं और इतनी भारी भरकम रकम देने में असमर्थ हैं। कॉलेज प्रबंधन को राज्य शासन के मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बेधड़क कॉलेज में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डिग्रियां न मिलने से छात्र न तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और न ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इनमें से 10-12 लड़के मुझसे आकर मिले थे। वे मुझ से विनती कर रहे थे, वे काफी गरीब परिवार से हैं। उन्होंने लोन, कर्ज आदि लेकर पढ़ाई की है और वे देने की स्थिति में नहीं हैं। इन छात्रों ने पांच वर्ष कठिन परिश्रम कर परीक्षा पास की है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों के भविष्य को अंधकारमय कर रखा है। देश में पहले ही चिकित्सकों की कमी है। केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं ऐसे कॉलेज गरीबों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि अविलंब विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के गरीब छात्रों को तत्काल डिग्रियां प्रदान की जाएं और ऐसे भ्रष्ट कॉलेज की मान्यता समाप्त करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

सभापति महोदय, आप भी शिक्षाविद हैं, आप इन गरीबों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब विशविद्यालय परीक्षाएं ले रही हैं तो डिग्री भी इन्हें ही देनी चाहिए। इन गरीब बच्चों के लिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप इन्हें निर्देशित करें।

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम में केन्द्रीय विद्यालय सं.3 ने तीन या चार वर्ष पूर्व कार्य करना प्रारंभ किया थां पर भारत सरकार ने अभी भी इसके लिए भवन को मंजूरी नहीं दी है और अभी स्कूल मराठी मंडल नामक संस्था के स्वामित्व वाले भवन में चल रहा है। हमें इस स्कूल को किराए आधार पर अपने परिसर देने के लिए उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। पर न तो राज्य सरकार और न

[श्री सुरेश अंगड़ी]

ही केन्द्र सरकार मराठी मंडल को किराया दे रही है और इसलिए अब वे स्कूल अधिकारियों पर अपने परिसर खाली करने का दबाव डाल रहे हैं। यदि वे परिसर खाली करते हैं तो विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर होना पड़ेगा क्योंकि स्कूल के पास इसे चलाने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। कर्नाटक सरकार ने स्कूल भवन निर्माण के लिए भूमि पहले ही दी है पर केन्द्र सरकार ने इस भवन के निर्माण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। विद्यार्थियों के माता-पिता तनावग्रस्त हैं क्योंकि स्कूल जून में फिर खुल जाएगा तथा बच्चों के लिए कोई भवन नहीं रहेगा क्योंकि सरकार निजी पक्ष को किराए नहीं दे रही है।

इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि या तो वे स्कूल भवन का तुरंत निर्माण प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को निदेश दे या उन्हें मराठी मंडल अधिकारियों को किराए देने के लिए कहें ताकि इन विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश में मां जालपा की नगरी, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से आता हूं। 'मनरेगा' भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ सहित पूरे देश में मजदूरों का पलायन रूका है। संबंधित मजदूरों के अपने गृह क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार हेतु मजदूरी करने के साथ अपनी खेती, किसानी, पशु-पालन व अन्य पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य भी वे अपने घर पर ही रह कर लेते हैं। इससे उनका जीवन स्तर तो सुधरा ही है साथ ही साथ बच्चों को समुचित शिक्षा तथा उसके अन्य छोटे-मोटे रोजगार के साधन, दूध एवं सब्जी के व्यवसाय आदि की ओर भी वह समुचित ध्यान देने लगा है।

महोदय, उक्त योजना के पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन में ग्रामीण इंजीनियर एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जिन ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में 50 लाख रुपए की राशि से अधिक के निर्माण कार्य होते हैं, वहां स्थानीय स्तर पर उनकी नियुक्ति की जाए, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में 50 लाख रुपए की राशि से अधिक निर्माण कार्य करने वाली ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण इंजीनियरों के इन अस्थाई पदों की पूर्ति पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाई है। जिला अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि इन पदों की स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में पद स्वीकृति के अभाव में ये नियुक्तियां अवरुद्ध पड़ी हुई हैं।

मेरा इस संबंध में अनुरोध है कि 'मनरेगा' जैसी महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिन ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए की राशि से अधिक के कार्य सम्पादित हो चुके हैं, उन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण इंजीनियर के अस्थाई पद को स्वीकृत करने तथा इसी प्रकार जिन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण इंजीनियर नियुक्त है व एक वित्तीय वर्ष में उन पंचायतों में 50 लाख रुपए से कम की राशि के कार्य सम्पादित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उक्त ग्रामीण इंजीनियर के पद को समाप्त करने एवं स्वीकृत करने का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर को दिया जाना उचित होगा, ताकि विलंब न हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि जब जीरो आवर शाम को चले, तो आपकी तरफ से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह हो जाए कि वे बोलकर तुरन्त न जाएं, बल्कि वे सदन के स्थगित होने तक बैठें, क्योंकि उनके चले जाने से हाउस खाली रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है।

सभापति महोदय : नियम में है कि कोई भी सदस्य अपना भाषण कर के तुरन्त बाहर नहीं जाएगा।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उस नियम का हवाला देते हुए एक बार पुनः माननीय सदस्यों को स्मरण कराया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आदरणीय संसद-सदस्य भाइयों से मैं रुकने के लिए रिक्वैस्ट करता हूं, लेकिन वे नहीं रुकते हैं, तो मैं क्या करुं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जो मैडीसिन्स सप्लाई हो रहा हैं, उनमें बड़ा घोटला है। दवाई के नाम पर जो कम्पोजीशन होगा और जो पोटेंसी आनी चाहिए, वह लोगों को नहीं मिल रही है। मैं एक पार्लियामेंट क्वैश्चन का जिक्र करूंगा, 26 नवम्बर, 2010 को अंडमान और निकोबार में प्रशासन ने दवाई खरीदी लोकल दुकानदारों से 11 करोड़ 28 लाख रुपए की सेंट्रल डिपो चेन्नै और कोलकाता, जिसका मालिक दिल्ली में बैठा है, सेंट्रल डिपो के माध्यम से उसने दवाई खरीदी 9 करोड़ 72 लाख रुपए की। कुल दवाई खरीदी 21 करोड़ रुपए की। वहां की आबादी 4 लाख है। हर आदमी दवाई खाने से एक आदमी पर साल में खर्चा लगभग 5 हजार रुपए का होता है, रुपया सरकार ने दिया, लेकिन क्या हुआ? हमने विरोध किया था। सी.बी.आई. ने अंडमान सेंट्रल स्टोर, जहां मैडीसिन रहता हैं, वहां रेड किया और 11 सैम्पल उन दवाओं के लिए गए जो लोकल डीलर से परचेज की गई थी और उन्हें कोलकता की ड्रग टैस्टिंग लेबोरेट्री में भेजी गया। 11 सैम्पलस में से 6 सैम्पल निकले सब-स्टेंडर्ड। जो पोटेंसी है, वह नहीं है। जो कंपोजीशन दवाई में लिखा रहता है, वह कंपोजीशन नहीं है। पोटेंसी भी कम है। अब सोचिए हालत क्या बनने वाली है। अंडमान और निकोबार के लिए जो दवाई जैनरिक के नाम पर बनती हैं, वह दवाई इंडिया में किसी भी जगह नहीं मिलेगी।

भारतवर्ष में जो दवाई की किताब है, सिम्स नाम है, मिम्स है, ड्रग टुडे है, ड्रगलिस्ट की जो किताब भारत में है, उस ड्रगलिस्ट में अंडमान की मैडीसिन दिखाई नहीं देगी। जैनेरिक मैडीसिन के नाम पर क्या हो रहा है, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं खुद शिकार हूं, ब्लड प्रैशर का, मैडीसिन खाकर मुझे शुगर हुई और मेरा बी.पी. बढ़ गया। अगर कोई आदमी दवाई सब स्टैंडर्ड खायेगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा कि जो दवाई घटिया कंपनी की हो, छोटी सी कंपनी की हो तो क्या बनता है। उदाहरण स्वरूप निकोबार और निकोबार द्वीपसमूह में ब्लड प्रैशर के लिए दवाई है, कंपनी का नाम रैनबैक्सी है और दवाई एवाकॉर्ड 5 एम.जी. की 10 टैबलेट की कीमत 11.50 रुपये है और यह दवाई अण्डमान निकोबार में जैनेरिक मैडीसिन के नाम पर बिक्री हो रही है। वहीं एम्लोडेपिन 5 एम.जी. की 10 टैबलेट की कीमत केवल 1.50 रुपये है। इसका परिणाम क्या होगा, मैडीसिन सब-स्टैण्डर्ड होगी, उसका साइड इफैक्ट होगा, किडनी खराब होगी, शुगर की बीमारी होगी, यह अण्डमान निकोबार में हो रहा है। मैं कुछ मैडीसिंस के नाम को आपको उल्लेख करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री विष्णु पद राय : मैं यह कहना चाहता हूं, खासकर निफेडेपिन एक दवाई है और कंपनी का नाम एनोड फार्मा है। इस कंपनी का दुनिया में आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा। उसकी 10 टैबलेट का दाम 6.19 रुपये है और अच्छी कंपनी की जो दवाई है, उसका नाम केल्सीगार्ड है और कंपनी एक्टोरिन है। उसका 10 टैबलेट का दाम 9.50 रुपये है। इसी तरह से मैं आपको एक दवाई का नाम और लूंगा, वहां गैस्ट्रिक प्रोब्लम पीने के पानी की वजह से है। सोलन, हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम मैडीकोल है, उसकी 40 एम.जी. की 10 टैबलेट का दाम 6.11 रुपये है और वही टैबलेट अगर आप अच्छी कंपनी की खरीदेंगे तो एक टैबलेट का दाम 6.30 रुपये आएगा तो जरा सोचिये कि गैस्ट्रिक की टैबलेट, शुगर की टैबलेट, बी.पी. की टैबलेट, हार्ट की टैबलेट, कफ टैबलेट, कैंसर की टैबलेट हमें कहां से मिलती है, वह दिल्ली के सैंट्रल मेडीकल स्टोर डिपो से मिलती है। सारा टेंडर अंडमान और निकोबार से चेन्नई डिपो में जायेगा, वहां से कोलकाता डिपो में भेजेगा, फिर दिल्ली आएगा। दिल्ली में यहां पूरे घोटोले का राजा बैठकर कौन-कौन सी कंपनियां ढूंढेगा, जिस कंपनी का नाम नहीं है, पता नहीं है, एड्रैस नहीं हे और वह दवाई बनाकर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भेजेगा।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब एक ही कंपनी है, एक ही कम्पोजीशन है, एक ही पोटेंसी है तो एक का दाम 10 पैसा है तो उसी दवाई का दाम रैनबैक्सी जैसी बड़ी कंपनी पांच रुपये क्यों लेती है, जब एक ही क्वालिटी है?

खासकर के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मैडीकल का स्टाफ दवाई नहीं खरीदता, डॉक्टर से दवाई लिखाता है और दवाई बाहर से खरीदता है। अंडमान और निकोबार की जनता जान गई है कि यह दवाई डुप्लीकेट है, सब-स्टैण्डर्ड है। वह वहां से दवाई लेगा और रास्ते में फेंक देगा। अंडमान और निकोबार में वीआईपी के लिए बढ़िया दवाई है, ब्रांडेड कंपनी की है और आम आदमी के लिए ऑर्डिनरी कंपनी की है। मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला क्या है। जैनेरिक दवाई में कमीशन दो तिहाई है, 100 रुपये की दवाई खरीदने से 60 रुपये कमीशन मिलेगा, इसलिए जैनेरिक दवाई पर यहां जोर दे रहे हैं, जबकि ब्रांडेड दवाई में कम कमीशन है। अंडमान प्रशासन 21 करोड़ रुपये एक साल में दवाइयों पर खर्च करता है और दवाई 15 करोड़ रुपये की खरीदी जाती है। ब्रांडेड कंपनी से, बड़ी कंपनी से, प्रापराइटरी कंपनी से कमीशन 15 परसेंट, 20 परसेंट, 25 परसेंट मिलता है। इस

[श्री विष्णु पद राय]

कमीशन पर दवाई खरीदने से 20 करोड़ रुपये की दवाई अंडमान को मिलेगी तो लोग बचेंगे, उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी, उन्हें बीमारी नहीं होगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को न मारें, इसकी मैं मांग करूंगा, अनुरोध करूंगा। नारायण सामी जी ने अण्डमान की बात, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए बढ़िया दवाई खरीदकर वहां की जनता को बचायें और जैनेरिक कंपनी की दवाई हटायें। धन्यवाद।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर) : महोदय, मैं जनपद सहारनपुर का रहने वाला हूं। जनपद सहारनपुर में मां शाकुम्भरी देवी का मन्दिर शिवालिक की तलहटी में है। मेरा मानना है कि शाकुम्भरी देवी के मंदिर में पांच हजार आदमी प्रतिदिन दर्शन हेतु जाते हैं, लेकिन एक भी धर्मशाला वहां नहीं है और न ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वहां धर्मशालाएं बनायी जाएं और वहां पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर में मां वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी तरह हमारे यहां शाकुम्भरी देवी का मंदिर जनपद सहारनपुर में है। वहां भी ऐसी ही व्यवस्था कराने की कृपा करें।

मेरी दूसरी मांग यह है कि सहारनपुर कमिश्नरी में दो जनपद आते हैं - मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। नंबर एक की पार्लियामेंट सीट मेरी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की है। हमारा यह मानना है कि जनपद सहारनपुर...

सभापति महोदय : एक ही विषय का प्रावधान है।

श्री जगदीश सिंह राणा : दूसरा नहीं है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी।

झांसी में जन्म हुआ, इसीलिए यह नाम पड़ा।

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : धन्यवाद महोदय। हर कोई कहता है, ''भारत गांवों में बसता है'' पर व्यावहारिक रूप से देखें तो इतना कुछ कहे जाने के बाद भी ग्रामीण अवसंरचना का विकास हमारे देश में शहरी अवसंरचना के समकक्ष कम से कम 50 प्रतिशत भी नहीं हुआ है। कई लोग अपनी आजीविका के लिए हर दिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर जनसंख्या दबाव भी कम हो रहा है। पर, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को बहुत कुछ बेहतर करने की जरूरत है। ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्रों तक आने में रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करे। जेएनएनयूआरएम जैसी योजना की जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है।

मैं जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत 35 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराने के लिए संप्रग सरकार को धन्यवाद देती हूं। मेरे मन में संदेह नहीं कि इस योजना के कारण शहरी परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कई सुविधाओं वाली नयी बसें सड़कों पर चल रही हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई राज्य एपी ट्रांसपोर्ट जैसे परिवहन निगमों की सहायता से ग्रामीण सेवा चला रहे हैं जबकि तमिलनाडु एवं कर्नाटक चाहे वे कोई भी हों- केवल परिवहन निगमों से पूरे राज्य में परिवहन सेवा चला रहे हैं। हालांकि उपलब्ध संसाधनों के भीतर राज्यों को बड़ी मुश्किल से अपने बड़े का प्रबंधन करना पड़ रहा है। वैसी ही स्थिति शेष भारत की भी है। आंध्र प्रदेश में पल्ले वेलुगु (ग्राम-प्रकाश) जैसे ग्रामीण परिवहन कार्यक्रम ग्रामीण यात्रियों के लिए नयी आशा बन रही है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी जेएनएनयूआरएम की तर्ज पर वैसी योजना लाएं ताकि हम वास्तव में कह सकें कि हम ग्रामीण लोगों की सेवा करते हैं तथा 'भारत गांवों में बसता है' नामक प्रसिद्ध उक्ति व्यावहारिक रूप से लागू हो सके।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही 24 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 8.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 मार्च 2011/ 3 चैत्र 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।